उत्तर प्रदेश में निर्धनता उन्मूलन अभियान का महिलाओं की सामाजार्थिक दशा पर प्रभाव

(जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की पी-एच.डी. उपाधि हेतु

अर्थशास्त्र विषय

में

प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशिका

डॉ0 (श्रीमती) रजनी त्रिपाठी

(गोल्ड मेडिलिस्ट)

प्राचार्या

प्रयाग महिला विद्यापीठ डिग्री कालेज

इलाहाबाद

शोधार्थिनी

शिखा दीक्षित

2007
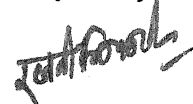
डॉ0 (श्रीमती) रजनी त्रिपाठी
(गोल्ड मेडिलिस्ट)
प्राचार्या,
प्रयाग महिला विद्यापीठ डिग्री कालेज,
इलाहाबाद ।

प्रमाण – पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि –

01. मेरे निर्देशन में कु0 शिखा दीक्षित ने **''उत्तर प्रदेश में निर्धनता उन्मूलन अभियान का महिलाओं की सामाजार्थिक दशा पर प्रभाव : जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में''** नामक शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की अर्थशास्त्र विषय में पी–एच0डी0 शोध उपाधि के लिए पूर्ण कर लिया है।
02. यह शोधार्थिनी का स्वयं का कार्य है।
03. यह महिलाओं के सामाजार्थिक विश्लेषण में स्तरीय कार्य है और परीक्षण के लिए भेजने योग्य है।
04. यह शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत ही पूर्ण किया गया है तथा शोधार्थिनी ने दो सौ दिनों से अधिक की उपस्थिति दी है।

शोध निर्देशिका,

डॉ0 (श्रीमती) रजनी त्रिपाठी

घोषणा–पत्र

मैं, कु0 शिखा दीक्षित, उद्घोषित करती हूँ कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध **''उत्तर प्रदेश में निर्धनता उन्मूलन अभियान का महिलाओं की सामाजार्थिक दशा पर प्रभाव : जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में''** मेरा मौलिक शोध प्रबन्ध है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक किसी विश्वविद्यालय एवं किसी शैक्षणिक संस्था के अन्तर्गत इस विषय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही वह अन्य किसी शोध प्रबन्ध का प्रभाग है।

(कु0 शिखा दीक्षित)
आत्मजा– श्री राजेश कुमार दीक्षित
उरई (जालौन)

प्राक्कथन

भारतीय स्त्री के संघर्ष का इतिहास अनेक मोड़ों से गुजरा है। बदलते समय चक्र में वह विरोधों–अवरोधों के जाल को काटती हुई, विरोधी स्थितियों को अनुकूल बनाने की जी–तोड़ कोशिश करती हुई इंच–इंच आगे बढ़ी है। सदियों से रूढ़ियों, जर्जर परम्पराओं और शोषण के शिकंजे में फँसी हुई स्त्री थोड़ा–सा समर्थन पाकर अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा का वास्तविक मार्ग तलाशने निकल पड़ी है। शिक्षा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ने उसे नई दिशा दी है। परम्परागत यातना और नई परिकल्पना के धुँधलके में संघर्ष करती हुई स्त्री आज अपने नये स्वरूप को गढ़ने की कोशिश कर रही है।

महिलाओं का यह संघर्ष तभी सफल हो पायेगा, जब महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी और आर्थिक आत्मनिर्भरता ही उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनायेगी। यदि स्वतंत्र रूप से महिलाओं का आर्थिक स्तर देखा जाए तो महिलायें बहुत ही निर्धन होती हैं। कहने को तो पारिवारिक सम्पत्ति उनकी है, परन्तु वास्तविकता देखी जाए तो वे स्वयं दूसरों की कृपा पर निर्भर रहती हैं। यह स्त्रीत्व की गरीबी है।

सरकार निर्धनता उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनायें चला रही है। इन योजनाओं ने पुरुषों को तो प्रभावित किया है परन्तु महिलाओं की स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकी हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि सरकार की विभिन्न निर्धनता उन्मूलक योजनायें महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कितना सुधार ला सकी है, उनके आगे बढ़ते हुए कारवां को कितनी शक्ति प्रदान कर सकी है।

महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्यायें और घटनायें सदैव से ही मेरी संवेदना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती रही हैं। घर, परिवार और समाज में व्याप्त स्त्री विरोधी वातावरण एवं उसकी समस्यायें मुझे बराबर उद्विग्न करती रहती है। साथ ही साथ इन विरोधों के बाद भी आगे बढ़ने की उनकी ललक तथा उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा एवं प्रतिभा के संवेग ने मुझे आन्दोलित किया है। जनपद की कर्मठ एवं मेहनती महिलाओं एवं उनकी समस्याओं ने मुझे इस शोध प्रबन्ध के लिए प्रेरित किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सरकार के निर्धनता उन्मूलक अभियान का जनपद की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। जनपद जालौन एक पिछड़ा हुआ, अशिक्षित तथा निर्धन क्षेत्र है, जहाँ लोगों में आज भी महिलाओं के प्रति वही रुढ़िवादी मानसिकता व्याप्त है। ऐसे में विभिन्न निर्धनता उन्मूलक योजनाओं का लाभ भी पुरुषों को ही अधिकांशतया प्राप्त हो जाता है और महिलायें एक बार फिर से सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं में भी उपेक्षा का शिकार हो जाती हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव, उनकी समस्यायें एवं सुझाव प्रस्तुत करने का एक संक्षिप्त प्रयास है।

किसी भी कठिन लक्ष्य को पाने के लिये जीवन में सर्वप्रथम प्रेरणा, तत्पश्चात् निर्देशन एवं सहयोग की परम आवश्यकता होती है। इस शोध को पूरा करना एक जटिल कार्य था किन्तु समय–समय पर विभिन्न महानुभावों ने जो निर्देशन, सहयोग एवं उत्साहवर्द्धन किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूँ।

सर्वप्रथम मैं अपनी पर्यवेक्षक डॉ0 रजनी त्रिपाठी, प्राचार्या, प्रयोग महिला विद्या पीठ डिग्री कालेज, इलाहाबाद द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिनका सहयोग एवं सुझाव मुझे निरन्तर प्राप्त होता रहा है। इसके साथ ही मैं इस शोध–प्रबन्ध की प्रेरणा स्रोत डॉ0 रामा त्रिपाठी (प्रवक्ता अर्थशास्त्र, सनातन धर्म बालिका डिग्री कालेज, उरई) के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

डॉ0 शरद जी श्रीवास्तव (विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, डी0वी0सी0 उरई), डॉ0 वीरेन्द्र यादव (प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, डी0वी0सी0 उरई), ऋषिकेश राजपूत (शोध छात्र) एवं डॉ0 हरिश्चन्द्र तिवारी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिनसे मुझे समय–समय पर आवश्यक विषय सामग्री, सुझाव तथा सहयोग प्राप्त होता रहा।

डॉ0 योगेन्द्र बेचेन (प्रवक्ता, बी0एड0 विभाग, डी0वी0सी0 उरई) की सहृदयता एवं उदारता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन मुझे ऐसे समय पर प्राप्त हुआ, जब मैं आँकड़ों के विशाल घेरे में फँसी हुई थी, उन्होंने आँकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन में मुझे विशेष सहयोग प्रदान किया।

मैं किन शब्दों में, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र बनने की प्रेरणा देने वाले अपने आदरणीय डॉ0 परमात्मा शरण गुप्ता (प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, डी0वी0सी0 उरई) के प्रति, अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ, जिनकी सतत् प्रेरणा व उत्साह के कारण मैं इस शोध कार्य को पूर्ण कर सकी हूँ। मैं अंतर्मन से उनकी आभारी हूँ।

पूज्य प्रवर पिताश्री एवं माताश्री तो अपने हैं, अपनों के लिए कुछ भी कहना कृतन्घता ही होगी। इन अपनों के स्नेह को कभी भुला न सकूँगी। अग्रज श्री शेखर दीक्षित, अनुजा शिवा, अनुज शिवम तथा सभी पारिवारिक सदस्यों का पल–पल मिलता स्नेह, सहयोग मेरे पथ का पाथेय रहा है। ये सब हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।

द्वितीयक समंकों के संकलन में विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए मैं श्री अनिल श्रीवास्तव जी (सहायक संख्याधिकारी, जनपद जालौन) के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही राजेश कुमार गुप्ता जी की आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे हस्तलिपि अध्यायों में अनेकों त्रुटियों होने के बाद भी बड़ी सहजता से इतनी अल्पावधि में इस शोध प्रबन्ध को टंकित किया।

मैंने अपने गुरुजनों के आशीर्वाद एवं मित्रजनों व परिजनों के सहयोग से अपनी अति साधारण भाषा द्वारा प्रस्तुत विषय को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, जिसमें त्रुटियों एवं विच्युतियों के रह जाने की पूर्ण संभावना है और उसके लिए मैं क्षमायाची हूँ।

कु0 शिखा दीक्षित

अनुक्रमणिका

ग्राफों की सूची

प्रथम अध्याय

मानव सृजन से लेकर २१वीं सदी तक महिलायें

दो सौ साल पहले विश्व की पहली नारीवादिनी मेरी उलस्टोन क्राफ्ट ने कहा था– "मैं यह नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित होना चाहिए। जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने–विचारने एवं निर्णय का अधिकार मिले।" उलस्टोन क्राफ्ट की आवाज आज भी दुनियां की विभिन्न नारीवादी विचारधाराओं में प्रतिध्वनित है। स्त्री न स्वयं गुलाम रहना चाहती है और न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। जैविक भिन्नता के कारण वह निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती। दुनिया की तमाम स्त्रियाँ वह चाहे बौद्धिक, कवियित्री, इतिहासकार, राजनैतिक कार्यकर्त्ता एवं गृहणी हो, समवेत स्वर में सभी यह स्वीकार करे कि स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए।[1]

पुरुष की जन्मदात्री और उसके निर्माण विकास की उत्तरदायी होने से स्त्री पुरुष से उच्च है भी – केवल अपने मानवीय गुणों और अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन से। बस उसकी (पुरुष से ऊँची) इस स्थिति को सामाजिक मान्यता दिलाने की जरूरत है न कि नारेबाजी से अपनी उच्चता सिद्ध करने या हीनता प्रदर्शित कर हक माँगने की नहीं। हक माँगने से हक नहीं मिलते हैं, कमाने पड़ते हैं। लड़कर छीनने से मिल तो जाते हैं पर उससे स्त्री–पुरुष के बीच एक अवांछित प्रतिद्वंद्विता, एक चिढ़ पैदा होती है और घरों में पारिवारिक अशान्ति व घरों से बाहर नारी असुरक्षा बढ़ती है। अतः अधिकारों की माँग नहीं, अधिकारों का अर्जन ही वह लक्ष्य है, जिसके लिए महिलाओं को अपने–आप से और अपने से बाहर दो मोर्चों पर दुहरा संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष जितना तीव्र होगा, जीत उतनी ही सुनिश्चित होगी।

"पुरुष की बराबरी में आने के लिए अपनी ऊँचाई से गिरने की नहीं अपने

---

1. हंस, दिसम्बर 1996, पृष्ठ–31

खोये सम्मान को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है।"[1]

बीसवीं शताब्दी की अनेक अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त लिंग–असमानता अर्थात् 'महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार' के लिए निरन्तर संघर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संघर्ष वैसे तो महिलाओं द्वारा किया गया, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पुरुष का योगदान नहीं है। जहाँ मानव और उसकी गरिमा की बात आती है, वहाँ लिंग असमानता अर्थात् पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित रखना न केवल मानवता के लिए कलंक कहा जा सकता है वरन् संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से भी गलत है। मानव विकास रिपोर्ट में विकास के प्रमुख उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है और तीन उद्देश्यों पर विशेष जोर दिया गया है– समाज के सभी लोगों को समान अवसर देना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अवसरों को बनाये रखना और लोगों को इतने अधिकार देना जिससे लोग विकास कार्य में भाग लें और लाभ उठायें। इसमें समान अवसर की उपलब्धता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा मानवाधिकार के समान उपयोग के स्थान को विश्व स्तर पर स्थान दिया गया है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन (जून 1993) में विएना उद्घोषणा को 171 देशों ने स्वीकार किया। इसमें समान अधिकार सुरक्षा तथा सेवा के सिद्धान्त के अतिरिक्त 'लिंग असमानता तथा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार' की समाप्ति पर अधिक जोर दिया गया है।

एक दूसरी मानव विकास रिपोर्ट (1994) में यह भी बताया गया है कि "किसी भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं है।"[2] इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि "विश्व स्तर पर 130 देशों में किये गये सर्वे के दौरान

---

1. व्होरा, आशारानी : भारतीय नारी
2. 'आधी दुनिया–लिंग समानता हेतु एक क्रांति, प्रतियोगिता सम्राट, दिसम्बर 1995, पृष्ठ– 72

यह तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के विकास क्षेत्र में स्वीडन, फिनलैण्ड, नार्वे तथा डेनमार्क सबसे आगे हैं।

महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना तथा लिंग की समानता इन देशों की राष्ट्रीय नीति में शामिल है। इन देशों में पुरुषों तथा महिलाओं की वयस्क साक्षरता दर एक समान है। महिलाओं के जीवन दर का औसत पुरुषों से सात वर्ष अधिक है तथा महिलाओं द्वारा अर्जित आय, पुरुषों द्वारा अर्जित आय की तीन चौथाई है। बहुत से विकासशील देश भी विकास तालिका में ऊपर स्थान पर है– बरबाडोस (11), हांगकांग (17), बहाया (26), सिंगापुर (28), उरुग्वे (32) तथा थाइलैण्ड (33)। ये देश लिंग असमानता को दूर करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं।

लिंग सम्बन्धी विकास तालिका के आंकलन से स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं है। इस तालिका में सबसे ऊपर स्वीडन का स्थान है। महिलाओं के विकास के लिए गरीबी का कोई प्रमुख कारण नहीं है। विश्व के बहुत से गरीब देश महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने में सफल रहे हैं। सीमित संसाधन परन्तु दृढ़ राजनीतिक वचनबद्धता के कारण चीन, श्रीलंका तथा जिम्बाम्बे महिलाओं की साक्षरता दर 70 प्रतिशत से ऊपर पहुँचाने में सफल रहे हैं। इसके विपरीत बहुत से धनी देश इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं।

महिलाओं की सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत से देशों ने प्रगति की है, परन्तु अभी भी महिला असमानता पूरे विश्व में व्याप्त है।

इस रिपोर्ट से यही सिद्ध होता है कि पुरुष की तुलना में नारी को अधिकार नहीं मिले हैं। लिंग समानता की बात सैद्धान्तिक अधिक है, व्यवहारिक स्तर पर तो इसको देखा नहीं जाता। दूसरी बात यह भी स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि यह एक समस्या है और यह एक समस्या के रूप में विश्वव्यापी है। कुछ लोगों ने तो लिंग भेद को "विश्वव्यापी दुर्घटना" कहा है। एक नारीवादिनी के अनुसार तो "स्त्री दलित

जाति की हो या गैर दलित जाति की, स्त्री मात्र के कुछ अनुभव ऐसे हैं, जो जाति या वर्ग की दूरियों के बावजूद इन सीमा रेखाओं से परे हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष द्वारा जिन्स या जानवर की तरह प्रयुक्त होने से पीड़ित है। सारी दुनियां में स्त्री की स्थिति एक सी है। प्रत्येक जाति की स्त्री के पास पुरुषों की तुलना में काम के घंटे अधिक है। वह श्रम के बाजार में सस्ते श्रम के लिए अधीनस्थ स्थिति में रहने के लिए बाध्य है। बालात्कार, स्त्री पर हिंसक प्रहार मारपीट, छीटाकशी और रीति–रिवाज में अहेतुकी हिंसा सभी वर्ग की स्त्रियों को झेलनी पड़ती है।''[1] इसी लेखिका ने अमेरिका के संदर्भ को लेते हुए कहा है कि वहाँ भी स्त्रियों को 'वस्तु' की तरह समझा गया और इसका विरोध स्त्रियों ने किया। ''1968 में 'मिस अमेरिका' का चयन होना था और इसका विरोध अमेरिका की ही औरतें कर रही थी। उनका कहना था कि विश्व सुन्दरी की यह अवधारणा वास्तव में उत्पादित वस्तु बनाती है।''[2]

स्त्री को स्वतंत्र सत्ता के रूप मे न देखना, उसे वस्तु के रूप में मानना केवल अमेरिका, फ्रांस या केवल पूरब अथवा पश्चिम का ही विषय नहीं है, लिंग असमानता का विषय है। आज अलग–अलग स्वरों में औरतें एक ही बात कहना चाह रही हैं कि स्त्री का दलन न केवल राष्ट्रीय बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है।

लिंग समानता की बात करने का प्रसंग तब तक हमारे समक्ष नहीं आता, जब तक स्त्री को मनुष्य की श्रेणी में न रखें। स्त्री को जिन्स या वस्तु के रूप में तो गिना जाता है परन्तु उसे मनुष्य नहीं माना जाता। यह आक्षेप नारीवाद के समर्थकों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। एक नारीवादिनी की दृष्टि को उद्घृत करते हुए यह बताया जा सकता है कि किस प्रकार पुरुष की चेतना में स्त्री को मानव की गरिमा नहीं प्रदान की गयी है। उदाहरण के लिए ''स्त्री मुक्ति आन्दोलन के वैश्विक संदर्भ को

---

1. खेतान प्रभा, 'स्त्री विमर्श के अन्तर्विरोध', हंस, सितम्बर 1996, पृष्ठ 58
2. वही 1996, पृ0 – 30

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किन्तु साथ ही आन्दोलन के वैयक्तिक पक्ष पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। व्यक्ति से समाज या समाज से व्यक्ति के सम्बन्ध का विवेचन किया जा सकता है किन्तु अभी तक व्यक्ति ही नहीं हुयी, उनके पास निर्णय का अधिकार ही कहाँ है? जब तक स्त्रियाँ जिन्स (वस्तु) की तरह प्रयुक्त होती रहेंगी, तब तक उनका कैसा व्यक्तित्व और कौन सा समाज? गुलामों की भीड़ होती है, समाज़ नहीं, वहाँ कैसा दायित्व बोध? किन मूल्यों की प्रस्थापना होगी वहाँ? वास्तव में यह एक अजीब तरह की ढुलमुल स्थिति है, जहाँ आन्दोलनकर्त्ताओं के स्वर में कभी व्यक्तिगत आक्रोश है, तो कभी सामाजिक सरोकार, कभी मुक्ति की समर्थक होते हुए भी स्त्रियाँ अपना वस्तु होना प्रदर्शित करती हैं, तो कभी व्यक्ति होने का अधिकार मांगती हैं।[1]

नारीवादियों की माँग हैं कि स्त्री को मनुष्य समझा जाये। यह धारणा विश्वव्यापी है कि स्त्री एक 'वस्तु' के रूप में समझी जाती है, इसके साथ ही यह अर्थ इसी में समाहित है कि उसे (स्त्री को) मनुष्य नहीं समझा जाता। नारीवादियों की दृष्टि में जो लोग स्त्रियों की समस्याओं के लिए, उनके हक के लिए, उनके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वे भी ''स्त्री को मानवीय दर्जा देने, समान हक के पक्षधर पुरुष भी अपने बचाव में उन्हीं पारम्परिक बैशाखियों का सहारा लेने लगते हैं, जिसके खोखलेपन से हम सभी परिचित हैं।''[2]

एक दूसरे तर्क में यह प्रस्तुत किया गया है कि ''महिलाओं को न केवल आर्थिक विकास में 'समान' भागीदार बनाने पर बल दिया जा रहा है बल्कि महिलाओं को अलग पहचान वाला मनुष्य समझा जाये।''[3]

स्त्री को मानव की गरिमा न प्रदान किये जाने पर इस नारीवादिनी (डॉ0

---

1. खेतान प्रभा, 'स्त्री विमर्श के अन्तर्विरोध', हंस, सितम्बर 1996, पृ0 30
2. हंस, सितम्बर 1996
3. गुप्त, आशा, 'महिला अधिकार और संस्कृति', रोजगार समाचार, 28 मार्च, 1997, पृ0—1

प्रभा खेतान) ने पुनः प्रश्न किया है कि औरत आधी दुनिया है, आधा हिन्दुस्तान है, फिर भी उसे मानव की गरिमा क्यों नहीं दी गयी? इसके लिए धर्म और शास्त्र तो जिम्मेदार हैं ही, राजनीति भी पीछे नहीं है। उनके शब्दों में– "धर्म और संस्कृति की नजर स्त्री के लिए हमेशा टेढ़ी रही, राजनीति उसे सदैव मोहरा बनाती रही और व्यक्ति पुरुष ने उसे कभी ड्राइंग रूम का सामान समझा, तो कभी बेडरूम का बिछावन। पुरुष चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, वह शिल्पि, साहित्यकार, व्यवसायी, मजदूर कुछ भी क्यों न हो, औरत को चबाने से बाज नहीं आता। स्त्री की समस्या समग्र मानवीय समस्या होने के साथ भी अपनी एक अलग और विशिष्ट समस्या भी है। .... औरत आधी दुनियां है, आधा हिन्दुस्तान है, फिर उस मानवीय गरिमा से क्यों वंचित रखा गया?"

उत्तर में यदि कहा जाए कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मानव है, तब एक सवाल यह भी है कि क्या पुरुष पहले कभी एक बेहतर मानव की तरह उपस्थित था और उसने स्त्री तथा पुरुष जोड़े का समान निर्माण किया? इससे बेहतर मानव को आप नाम कोई भी दे सकते हैं, चाहे प्रजापति कहे या आदम या कुछ और किन्तु तथ्य यह भी है कि पुरुष वर्चस्व पहले स्थापित हुआ, बाद में वर्ग, जाति, परिवार आदि संस्थाओं का ढाँचा बनता गया और स्त्रियां गौण रूप में उसमें फिट होती गयीं। सत्य यह भी है कि पुरुष ही अपनी स्थितियों से परे जा सकता है, मगर स्त्री अपनी पारम्परिक भूमिका में ही बंधी रह गयी। सभ्यता और संस्कृति ने उसे कुन्द करके रख दिया। वह ऐहिकता और दैहिकता से परे ही नहीं जा सकी। कारण पितृसत्ता का वह स्वरूप एवं पक्ष है जो औदार्य का नकाब ओढ़े कह रहा है कि ये सारे तो मानवीय मुद्दे हैं, ये औरतें नाहक चीख रही हैं।[1]

हम लोग इतिहास के उस मोड़ पर हैं, जहाँ जातीय युद्ध, परमाणु संकट तथा विभेदकारी आर्थिक व्यवस्था की छाया मंडरा रही है। मानव सभ्यता की समस्यायें

---

1. खेतान, प्रभा, 'स्वामी नहीं साथी की तलाश' हंस, जून 1997, पृष्ठ 33

उपभोक्तावादी जीवन पद्धति तथा अन्य समस्यायें शासन एवं शक्ति की विचारधारा की देन है। हालांकि वर्तमान विश्व व्यवस्था में पारिस्थितिकी, विकास तथा लिंग भेद के मुद्दे चुनौतीपूर्ण हैं। जहाँ तक लिंग भेद की बात है, तो यह अपने कुप्रभाव के कारण सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया है। हर स्तर पर यह समस्या फैली हुई है और हर समूह को इसे झेलना पड़ रहा है। महिला जिनकी संख्या समाज की आधी है, वे पुरुष प्रधान समाज में सदियों से उत्पीड़न का शिकार हैं और इनमें से अधिकांश अभी भी अपने भाग्य पर रोती हैं। इस पहलू पर गौर करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। इसलिए यदि हमें इससे मुक्ति पाना है, तो इस यथार्थ को समझना होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अभी भी भारतीय स्त्रियों को अपने शोषण, अत्याचार, अन्याय और असमानता के विरूद्ध एक लम्बी लड़ाई से जूझना है। उनके संघर्षों का, संकल्पों का प्रवाह तो चलता रहेगा। यही हमारे समाज की खूबी है कि वह प्रवाहमान है, स्थिर नहीं। लेकिन भारतीय स्त्रियों की संघर्ष गाथा में यदि उनकी प्रगति और उत्थान की चर्चा न की जाये तो भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का विवरण अधूरा माना जायेगा। सम्पूर्ण समाज की प्रगति का इतिहास कुछ वर्षों का इतिहास नहीं है बल्कि यह तो मानव सृजन और संस्कृति से प्रारम्भ हो जाता है। स्त्री की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने से पूर्व हमें उसके इतिहास के प्रवाह का पुनरावलोकन करना होगा। यह प्रवाह कभी अपने सम्पूर्ण वेग के साथ चला तो कभी मंद पड़ गया।

विभिन्न युगों में महिलाओं की स्थिति :

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रही है। भारतीय स्त्री की स्थिति विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार की रही है। उसके कई रूप देखने को मिलते हैं। वह ज्ञान लक्ष्मी और सौन्दर्य का प्रतीक है। जितना सम्मान भारतीय स्त्री का भारत में है, उतना संसार के किसी देश में नहीं

है। वह देवी का रूप है। उसमें ज्ञान, विद्या, शक्ति, लक्ष्मी सभी गुण हैं, इसलिए उसकी पूजा होती है। वह पूजनीय है, वैदिक युग के पश्चात् भारतीय रूढ़ियों एवं धर्मशास्त्र के रचयिताओं ने स्त्री के लिए सीमायें निर्धारित कर दी। उसकी दुर्बलताओं पर उसने एक अधिकार जमा लिया और उसे अपनी दासी बनाकर रखा। समय की करवट के साथ स्त्री–समाज में चेतना और जागृति उत्पन्न हुई। उसने अपने अधिकारों की माँग की और वह संघर्ष कर रही है। क्योंकि वह स्वतंत्र भारतीय नारी बनना चाहती है, पुरुषों की दासी नहीं। बेहतर हो कि हम स्त्री की स्थिति विभिन्न युगों में क्या रही है, उसका सर्वप्रथम अध्ययन करें। इससे हमें आधुनिक स्त्री की स्थिति को समझने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी।

01. प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति –

वेदों तथा उसके बाद प्राचीन भारत का युग स्वतंत्रता का युग था। उसमें न कोई किसी से ऊँचा था न कोई नीचा, स्त्री पुरुष समान थे। स्त्रियों को चारों दिशाओं में उन्नति करने का पूरा अवसर मिलता था, इसलिए जिस क्षेत्र में स्त्रियां कदम बढ़ाती थी, उसी को वे अपनी अपूर्व प्रतिभा के तेज से आलोकित कर देती थीं। जिस वस्तु को भी वे हाथ लगाती थी, उसी पर वे अपने विलक्षण व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ देती थी। जब तक स्वतंत्रता तथा समानता का वायुमण्डल रहा, स्त्रियों की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को फलने–फूलने का अवसर मिलता रहा, तभी तक स्त्रियां समाज देश के साहित्य पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालती रही, तभी तक वे अपने आत्म बल तथा सतीत्व के द्वारा देश के आदर्शो को ऊँचा उठाती रही और अपनी विचित्र संजीवनी शक्ति से मानव जाति के अन्दर जीवन–संचार करती रही।

वैदिक काल :

नारी के बिना यह सम्पूर्ण विश्व सार–शून्य है। इसी कारण इसका नाम कन्या अर्थात् 'सभी के द्वारा वांछनीय' रखा गया है। भाष्कराचार्य ने निरुक्त में 'कन्या

कमनीया भवति' कहकर उसे कमु धातु से सिद्ध करके 'सबसे चाही जाने वाली' कहा है।[1] ऋग्वेद में पिता पुत्री की उपेक्षा न करके पुत्र के समान इसके साथ भी सम्पूर्ण आयु व्यतीत करना चाहता है, और दोनों को सुवर्णवत् मानता है।[2] मनु ने 'जैसा पुत्र वैसी ही पुत्री'[3] को माना हैं।

आज हम पाश्चात्य सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष की समान स्थिति देखकर कहने लगते है कि पाश्चात्य देशों में स्त्री की स्थिति बहुत ऊँची है, परन्तु अगर वैदिक सभ्यता का अवलोकन किया जाए, तो वहाँ स्त्री की उच्च से उच्च सभ्यता की सी स्थिति दिखाई देती है, जोकि पाश्चात्य सभ्यता से किसी भी प्रकार कम नहीं थी।

इस युग के प्रमुख धर्मग्रंथ ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान बताई गई है। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर इन्द्रदेव ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज' में लिखा है कि ऋग्वेद में दम्पत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ दम+धन+पति अर्थात् घर का स्वामी। जैसाकि मेग्डॉनल व कीच ने लिखा है, यह शब्द उस काल में स्त्रियों की उच्च स्थिति का बोधक है क्योंकि इसमें पति तथा पत्नी दोनों के एक साथ घर के स्वामी होने का विचार सन्निहित है।[4] अथर्ववेद में नारी को सर्वशक्तिमान माना गया है।[5]

वैदिक युग में नारी बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में प्रवीण थी।[6] दर्शन व तर्कशास्त्र में वह निपुण थी। सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषियों के नाम इस संदर्भ

---

1. निरुक्त, 4/2
2. पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः । उभा हिरण्ययेशसा – ऋग्वेद 8/31/8
3. यथैवात्मा प्रथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समाः मनु 9/130
4. डा0 राजकुमार, 'नारी के बदलते आयाम : समाज में स्त्रियों का स्थान', पृ017
5. मिश्र, जयशंकर : 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', अथर्ववेद–14,
6. मिश्र, जयशंकर : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, अथर्ववेद, 11.5,18, पृ0 344

में लिये जाते हैं।[1] कुछ पंडित कवियित्रियां भी प्रसिद्ध थी, जैसे रोमशा, उवर्शी, विश्वारा, घोषा, लोपा–मुद्रा आदि।[2] स्त्री को वेदाध्ययन या यज्ञ सम्पादन करने का पूर्ण अधिकार था।[3] सामाजिक व धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी।[4] प्राचीन युग में पर्दा प्रथा नहीं थी। उस काल में नारी को कन्या रूप में सम्पत्ति अधिकार मान्य थे।[5] वह दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ मानी जाती थी।

प्राच्यकालीन साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी समुचित व्यवस्था थी। वैदिक तथा उत्तर–वैदिक कालीन साहित्य में स्त्रियों के पुरुषों के समान ही इस आश्रम में प्रवेश पाने के पुष्टिकारक प्रमाण मिलते है। प्रो0 इन्द्र ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है–

"The young maidens were given equal opportunities of receiving education and studying the different branches of knowledge."[6]

नीरा देसाई ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट करते हुए लिखा है–

In the matter of education the daughter was not distinguished from the son.[7]

---

1. मिश्र, जयशंकर : 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', वृहत् उपनिषद, 3–6, 1, 2.4, 4.5, उत्तर रामचरित अंक–2, महाभारत 4.1.14, 3.155, पृ0342
2. वही, ऋग्वेद 8.31, पृ0 343
3. वही, अथर्ववेद, 11.1, 17.21, सतपथ ब्राह्मण, 1.9.2.1, 5.1.10 : ऋग्वेद, 1.72.5, 5.32, तैतरीय ब्राह्मण 3.7.5, 22.2.6, पृ0 342
4. वही, अथर्ववेद, 2.36.1, रामायण, पृ0 342
5. वही, विशिष्ट धर्म सूक्त 17.15, पृ0 348
6. प्रो0 इन्द्र – 'द स्टेटस ऑफ वूमेन इन एनसिएण्ट इण्डिया', 1955, पृ0 133 (कुवांरी युवतियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए समान अवसर प्रदान किये जाते थे)
7. देसाई, नीरा : 'वूमेन इन मॉडर्न इण्डिया', 1957, पृ0 11 (शिक्षा के विषय में पुत्री का पुत्र से भेद नहीं किया जा सकता)

पढ़री नाथ प्रभु का कथन भी इसकी पुष्टि करता है कि –

So far as education was concerned, the position of women was generally not unequal so that of men.[1]

आचार्य हरीत के अनुसार ब्रह्मचर्य धारण करने वाली कन्याओं के दो भाग थे– ब्रह्मवादिनी तथा सद्यो–वधू।[2] ब्रह्मवादिनी वे थी जो आजन्म ब्रह्मचारिणी रहती थी, विवाह नहीं करती थी, पढ़ने–पढ़ाने में जीवन बिता देती थी। सद्योवधू वे थीं जो 15–16 वर्ष की आयु तक पढ़–लिखकर विवाह कर लेती थी। कन्याओं का उपनयन होता था इसके लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है–

पुराकल्पे तु नारीणां मौजी – बंधनमिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ।।

अर्थात् प्राचीनकाल में स्त्रियों का उपनयन होता था। वे वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करती थीं। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान भी रखा जाता था। यह इस बात से स्पष्ट है कि ऋग्वेद की अनेक ऋचायें लोपा–मुद्रा, विश्वारा, सिकता, निवावरी और घोषा आदि विदुषी स्त्रियों की रची हुई हैं।[3] पुरुषों के समान ही प्रातः तथा सांयकाल वैदिक प्रार्थनायें स्त्रियों द्वारा करने के भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। रामायण में सीता को कतिपय स्थानों पर वैदिक प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है।[4]

---

1. प्रभु, पी0एन0 : 'हिन्दू सोसल आर्गनाइजेशन', 1958, पृ0 258
(जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः पुरूषों की स्थिति से असमान नहीं थी)
2. द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च।
हारीत ध0 सं0 21/20–24
3. ऋग्वेद 1,17, 5,28, 8,91, 981 और 1, 39 और 40
4. संध्याकालयना श्यामा श्रुवयेष्यति जानकी।
नदी थेयां शुभजलां सन्ध्यार्थ वरवर्णिनी।।

वैदिक अथवा प्राचीन काल में स्त्रियाँ उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। यजुर्वेद में स्त्री को 'स्तोमपृष्ठा' कहा गया है।[1] जिसका अभिप्राय यह है कि वह वेद मंत्रों के विषय में जिज्ञासा करती थी। प्राचीन इतिहास में सुलभा का नाम प्रसिद्ध है। सुलभा का संकल्प था कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी से वह विवाह करेगी। सुलभा का यह निश्चय उसके अगाध पाण्डित्य का द्योतक है। स्त्रियों का मानसिक विकास चारों दिशाओं में हुआ था।

भावना में ही स्त्री को ऊँचा स्थान दे दिया गया हो, व्यवहारिक रूप में स्त्री को वह स्थान प्राप्त न हो, यह बात नहीं है। वैदिक काल में स्त्री का परिवार में बहुत ऊँचा स्थान था। विवाह संस्कार के समय कुलवधू को सम्बोधन करके कहा जाता था–

"सम्राज्ञयेधि खशुरेषु सम्राज्ञयुत देवृषु ।

ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञयुत खश्रवाः ।।"[2]

वैदिक समय की स्त्रियों में पर्दा प्रथा न थी। विवाह के उत्तरार्द्ध के समय जो मंत्र पढ़ा जाता था, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। वेद में लिखा है– "इस सौभाग्यशालिनी वधू को सब लोग आकर देखो।"[3] इस वेद मंत्रों से स्पष्ट है कि उस समय पर्दा न था। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का अवलोकन करने पर भी कहीं पर्दे का जिक्र नहीं मिलता। ऋग्वेद काल में अनेक ऐसे प्रकरण मिलते है जिससे यह स्पष्ट है कि कन्याओं का विवाह बड़ी आयु में ही होता था।[4] इस काल में पत्नी को बहुत

---

1. यजुर्वेद, 14/4
2. अथर्ववेद, 14/14
   (है नववधू तू जिस नवीन घर में जाने लगी है, वहां की तू साम्राज्ञी है। वह तेरा राजा है। तेरे श्वसुर, देवर, ननद और सास तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे राज्य में आनन्दित रहे)
3. अथर्ववेद, 14/26
   "सुमंङ लीरियं वधूरियां समेत पश्यत।"
4. ऋग्वेद– 1.115.2, 1.117, 7, 1, 123, 11, 1, 197, 3

प्रतिष्ठा थी।[1] पत्नी शब्द से ही स्पष्ट है कि सामाजक तथा धार्मिक कृत्यों में उसकी स्थिति पति के समकक्ष थी। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि बिना पत्नी के मनुष्य अपूर्ण रहता है।[2] उसके बिना यज्ञ भी अधूरा समझा जाता था।[3] ऐतरेय ब्राह्मण में पत्नी को मित्र कहा गया है (सख ह जाया)[4] इससे स्पष्ट है कि स्त्री के साथ बराबरी का, मित्र का सा व्यवहार होता था और उनका पुरुषों का सा विकास होता था क्योंकि मित्र का अर्थ ही यह है कि जिसके साथ अपना मानसिक विकास, मानसिक स्तर एक–सा हो।

वैदिक काल में अधिकतर मनुष्य युद्धों में व्यस्त रहते थे। अतः स्त्रियां कृषि कार्य करती थी। स्त्रियों के कुछ अन्य कार्य कपड़े बुनना, सीना, रंगना, कसीदाकारी, टोकरी बनाना आदि थे। कुछ स्त्रियां धनुष बाण भी बनाती थी। वैदिक काल में सामान्यतः कन्या की गणना दायाधिकारियों में नहीं की जाती थी। केवल वही कन्या जिसका भाई नहीं होता था, पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाती थी।[5] यदि कन्या अविवाहित रहती थी तो उसे पिता की सम्पत्ति का कुछ भाग मिलता था। डॉ0 अत्तेकर ने लिखा है– ''स्त्रियों में इस प्रकार भ्राताहीन कन्या का उत्तराधिकारी होने का अधिकार स्वीकार किया गया था।''

परन्तु इस काल में स्त्रियों का सम्पत्ति में पति के समान अधिकार था। तैन्तिरीय संहिता में स्त्री को 'पारिणाह्य' कहा गया है। 'परिणय' का अर्थ है विवाह। 'पारिणाह्य' का अर्थ है विवाह के समय स्त्री को मिला सामान। पत्नी को विवाह के समय जो सामान दिया जाता था, उसके कारण उसे भी 'पारिणाह्य' कहा गया है।

---

1. ऋग्वेद– 1, 66.3, 1, 124.4, 3, 53, 4
   अथर्ववेद, 14, 2.43
2. शतपथ ब्राह्मण– 5, 1, 6.10
3. वही– 5, 2, 1, 10
4. तैतरेय ब्राह्मण– 7, 3, 13
5. ऋग्वेद – 1, 124, 7

हिन्दू परम्परा के अनुसार यह धन उसका होता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि याज्ञवल्क्य सन्यास लेने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों– मैत्रेयी तथा कात्यायनी, को बुलाकर कहा, मैं तो सन्यास ले रहा हूँ, आओ तुम्हारी सम्पत्ति का आपस में बंटवारा कर दूँ। इस सबसे सूचित होता है कि वैदिक काल में स्त्रियों का सम्पत्ति में अधिकार था।

ऋग्वेद काल में स्त्रियों द्वारा सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख विद्यमान है। विश्पला और मुद्गलानी ने युद्ध में भाग लिया था।[1] अनार्यों की स्त्रियों की एक सेना का उल्लेख भी प्राप्त होता है।[2] नारी को संग्राम में भी पुरुषों के साथ जाने की प्रेरणा प्रदान की गयी है।[3] अश्वों की सेना से युक्त संग्राम नेत्री स्त्री विविध प्रकारों से संग्रामो की ओर पदार्पण करती है। युद्ध कुशल स्त्री शत्रुओं को परास्त करके, वेश को रक्त से गीला करती हुई और आगे बढ़ जाती है। उसके सामने उसके शत्रु ठहर नहीं पाते।[4] वह स्वयं उद्घोष करती है– मैं शत्रु–रहित हूँ। मैं विजयनी हूँ। वे वीर भावना से ओत–प्रोत होकर कहती है– यह पुरुष मुझे अबला ही मानता है, किन्तु मैं अपने को प्रेरणा देने वाले वीर को वरने वाली स्त्री के तुल्य हूँ। मैं भी उस ऐश्वर्यमान परमात्मा को धारण करती हूँ और मैं विश्व का संचालन करने वाले शक्तिशाली बापू के समान अनेक बलों से युक्त एवं शक्ति सम्पन्न हूँ।[5] वैदिक नारी की इन ओजपूर्ण प्रतिज्ञाओं और संकल्पों के सामने कौन नारी को अबला कहने का दुस्साहस करेगा।

वैदिक काल में नारी को राजनीति में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। अथर्ववेद के अनुसार नारी को राज्य सभा में जाकर अपने विचारों को व्यक्त करने का

---

1. ऋग्वेद – 1, 112, 10, 116/15, 10/102/2.3
2. ऋग्वेद – 5, 30, 9
3. ऋग्वेद – 1, 116, 1
4. वही, 1, 48.6
5. वही, 10, 86, 9

पूरा अधिकार प्राप्त है।[1]

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति देखकर श्री अलतेकर का तो कहना है कि अन्य देशों के इतिहास में हम जितना पीछे को जाते हैं, उतनी उन देशों की स्त्रियों की स्थिति नीचे की ओर जाती है। पाश्चात्य देशों में भी वही हाल है, परन्तु भारत के इतिहास में हम जितना पीछे की ओर जाते हैं, उतनी ही स्त्रियों की स्थिति उच्च दिखाई देती है, यह आश्चर्य की बात है। डा0 राधा मुकुन्द मुकर्जी ने उचित लिखा है–

Thus the Rigveda according the highest social status to the qualified women of those days."[2]

वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि उस समय पर्दा, अशिक्षा, बाल–विवाह, सती–प्रथा, बाधित वैधव्य, वृद्ध–विवाह आदि कोई कुप्रथा नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में स्त्रियां पुरुषों की सम्पत्ति न मानी जाकर सभी मनुष्यों के समान थी और उसकी अपनी इच्छा का महत्व था।

वैदिकोत्तर काल :

इस युग में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आने प्रारम्भ हो गये थे। स्त्रियों की स्थिति के सम्बन्ध में वाद–विवाद एवं मतभेद आदि का विवरण हमें देखने को मिलता है। एक तरफ यह कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता का निवास होता है, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता था कि स्त्री पर नियंत्रण रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। अस्तु महाभारत काल से स्त्री समाज के प्रति विवाद एव मतभेद प्रारम्भ हो गये थे और वह निरन्तर बढ़ते ही गये।

---

1. अथर्ववेद, 7, 38, 4
2. Mukerjee, Radha Kumud : Women in ancient India in 'women in India', P.20
मनुस्मृति 1/2–3

शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी कि वैदिक युग मे। इसलिए वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता था। धीरे–धीरे समाज में इनके प्रति कठोर नियम बनने लगे तथा इनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। पुरुष की समानता की अधिकारिणी को निम्न स्तर पर ला कर खड़ा कर दिया गया। आर्य समाज में समय बीतने के साथ स्त्रियों की स्थिति में अपेक्षाकृत अन्तर आया। वेदो की व्याख्या के लिये धर्म ग्रन्थों की सृष्टि होने लगी। इन धर्म ग्रन्थों में स्त्रियों के सीमित अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ज्यों–ज्यों समय बीतता गया स्त्रियों की स्थिति गिरती गयी। भारत में स्त्रियों के चरित्र के साथ सवाल जोड़कर उसे लाजवन्ती या छुई–मुई बना दिया गया। उनके वैधानिक अधिकार सीमित थे। चल और अचल सम्पत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा इस युग में स्त्री पर पुरुष की सत्ता प्रमुख रही, अब स्त्री देवी नहीं सेविका, दासी और वन्दनी बनी। मनुस्मृति में लिखा है–

अस्वतंत्रताः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैर्दिवानिशम्।

विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्याः आत्मनो वशे ।।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रां न स्त्री स्वातन्त्रयमर्हति ।।

अर्थात् स्त्रियों को परतंत्र रखना चाहिए। पुरुषों का कर्त्तव्य है कि स्त्रियों को रात–दिन अपने वश में रखें। कुमार अवस्था में स्त्री की पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था मे पुत्र, स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नही होती।

इससे ज्ञात होता है कि स्त्रियां दिन–प्रतिदिन एक परिधि में बंधती गयी। इसी तरह का उदाहरण अन्य जगह भी प्राप्त होता है। वसिष्ठ एव बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार– बाल्यावस्था में वे अपने पिता के यौवनावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहती थी। उनका पूर्णतया स्वतंत्र रहना अनुचित समझा जाता

था।[1]

इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म में स्त्रियों को सम्मान प्रदान किया गया तथा उनके शैक्षिक स्तर का विकास हुआ। अनेक स्त्रियां बौध संघ मे प्रविष्ट हुई, इसी कारण उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। सघ–मित्रा तो श्रीलंका गयी जहां उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया। जैन परम्परा के अनुसार कौसाम्बी के राजा सहसानीक की पुत्री जयंती ज्ञान प्राप्ति के लिए अजन्म अविवाहित रही। जातकों में भी कुछ बौद्ध कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दार्शनिक वाद–विवाद में भाग लेती थी।[2] मैगस्थनीज ने लिखा है कि ब्राह्मण पत्नियों को दार्शनक ज्ञान नहीं देते थे किन्तु कुछ स्त्रियां इस काल में भी दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करती थी। इस काल में कुछ स्त्रियां साहित्य और व्याकरण पढ़ाने का कार्य करती थी तथा कुछ बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश देती थी। अध्यापिकाओं को इस काल में उपाध्याय कहा जाता था। भगवतपुराण में दाक्षायण की दो पुत्रियों का उल्लेख है जो धर्म विज्ञान और दर्शन में निपुण थी।

थेरी गाथा के पदों से स्पष्ट है कि मौर्य काल में भी कुछ ऐसी भिक्षणियां विद्यमान थी जिन्हें धर्म और दर्शन का पूर्ण ज्ञान था। संयुक्त निकाय के अनुसार गुणवती पुत्री को पुत्र से भी अधिक अच्छा समझना चाहिए।[3] किन्तु महाभारत के एक प्रकरण में लिखा है कि पुत्र पर ही परिवार की सभी आशायें निर्भर है और पुत्री अनेक कष्टों का कारण है।[4] भगवत गीता में स्त्री को शूद्रों के समकक्ष माना गया है।[5] इससे प्रकट है कि ई0पू0 स्त्रियों की स्थिति समाज में बहुत गिर गयी थी पंचतन्त्र के लेखक

1. वसिष्ठ धर्म सूत्र 5, 12, 2
   बौद्धायन धर्म सूत्र 2.2, 3, 44–45
2. जातक, 301
3. संयुक्त निकाय, 3, 2, 6
4. आत्मा पुत्रः सखी भार्या, कच्द्तु दुहिता नृणाम् महाभारत 1, 173, 10
5. गीता, 9.32

ने भी लिखा है कि पुत्री के जन्म पर पिता को बहुत चिंता होती है कि मैं इसका विवाह किस योग्य वर के साथ करूं। विवाह करने पर भी चिंता समाप्त नहीं होती वह यह जानने को उत्सुक रहता है कि वह विवाहित अवस्था में सुखी रहेगी या नहीं।[1] चौथी सती ई0पू0 तक कन्यायें वैदिक ग्रन्थ पढ़ती थी। वेदों के अतिरिक्त कुछ कन्यायें पूर्ण मीमांसा जैसे शुष्क विषय का अध्ययन करती थी जिसमें वैदिक यज्ञों सम्बन्धी अनेक समस्याओं का विवेचन है। महाकाव्य (दूसरी शती ई0पू0) से हमें ज्ञात होता है कि जो कन्यायें कशकृत्सन रचित मीमांसा के ग्रन्थ को पढ़ती थी, वे 'काशकृत्सना' कहलाती थी।[2]

पत्नी के रूप में इस काल के प्रारम्भ में तो स्त्रियों की स्थिति ठीक थी परन्तु बाद में गिरती चली गयी सामवेद के मंत्र–ब्राह्मण से यह स्पष्ट है कि जब वर कन्या से विवाह करता था, तो वह अपनी पत्नी का जीवन के सभी कार्यो और आदर्शों के परिपालन में सहयोग चाहता था। परिस्कर गृह सूत्र[3] के अनुसार विवाह के बाद पति–पत्नी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक इकाई बन जाते थे। उनका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता था। इन गृह–सूत्रों में जिन धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख है, वें अधिक आयु वाली कन्यायें ही कर सकती है। इससे स्पष्ट है कि कन्याओं का विवाह बड़ी आयु में होता था। गौतम बुद्ध के समय में भी परिवार में पत्नी को पर्याप्त प्रतिष्ठा थी।[4]

महाकाव्य एवं स्मृति काल :

महाकाव्यों एवं स्मृतिकाल में स्त्रियों की उपेक्षा होने लगी। मनु (लगभग 200 ई0पू0 से 200 ई0 तक) का काल संकृति का काल था। इस काल में वह धर्म के

---

1. पुत्री तिजाता महतीह चिता कस्मै प्रदेयेति महामैन्वर्तकः। दत्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्व खलुनाम कष्टम्।
2. महाभाष्य, 4, 1, 14, 3, 155
3. पारस्कर, गृ0सू0–1
4. संयुक्त निकाय, 1, 6, 4

बन्धनों के ऐसे कुचक्र में फंस चुकी थी कि उससे निकलना इतना सरल न था। इस काल में वेद के नियमों एवं आदर्शों का बोलवाला न होकर स्मृतियों के नियमों का पालन किया जाता था। स्मृतियों को ईश्वर की गवाही एवं साक्षी बनाकर ऐसा गढ़ा एवं रचा गया था कि उनका पालन करना आवश्यक हो गया था स्त्री समाज स्मृतियों के कठोर नियमों से ऐसा बंधा कि वह सदियों तक स्वतंत्र न हो सका। इस काल में स्त्री सेविका दासी वन्दनी बनी। मनु ने घोषणा कर दी कि स्त्री के लिए विवाह ही एक मात्र संस्कार है। स्त्री को विवाह संस्कार के अतिरिक्त किसी और संस्कार की जरूरत नहीं।[1] इस काल के उत्तरार्द्ध में कन्याओं का विवाह कम अवस्था में करना अच्छा समझा जाने लगा। ईशा की पहली शताब्दी से कन्याओं का विवाह कम अवस्था में करना अच्छा समझा जाने लगा। इससे अधिक आयु की कन्याओं का अविवाहित रहना पाप समझा जाने लगा।[2] इस काल में कन्यायें स्वयं वर नहीं चुन सकती थी। स्मृति ने लिखा है कि पिता को विवाह के समय अपनी पुत्री को आभूषणादि देने चाहिए परन्तु कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि विवाह से पहले किसी प्रकार के दहेज का इकरार होता था।

इस काल में स्त्रियो के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न मत देखने को मिलते हैं। बौद्धायन के अनुसार पुरुष प्रति बांझ स्त्री का दसवें वर्ष में, जो केवल पुंत्रियों को जन्म दे उसका बारहवें वर्ष में, और जिसका बालक मर जाये उसका पन्द्रहवें वर्ष में परित्याग कर सकता है। किन्तु उसका मत है जो पत्नी झगड़ालू हो उसे तुरन्त छोड़ देना चाहिए।[3] किन्तु वशिष्ठ के अनुसार – 'पति को किसी भी दशा में पत्नी का परित्याग करना चाहए।'[4] प्रायश्चित करने पर पर–पुरुषगामिनी स्त्री भी पवित्र हो सकती है और पति उसे स्वीकार कर सकता है।[5] कौटिल्य परिवार में पति और पत्नी

1. वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः। मनु0– 5/155
2. अवतीनां तू नारीणामध प्रभृतियातकम्। महाभारत– 1, 114, 36
3. बौद्धायन ध0सू0 2, 2.4, 6
4. वशिष्ठ ध0सू0 28, 2–3
5. वही, 21, 8–10

को समान स्थान देते हैं। कौटिल्य ने विवाह विच्छेद का विस्तृत वर्णन दिया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सभ्य समाज में इसे अच्छा नहीं समझा जाता था। महाभारत के अनुसार बिना स्त्री के घर सूना रहता है।[1] माता सर्वपूज्या है।[2] रघुवंश में भी गृहणी को सखी कहा गया है।[3] इसका अर्थ है कि गुप्तकाल तक भी शिष्ट समाज में स्त्रियों की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। किन्तु जब साधारणतया कन्याओं का विवाह कम आयु मे होने लगा तो परिवार में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गयी और समाज में भी उनकी स्थिति गिर गई। जब कन्याओं का विवाह कम आयु में होने लगा तो पत्नी के प्रति पति की स्थिति आचार्य जैसी हो गई। मनु बिना किसी अपराध के पति को अपनी पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दे देते हैं।[4] वह पति को, पत्नी को कुछ शारीरिक दण्ड देने का अधिकार भी देते हैं।[5] उन्होंने उन अपराधों की लम्बी सूची दी है जिसके कारण पति–पत्नी को छोड़ सकता था और दूसरा विवाह कर सकता था। परन्तु धर्मशास्त्रकार पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं देते।

मनु के अनुसार विधवा को कभी पुनर्विवाह का विचार नहीं करना चाहिए।[6] विष्णु के अनुसार विधवा को अविवाहित जीवन बिताना चाहिए। मनु के अनुसार विधवा, आमरण संयम में रहकर, व्रत रखकर सतीत्व की रक्षा करते हुए जीवन बिताना चाहिए।[7]

सती प्रथा जैसी निन्दक एवं अमानवीय परम्परा का प्रादुर्भाव भी इसी काल में हुआ। वृहस्पति (300–500 ई0) के अनुसार श्रेष्ठ बात तो यह है कि पति की मृत्यु

---

1. महाभारत– 3, 58, 59, 12
2. वही – 1, 211, 16
3. रघुवंश – 8, 67
4. मनु – 3, 116
5. वही – 7, 290–300
6. वही – 5, 1577
7. वही – 5, 158

के बाद विधवा तपस्विनी का जीवन व्यतीत करें। यदि वह ऐसा न कर सके तो वह पति के साथ सती हो जाये। विष्णु–स्मृति के लेखको के अनुसार यह प्रथा तर्क–विहीन नहीं है। महाभारत में जहाँ–तहाँ सती के उदाहरण मिलते हैं, जैसेकि माद्री[1] और वासुदेव की पत्नियाँ[2] अपने पतियों की मृत्यु के बाद सती हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 400 ई0 से सती की प्रथा लोकप्रिय होने लगी। क्योंकि वात्स्यायन[3], कालीदास[4] और शूद्रक[5] के ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल का ऐतिहासिक उदाहरण गोपराज की पत्नी का है। जो अपने पति के हूणों के विरूद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने पर 510 में सती हुई थी इस काल में पर्दा प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था। ईशा की प्रारम्भिक शताब्दियों में समाज के कुछ वर्गो में जैसेकि राजकीय परिवारों में स्त्रियों के लिए पर्दा करना अच्छा समझा जाने लगा। जातकों में कुछ रानियों का वर्णन मिलता है। जो पर्दे वाले रथों में यात्रा करती थी।[6] परन्तु इस काल में यह प्रथा राजकीय या अभिजात वर्ग के परिवारों तक ही सीमित थी। जनसाधारण में यह प्रथा न थी।

इस काल में स्त्रियों के जीवन के सबसे भयावह पक्ष की शुरूआत हो गयी थी। वह थी स्त्री को वस्तु बनाकर बाजार में बेंचना। स्त्रियां उपभोग की वस्तु मानी जाने लगी थी। यह पुरुष की हृदयहीनता व संकीर्ण मानसिकता की द्योतक थी, जिस प्रकार नदी, शराबखाने आदि सबके उपभोग की वस्तुएं हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सबके उपभोग की वस्तु मानी जाती थी। स्त्रियों को बाजारों में पशुओं की तरह खरीदा–बेंचा जाता था।

---

1. महाभारत– 16, 17, 18
2. वही, 16, 7, 173–74
3. वात्स्यायन, 6, 2, 53
4. कुमार सम्भव सर्ग–4
5. मृच्छकटिकम्
6. जातक, 4, 439, 6

इसी काल में आम्रपाली नाम की प्रसिद्ध वैश्या का उल्लेख मिलता है। जिसे जबरजस्ती वैशाली की नगर–वधू बनाया गया। इसी काल में मंदिरों में देवदासियाँ रखने की प्रथा का वर्णन मिलता है। कालिदास ने मेघदूत में उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में देवदासियाँ रखने का उल्लेख किया गया है।[1] पुराणों में भी वैश्याओं को खरीद कर देवदासी बनाने का उल्लेख मिलता है।[2] ग्राहक को देखकर दास व्यापारी आवाज लगाते ग्राहक जिस दासी की ओर इशारा करते, व्यापारी उसे बाड़े के सीखचो के पास बुलाते, ग्राहक उस दासी को किसी बेजान वस्तु की तरह ठोंक–बजाकर देखते फिर सौदेबाजी शुरू होती। इतना ही नहीं, दासी प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती थी। सुन्दर स्त्रियों के दो ही स्थान थे या तो राजा के निवास में या फिर मणिका बन उन्हें सबको संतुष्ट करना होता था। वैश्वावृत्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी तथा यह राज्य की आय का स्रोत थी। इससे प्राप्त आमदनी दुर्ग कहलाती थी। सुना है कि नरक की जिन्दगी खराब होती है, वहाँ व्यक्ति को अत्यन्त कष्ट सहने पड़ते हैं। किन्तु उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि नरक मे भी इतना कष्ट और पीड़ा किसी को बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती होगी, जितना इस काल में स्त्रियों को सहन करनी पड़ी है।

राजपूत काल :

इस काल के साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल में नारी की स्थिति और भी अधिक गिर गयी थी। अब परिवारों में पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा। कथासरित्सागर में लिखा है कि पुत्र सुख का प्रतीक है और पुत्री दुख का मूल है।[3]

अब कन्याओं की उच्च शिक्षा धनी परिवारों तक ही सीमित रह गयी थी।

---

1. मेघदूत – 1, 35
2. भविष्य पुराण – 1, 93, 97
   पद्म सृष्टिकाण्ड – 52, 97
3. कथासंरित्सागर – 28, 6

इस काल के स्मृतिकार साधारणतया यौवनारम्भ से पूर्व विवाह करने के पक्ष में थे वृहद्यम कहते हैं कि पिता को पुत्रियो का विवाह 8–9 वर्ष की अवस्था में कर देना चाहिए। उनके अनुसार जो पिता अपनी पुत्री का विवाह उसकी दस वर्ष की आयु होने से पूर्व नहीं करता, वह महान पाप का भागी होता है। कादम्बरी में महाश्वेता स्वयंवर को ठीक नहीं समझती। इस काल में अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन बहुत बढ़ गया था इस काल में अभिजात वर्ग के मनुष्य कई पत्नियां रखते थे।[1] इस काल के स्मृतिकार यह आशा करते थे कि पत्नी हर प्रकार से पति की सेवा करें, जैसेकि पैरा की मालिश करना। मनु की भांति, मत्स्य पुराण के अनुसार पत्नी को ठीक रास्ते पर लाने के लिए पति उसे रस्सी या बांस से मार सकता है।[2] परन्तु मेर्धातिथि पत्नी को पीटने के पक्ष में नहीं हैं।[3] बहुत बड़ा अपराध होने पर यदा–कदा उसको पति मार सकता था तथा वह उस पर जुर्माना कर सकता था।[4] पुरुष की विकृत मानसिकता की एक सोच यह भी थी कि पति और अन्य मनुष्य सम्बन्धियो को स्त्रियों पर नियत्रण रखना चाहिए पतियों को अपनी पत्नियों को वस्त्र आभूषण देकर प्रसन्न रखना चाहिए परन्तु गृह कार्य में सदा इतना व्यस्त रखना चाहए कि वे अन्य पुरुषों के विषय में सोच भी न सके।[5]

इस काल में विधवा की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। स्मृतिकारों के अनुसार विधवा को पति की स्मृति में पवित्र जीवन बिताना चाहिए। वृद्ध हरीत ने लिखा है कि विधवा को बाल संवारना छोड़ देना चाहिए पान, सुगंधित वस्तुओं, फूल, आभूषणों और रंगीन वस्त्रों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए इंद्रियों का दमन करके

---

1. कथासंरित्सागर – 49, 208
2. मत्स्य पुराण – 227, 153–155
   मनु0 – 8, 299
3. मेघातिथि टीका मनु – 8, 299
4. वही – 9, 84
5. वही – 9, 76

सदा हरि की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि को कुशा की चटाई पर सोना चाहिए। राजा को विधवा की सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए। यदि विधवा संयम का जीवन न बिताये तो राजा उसे पति के मकान से निकाल सकता था।[1]

इस काल में कुछ लोग विधवा के सती होने के पक्ष में थे और कुछ इसके विरूद्ध। सुलेमान ने लिखा है कि विधवा स्त्रियां अपनी इच्छा से सती होती थी।[2] किन्तु यह प्रथा इस काल में भी उत्तर भारत के राजकीय घरानों तक ही सीमित थी। दक्षिणापत में सती प्रथा बहुत कम थी और सुदूर दक्षिण में अपवाद स्वरूप देखने को मिलती थी।[3] सातवीं शताब्दी में भी राजपरिवारों में सती के कई उदाहरण मिलते हैं। हर्ष की माता को जब यह ज्ञात हुआ कि प्रभाकर वर्द्धन का रोग असाध्य है तो वह पति की मृत्यु से पूर्व ही जलकर सती हो गयी किन्तु बाणभट्ट सती होने के पक्ष में नहीं थे।[4] अग्निपुराण (नवीं शताब्दी) में लिखा है कि जो स्त्री पति के शव के पास अग्नि में प्रविष्ट होती है, वह स्वर्ग जाती है।[5] ब्राह्मणों में 1000 ई0 के बाद इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ।

देवदासी रखने की प्रथा पहले से ही प्रारम्भ हो चुकी थी। परन्तु इस काल मे यह प्रथा अधिक बढ़ गयी थी राजतरंगणी में लिखा है कि कश्मीर के मंदिरों में सातवीं शताब्दी मे अनेक देवदासियां रहती थी। दक्षिण भारत के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस प्रदेश में अनेक राजाओं ने नवी शताब्दी में मंदिरों में देवदासियों के सेवायें अर्पित की थी।[6] मत्स्य पुराण में वैश्याओं के कर्त्तव्यों और अधिकारों का विवेचन

---

1. मेघातिथि टीका मनु – 8, 28
2. इलियट और डासन – 1
3. अल्टेकर, राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स, 344
4. कादम्बनी पूर्वाद्ध – 308
5. अग्निपुराण – 221, 23
6. मेघातिथि टीका मनुस्मृति – 9, 135
   अभिलेख एपिग्राफिया इंडिका – 22, 122
   इलियट और डासन – 11, 17, 18

किया गया है।[1] एक अरब यात्री ने लिखा है कि भारत में वैश्यावृत्ति अवैध कार्य नहीं समझा जाता।[2]

इस काल की कुछ स्त्रियों में उच्च राजनैतिक सक्रियता भी देखने को मिलती है जोकि अभी तक अपने विकसित रूप में नहीं दिखाई दी। कश्मीर में अनन्त की पत्नी सूर्यमती ने स्वयं शासन किया और अपने अयोग्य पुत्र के लिए राजसिंहासन नही छोड़ा। इसी राज्य मे रानी सुगंधा और दसवीं शताब्दी में दिद्दा ने बड़ी योग्यता से शासन किया। सातवीं शती ई0 में चालुक्य वंशीय विजय भट्टारिका ने दक्षिणापत में शासन किया। उड़ीसा में नवीं शताब्दी में जब ललिताभारण देव और उनके पुत्र की मृत्यु हो गयी तो सामंतो ने राजा की विधवा रानी को शासक चुना।

अन्ततः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि स्त्री जाति का भाग्य–सूर्य वहाँ भी अभी पूर्णतया अन्तर्हित नहीं हो गया था। अब भी प्रकाश की अंतिम रश्मियाँ राजपूताने की मरुभूमि को अपने तेज से आलोकित कर रही थी। यद्यपि सूर्यास्त समीप आ रहा था, तथापि इस गोधूलि की टिमटिमाहट में स्त्री जाति का भाग्य–सूर्य अन्तिम बार चमक उठा था। परास्त होते हुए सिपाहियों को उत्साहित करना, भागते हुओं को फिर से वापस कर देश के लिए मर मिटने को ललकार देना, उस समय की वीरागनाओं का सहज स्वभाव था। ये कथायें, भारत मेघाच्छादित मध्यकाल में– उस काल में, जब स्त्री जाति अपने ऊँचे पद से गिराई जा रही थी, जब उसके अधिकार चारों तरफ से छीने जा रहे थे– विद्युत की रेखाओं का काम कर रही थी। स्त्रियो की स्थिति गिर रही थी, शायद बहुत तेजी से गिर रही थी, किन्तु वैदिक आदर्शों के वर्तमान युग की अपेक्षा कुछ अधिक नजदीक होने के कारण उस समय की झलक इस युग में साफ तौर पर नजर आ रही थी। सनातन वैदिक युग के उच्च, सुदृढ़ आदर्शों की इमारत करीब–करीब

1. मत्स्य पुराण – 70, 28
2. अबूजैद, उद्धत होड़ीवाला – 12
   इब्न खुदाद्धि इब्ल अल फकी और इब्न रोसेथ उद्धृत फरेड– 28, 63, 73

ढह चुकी थी, फिर भी उसका टूटा–फूटा ढाँचा तथा उसके खण्डहर अब भी मौजूद थे।

02. मध्य युग में महिलाओं की स्थिति –

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव से ही एक समस्या रही है। समय के साथ–साथ उनकी दशा मे परिवर्तन होते जा रहे हैं। प्राचीन काल में उनकी दशा ठीक रही, परन्तु बौद्धकाल से उनकी दशा का पतन आरम्भ हुआ। मध्य युग में तो उनकी स्थिति अति दयनीय हो गयी भारतीय आलोचकों एवं विद्वानों ने सदैव स्त्री को निन्दा की दृष्टि से देखा है। महाकवि तुलसीदास ने तो यहाँ तक कह दिया–

"ढोल, गवांर, शूद्र, पशु नारी ।

सकल ताड़ना के अधिकारी ।।"

ये पंक्तियाँ मध्य काल में स्त्रियों की स्थिति का सम्पूर्ण वर्णन करती हैं। तुलसीदास जैसे महाकवि भी समकालीन समाज की मानसिकता से नहीं बच पाये। कबीरदास जिन्हें हम समाज सुधारक कहते है, उन्होंने भी समाज के एक पक्ष के साथ पक्षपात नहीं छोड़ पाया जो उनकी संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। उन्होंने स्त्रियों के सम्बन्ध मे एक मत व्यक्त करते हुए कहा–

"एक कनक कामिनी, दुर्गम घाटि दोय ।"

मध्य युग को हम दो भागों में विभाजित करते हैं : सल्तनत काल एवं मुगलकाल। दोनों कालों में स्त्रियों की दशा में भी अन्तर रहा है।

सल्तनत काल :

हमारा देश विदेशियों के शासन से पूरी तरह जकड़ता जा रहा था। तुर्की, अफगान, मंगोल आदि अनेकों विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण कर रही थी। वे भारत से लूट के सामान के साथ स्त्रियों को भी ले जाते थे। हाजी–उद–दवीर से हमें ज्ञात होता है कि किराजल की पहाड़ियों पर मुहम्मद तुगलक के आक्रमण करने का

एक कारण यह भी था कि वहाँ की स्त्रियां अत्यन्त विदुषी थी और वह उन्हें अपने अधिकार में करना चाहता था।

हिन्दू परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अभी तक ठीक ही थी। कोई भी धार्मिक कृत्य उनके बगैर पूरा नहीं होता था। उसे पुरुष की अर्धांगिनी समझा जाता था परन्तु इतना होते हुए भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उन्हें किसी न किसी के नियंत्रण में रहना पड़ता था। हिन्दुओं में लड़की का जन्म होना शुभ नही माना जाता था। कुछ कबीलों में तो उसे तुरन्त मार दिया जाता था। यदि वह जीवित रहती तो उसे पति के साथ गाय के खूंटे के समान बाँध दिया जाता था। गर्भावस्था में यदि स्त्री की मृत्यु हो जाए तो यह माना जाता था कि उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार जन्म से मृत्यु पर्यन्त उसकी स्थिति सोचनीय थी।

हिन्दू विचारों के अनुसार स्त्री का कार्य पुरुष की सेवा करना था। यदि वह पुत्र को जन्म देती तो भाग्यशाली समझी जाती थी। गृह कार्य तथा पति की सेवा तक ही उसके कार्य व अधिकार सीमित रह गये थे।

इस युग में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा था जोकि मुस्लिम शासकों की देन थी। पर्दा अपनाने का मुख्य कारण विदेशियों से अपनी अस्मिता की रक्षा करना था। परन्तु मुस्लिमों के उच्च घरानों की स्त्रियों की नकल के कारण धीरे–धीरे इसका प्रचलन सभी वर्गों में बढ़ गया।

बहुसंख्यक देहाती स्त्रियां किसी प्रकार का बना हुआ पर्दा नहीं पहनती थी। यदि कोई अजनबी निकलता तो उनकी साड़ी का पल्ला ही उनके सिर एवं मुख को ढंकने के लिए पर्याप्त था। वैसे उनका मुँह एव बाहें सुगमता से देखी जा सकती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां पूर्ण रूप से पर्दा करती थी, क्योंकि उस युग में पर्दा सभ्य एवं उच्च घराने का प्रतीक थी। इस युग में अनेक इतिहासकारों ने पर्दे का उल्लेख किया है। "घूंघट" प्रथा का हिन्दुओं एवं निम्न श्रेणी के मुसलमानों में प्रचलन था। फिरोज

तुगलक प्रथम शासक था जिसने प्रजा को पर्दे के लिए आदेश दिया। यह प्रथम शासक था जिसने मुस्लिम स्त्रियों का दरगाहों इत्यादि में जाना बंद करवा दिया। उसने स्वयं 'फतुहाते की रोजशाही' में लिखा है–

"A custom and practice unauthorized by law of Islam and sprung in muslim cities. On holy days women riding in palanquins of carts or litters or mounted on horses or mules or in large parties on foot went out of the city to the tombs. Ranks and wild fellows of unbrided passions and loose hadits look the opportunity which this practice afforded improper riotous actions. I commanded that no women should go out to the tombs under pain of examplary punishment."

[Firuz Shah's; Fathuhat-i-Firuz Shahi]

इस युग में अधिकतर स्त्रियां पर्दें में ही बाहर निकलती थी। अमीर घरानों की स्त्रियां डोली एवं पालकी में निकलती थी, जिसे कहार ले जाते थे तथा निम्न वर्ग की स्त्रियां सिर से पांव तक बुर्के में ढकी रहती थी।[1] हिन्दू अमीरों ने भी इनका अनुसरण किया और वे भी अपनी स्त्रियों को इसी प्रकार बाहर भेजने लगे।

ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह पर्दा आँखों और चेहरे पर नहीं, दिमाग और सोचने की शक्ति पर प्रकाश डाला जा रहा था। उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिबंधित किया जा रहा था। इन्हीं बंदिशों के बीच रजिया ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की कोशिश की, उसने पर्दे का परित्याग कर दिया। रजिया के पर्दा–प्रथा के प्रति विद्रोह को हम रफीक जकारिया के उपन्यास की निम्न पंक्तियों में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं–

"You want us to wear a veil - purdah, but why should you subject us to such

---

1. Husain, Yusuf : 'Medival Indian Culture', P. 129

humilization when the sin does not lie in us but in the eyes of men? Instead of our faces, your eyes and your minds should be veild", remarked Razia.[1]

मात्र साढ़े तीन वर्ष के शासन में रजिया ने यह प्रदर्शित कर दिया कि जिन स्त्रियों को पर्दे में ढंका जा रहा है, वे भी कुशल नेतृत्व क्षमता रखती हैं। फिर भी उसके पतन का मुख्य कारण था उसका स्त्री होना। एलिफस्टन का कहना है कि उसकी "विशेषतायें व गुण उसकी इस कमजोरी से बचाने में अपर्याप्त रहे।"[2]

इस काल में बहुविवाह का प्रचलन था। स्त्रियों का मात्र इन्द्रिय सुख का साधन समझा जाने लगा। इस प्रथा ने स्त्रियों को सामाजिक मान घटा दिया था। इस काल में हिन्दू विधवाओं की दशा तो बहुत निम्न थी। उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उनके बाल काट दिये जाते थे तथा रंगीन वस्त्र एवं आभूषण धारण नहीं कर सकती थी। बाल विवाह का भी प्रचलन था।

जौहर प्रथा भी अपनी चरम सीमा पर थी। यह प्रथा मुख्य रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। रानी पद्मिनी का जौहर प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।[3] स्त्री को जीने का अधिकार भी जैसे पुरुषों के जीने तक ही दिया जा रहा था। इसका प्रतीक थी सती–प्रथा। जो स्त्रियां स्वयं सती नहीं होती थी, उन्हें जबरन अग्नि मे फेंक दिया जाता था। निकोलो कोन्टी ने लिखा–

"Where a bride was offered to choose between sati or the surrender of her dowery. In the later case the dowery went to the male relation of her husband to the exclusion of her own children."[4]

---

1. Zakari, Rafiq a : 'Razia : Queen of India', P.63
2. महाजन, विद्याधर : 'दिल्ली सल्तनत का इतिहास', पृ0 74
3. वही – पृ0 98
4. मेहरा, उमाशंकर : 'मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति', पृ0 48

इस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ग्रामीण स्त्रियां अधिक शिक्षित नहीं होती थी। ये स्त्रियां खेतों पर कार्य करती थीं एवं अपने बच्चों की देखभाल एवं गृहकार्य आदि कार्य किया करती थी। परन्तु उच्च वर्ग की स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार था। इस काल में भी अनेक विदुषी महिलायें हुई। भारती ही शंकराचार्य एवं मण्डन मिश्र के शास्त्रार्थ के समय निर्णायक बनी थी। राजशेखर की पत्नी अवन्त सुन्दरी ने प्राकृत काव्य के एक शब्दकोष का निर्माण किया।

प्राचीन काल की अपेक्षा सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा गिरती जा रही थी। फिर भी रजिया, पद्मावती, देवलरानी और अवन्त सुन्दरी जैसी स्त्रियां अभी भी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

मुगल काल :

इस काल में स्त्रियों की स्थिति सल्तनत काल से भी बदतर हो गई। सही शब्दों में कहे तो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का पतन अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री मात्र एक वस्तु थी, जिसका प्रयोग पुरुष वर्ग चाहे जब, चाहे जैसे, चाहे जहाँ करे। उसकी इच्छा करे तो वह उसे पर्दे में रखे और वह चाहे तो उसे वैश्या बना दे। नारी के प्रति इस समाज का दृष्टिकोण पूजनीय भावना से हटकर भोग्या की भावना से ग्रस्त हो गया। अकबर, जोकि सभी धर्मो का सम्मान करने वाला, न्याय प्रिय, कुशल एवं महान शासक था, भी नारी के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल न सका। उसके हरम में उसकी बेगमों, रानियों, दास, दासियों और अन्य स्त्रियों की संख्या पांच सहस्र थी।[1] वह सुन्दर एवं लावण्यमयी स्त्रियों की प्राप्ति के लिए मीना बाजार का आयोजन करता था, जिसमें केवल महिलायें ही भाग ले सकती थी। वह भी अन्य मध्यकालीन सम्राटों की भांति भोगविलासी था।[2] "मध्य एशिया में इस समय ऐसी परम्परा थी कि जिस

1. लुनिया, बी0एन0 : 'अकबर महान', पृ0 312
2. वही, पृ0 312

सुन्दरी पर बादशाह की दृष्टि पड़ जाये, पति उसे तलाक देकर बादशाह को प्रदान कर देता।[1] अकबर ने भी एक शेख अब्दुल वली की अत्यन्त सुन्दर पत्नी को देखकर उससे अपनी कामवासना तृप्त करने के लिए उस शेख को बाध्य कर दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दें।[2] उसने कुछ हिजड़ों और कुटनियों को भी विभिन्न परिवारों की सुन्दर स्त्रियों को मुगल हरम में रखने और उनसे सम्बन्ध जोड़ने के लिए नियुक्त किया था।[3] अकबर दिल्ली के कुछ परिवारों की सुन्दर महिलाओं से विवाह करने की योजना बना रहा था।[4] अकबर के इस कुकृत्य से रुष्ट होकर कुतलक फौलाद नामक व्यक्ति ने अकबर की हत्या भी करनी चाही।

हिन्दू एवं मुसलमान दोनों में ही पर्दा का प्रचलन बहुत था। स्त्री अपने पति के अलावा किसी बाहरी पुरुष से नहीं मिल सकती थी। ओबिंगटन ने लिखा है–

"All the women of fashion in India are closely preserved to their husbands who forbid them the every sight of the strangers."

बदॉयुनी ने लिखा, ''यदि कोई युवती गलियों एवं बाजार में बगैर घूंघट के दिखाई दे या जान–बूझकर उसने पर्दे को तोड़ा हो तो उसे वैश्यालय में ले जाया जाये और पेशे को अपनाने दिया जाए डेला–वेला लिखता है कि चरित्रहीन और गरीब स्त्रियों को छोड़कर कोई भी स्त्री कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। जिस समय राजकुमारियां घर से बाहर निकलती थी, कोई भी मनुष्य उस समय सड़क पर से नही गुजर सकता था। परन्तु नूरजहाँ ने इस काल में भी पर्दा का विरोध किया। वह बिना पर्दे के जनता के समक्ष आती थी। बेनी प्रसाद जी लिखते हैं–

"She broke the purdah convention and did not mind to come out in public".

1. सांकृत्यायन, राहुल : 'अकबर महान', पृ0 187
2. श्रीवास्तव : 'अकबर महान', पृ0 80
3. स्मिथ : 'महान मुगल अकबर', पृ0 61
4. प्रसाद, बेनी : 'हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर', पृ0 168

नूरजहाँ शासन के कार्यों में भी दिलचस्पी लेती थी। डा0 बेनी प्रसाद के शब्दों में ''मलिका का आकर्षक तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व पूरे 15 वर्ष तक राज्य पर छाया रहा और जहाँगीर के दरबार, हरम, सरकार तथा उसके व्यक्तिगत जीवन पर उसका विशेष प्रभाव रहा।''[1] कुछ समय तक वह झरोखे में बैठती थी और अमीर लोग उससे सलाम करने और आदेश प्राप्त करने के लिए आया करते थे। उसके नाम के सिक्के भी जारी होते थे और फरमानों पर लगाई जाने वाली मुहर पर उसके हस्ताक्षर होते थे।[2]

बेटी जो वैदिक काल में पुत्र के समान ही सारे अधिकार रखती, अब अपने जन्म के अधिकार से वंचित हो गयी थी। टॉड के अनुसार राजपूत कहते थे– ''वह पतन का दिन होता है, जब एक कन्या का जन्म होता है।'' जो स्त्री अधिक कन्याओं को जन्म देती थी, हीन दृष्टि से देखी जाती थी और उसे कभी–कभी तलाक भी दे दिया जाता था विवाह के बाद की स्थिति भी हिन्दू और मुसलमानो मे अलग–अलग थी। मुस्लिम सम्प्रदाय में स्त्रियों को सदैव तलाक का भय रहता था तथा हिन्दू सम्प्रदाय में यदि स्त्रियां अपने पति को प्रसन्न नहीं रख पाती तो उनका जीवन नरकीय हो जाता। परन्तु हिन्दुओं में एक विवाह प्रथा ही विद्यमान थी तथा सभी धार्मिक कार्यों को पत्नी के सहयोग से ही किया जाता था। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुल्के जहाँगीरी' में लिखा है–

"It is maxim of Hindus that no good deed can be performed by man in social state without the partnership or presence of the wife whom they have styled the half of man."[3]

---

1. ततिम्भा–ए–वाकियात–ए–जहाँगीरी (मोहम्मद हादी)
   इलियट एवं डाउसन, पृ0 297–98
2. मेहरा, उमाशंकर : 'मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति', पृ0 55
3. सिंह, प्रताप : 'मुगलकालीन भारत', पृ0 153

राजपूत स्त्रियों को तो अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह का प्रचलन इस काल से ही प्रमुख रूप से प्रारम्भ हुआ। यही नहीं, इस काल मे पुरुष अपनी पुत्री की उम्र की लड़कियो से शादी करने में भी परहेज नही करते थे। बाबर ने अपने से 19 वर्ष छोटी हमीदा बानो से विवाह किया था।[1] बाल विवाह के कारण विधवाओं की स्थिति और भी दयनीय हो रही थी। कभी–कभी लड़कियां बहुत ही कम उम्र मे विधवा हो जाया करती थी उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी बल्कि वे पति के साथ ही सती हो जाती थी। मुगलों की विलासी नजरों से बचने के लिए सती प्रथा बढ़ती जा रही थी। मुगल स्त्रियां तो दूसरा विवाह कर सकती थी।

स्त्रियां चाहे हिन्दू समुदाय की हो या मुस्लिम समुदाय की, दोनों ही अपने–अपने हिस्से की यातनाओं को भोग रही थी। वे मात्र एक वस्तु की तरह थी जो जैसे चाहता, प्रयोग करता था। उनके स्वयं के अस्तित्व और इच्छा का कोई महत्व नहीं। उनकी पूरी स्थिति हम मिर्जा अजीज कोक के निम्न कथन से ही समझ सकते हैं–

"एक व्यक्ति को चार स्त्रियों से विवाह करना चाहिए। एक पर्शियन स्त्री से बातचीत करने के लिए, खुरासानी से गृह कार्य करने के लिए, हिन्दू रमणी से बच्चों को खिलाने के लिए और मारवाड़ी को फटकारने के लिए, जिससे अन्य तीनों को चेतावनी हो जाये।"

कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस काल का साहित्य भी मात्र कामशास्त्र था। राधा–कृष्ण के आलोकिक प्रेम को मुगल हरमों की विलास क्रीड़ा बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया। इस काल के साहित्य में भी नारी की दशा मात्र भोग्या रही है। उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। वह मात्र पुरुषों की इच्छा का खिलौना है। खेत हो या राजमहल, उसकी कटीली भौहें, कनक काया से बिधकर पुरुष

---

1. मेहरा, उमाशंकर : 'मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति', पृ0 53

रतिमग्न रहता है।

इतनी परम्पराओं एवं सामाजिक नियमों में जकड़े होने के बाद भी इस काल मे भी स्त्रियों को यहाँ भी अवसर मिले, उन्होंने अपनी योग्यता व क्षमता का पूरा प्रदर्शन किया। हुंमायू की बहन गुलबदन बेगम ने हुंमायुनामा लिखा। खानखाना की पुत्री जानबेगम ने कुरान पर टीकायें लिखी मीराबाई, सलीमा, नूरजहाँ तथा औरंगजेब की बड़ी पुत्री जैवुन्निसा उच्च कोटि की कवियित्रियाँ थीं। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी की शिष्यायें– अकाबाई और कैनाबाई भी 17वीं शताब्दी के शिक्षा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

जहाँ तक स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी का सम्बन्ध है तो इस काल में भी सिर्फ गरीब परिवारों की स्त्रियां ही अपने पति के कार्यों में सहयोग करती थी। सूरत की स्त्रियां ऊँनी तथा रेशमी कपड़े बुनने का कार्य करती थी। अबुफजल के अनुसार कुछ स्त्रियों ने नाचने एवं गाने का कार्य अपना रखा था। शिक्षित स्त्रियां मंत्रियो के यहाँ पढ़ाने का कार्य करती थी। गरीब स्त्रियां दुकान करती थी तथा पान बेंचा करती थी। अतः इस काल में स्त्रियों को (उनकी मजबूरी की स्थिति को छोड़कर) कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी।

इस काल में शासन व्यवस्था के संचालन में स्त्रियों की भागीदारी दिखाई देती है। अकबर के शासन काल के प्रारम्भिक दिनों में सम्पूर्ण शासन का संचालन उनकी धाय माँ माहम–अनगा के नेतृत्व में हुआ। चन्देल राजकुमारी रानी दुर्गावती ने गढ़ गोविन्द पर शासन किया तथा अकबर से युद्ध भी किया। कहा जाता है कि उनका शासन अकबर से भी अच्छा था। अहमद नगर के इतिहास मे चाँद बीबी का नाम भी प्रमुख है। अलीमर्दी खाँ की पुत्री साहिब जी काबुल की वास्तविक गर्वनर थी। जहाँगीर के राज्य की वास्तविक संचालिका नूरजहाँ थी। मराठा नरेश राजाराम की विधवा ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की सरंक्षक रहीं। उन्होंने राज्य का संचालन किया

तथा औरंगजेब से अपने राज्य की रक्षा की। इस काल की स्त्रियों मे नेतृत्व क्षमता के साथ–साथ वीरता के गुण भी विद्यमान थे अमीर घरानों की स्त्रियां विशेषतः राजपूत स्त्रियां शस्त्र आदि चलाने में भी माहिर होती थी। दुर्गावती, चाँद बीबी तथा नूरजहाँ इसका प्रमुख उदाहरण हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलायें पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा, अशिक्षा जैसी वर्जनाओं से मुक्त नहीं थी। हर प्रकार से पुरुष समाज के अधीन थी, चाहे जन्म का अधिकार हो, चाहे जीवन अथवा मृत्यु का। लेकिन यहाँ भी विकास का एक भी अवसर मिलने पर अपनी क्षमता व योग्यता को सिद्ध किया।

03. आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति :

आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन दो भागों में विभाजित करना अधिक उचित होगा– स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति।

स्वतंत्रता से पूर्व –

आज महिलायें राजनीति के क्षेत्र मे सबसे लोहा मनवा रही है। ऐसी स्थिति को देखकर आश्चर्य होता है कि महिलाओं का राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, जबकि उन्हें अपने परिवार मे ही विचारो की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। इसका श्रीगणेश हम स्वतंत्रता आन्दोलनों के प्रारम्भ होने से मान सकते है। गांधी जी आन्दोलनों मे महिलाओं की भागीदारी के पूर्ण पक्ष में थे। उन्होने महिलाओं की वीरता, धैर्य तथा साहस को प्रोत्साहित किया।[1]

इस काल में पाश्चात्य प्रभाव के कारण विभिन्न बुद्धजीवी तथा समाज सुधारक महिलाओं की स्थिति मे सुधार लाने के प्रयास करने लगे थे। 19वीं शताब्दी में भी बाल–विवाह, बहु–विवाह, विधवा जीवन, पर्दा प्रथा, बालिका–वध, अशिक्षा तथा

1. आर्य साधना, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता : 'नारीवादी राजनीति : संघर्ष व मुद्दे', पृ0 157

सती प्रथा जैसी कुप्रथायें विद्यमान थी। इसी कारण अभी भी महिलाओं की स्थिति समाज में अत्यन्त निम्न थी। अठारहवीं शताब्दी में भी स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। "ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने महिलाओं को शिक्षित करना सम्भवतः इसीलिए आवश्यक नहीं समझा कि उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए महिला क्लर्क या अधिकारियों की आवश्यकता नहीं थी।"[1] लेकिन हाँ, इस काल में कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल अवश्य खोले। लेकिन कोई विशेष सुधार व प्रयास नहीं हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी में जहाँ एक ओर हम समाज में महिलाओं की सोचनीय स्थिति को पराकाष्ठा पर पहुँचता हुआ देखते हैं, वहाँ दूसरी ओर भारतीय समाज में सुधार आन्दोलनों द्वारा इस स्थिति में सुधार के प्रयास होते हुए भी देखते हैं। धर्म और समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करने हेतु जो एक नई चेतना उत्पन्न हुई उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गयी। डॉ0 रामगोपाल शर्मा का कथन है कि "इस पुनर्जागरण के मूल में दो प्रकार की प्रेरणा काम कर रही थी – पाश्चात्य तथा यूरोपीय सभ्यता से सम्पर्क तथा प्राचीन भारत की गौरवमयी सांस्कृतिक परम्परा।"[2]

19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया गया। हम यह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम 'बुड घोषणा पत्र' (1854) में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में घोषणा की गयी। इसके फलस्वरूप "प्रान्तों के शिक्षा विभागो ने स्त्री शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया किन्तु इस क्षेत्र में बहुत धीमी प्रगति हुई। इसके लिए सरकार और जनता दोनों उत्तरदायी थे। न सरकार ने स्त्री शिक्षा के उत्तरदायित्व को समझा और न जनता ने इसका पक्ष लिया।" 1882 में 'हन्टर कमीशन' ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव दिये, जिनमें निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्तियों, सहायक अनुदान तथा पर्दे

---

1. सिंह, प्रताप : 'आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास', पृ0 20
2. शर्मा, डॉ0 रामगोपाल : 'भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास', पृ0 148

में रहने वाली महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था आदि थे। आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्त्री शिक्षा की प्रगति 1882 ई0 से 1902 ई0 की अवधि में प्राथमिक स्तर पर काफी हुई। किन्तु माध्यमिक स्तर पर कम। महिलाओं का कालेज में प्रवेश भी प्रारम्भ हो गया था। इस अवधि में स्त्री शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है।

शिक्षा स्तर	छात्राओं की संख्या	
	1882 ई0	1902 ई0
1. प्राथमिक शिक्षा	1,24,491	3,48,510
2. माध्यमिक शिक्षा	2,054	41,582
3. उच्च शिक्षा	6	263
योग–	1,26,521	3,90,356

धीरे–धीरे महिला शिक्षा में प्रगति हो रही थी। वस्तुतः महिला शिक्षा का महत्व पुरुषों से अधिक है पं0 नेहरू के शब्दों में– "एक बालक की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक बालिका की शिक्षा एक पूरे परिवार की शिक्षा होती है।"

लोग इस तथ्य को भलीभांति समझने लगे। यही कारण है कि स्त्री शिक्षा में विकास हो रहा था।

स्त्री शिक्षा के विकास के साथ–साथ उन्हें विभिन्न कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय समाज में एक नवीन बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग (Elite Middle Class) का उदय हुआ। इनमें प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं।

ब्रह्म समाज :

राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने बहु–विवाह, बाल–विवाह,

स्त्री–अशिक्षा, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। उनके प्रयास से लार्ड विलियम बैंटिक ने सती प्रथा 1829 में कानून बनाकर अवैध घोषित कर दिया। ब्रह्म समाज की गतिविधियों को बाद में केशव चन्द्र सेन ने आगे बढ़ाया। श्री सेन के आग्रह पर 1872 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट बनाया, जिसके अनुसार वर तथा वधू की विवाह आयु क्रमशः 18 व 14 वर्ष नियत कर दी गयी। इस प्रकार ब्रह्म समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने की दशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

आर्य समाज :

आर्य समाज ने वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। उन्होंने स्त्रियों को वैदिक विधि से यज्ञ करने और संध्या वंदन करने को प्रोत्साहित किया उनके अनुसार पुत्र तथा पुत्रियां समान हैं। इसी प्रकार बाल विवाह, शाश्वत वैध्व्य, विधवा को हेय मानना, वेश्यागमन, देवदासियां आदि सामाजिक बुराईयों को अस्वीकार किया।

रामकृष्ण मिशन :

स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन तथा धार्मिक अंधविश्वासों व कुरीतियों का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति मे सुधार आया विवेकानद ने बाल विवाह की भर्त्सना करते हुए कहा, "जिस प्रथा के अनुसार अबोध बालिकाओं का पाणिग्रहण होता है, उसके साथ में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने में असमर्थ हूँ।" वे इन प्रथाओं का विरोध करने की बजाय समाज को शिक्षित करके इन्हें दूर करने पर जोर देते थे। उनका तर्क था "हमारा कर्त्तव्य तो यह है कि हम समाज के प्रत्येक घटक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित और सुसंस्कृत बनायें। जनता के इस शिक्षित हो जाने पर, वह स्वयं अपने हानि–लाभ का विचार कर इस प्रकार की कुरीतियों को निकाल बाहर करेगी और तब दबाव से किसी बात को समाज पर लादने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

इन प्रमुख संस्थानों के अतिरिक्त कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भी नारी उत्थान के लिए प्रयास किये। महिला, जो स्वयं शोषित थी, वे अपने उत्थान के लिए कैसे आगे बढ़ सकती थी। अतः इनके उत्थान का कार्य भी पुरुषों ने किया तथा कुछ बुद्धिजीवी महिला वर्ग भी सामने आया प्रख्यात समाज सुधारिका रमाबाई ने बंगाल में उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षित करने तथा उन्हें अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए आन्दोलन किया। रमाबाई ने 'आर्य महिला समाज' नामक संस्था स्थापित की और उच्च वर्ग की महिलाओं को नैतिक एवं सामाजिक सुधार के बारे में जागृत करना शुरू किया व निराश्रित विधवाओं के लिए उन्होने 'शारदा सदन' नामक एक संस्था स्थापित की।

"स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वर चंद विद्यासागर की देन महान थी। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से सम्बन्धित थे।"[1] इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को "हिन्दू विडोज मैरिज एक्ट" पारित हुआ। 1856 मे लगभग 50 हजार स्त्री–पुरुष के हस्ताक्षरों से युक्त याचिका सरकार को दी यी, जिसमें बहु–विवाह को समाप्त करने का आग्रह किया गया बम्बई में डी0के0 कर्वे और मद्रास में वीरेशलिगम् पण्डुल ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया। 1906 में डी0के0 कर्वे ने बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।[2]

महिलाओं की स्थिति मे सुधार तो किये जा रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनमें चेतना का भी उदय हो रहा था। लेकिन समाज के जिस वर्ग में विशेष परिवर्तन आ रहा था, वह समाज के कुलीन वर्ग व देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले वर्ग से सम्बन्धित था। बाकी समाज में महिलाओं की स्थिति जस की तस थी। कुल मिलाकर महिला उत्थान व विकास की ओर कदम बढ़ चुके थे जो और आगे की ओर बढ़ रहे थे।

---

1. ग्रोवर,बी0एल0, यशपाल, अलका मेहता : 'आधुनिक भारत का इतिहास', पृ0 282
2. शुक्ला, आर0एल0 : 'आधुनिक भारत का इतिहास' (हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय), पृ0 366

महिलाओं में राजनैतिक चेतना का उदय :

महिलाओं में राजनैतिक चेतना का उदय तो बेगम हजरत महल तथा रानी लक्ष्मीबाई ने कर दिया था लेकिन जब 20वीं शताब्दी मे राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा तो इससे नारी मुक्ति आन्दोलन को काफी बल मिला। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नारी उत्थान की जो प्रक्रिया पुरुषों ने शुरू की थी, उसकी कमान अब महिलायें संभाल रही थी। डा0 सुश्री रोमिला थापर का मत है कि "महिलाओं की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने की वर्तमान समय में प्रमुख प्रेरणा स्वाधीनता के राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा प्राप्त हुई। "इन आन्दोलनों का प्रवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सामाजिक प्रभाव अब तक हमारे ऊपर हो रहे हैं।"

20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में महिलाओं ने किसान आन्दोलन और ट्रेड यूनियन आन्दोलनों में भाग लिया था। 1917 में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद कई महिलायें मंत्री बनी तथा स्थानीय प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1927 में 'अखिल भारतीय महिला सभा' की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश में नारी आन्दोलन के उद्‌भव और विकास से नारी मुक्ति आन्दोलन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। महिलाओं को पहली बार घर से बाहर किसी गतिविधि मे भाग लेने का मौका मिला। महिलाओ के राजनीतिकरण की यह प्रक्रिया इतने निर्बाध व सहज ढंग से हुयी कि पुरुष भी उनके रास्ते में बाधक नहीं बने बल्कि प्रोत्साहन ही मिला। जिन महिलाओं को अपने विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं थी, उन्होंने राजनीति में कैसे प्रवेश किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका प्रमुख कारण है कि स्वतंत्रता आन्दोलन को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा गया।[1] तनिका सरकार ने अपने शोध में इस पहलू पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार महिलाओं का राष्ट्रीय

---

1. सिंह, लता : 'राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाएं, भूमिका के सवाल' (नारीवादी राजनीति संघर्ष व मुद्दें), पृ0 155

राजनीति में इसलिए सामंजस्य आसानी से हो सका क्योंकि गांधीजी को एक संत एवं देवता तथा देशभक्ति के आन्दोलन को धर्म युद्ध माना गया।

महिलाओं को राजनीति में लाने का श्रेय प्रमुख रूप से महात्मा गाँधी को ही जाता है। 1930 में डांडी यात्रा के दौरान डांडी पहुँचकर गाँधी जी ने महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया और वहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए आन्दोलन में भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उन्हें खासकर विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार भी करना था। इसके बाद तो महिलाओं की सक्रियता बढ़ती गयी। 1932–33 में भारी संख्या में महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। उस समय लगभग 20 हजार महिला सत्याग्रही जेल भेजी गयी और उन्हें सजा हुई।

इस प्रकार सामाजिक चेतना के साथ राजनैतिक चेतना ने भारतीय महिलाओं में अभूतपूर्व रूप से, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिससे समाज में उनकी स्थिति उन्नत हो गई।

महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना का उदय :

अभी तक तो सिर्फ निम्न वर्ग की महिलायें अपने परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए कार्य करती थीं। ये कार्य मजदूरी, खेतों में कार्य करना तथा कुटीर उद्योग आदि से सम्बन्धित थे। लेकिन अब महिलायें इन सब परम्परागत कार्यों से हटकर शिक्षा के क्षेत्र तथा सरकारी नौकरी आदि में प्रवेश करने लगी थी। इसका प्रमुख कारण उनकी शिक्षा तथा जागरूकता का बढ़ना था।

बीसवीं शताब्दी में एक महिला बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो गया था, जो पुरुषों की सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों मे भाग लेता तथा अपने विचारो को भी रखता। जैसाकि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस समय के बुद्धिजीवियों में आधुनिकता, समानता, लोकतत्र, मानवतावाद, बुद्धिवाद, भौतिकवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कुरीतियों के प्रति विरोध एवं उनके निराकरण की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई। इस

कारण महिला बुद्धिजीवी वर्ग भी पुरुषों की भांति समाज सुधार तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने लगी।

इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं में श्रीमती एनी बेसेण्ट, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि प्रमुख थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम (1857 ई0) में जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल आदि ने अपनी वीरता का परिचय दिया, उसी प्रकार भारतीय पुनर्जागरण काल मे भारतीय महिलाओं ने अपनी सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना से प्रेरित होकर समाज सुधार तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया। श्रीमती लक्ष्मी एन0 मेनन ने सही कहा है कि "फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस काल की प्रगतिशील महिलाओं को ही यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होंने रूढ़िवाद के गढ़ को ध्वस्त किया तथा भावी पीढ़ी के पथ को आत्माभिव्यक्ति एवं संप्राप्ति के नवीन अवसर खोलकर आलोकित किया।"

स्वतंत्रोत्तर काल में :

जब भी परिवार को समाज को या देश को आवश्यकता हुई, महिलाओं ने सदैव सहयोग किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वतंत्रता के समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सहयोग एवं बलिदान है। इसके बावजूद भी महिलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए था। वे परिवार एवं समाज का मुख्य आधार स्तम्भ है और यदि महिलायें ही समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं प्राप्त कर पायेंगी, तो स्वाभाविक है कि समाज का विकास रुक जायेगा। "यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि नारी की सक्रिय भूमिका को संकुचित रखने के दुष्प्रभाव केवल नारी जाति तक ही सीमित नहीं रह जाते – वे समस्त मानव मात्र को समान रूप से प्रभावित करते हैं– इनके परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं वे बालक हों या बालिकाएँ या फिर वयस्क स्त्री–पुरुष।"[1]

---

1. सेन, अमर्त्य : आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006, पृ0 201

महिलाओं के साथ किया जाने वाला यह भेदभाव उनकी अधीनस्थ तथा पिछड़ी हुई स्थिति का संकेतांक हैं। यदि देश का विकास करना है तो महिलाओं को बराबरी का स्थान प्रदान करना होगा। महिलाओं को बराबरी का स्थान प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो उनके प्रति 'औपनिवेशिक दृष्टिकोण' को बदलने की आवश्यकता है तथा महिलाओं को स्वयं भी अपने सामाजिक–आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने बहु–आयामी व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकता है। भारत सरकार भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रयासरत हैं।

समाज में महिलाओं का शोषण विभिन्न तरीकों से होता है। जैसे उन्हें विकास के अवसरों से वंचित रखना, उनके खाने–पीने तथा रहन–सहन के स्तर में भेदभाव करना, विभिन्न निर्णयों में उनकी कोई भूमिका न होना, दहेज प्रताड़ना, ससुराल में लड़कियों का जलाया जाना तथा यौंन हिंसा आदि। ये विभिन्न प्रकार के शोषण महिलाओं के सामाजार्थिक विकास को रोकते हैं तथा उनका निम्न सामाजार्थिक विकास फिर से शोषण के इन विभिन्न रूपों को बढ़ावा देता है और यह दमन चक्र चलता रहता है और महिलायें इसी में पिसती रहती हैं तथा उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन की कुण्ठा के साथ ही अपने जीवन की अन्तिम सांस लेती हैं।

अब यदि इस शोषण के चक्र पर प्रहार करना है तो सर्वप्रथम महिलाओं को सामाजार्थिक विकास करना होगा। अब समस्या यह है कि वे विकास कैसे करें? विकास

की यह प्रक्रिया सर्वप्रथम महिलाओं को स्वयं शुरू करनी होगी। अपनी बेटी को सशक्त बनाकर यदि एक माँ अपने लड़के तथा लड़की के साथ समान व्यवहार करती है तो इस बात की संभावना उच्च हो जाती है कि अन्य लड़कियों की अपेक्षा उस लड़की में आत्मविश्वास तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा अधिक और होगी तथा इसके अतिरिक्त इसका दूसरा पहलू यह है कि उस लड़के में भी अपेक्षाकृत दूसरे लिंग के प्रति समानता की भावना आयेगी जोकि आगे चलकर महिलाओं के विकास प्रक्रिया में सहयोगी बनेगी।

महिलाओं का शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर ही उनके विकास का प्रमुख आधार स्तम्भ है। उनके विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलू उनका स्वास्थ्य, पोषण तथा कार्य सहभागिता दर आदि है। वे कारक जो महिलाओं के निम्न सामाजार्थिक स्तर के कारण है उन्हें निम्न समीकरण में दर्शाया गया है:[1]

$$S = f(Lp, Em, Wr, Nh, Sx)$$

S = Socio-Economic Status of Women

Lp = Literacy Percentage

Em = Status of Employment

Wr = Work participation rate.

Nh = Nutrition and Access to Health Facilities

Sx = Sex Difference.

भारत में महिलाओं की जनांककीय संरचना -

भारत में महिलाओं की जनसंख्या सदैव से ही पुरुषों से कम रही है, इसका

1. Verma, Dr. R.K., "Status of Females in India" in Women's Status in India (Policies & Programmes) by B.P. Chaurasia(Ed.), Chugh Publication, Allahabad, 1992, P.279-281

कारण उनके प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण है। जबकि महिलाओं की जीवित रहने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है, यदि उनके साथ यह उपेक्षित दृष्टिकोण न अपनाया जाए। यदि नारी के विरूद्ध भेदभाव न हो तो प्रत्येक आयु वर्ग में उसकी मृत्यु दर पुरुषों से कम रहती है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि प्रायः कन्या भ्रूण के गर्भपात की संभावना कम होती है। बावजूद इसके विश्व में लड़कियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लड़कों का जन्म होता है।[1]

तालिका सं0 1.1 व 1.2 में जनसंख्या की प्रवृत्ति दर्शायी गयी है। तालिका से स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर कम ही होता गया है।

तालिका 1.1

कुल जनसंख्या, लिंगानुपात तथा दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1901 से 2001 तक

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाख में)	पुरुष जनसंख्या (लाख में)	महिला जनसंख्या (लाख में)	कुल जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	
					पुरुष	महिला
1901	2384.0	1207.9	1173.6	49.23	—	—
1911	2520.9	1283.8	1237.1	49.07	5.75	5.41
1921	2513.2	1285.5	1227.7	48.85	0.31	0.76
1931	2789.8	1429.3	1357.9	48.67	11.00	10.68
1941	3186.6	1636.8	1546.9	48.54	14.22	13.92
1951	3610.9	1855.3	1755.6	48.61	13.31	13.49
1961	4392.3	2262.9	2129.4	48.48	21.51	21.29
1971	5481.6	2840.5	2641.8	48.18	24.80	24.03
1981	6851.8	3544.0	3307.8	48.27	24.66	25.24
1991	8439.3	4376.0	4063.3	48.14	23.50	22.84
2001	1028.7	5322.2	4965.1	48.27	21.62	22.19

स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल, इण्डिया

1. सेन, अमर्त्य : भारतीय अर्थतंत्र इतिहास और संस्कृति, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006, पृ0 206

ग्राफ सं0–1

महिला तथा पुरूषों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर

तालिका 1.2

विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991 में जनसंख्या (लाख में)			2001 में जनसंख्या (लाख में)		
	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
जम्मू कश्मीर#	—	—	—	101.4	53.6	47.8
हिमांचल प्रदेश	51.1	25.6	25.5	60.8	30.9	29.9
पंजाब	201.9	106.9	94.9	243.6	129.9	113.7
चण्डीगढ़*	6.4	3.5	2.8	9.0	5.1	3.9
उत्तरांचल##	—	—	—	84.9	43.3	41.6
हरियाणा	163.1	87.0	76.1	211.4	113.6	97.8
दिल्ली*	93.7	51.2	42.4	138.5	76.1	62.4
राजस्थान	438.8	229.3	209.4	565.0	294.2	270.9
उत्तर प्रदेश	1387.6	737.4	650.1	1661.9	875.6	786.3
बिहार	863.3	451.4	411.9	829.9	432.4	397.5
सिक्किम	4.0	2.1	1.8	5.4	2.9	2.5
अरूणाचल प्रदेश	8.5	4.6	3.9	10.9	5.8	5.2
नागालैण्ड	12.1	6.4	5.7	19.9	10.5	9.4
मणिपुर	18.2	9.3	8.9	23.9	12.1	11.8
मिजोरम	6.8	3.5	3.2	8.9	4.6	4.3
त्रिपुरा	27.4	14.1	13.3	31.9	16.4	15.6
मेघालय	17.6	9.0	8.5	23.2	11.8	11.4
असम	222.9	115.7	107.1	266.6	137.8	128.8
पश्चिम बंगाल	679.8	354.6	325.2	801.8	414.7	387.1
झारखण्ड##	—	—	—	269.5	138.9	130.6

राज्य/केन्द्र शासित	1991 में जनसंख्या (लाख में)			2001 में जनसंख्या (लाख में)		
	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
उड़ीसा	315.1	159.7	155.3	368.0	186.6	181.4
छत्तीसगढ़##	—	—	—	208.3	104.7	103.6
मध्य प्रदेश	661.3	342.3	319.0	603.5	314.4	289.0
गुजरात	411.7	212.7	199.0	506.7	263.9	242.9
दमन एवं द्वीप*	1.0	0.5	0.4	1.6	0.9	0.6
दादरा एवं नागर हवेली	1.3	0.7	0.6	2.2	1.2	0.9
महाराष्ट्र	787.0	406.5	380.5	968.8	504.0	464.8
आन्ध्र प्रदेश	663.0	336.2	326.8	762.1	385.3	376.8
कर्नाटक	448.1	228.6	219.5	528.5	268.9	259.5
गोआ	11.6	5.9	5.7	13.5	6.9	6.6
लक्षद्वीप*	0.5	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3
केरल	290.1	142.1	147.9	318.4	154.7	163.7
तमिलनाडु	556.3	282.1	274.2	624.0	314.0	310.0
पांडिचेरी*	7.8	3.9	3.9	9.7	4.9	4.9
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह*	2.7	1.5	1.2	3.6	1.9	1.6
भारत	8439.3	4375.9	4063.3	10287.4	5322.2	4965.1

स्रोत : सेन्सस ऑफ इण्डिया, 1991, 2001

*केन्द्रशासित प्रदेश

1991 की जनगणना में जम्मू–कश्मीर को शामिल नहीं किया गया।

1991 में इन राज्यों का गठन नहीं हुआ था।

आधुनिक भारत में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है जिसका परिणाम है– गिरता हुआ लिंगानुपात। यह प्रवृत्ति प्राचीन समय से ही चली आ रही है परन्तु सभ्यता के विकास में इसे और अधिक भयानक बना दिया है। अत्याधुनिक मशीनों तथा तकनीकी ने इस हिंसा को और अधिक पाशविक रूप प्रदान कर दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या में दिन व दिन वृद्धि होती जा रही है। तालिका सं0 1.3 से विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात की प्रवृत्ति स्पष्ट है।

तालिका 1.3

भारत के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001
जम्मू कश्मीर	882	876	870	865	869	873	878	878	892	896	900
हिमांचल प्रदेश	884	889	890	897	890	912	938	958	973	976	970
पंजाब	832	780	799	815	836	844	854	865	879	882	874
चण्डीगढ़*	771	720	743	751	763	781	652	749	769	790	773
उत्तरांचल	918	907	916	913	907	940	947	940	936	936	964
हरियाणा	867	835	844	844	869	871	868	867	870	865	861
दिल्ली*	862	793	733	722	715	768	785	801	808	827	821
राजस्थान	905	908	896	907	906	921	908	911	919	910	922
उत्तर प्रदेश	938	916	908	903	907	998	907	876	882	876	898
बिहार	1061	1051	1020	995	1002	1000	1005	957	948	907	921
सिक्किम	916	951	970	967	920	907	904	863	835	878	875
अरूणाचल प्रदेश	NA	NA	NA	NA	NA	NA	894	861	862	859	901
नागालैण्ड	973	993	992	997	1021	999	933	871	863	886	909
मणिपुर	1037	1029	1041	1065	1055	1036	1015	980	971	958	978
मिजोरम	1113	1120	1109	1102	1069	1041	1009	946	919	921	938

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001
त्रिपुरा	874	885	885	885	886	904	932	943	946	945	950
मेघालय	1036	1013	1000	971	966	949	937	942	954	955	975
असम	919	915	896	874	875	868	869	896	910	923	932
पश्चिम बंगाल	945	925	905	890	852	865	878	891	911	917	934
झारखण्ड	1032	1021	1002	989	978	961	960	945	940	922	941
उड़ीसा	1037	1056	1086	1067	1053	1022	1001	988	981	971	972
छत्तीसगढ़	1046	1039	1041	1043	1032	1024	1008	998	996	985	990
मध्य प्रदेश	972	967	949	947	946	945	932	920	921	912	920
गुजरात	954	946	944	945	941	952	940	934	942	934	921
दमन एवं द्वीप*	955	1040	1143	1088	1080	1125	1169	1099	1062	969	709
दादरा एवं नागर हवेली	960	967	940	911	925	946	963	1007	947	952	811
महाराष्ट्र	978	966	950	947	949	941	936	930	937	934	922
आन्ध्र प्रदेश	985	992	993	987	980	986	981	977	975	972	978
कर्नाटक	983	981	969	965	960	966	959	957	963	960	964
गोआ	1091	1108	1120	1088	1084	1128	1066	981	975	967	960
लक्षद्वीप*	1063	987	1027	994	1018	1043	1020	978	975	943	947
केरल	1004	1008	1011	1022	1027	1028	1022	1016	1032	1036	1058
तमिलनाडु	1044	1042	1029	1027	1012	1007	992	978	977	974	986
पांडिचेरी*	NA	1058	1053	NA	NA	1030	1013	989	985	979	1001
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह*	318	352	303	495	574	625	617	644	760	818	846
भारत	972	964	955	950	945	946	941	930	934	927	933

स्रोत : सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2001

* केन्द्रशासित प्रदेश

<u>ग्राफ सं0–2</u>

विभिन्न वर्षों में भारत में लिंगानुपात

महिला साक्षरता -

"स्त्रियों को सदैव असहायता और दूसरों पर दासत्व निर्भरता की शिक्षा दी गयी है।" यह शिक्षा देकर ही पुरुष युगों से स्त्री पर शासन करता आ रहा है। "शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थायें केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं और समस्त महिला जगत को अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया है।"[1] स्वतंत्रता से पूर्व से ही स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सन् 1882 के 'हंटर कमीशन' ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की अत्यन्त दयनीय दशा से द्रवित होकर यह सिफारिश की– "स्त्री शिक्षा अभी भी अत्यधिक पिछड़ी हुयी दशा में है, अतः प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है।"[2]

'हंटर कमीशन' की सिफारिश के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुयी, जिसकी स्वतंत्रता के पश्चात् संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं अधिनियमों द्वारा ठोस दीवार तैयार की गयी। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों ने प्राकृतिक असमानता के अतिरिक्त प्रायः समस्त असमानताओं का अंत कर दिया है। उन्हें पुरुषों के साथ स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, सम्पत्ति, धर्म एवं शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किये गये। भारतीय संविधान ने स्त्री को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया कि "राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"[3]

उपर्युक्त सभी तथ्यों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में नारी जाति ने करवट बदली तथा अपने वास्तविक महत्व को पहचानकर अपनी गिरी दशा के प्रति सचेत हुई

---

1. Adam, William - A.N. Basu, Adam's Report, P.452
2. Hunter Commission Report.
3. Article 15 of the Constitution of free India.

है। महिला साक्षरता में वृद्धि तो हो रही है परन्तु वह अभी भी संतोषजनक नहीं है। तालिका 1.4 तथा 1.5 से भारत में महिला साक्षरता की प्रगति को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

तालिका 1.4

1901-2001 के बीच पुरूष एवं महिला साक्षरता की प्रगति (प्रतिशत में)

वर्ष	पुरुष	महिला
1901	9.83	0.60
1911	19.56	1.05
1921	12.21	1.81
1931	15.59	2.93
1941	24.90	7.30
1951	27.16	8.86
1961	40.40	15.35
1971	45.96	21.97
1981	56.38	29.76
1991	64.13	39.29
2001	75.86	54.16

स्रोत : सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001, सिरीज–1, पेपर–1

स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 के आंकड़े को ही पार कर पाये हैं। इसका प्रमुख कारण है कि गरीब परिवार लड़कियों की शिक्षा पर पैसा खर्च करना उचित नहीं समझते, इसलिए महज साक्षरता की बात गरीब तबके की स्त्रियों को आकर्षित नहीं कर पायेगी। उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम रोजगारोन्मुखी होना चाहिए जो उन्हें आर्थिक लाभ के

<u>ग्राफ सं0-3</u>

पुरुष एवं महिला साक्षरता की प्रगति

तालिका 1.5

देश के विभिन्न राज्यों की साक्षरता का प्रतिशत

	1971			1981			1991			2001		
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
केरल	60.42	66.62	54.31	70.42	75.26	65.73	90.59	94.45	86.93	90.92	94.20	87.86
मिजोरम	53.79	60.49	46.71	59.88	64.46	54.90	81.23	84.06	78.09	88.49	90.69	86.13
लक्षद्वीप	43.66	56.48	30.56	55.07	65.59	44.60	79.23	87.06	70.88	87.52	93.15	81.56
गोवा	44.75	54.31	35.09	56.66	65.59	47.50	76.96	85.48	68.20	82.32	88.88	75.51
दमन व द्वीप#	-	-	-	-	-	-	73.58	85.67	61.38	81.09	88.40	70.37
दिल्ली	56.65	63.71	47.75	61.54	68.40	53.00	76.09	82.63	68.01	81.82	87.37	75.00
चण्डीगढ़	61.56	66.97	54.35	64.79	69.00	59.30	78.73	82.67	73.61	81.76	85.65	76.65
पांडिचेरी	46.02	57.29	34.62	55.85	65.84	45.70	74.91	83.91	65.79	81.49	88.89	74.13
अंडमान, निकोबार द्वीप	43.59	51.44	31.13	51.56	58.72	42.10	73.74	79.68	66.22	81.18	86.07	75.29
महाराष्ट्र	39.18	51.04	26.43	47.18	58.79	34.79	63.05	74.84	50.51	77.27	86.27	67.51
हिमांचल प्रदेश	31.96	43.19	20.23	42.48	53.18	31.46	63.54	74.57	52.46	77.13	86.02	68.08

	1971			1981			1991			2001		
राज्य	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
त्रिपुरा	30.98	40.20	21.19	42.12	51.70	32.00	60.39	70.08	50.01	73.66	81.47	65.41
तमिलनाडु	39.46	51.78	26.86	46.76	58.26	34.90	63.72	74.88	52.29	73.47	82.33	64.55
उत्तरांचल*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.28	84.01	60.26
गुजरात	35.79	46.11	24.75	43.70	54.44	32.30	60.91	72.54	48.50	69.97	80.50	58.60
पंजाब	33.67	40.38	25.90	40.86	47.16	33.60	57.14	63.68	49.72	69.95	75.63	63.55
सिक्किम	17.74	25.37	8.90	34.05	43.95	22.20	56.53	64.34	47.23	69.68	76.73	61.46
पश्चिम बंगाल	33.20	42.81	22.42	40.94	50.67	30.25	56.53	67.24	47.15	69.22	77.58	60.22
मणिपुर	32.91	46.04	19.53	41.35	53.28	29.06	60.96	72.98	48.64	68.87	77.87	59.70
हरियाणा	26.89	37.29	14.89	36.14	48.20	22.27	55.33	67.85	40.94	68.59	79.25	56.31
नागालैण्ड	27.40	35.02	18.65	42.57	50.06	33.80	61.30	66.09	55.72	67.11	71.77	61.92
कर्नाटक	31.53	41.62	20.97	38.46	48.81	27.71	55.98	67.25	44.34	67.04	76.29	57.45
छत्तीसगढ़*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.18	77.86	52.41
असम	28.15	36.68	18.83	-	-	-	53.42	62.34	43.70	64.28	71.93	56.03

	1971			1981			1991			2001		
राज्य	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**
मध्य प्रदेश	22.14	32.70	10.92	27.87	39.49	15.53	43.45	57.43	28.39	64.11	76.80	50.28
उड़ीसा	26.18	38.29	13.29	34.23	47.10	21.10	48.55	62.37	34.40	63.61	75.95	50.97
मेघालय	29.49	34.12	24.56	34.08	37.89	30.00	48.26	51.57	44.78	63.31	66.14	60.41
आन्ध्र प्रदेश	24.57	33.18	15.75	29.94	39.26	20.39	45.11	56.24	33.71	61.11	70.85	51.17
राजस्थान	19.07	28.74	8.46	24.38	36.30	11.40	38.81	55.07	20.84	61.03	76.46	44.34
दादर व नागर हवेली	14.97	22.15	7.84	26.67	36.32	16.70	39.45	52.07	26.10	60.03	73.32	42.99
उत्तर प्रदेश	21.70	31.50	10.55	27.16	38.06	14.04	41.71	55.35	26.02	53.36	70.23	42.98
अरूणाचल प्रदेश	11.29	17.82	3.71	20.79	28.94	11.30	41.22	51.10	29.37	54.74	64.02	44.24
जम्मू–कश्मीर	18.58	26.75	9.28	26.67	36.29	15.88	-	-	-	54.46	65.75	41.82
झारखण्ड*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.13	67.94	39.38
बिहार	19.94	30.64	8.72	26.20	38.11	13.62	38.54	52.63	23.10	47.53	60.32	33.57

स्रोत : सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2001

#1971, 1981 के दमन द्वीप के आंकड़ें गोवा के आंकड़ों में सम्मिलित हैं।

*नवगठित राज्य

साधन उपलब्ध कराये और उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ाये। यदि सभी स्त्रियां साक्षर हो जाये, तो वे देश को संभ्रान्त एवं कुशल नागरिक दे सकेगी। डॉ0 मार्शल के शब्दों में– ''कोई भी शिशु जो अंधेरे मकान में पैदा हुआ हो, अशिक्षित माँ द्वारा जिसका पालन–पोषण किया गया हो, जो बाहरी लाभकारी प्रभावों के अभाव में पैदा हुआ हो, कभी भी अच्छा श्रमिक और सम्मानित नागरिक नहीं बन सकता।''[1]

तालिका 1.5 से स्पष्ट है कि भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल राज्य (87.86%) में है तथा सर्वाधिक कम महिला साक्षरता (33.57%) बिहार राज्य में है। जबकि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत 42.98 है यानि 50 प्रतिशत महिलायें भी शिक्षित नहीं है।

स्त्री जाति सम्पूर्ण समाज की आधारशिला होती है। अतः स्त्री शिक्षा का विकास करते हुए उसके लिये उपयोगी सुविधायें जुटाने का प्रयास करना उत्तम होगा। तभी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और शैक्षिणिक उन्नति हो सकती है।

महिलाओं की कार्य सहभागिता -

सभ्यता के विकास के साथ–साथ मनुष्य की आवश्यकताओं तथा सुख सुविधाओं में परिवर्तन हुआ है। अतः वर्तमान में स्त्री ने पुरुष की सहचारिणी बनना स्वीकार कर अपने आर्थिक और सामाजिक संसार को सम्पन्न करने के लिए प्रवेश किया। औद्योगीकरण के कारण उनके सामाजिक नैतिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ–साथ, परम्परागत धारणा में भी अन्तर आया है।

आधुनिक संदर्भो में औद्योगीकरण तथा वैश्वीकरण एक ऐसा तथ्य है जिससे विशेषकर सामाजिक ढाँचे में आमूल परिवर्तन आ गया है। इस परिवर्तन के साथ–साथ श्रम शक्ति के स्वरूप तथा दृष्टिकोण में भी पहले की तुलना में परिवर्तन आता गया।

1. Marshall, Alfred : Principal of Economics, P.550

इसके अतिरिक्त जनसंख्या में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भौतिक साधनों के प्रयोग एवं जीवन स्तर उच्च रखने के क्षेत्र में भी सामाजिक प्रतिद्वंद्विता में भी वृद्धि हुई। इसका दबाव उपभोक्ता की वस्तुओं पर पड़ा और कीमतों में क्रमशः वृद्धि हुयी। व्यय प्रति व्यक्ति और कीमतों की इस वृद्धि के असमायोजन का सामना प्रमुख रूप से स्त्रियों को करना पड़ता है। क्योंकि पिता व पति द्वारा प्राप्त आय से पारिवारिक अर्थव्यवस्था का संचालन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस आर्थिक असमायोजन के निराकरण हेतु प्रयास ने ही महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं।

अतः आर्थिक कारणों के व्यापक प्रसार के कारण स्त्रियों को रोजगार हेतु आगे आना पड़ा। महिला रोजगार का प्रभाव परिवार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पड़ता है। समानता के युग में स्त्री की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समान वैधानिक समानता की प्राप्ति हुयी है तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर साधन उपलब्ध हुए हैं। भले ही समाज में निम्न वर्गीय जातियों की स्त्रियों ने पहले श्रम के कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया। परन्तु अब मध्यम व उच्च वर्ग की स्त्रियाँ भी विभिन्न प्रकार के कार्यों की ओर उन्मुख हो रही हैं।

भारत में मध्यम वर्गीय महिलाओं के रोजगारोन्मुखी होने में कई कारकों का योगदान है। नीरू देसाई का यह कथन पूरी तरह से सटीक है–

"The real advance which has been made during this period is actually in the revoluation that has brought about in the outlook with regard to the conception of the status of woman and her role in society. Now women is no longer looked upon as a child bearing machine and a helot in the home. She has acquired a new status and a new social stature."[1]

---

1. Desai, Neeru; Women in Modern India, Bombay, Vora and Co., Publishers Private Ltd., 1957, P.253

महिलायें स्वयं भी यह महसूस करने लगी हैं कि उनका जीवन बड़ी जिम्मेदारियों तथा उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हैं। पुरुषों के साथ महिलायें भी यह महसूस करने लगी हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मात्र प्यार करना, पतिव्रता होना, बच्चे पैदा करना तथा घरेलू कार्य ही मात्र नहीं है। वे महसूस करने लगी हैं कि महिलाओं के जीवन के इससे अधिक गम्भीर तथा ऊँचे लक्ष्य होते हैं।[1]

तालिका 1.6

पुरुषों एवं महिलाओं का कृषि में योगदान

कार्यभार	*पुरुष*	*महिला*
खिलाना–पिलाना	5%	95%
जुताई	95%	5%
पशुपालन	50%	50%
ईंधन पानी	10%	90%
उत्पादन प्रसंस्करण	10%	90%
भण्डारण	20%	80%
ढुलाई	20%	80%
कटाई	40%	60%
निराई–गुड़ाई	30%	70%
रोपाई	50%	50%
बाजार	70%	30%
खेतों की सफाई व समतलीकरण आदि	95%	5%
कुल कार्यभार	40%	60%

स्रोत : प्रथम वर्ष की यात्रा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, काकोरी, लखनऊ

1. Desai, Neeru; Women in Modern India, Bombay, Vara and Co., Publishers Private Ltd., 1957, P.255 (quoted from Stree Bodha and Social Progress in India)

ग्राफ सं0–4

पुरूष एवं महिलाओं का कृषि में योगदान

तालिका 1.7

भारत में कृषि कार्य में दैनिक मजदूरी दर (2002-03)

S.No.	Occupation	In Rupees	
		Men	Women
1.	Ploughing	71.53	40.46
2.	Sowing	62.62	44.20
3.	Weeding	53.90	44.90
4.	Transplanting	57.33	48.24
5.	Harvesting	58.03	47.86
6.	Winnowing	52.88	44.11
7.	Threshing	57.22	46.84
8.	Picking*	54.76	43.63
9.	Herdsman	40.36	31.60
10.	Well-digging	83.38	43.74
11.	Cane crusting	57.83	42.95

* Picking includes picking of Cotton, Jute, Tea etc.

Source : Satatistical Profile on Women Labour 2004.

परन्तु कार्यशील महिला के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने परिवार एवं कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाने में आती है। भारतीय पुरुष भले ही कार्यशील महिलाओं को स्वीकारने लगे हैं क्योंकि वे आय के अर्जन में सहायक होती है परन्तु वे अभी उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को बाँटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में महिलायें दो पाटों के मध्य चक्की में पिस रही है फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ वे आगे निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा परिवार एवं कार्यक्षेत्र के मध्य भी सामंजस्य बनाये हुए हैं।

"They have willingly accepted there two responsibilities as workers and mothers; their problem is how to harmonize the two."[1]

महिलायें इस सामंजस्य के साथ निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है। ये महिलायें संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कर पुरुष वर्चस्व को चुनौती दे रही है। तालिका 1.5 से स्पष्ट है कि कृषि कार्य तथा उससे सम्बन्धित कार्यों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का योगदान है परन्तु शोषण यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तालिका 1.6 से स्पष्ट है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होती है क्योंकि भारतीय स्त्रियों को रोजगार के अवसर तो दिये गये, लेकिन इसे व्यक्तित्व के विकास को जोड़कर नहीं बल्कि मजबूरी से जोड़कर देखा गया। यही कारण है कि उन्हें अभी भी समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है।

"सदियां बीत जाने के बाद कुछ ऐसे विचार हुए जिन्होंने पुरुषों और स्त्रियों दोनों की दासता के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगाने आरम्भ कर दिये। धीरे–धीरे दास प्रथा लगभग खत्म हो गयी और स्त्रियों की गुलामी समय के साथ–साथ एक प्रकार की निर्भरता में तब्दील हो गयी। लेकिन यह निर्भरता दासता की ही निरंतरता है जिस पर कुछ सुधारों और परिवर्तनों का मुलम्मा भर चढ़ा दिया गया है। जिस निर्दयता पर यह अधीनता आधारित थी उसके चिन्ह अभी भी मौजूद है। अतः यह स्पष्ट है कि स्त्री व पुरुष के बीच अधिकारों की असमानता का स्रोत मात्र ताकत का नियम है, जिसमें ताकतवर ही सब कुछ हथिया लेता है।"[2]

भारत में महिलायें परम्परागत रूप से आर्थिक उत्पादक रही है और इस प्रचलित धारणा कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कम है, के विपरीत खेतों,

---

1. Myrdal, Alva & Klein, Viola, "Women's two Roles Home and Works, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 1956, P.117
2. मिल जेम्स स्टुअर्ट : सब्जेक्शन ऑफ बूमैन, उम्मीद 2004, समता, ज्ञान विज्ञान प्रसार समिति, उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित

घरेलू उद्योगों और फैक्ट्रियों में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है फिर भी उनका योगदान गणनाकारों, नीति निर्माताओं और विद्वानों के लिए भी अदृश्य रहा है। अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के बावजूद भी उनकी पहचान एक 'जेण्डर' के रूप में होती है। श्रम बाजार में भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। वहाँ भी उसकी प्रमुख पहचान एक आश्रित पुत्री, पत्नी या माँ के रूप में होती है। उसकी आय को सदैव ही पूरक आय माना जाता है, यह सोच महिलाओं की स्थिति और निम्न बनाती है।

1999 में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में रोजगार अवसरों पर कार्य बल गठित किया गया। जिसने अपनी रिपोर्ट 2001 में प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य वर्तमान में देश में रोजगार और बेरोजगारी की नीति का परीक्षण करना और अगले दस वर्षों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने की रणनीति के बारे में सुझाव देना था। इस कार्यबल ने रोजगार की वर्तमान स्थिति और रोजगार सृजन आंकड़ें एवं नीतियां प्रस्तुत की परन्तु इसमें लिंग आधारित विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया गया। इससे नीति निर्माताओं की मानसिकता के बारे में तो पता चलता है कि श्रम बाजार में वे महिलाओं को प्रमुखता नहीं देते।

जहाँ तक रोजगार और महिलाओं का प्रश्न है कार्यबल ने स्वरोजगार की अनुशंसा की है क्योंकि यह विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है। अब हम 'अत्यधिक उपयुक्त' प्रकार की वास्तविकता पर नजर डालते है। NSSO का 55वाँ दौर इस कार्य के बारे में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना देता है। सर्वेक्षण के अनुसार 1999–2000 में कुछ कार्यबल (कृषि और गैर कृषि) का लगभग 53 प्रतिशत स्वरोजगार में लगा था। गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार में लगे थे। इनमें से 53 प्रतिशत महिलायें और लगभग 43 प्रतिशत पुरुष थे। जिन क्रियाकलापों में, ये श्रमिक लगे थे, वे स्थायी आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है और ये

तालिका 1.8

भारत के विभिन्न राज्यों में महिला श्रमिक

क्रम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल श्रमिक			मुख्य श्रमिक			सीमान्त श्रमिक		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
01.	भारत	402234724	275014476	127220248	313004983	240147813	72857170	89229741	34866663	54363078
02.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	136254	109162	27092	113607	97349	16258	22647	11813	10834
03.	आन्ध्र प्रदेश	34893859	21662192	13231667	29040873	19455492	9585381	5852986	2206700	3646286
04.	अरूणाचल प्रदेश	482902	293612	189290	415007	267384	147623	67895	26228	41667
05.	असम	9538591	6870960	2667631	7114097	5849032	1265065	2424494	1021928	1402566
06.	बिहार	27974606	20483003	7491603	21052875	17511018	3541857	6921731	2971985	3949746
07.	चण्डीगढ़	340422	284419	56003	328989	277050	51939	11433	7369	4064
08.	छत्तीसगढ़	9679871	5531859	4148012	7054595	4742935	2311660	2625276	788924	1836352
09.	दादर नागर हवेली	144122	75835	38287	96184	71156	25028	17938	4679	13259
10.	दमन द्वीप	72791	60569	12222	67522	58874	8648	5269	1695	3574
11.	दिल्ली	4545234	3960101	585133	4317516	3794345	523171	227718	165756	61962

क्रम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल श्रमिक			मुख्य श्रमिक			सीमान्त श्रमिक		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
12.	गोवा	522855	375218	147637	425305	326993	98312	97550	48225	49325
13.	गुजरात	21255521	14477286	6778235	17025074	13480566	3544508	7230447	996720	3233727
14.	हरियाणा	8377466	5715526	2661940	6241334	4933004	1308320	2136142	782522	1353620
15.	हिमांचल प्रदेश	2992461	1686658	1305803	1963882	1333361	630521	1028579	353297	675282
16.	जम्मू कश्मीर	3753815	2679941	1073847	2608668	2226958	381710	1145147	452983	692164
17.	झारखण्ड	10109030	6659856	3449174	6446782	5134067	1312715	3662248	1525789	2136459
18.	कर्नाटक	23534791	15235355	8299436	19364759	13896845	5467914	4170032	1338510	2831522
19.	केरल	10283887	7765645	2518242	8236973	6460693	1776280	2046914	1304952	741962
20.	लक्षद्वीप	15354	13204	2150	11710	10288	1422	3644	2916	728
21.	मध्य प्रदेश	25793519	16194368	9599151	19102572	14056279	5046293	6690947	2138089	4552858
22.	महाराष्ट्र	41173351	26852095	14321256	34748053	24416295	10331758	6425298	2435800	3989498
23.	मणिपुर	945213	527216	417997	659364	430227	229137	285849	96989	188860
24.	मेघालय	970146	568491	401655	757011	485694	271317	213135	82797	130338

क्रम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल श्रमिक			मुख्य श्रमिक			सीमान्त श्रमिक		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
25.	मिजोरम	467159	263008	204151	362450	225428	137022	104709	37580	67129
26.	नागालैण्ड	847796	488968	358828	703977	424811	279166	143819	64157	79662
27.	उड़ीसा	14276488	9802006	4474482	9589269	8004740	1584529	4687219	1797266	2889953
28.	पाण्डिचेरी	342655	258670	83985	317367	245205	72162	25288	13465	11823
29.	पंजाब	9127474	6960213	2167261	7835732	6426028	1409704	1291742	534185	757557
30.	राजस्थान	23766655	14695802	9070853	17436888	12841318	4595570	6329767	1854484	4475283
31.	सिक्किम	263043	165716	97327	212904	146541	66363	50139	19175	30964
32.	तमिलनाडु	27878282	18100397	9777885	23757783	16303310	7454473	4120499	1797087	2323412
33.	त्रिपुरा	1159561	831346	328215	912292	742054	170238	247269	89292	157977
34.	उत्तर प्रदेश	53983824	40981558	13002266	39337649	34338260	4999389	14646175	6643298	8002877
35.	उत्तरांचल	3134036	1996177	1137859	2322347	1639242	683105	811689	356935	454754
36.	पश्चिम बंगाल	29481690	22388044	7093646	23023583	19494971	3528612	6458107	2893073	3565034

स्रोत– सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001

<u>ग्राफ सं0–5</u>

भारत में मुख्य तथा सीमान्त श्रमिक

नियमित करार और सामाजिक सुरक्षा लाभ रहित है। गैर कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार में से लगे श्रमिकों में से लगभग 36 प्रतिशत गृह–आधारित है जिनमें से 25 प्रतिशत पुरुष और 67 प्रतिशत महिलायें है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अधिकतर महिलायें गैर कृषि क्षेत्र और स्वरोजगार में लगी हुयी है। उनके घर पर कार्य करने और अंश दर आधार पर उप–करार कार्य में रहने की संभावना अधिक है। उनके कार्य की अवस्थिति और उनके करार की प्रकृति, दोनों ही इन महिलाओं को शोषण के लिए अकेला छोड़ देते हैं। स्वरोजगार एवं घर पर कार्य करने की अनुशंसा इस आधार पर की जाती है क्योंकि ये कार्य प्रजनन उत्तरदायित्व के लिए एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व को देखते हुए उपयुक्त है। इन कार्यों में उन्हें निर्धारित समय ही देना पड़ता है तथा उनकी आमदनी अनुपूरक आय भी अर्जित करती है। अतः कार्यबल ने महिलाओं के लिए रोजगार को अधिक उपयुक्त मानते हुए, उसी परम्परागत विचार को अधिक मजबूती प्रदान की है कि "महिलायें गौण उपार्जक हैं"।

भारत को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। इस अर्द्ध शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन हुए है। भारतीय स्त्रियां भी इन परिवर्तनों से अछूती नहीं रही हैं। आधुनिक युग की स्त्रियों में 50 वर्ष पूर्व की स्त्रियों की अपेक्षा सोचने–विचारने के ढंग, आकांक्षाओं एवं कार्यक्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। वह स्त्री जो कभी पर्दे में बंद हो चुकी थी, आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत है।

महिलाओं की इतनी प्रगति के बाद भी भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपनी विकास की आकांक्षाओं का साकार रूप नहीं मिल सका है। वह आगे बढ़ना चाहती है परन्तु सामाजिक बंधनों की बेड़ियाँ उन्हें जकड़ लेती हैं। फलस्वरूप उनकी आकांक्षाओं का गला घुट जाता है। भारत में अभी भी महिलाओं की

कुशलता एवं क्षमता को उस स्तर की मान्यता प्राप्त नहीं हो पायी है जैसी प्राप्त होनी चाहिए थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के पुरुष समाज में आज भी वही पुरानी मान्यतायें व्याप्त है जिसमें घर गृहस्थी और विवाह ही एक लड़की के प्रमुख धर्म और कर्म माने जाते हैं।

प्रगति और विकास के पहियों पर लदें कम्प्यूटरी रथ को 21वीं सदी में ले जाने का ढिढोंरा हम भले ही कितने जोरों से पीटते रहे, वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। स्त्री के मामले में हमारी जो धारणायें मध्ययुग में बनी थी, वे आज भी बरकरार है।

विश्व में समानता का तराजू एकदम असंतुलित है। महिलाओं का पलड़ा जिम्मेदारियों के बोझ से झुका जा रहा है जबकि पुरुषों का पलड़ा शक्ति के कारण ऊपर उठा हुआ है और स्थिति यह है कि "विश्व की सम्पदा पुरुषों के पास है और जबकि अधिकांश कार्य स्त्रियों के पास है।"

दुनियां तो एक ही है– कोई उसे आधी दुनिया कहता है, कोई पिछड़ी दुनिया कहता है, स्त्री उसे अपनी दुनिया कहती है। इस दुनिया में सब कुछ है– उसका घर–परिवार, नाते–रिश्तेदार, समाज–संसार, विकास, आगे बढ़ती दुनिया, लेकिन वह खुद कहा है– एक व्यक्ति के रूप में? सृजनशील, विकासवान, व्यक्तित्व के रूप में? एक महत्वाकांक्षी महिला के रूप में? यह खोज उसके लिए सबसे जरूरी है क्योंकि एक आत्मनिर्भर व स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में ये उसके व्यक्तित्व से जुड़े सवाल है।

सवाल बहुत नाजुक है, क्योंकि महिलाओं का आर्थिक दुनिया में अभी बहुत कुछ नया दाखिला है। उसने बहुत सारे नये क्षेत्रों में कदम बढ़ाया है, उसकी हैसियत में बढ़ोत्तरी हुई है उसकी इस बढ़ती हुई हैसियत पर भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पुरुषों का पहरा अभी भी है। यह पहरा क्यों है? कैसे पाना है, और कितना पाना है, क्या दूसरे लोग तय करके उसे बतायेंगे?

कितनी बदली है उसकी दुनिया शायद बहुत ज्यादा, शायद बहुत कम। दरअसल दो पहलू है उसके इस बदलाव के, एक बाहरी, जिसमें उसका रहन–सहन, तौर–तरीके, शिक्षा और काम के अवसर, विवाह और घर–परिवार, समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण शामिल है। यह उसकी दुनिया की बाहरी पर्त है जिसमें आये हुए बदलाव सबको दिखाई पड़ते है।

लेकिन उसकी दुनिया की एक दूसरी पर्त भी है जो अधिक महत्वपूर्ण है– यानी जेहानी या दिमागी पर्त जो उसकी मानसिकता से गहराई तक जुड़ चुकी है, जहाँ वह स्वयं को स्वयं से गढ़ती है क्या महसूस करती है वह अपने बारे में? कितनी सजग सतर्क है वह अपनी अस्मिता, पृथक अस्तित्व और आत्म–सम्मान की रक्षा के लिए? कितने समझौते कर लेती है वह परिवार के लिए? वर्षों से दया, क्षमा, करुणा, त्याग और आत्म समर्पण के जो गुण स्त्रियों की झोली में डाल दिये गये है क्या सोचती है वह उनके बारे में। कितनी ललक और साहस है उसमें अपनी जिन्दगी अपनी शर्तो पर जीने की। क्या इन मामलों में किसी का नजरिया बदला है। आजादी के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि जो स्त्रियाँ राष्ट्रीय आवाहन पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले रही थी, वे स्त्री स्वतंत्रता को एक नया अर्थ दे पायेंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। आजाद हिन्दुस्तान में योजनायें बननी शुरू हुयी। कृषि विकास तथा औद्योगिक क्रान्ति पर तो बल दिया गया, पर महिलाओं के विकास को भुला दिया गया। और आज के बढ़ते बाजारवाद ने तो महिलाओं का शोषण और अधिक बढ़ा दिया है, यह शोषण परिवार के साथ–साथ बाजार में भी होता है। आज इसे प्रदर्शन की वस्तु बना दिया गया है। महिलाओं की वर्तमान तस्वीर बहुत सुनहरी लगती है। जरा इस सुनहरी तस्वीर को खुरच कर देखें कि इसके अन्दर के रंग कितने वदरंग है। इस सम्बन्ध में समाजशास्त्री डॉ0 मालविका कार्लेकर ने ठीक लिखा है– ''भारतीय नारी को जिस फ्रेम में जुड़कर पेश किया जाता है, वह उसका अपना फ्रेम नहीं है, उसके निर्माता पुरुष है और स्त्री

की तस्वीर भी उन्होंने खींचकर प्रस्तुत की है, अतः स्त्री वह है जो पुरुषों ने प्रस्तुत किया है।''[1]

सरकार ने महिला विकास के लिए विभिन्न योजनायें और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाये है। परन्तु योजनायें बनाना अलग बात है और उनका सही क्रियान्वयन दूसरी बात है। इन योजनाओं का लाभ तो तभी है जब महिलायें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, उन्हें योजनाओं की जानकारी हो तथा एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके कि वे परिवार तथा समाज के सहयोग से आगे बढ़े।

वास्तव में इन समस्याओं का निदान भी सरकार ही कर सकती है। हर क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। सरकार भले ही नयी–नयी योजनायें बनाती रहे तथा महिला विकास का ढिंढोरा पीटती रहे लेकिन महिलाओं की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं है। तालिका 1.9 में महिला विकास पर होने वाला व्यय प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.9

केन्द्रीय बजट में महिला विकास पर व्यय

(रुपये करोड़ में)

	2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		2005–06
	ब.प्रा.	संशो.प्रा.	ब.प्रा.	संशो.प्रा.	ब.प्रा.	संशो.प्रा.	ब.प्रा.	संशो.प्रा.	ब.प्रा.
महिला विशिष्ट स्कीमें	3259.88	3034.87	3358.21	2852.61	3675.37	2896.83	3555.49	3224.50	5590.23
महिला समर्थक स्कीमों में महिला समर्थक आवंटन	10596.37	11204.45	13036.01	13700.44	13297.40	14956.07	15001.24	16934.88	21334.10

ब0प्र0 = बजट प्राक्कलन संशो0प्रा0 = संशोधित प्राक्कलन

स्रोत – योजना, अक्टूबर 2006, पृ0 26

1. कार्लेकर, डॉ0 मालविका : सामाजिक–आर्थिक आन्दोलन एवं शिक्षित नारी, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 22 फरवरी, 1976

तालिका से यह तो स्पष्ट है कि महिला विकास पर व्यय बढ़ता जा रहा है। परन्तु महिला विकास की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है बल्कि चिन्तन का विषय बनी हुयी है। इसका कारण यह है कि विकास योजनायें बनाते समय यदि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि योजनाओं का पूरा लाभ सभी महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पाता है। विकास का प्रक्रिया में यदि 'जेण्डार की भूमिका' तथा 'जेण्डर की आवश्यकता' को समझ लिया जाय तो यह समस्या भी नहीं रहेगी तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप विकास की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सकेगी। कॉमनवैल्थ ने जेण्डर तथा विकास के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा– ''स्त्री तथा पुरुष दोनों की अपनी–अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व होते हैं, अतः उनकी आवश्यकतायें भी भिन्न–भिन्न होती है .... यदि जेण्डर की भूमिका तथा आवश्यकता को समझ लिया जाए तो योजनायें अधिक प्रभावशाली हो जायेंगी तथा जिसे हम लाभान्वित करना चाहते हैं, उसी की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम तथा परियोजनाओं का खाका तैयार कर सकेंगे।''[1]

मानव विकास रिपोर्ट के रचनाकार डॉ0 महबूब हक का कथन है कि ''यदि विकास में महिलायें शामिल नहीं है तो विकास खतरे में है।'' निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि हम संतुलित एवं तीव्र विकास चाहते हैं तो महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि विकास नीतियां उनकी आवश्यकतायें एवं भूमिका को ध्यान में रखकर बनायी एवं कार्यान्वित की जायें। सरकार या विकास के अग्रदूत कहे जाने वाले लोग मात्र अपने फायदे के लिए 'महिला विकास' तथा 'स्त्री–पुरुष समानता' को मुद्दा न बनाकर यदि वास्तव में प्रयास करें तो स्थितियां अवश्य बदलेंगी और वे इस उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में किसी पिछड़ी हुयी तकनीकि की तरह अपनी–अपनी अस्मिता नहीं तलाशेंगी वरन् वे भी मुकाबले के लिए तैयार होंगी।[2]

---
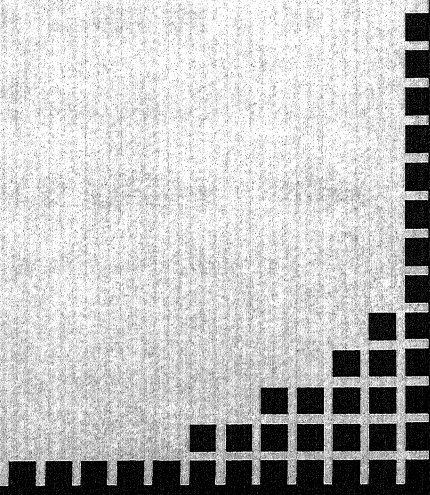
1. Report, Common Wealth Secretarial, 1995.
2. दीक्षित, शिखा : जैण्डर विभेद : महिलायें तथा सामाजिक आर्थिक विकास, शोध सम्प्रेषण, अक्टूबर–दिसम्बर 2006

द्वितीय अध्याय

अनुसंधान पद्धति एवं रूपरेखा

सम्पूर्ण समाज की निर्मात्री होते हुए भी महिलायें स्वयं अपने भाग्य का निर्माण न कर सकी। कैसी विडम्बना है ये? प्रत्येक काल व कार्य में महिलाओं का योगदान रहा है लेकिन उन्हें सदैव पर्दे के पीछे रखा गया। उनके महान योगदान को भी नगण्य बताया गया। प्रसिद्ध समाज सुधारक मेघा पाटकर का कहना है– "हम आधी दुनिया है", महिलायें आधी दुनिया होते हुए भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। यहाँ तक कि भारत जैसे देश में जनसंख्या में भी आधी भागीदारी को छीन लिया गया है। वर्तमान में भारत में 48 प्रतिशत महिलायें हैं जोकि 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का अनुपात है।

प्रायः यह देखा गया है कि अन्य देशों में प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी और कालान्तर में धीरे–धीरे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी परन्तु धीरे–धीरे उनकी स्थिति असंतोषप्रद हो गयी।

किसी भी विकसित समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। आज विश्व की समस्त विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्त्रियों का योगदान है। वे देश आज भी पिछड़े हुए हैं, जहाँ स्त्रियाँ पिछड़ी हुई हैं तथा देश के विकास में उनका योगदान नहीं के बराबर है। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी, यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी तथा इस सभ्यता में स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था।

ऋग्वेद काल में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सामाजिक व धार्मिक

अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद में पुत्र के अभाव में पुत्री को पुत्र के समान समझा जाता था।

Dr. R.C. Majumdar "There is no evidence in the Rigveda of sedusion of women and the ladies trooped to the festal gathering."

इस काल में स्त्रियों का शैक्षिक स्तर भी उच्च था। स्त्रियों को अध्ययन–अध्यापन की सुविधायें प्राप्त थी। परिणामतः स्त्रियाँ विदुषि बनकर अध्यापिकायें, ऋषिकायें भी बनती थी। ऋग्वैदिक युग में पुत्री की शिक्षा का उतना ही महत्व था, जितना पुत्र की शिक्षा का। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला तथा विश्वारा आदि विदुषि स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने ऋषियों की भांति ऋचाओं की रचना की। इस समय स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक आर्यों के बीच नारी की स्थिति इतनी ऊँची थी कि आज 21वीं सदी में संसार का अधिक से अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र भी नहीं कह सकता कि उसने नारी को इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है।

ऋग्वेद काल के बाद स्त्रियों की स्थिति धीरे–धीरे गिरने लगी। पर्दा प्रथा का आरम्भ हो गया था तथा उनके वैधानिक अधिकार सीमित हो गये थे। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख है। इस काल में हम पाते हैं कि स्त्रियों को मान–सम्मान तो प्राप्त था, परन्तु अपेक्षाकृत स्त्रियों की स्थिति में कुछ कमी आ गयी थी।

महाकाव्यों एवं स्मृति काल में स्त्रियों की उपेक्षा होने लगी। मनु ने समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया। मनु का कहना है कि स्त्रियों के विचारों में स्थिरता और दृढ़ता का अभाव होता है।

मौर्य काल में स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य का कहना है कि यदि पति की आज्ञा के विरूद्ध पत्नी गृह त्याग करें तो 12 पण तथा पड़ोसी के घर जाये तो 6 पण का दण्ड देना पड़ेगा।

कौटिल्य के अनुसार विधवाओं को सम्पत्ति की भागीदारी से वंचित रखा गया तथा वैश्यावृत्ति राज्य द्वारा संचालित होती थी और उससे जो आमदनी होती थी वह दुर्ग कहलाती थी।

मध्यकाल के प्रारम्भ तक स्त्रियों की दशा दासी के समान ही हो गयी थी, जिसके जीवन के प्रत्येक भाग पर किसी न किसी पुरुष का अधिकार था। मध्यकाल जोकि स्त्रियों के लिए लौह जंजीरों की दासता के समान था, में भी रजिया सुल्ताना, चांद बीबी तथा अहिल्याबाई जैसी कुछ और अंगुलियों पर गिनी जाने वाली महिलओं ने अपने साहस के बल पर अपने अस्तित्व को बनाये रखने की कोशिश की तथा इन स्त्रियों ने पुरुष प्रधान समाज के सामने घुटने नहीं टेके तथा उन्हें चुनौती दी। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथायें अपनी चरम सीमा पर थी।

डॉ0 आल्तेकर का कहना है, ''नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को सभ्यता का एक मापदण्ड माना जाता है।''

मुगलकाल से ही अंग्रेजों का आगमन प्रारम्भ हो गया था। अंग्रेजों के आगमन से भारतीय समाज में परिवर्तन आया। इस बदलाव से महिला वर्ग भी प्रभावित हुआ। विभिन्न देशों में नारी जागरूकता के लिए चलाये जा रहे आन्दोलनों का प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ा तथा भारत में भी नारी जागरूकता तथा शिक्षा प्रसार के लिए विभिन्न बुद्धिजीवियों द्वारा आन्दोलनों का प्रारम्भ किया। राजाराममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में पहली बार भारतीयों द्वारा बड़े स्तर पर महिला शिक्षा की वकालत की गयी तथा सरकारी स्तर पर पहली बार महिला शिक्षा की व्यवस्था Bood Dispatch (भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा) में की गयी। 1829 में राजा राममोहन राय तथा तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड विलियम बैटिंक के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा बंद करायी गयी। 1856 में ईश्वर विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधि

ानियम पारित हुआ। महिला उत्थान के लिए कई महिलाओं ने भी प्रयास किये, इन महिलाओं में पं० रामाबाई का नाम प्रमुख है। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए पूना में महिला आर्य समाज की स्थापना की। इस काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

स्वतंत्रता आन्दोलन में भी विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया। इसमें प्रमुख महिलायें हैं– अरूणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेन्ट तथा शान्ताबाई। जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ, महिलाओं ने यह सिद्ध किया कि वे भी पुरुषों की भांति प्रत्येक क्षेत्र का नेतृत्व कर सकती हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के पद पर आसीन हुई। इंदिरा गाँधी ने सम्पूर्ण विश्व के सामने भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्षमता को रखा।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के कार्यक्रम चलाये गये। पंचम पंचवर्षीय योजना (1980–85) को हम महिला विकास के लिए लैण्डमार्क कह सकते हैं। 'महिलायें तथा विकास' की विचारधारा पहली बार इस योजना में शामिल की गयी। 1985 में ही महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गयी। महिलाओं के लिए सर्वोच्च संवैधानिक निकाय के रूप में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न योजनायें चलायी जा रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं– इंदिरा महिला योजना, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

अलग–अलग स्वरों में औरतें एक ही बात कहना चाह रही हैं कि 'स्त्री दलन न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है।' यदि हम पश्चिमी देशों की नारियों की बात करें जो आज काफी हद तक विकसित हो चुकी हैं तो इन देशों की

स्त्रियों को भी कांटे–भरे रास्ते पर लम्बा संघर्ष करना पड़ा है। इन समाजों में स्त्री संघर्ष का इतिहास लाल कालीन से नहीं गुजरा है। एक–एक सुविधा के लिए दशकों और शताब्दियों तक संघर्ष करना पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला विकास का मुद्दा उठाया गया, जिसके तहत् वर्ष 1975 को ''महिला सशक्तीकरण'' वर्ष के रूप में मनाया गया। 1990 ''दक्षेस बालिका वर्ष'' घोषित किया गया। 1985 ये नैरोबी में विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां महिलाओं के विकास की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना व समझा गया। यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय पहल थी।

डॉ0 रामजी उपाध्याय का कहना है– ''किसी भी राष्ट्र या समाज के अभ्युदय के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के कृतित्व का समान महत्व है।''

शायद इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने लिंग आधारित सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 144 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें भारत का स्थान 103 है। यह सूचकांक भारतीय महिलाओं की गिरी हुई स्थिति को प्रदर्शित करता है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन (जून 1993) बिएना में ''लिंग असमानता तथा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार'' की समाप्ति पर जोर दिया गया। एक दूसरी मानव विकास रिपोर्ट (1994) में यह भी बताया गया है कि ''किसी भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं हैं।''

यदि हम वर्तमान परिदृश्य देखें तो आज हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है और इस पथ पर महिलायें भी पीछे नहीं है। परन्तु गौरतलब बात यह है कि महिलाओं के उसी वर्ग में सुधार आया है जो पहले से ही जागरूक तथा विकसित हैं। अन्य वर्ग की महिलायें तो अपने अधिकारों के बारे में ही जागरूक नहीं है विकास की बात तो छोड़िए। क्या इस विकास को हम सम्पूर्ण महिला वर्ग का विकास कह सकते हैं?

चार्टर्ड एकाउन्टेंटों और उच्च अधिकारियों द्वारा प्रमाणित और संस्तुत आख्याओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि देश में नारी जागरूकता का युग आ गया है। आज देश के बड़े–बड़े बुद्धिजीवी भी यह कहते हैं कि आज की नारी अपने अधिकार का प्रयोग कर रही है लेकिन क्या यह वास्तव में सही है? हम उच्च पदों पर आसीन महिलाओं तथा राजनैतिक क्षेत्र में स्थापित हो चुकी कुछ महिलाओं के आधार पर यह बात कहते हैं लेकिन ये महिलाओं के छोटे से वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। वास्तविकता तो यह है कि अभी भी स्त्रियां अपने आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। जो महिलायें आर्थिक तथा राजनैतिक रूप में सबल हैं, उनका भी शोषण किया जा रहा है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनके लाभों तथा अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है।

73वें तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 में संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठायी गयी। परिणामस्वरूप महिला विकास का मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया गया। राजग सरकार द्वारा इस विधेयक को पास कराने पर जोर दिया गया। विभिन्न आन्दोलनों, बहस तथा विवादों के बाद भी इस विधेयक की स्थिति जहाँ की तहाँ हैं। पुरुष प्रधान समाज को सत्ता जाने का भय है। वह महिला आरक्षण की बात उठाता है तो सिर्फ राजनैतिक लाभ के लिए। स्त्री को मानवीय दर्जा देने, समान हक के पक्षधर पुरुष भी अपने बचाव में पारम्परिक बैसाखियों का सहारा लेने लगते हैं, जिसके खोखलेपन से हम सभी परिचित हैं। (हंस, सितम्बर 1996)

प्रत्येक क्षेत्र में महिला भागीदारी कम होने के कारण किसी भी नीति के निर्माण में महिलाओं की भूमिका कम होती है। महिला विकास के लिए नीति निर्णय में उनकी भूमिका बढ़ानी होगी। इस सम्बन्ध में Karl Martinee का कहना है– "An idea which is gaining momentum these days is that increased participation of women in decision making at all levels with help to adjust. The goals pursued through

development". किसी भी प्रजातांत्रिक देश में तब तक सही प्रजातंत्र नहीं हो सकता जब तक कि सरकार और विकास कार्यक्रमों में महिलायें समान रूप से भागीदार नहीं होती।

भारतीय महिलाओं के विकास के लिए सर्वप्रथम तो महिलाओं में शिक्षा बढ़ानी होगी तथा उन्हें जागरूक बनाना होगा, ताकि वे अपने अधिकार समझ सकें व उनका प्रयोग कर सकें। भारत में महिला साक्षरता आज भी बहुत निम्न है। स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वातन्त्रोत्तर काल में महिला साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है।

महिला साक्षरता दर

1.	स्वतंत्रता से पूर्व	01.07%
2.	1951	07.90%
3.	1961	12.90%
4.	1971	18.70%
5.	1981	29.90%
6.	1991	39.30%
7.	2001	54.30%

इस तालिका से यह तो स्पष्ट है कि महिला साक्षरता में वृद्धि हुई हैं परन्तु अभी भी यह दर संतोषजनक नहीं है।

दो सौ साल पहले विश्व की पहली नारीवादिनी मेरी उलस्टोनक्राफ्ट ने कहा था– "मैं यह नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित हो जाना चाहिए। जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने विचारने एवं निर्णय का अधिकार मिले।" पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अनेक

अधिकारों से वंचित रखना न केवल मानवता के लिए कलंक कहा जा सकता है, वरन् संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से भी गलत है। महिलायें श्रम बाजार में सस्ते श्रम के लिए अधीनस्थ स्थिति में रहने के लिए बाध्य है। भारत की कार्य शक्ति का एक तिहाई अंश महिलाओं का है जिनमें ग्रामीण महिलायें शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक कार्यरत हैं।

यदि हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति की बात करें तो आज भी महिलायें तरह–तरह के बंधनों, कुरीतियां तथा परम्पराओं में जकड़ी हुयी हैं, इसी कारण महिलाओं का विकास बाधित है। कहीं–कहीं तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे विकास कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। शास्त्रों में कभी वह अप्सरा के रूप में काम वासना की वस्तु थी, जो कभी परम्परा की लीक से हटते ही राक्षसी थी, भूतानी थी और आज समकालीन भारतीय समाज में डायन की संज्ञा पाकर चिथड़ा–चिथड़ा हो रही है।

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 166052859 है जोकि सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत है। प्रदेश की जनसंख्या में 52.67 प्रतिशत पुरुष, 47.39 प्रतिशत महिलायें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन "एमनेस्टी इण्टरनेशनल" द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित तथा आदिवासी महिलाओं की स्थिति काफी चिन्ताजनक है। सरकार द्वारा महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनायें चलायी जा रही, जिनमें प्रमुख हैं– महिला उत्थान योजना, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, ड्बाकरा योजना आदि। महिलाओं को किसी तरह की परेशानी व सामाजिक अवहेलना न भुगतनी पड़े, इसके लिए सरकार ने विधवा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की है।

सरकार ने हस्तशिल्पी महिलाओं/बुनकरों/पावरलूम में काम करने वाली

महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह उद्योग व स्वरोजगार के तहत् अनुदान व बैंकों से ऋण की व्यवस्था की है, ताकि वे अपना आर्थिक स्टेटस बरकरार रख सकें। शैक्षिक विकास के लिए सरकार कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छात्राओं को बैंक में खाता खुलवाकर छात्रवृत्ति दे रही है, ताकि न केवल छात्राओं में शिक्षा के प्रति दिलचस्पी बढ़े बल्कि उनमें इस बात का आत्म विश्वास भी विकसित हो कि जरूरत पड़ने पर बैंक पर जमा पैसे उनकी मदद कर सकते हैं।

उपर्युक्त विकास योजनाओं में करोड़ों रूपये के व्यय के बाद भी महिलाओं की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कागजी ज्यादा है, इन योजनाओं के वास्तविक लाभ महिलाओं को इतने प्राप्त नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। इसका मुख्यतः एक कारण यह है कि महिलाओं के हित में कानून तो बनाये जाते रहे हैं, लेकिन जिन्हें इन कागजी घोषणाओं को हकीकत की शक्ल देनी थी, उनमें से 95 प्रतिशत लोग पुरुष ही थे। वे लोग, जिन्हें महिलाओं को सामाजिक, पारिवारिक अधिकार सौंपने थे, वे भी इसी पुरुष सत्तात्मक समाज का हिस्सा थे। यदि हम आज महिला विकास चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उन्हें शिक्षित एवं आत्म निर्भर बनाना होगा, ताकि वे स्वयं अपने लाभों की प्राप्ति के बारे में जागरूक बनें, उन्हें वे अधिकार प्रदान होंगे जो उनकी बाधाओं को कम करें तथा महिलाओं में आत्म विश्वास का संचार करें।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला जालौन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है। शोध जनपद एक आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ जनपद माना जाता है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1454452 है, जिसमें स्त्रियों की संख्या 667811 तथा पुरुष जनसंख्या 786641 है। लिंगानुपात 847 तथा जनसंख्या घनत्व 319 है। इस जिले की 23.41 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है तथा शेष जनसंख्या गांवों

में निवास करती है तथा साक्षर जनसंख्या 809988 है, इसमें स्त्रियों की संख्या 2833214 तथा पुरुषों की 526774 है।

निर्धनता उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं। इन योजनाओं में कुछ योजनायें विशेष रूप से महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। हमारे सामने समस्या यह है कि क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जनपद जालौन की महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है? वे किस हद तक इन विकास कार्यक्रमों के लाभ को प्राप्त कर पा रही हैं? इस क्षेत्र की महिलायें जो पिछड़ी हुई महिलाओं में है, अपने लाभों के बारे में कितनी जागरूक हैं? आज भी यह देखा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तथा निरन्तर उनका शोषण हो रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 39(डी) में उल्लेख है कि महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जायेगा। इस क्षेत्र की महिलायें अत्यन्त कर्मठ तथा जुझारू हैं। इसके बावजूद भी वे अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। महिलायें आज के वर्तमान आर्थिक परिवेश में घर से बाहर निकलकर आर्थिक सहयोग का प्रयत्न कर रही हैं। घर बाहर दोनों क्षेत्रों का मोर्चा सम्हालने के बाद भी वह अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित हैं या सही शब्दों में कहा जाए तो उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के चयनित होने के बाद उनके अधिकारों का प्रयोग अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। महिलायें चाहते हुए भी कोई निर्णय नहीं ले सकती। चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, सामाजिक अथवा आर्थिक, प्रत्येक क्षेत्र में वह एक मूक कार्यकर्ती की भांति कार्य करती है।

शोध प्रबन्ध का उद्देश्य :

सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का

महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव तथा समीक्षात्मक अध्ययन, महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाओं की समाज में स्थिति का अध्ययन करना इस शोध प्रबन्ध का उद्देश्य है।

शोध अध्ययन की परिकल्पनायें :

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य जनपद जालौन की महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। इस जनपद की महिलायें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी हुयी हैं। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं आया है। महिलायें अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में जागरूक नहीं है जो भी योजनायें चलाई जा रही हैं, वे उचित वर्ग तक नहीं पहुंच पायी हैं।

शोध विधि :

शोध प्रबन्ध के प्रस्तावित उद्देश्यों को पूरा करने तथा अभिकल्पनाओं के परीक्षण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक संयकों का संकलन किया गया है।

प्राथमिक समंक –

प्रस्तुत शोध उद्देश्य की पूर्ति सही, स्पष्ट, सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक हो, इसलिए इच्छित प्रतिदर्श द्वारा 4 विकास खण्डों के 4–4 ग्रामों को अध्ययन के लिए चुना गया। इस प्रकार कुल 16 गांवों का सर्वेक्षण किया गया तथा इन ग्रामों की जनसंख्या 2000 से अधिक है। प्रत्येक गांव में से 50–50 परिवारों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार कुल 800 परिवारों का अध्ययन किया गया व सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावलियाँ भरवाई गई हैं। ये परिवार सवर्ण, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति व निर्धनता रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वेक्षण में, सरकारी आरक्षण को आधार मानते हुए अनुसूचित जाति तथा

पिछड़ी जाति की महिलाओं के क्रमशः 21 तथा 27 प्रतिशत स्थान दिया गया है, जोकि इच्छित प्रतिदर्श द्वारा लिये गये हैं।

प्रतिदर्श का चयन

जनपद के विकास खण्ड

1.	डकोर	2.	महेवा	3.	कदौरा
4.	कुठौंद	5.	जालौन	6.	नदीगांव
7.	माधौगढ़	8.	रामपुरा	9.	कोंच

सर्वेक्षण हेतु चुने गये विकास खण्ड

1. डकोर

जनपद जालौन का यह विकास खण्ड जिला मुख्यालय उरई से 14 किमी0 की दूरी पर है। इस विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 9.23 वर्ग किमी0 है। इसकी कुल जनसंख्या 177169 है, जिसमें से 95908 पुरुष तथा 81261 महिलायें हैं तथा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 51095 है जिसमें 27968 पुरुष तथा 23127 महिलायें हैं। यहाँ 62.43 प्रतिशत साक्षरता है जिसमें पुरुष साक्षरता 77.0 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 45.07 प्रतिशत है। इस विकास खण्ड में कुल 157 गाँव है जिसमें से 128 गाँव आबाद हैं। यहाँ 76 ग्राम पंचायत तथा 11 न्याय पंचायत हैं।

2. कुठौंद

जनपद जालौन का यह विकास खण्ड जिला मुख्यालय उरई से 48 किमी0 की दूरी पर है। इस विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 3.13 वर्ग किमी0 है। इसकी कुल जनसंख्या 117985 है, जिसमें से 63549 पुरुष तथा 54436 महिलायें हैं तथा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 31959 है जिसमें 17431 पुरुष तथा 14528 महिलायें हैं। यहाँ 64.49 प्रतिशत साक्षरता है जिसमें पुरुष साक्षरता 77.95 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता

48.60 प्रतिशत है। इस विकास खण्ड में कुल 143 गाँव है जिसमें से 16 गाँव आबाद हैं। यहाँ 66 ग्राम पंचायत तथा 9 न्याय पंचायत हैं।

3. कदौरा

जनपद जालौन का यह विकास खण्ड जिला मुख्यालय उरई से 54 किमी0 की दूरी पर है। इस विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 6.94 वर्ग किमी0 है। इसकी कुल जनसंख्या 157270 है, जिसमें से 85908 पुरुष तथा 71362 महिलायें हैं तथा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 47432 है जिसमें 26255 पुरुष तथा 21177 महिलायें हैं। यहाँ 53.79 प्रतिशत साक्षरता है जिसमें पुरुष साक्षरता 67.15 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 37.38 प्रतिशत है। इस विकास खण्ड में कुल 111 गाँव है जिसमें से 99 गाँव आबाद हैं। यहाँ 68 ग्राम पंचायत तथा 08 न्याय पंचायत हैं।

4. जालौन

जनपद जालौन का यह विकास खण्ड जिला मुख्यालय उरई से 21 किमी0 की दूरी पर है। इस विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 4.28 वर्ग किमी0 है। इसकी कुल जनसंख्या 113637 है, जिसमें से 61505 पुरुष तथा 52132 महिलायें हैं तथा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 37055 है जिसमें 20252 पुरुष तथा 16803 महिलायें हैं। यहाँ 69.97 प्रतिशत साक्षरता है जिसमें पुरुष साक्षरता 83.15 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 54.35 प्रतिशत है। इस विकास खण्ड में कुल 115 गाँव है जिसमें से 99 गाँव आबाद हैं। यहाँ 61 ग्राम पंचायत तथा 11 न्याय पंचायत हैं।

सर्वेक्षण हेतु चुने गये गांव

विकास खण्ड	डकोर	कुठौंद	कदौरा	जालौन
गांव	मोहाना	कुठौंद	आटा	शहजादपुरा
	एट	हररूख	बबीना	उरगांव
	करमेर	एकौ	छौंक	धन्तौली
	कुसमिलिया	जखा	अकबरपुरा	जगनेबा

जनपद जालौन में सर्वेक्षण हेतु
चुने गये विकास खण्ड
जनपद
जालौन
जनपद
इटावा
जनपद
कानपुर
देहात
जनपद
हमीरपुर
जनपद
झांसी
भिण्ड
यमुना
नदी
रामपुरा
माधौगढ़
कुठौंद
जालौन
नदीगांव
कोंच
उरई
कालपी
कदौरा
डकोर

डकोर विकासखण्ड में सर्वेक्षण हेतु चुने गये गांव

कुठौंद विकासखण्ड में सर्वेक्षण हेतु चुने गये गांव

कदौरा विकासखण्ड में सर्वेक्षण हेतु चुने गये गांव

आटा

छौंक

अकबरपुर

बबीना

जालौन विकासखण्ड में सर्वेक्षण हेतु चुने गये गांव

द्वितीयक समंक –

द्वितीयक समंकों के संकलन हेतु जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, परियोजना विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट तथा सरकारी प्रतिवेदन आदि से सूचनायें एकत्रित की जायेगी, साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों का मार्गदर्शन लिया जायेगा।

समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन –

शोध प्रबन्ध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रश्नावली द्वारा एकत्रित समंकों का विश्लेषण सांख्यिकी के विभिन्न अभिकरण, जैसे– प्रतिशत, औसत, अनुपात, विश्लेषण, सह–सम्बन्ध तथा विभिन्न चित्रो की आवश्यकतानुसार सहायता से किया गया है।

सम्पूर्ण शोध को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है–

प्रथम अध्याय –

प्रथम अध्याय में वैदिक काल से लेकर 21वीं सदी तक महिलाओं की दशा एवं दिशा के बारे में अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में महिलाओं की जनसंख्या, साक्षरता, लिंग अनुपात तथा उनकी आर्थिक भागीदारी का विभिन्न सांख्यिकी आँकड़ों एवं ग्राफ के माध्यम से अध्ययन किया गया है।

द्वितीय अध्याय –

द्वितीय अध्याय में अनुसंधान के उद्देश्य, परिकल्पना तथा शोध विधि के बारे में बताया गया है एवं सर्वेक्षण हेतु चुने गये विकास खण्डों का मानचित्र की सहायता से विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय अध्याय –

तृतीय अध्याय में जनपद की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में सर्वप्रथम जनपद के ऐतिहासिक विवरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद जलवायु, प्रशासनिक इकाईयाँ, जनसंख्या, साक्षरता, खनिज, परिवहन एवं संचार व्यवस्था आदि के बारे में बताया गया है।

चतुर्थ अध्याय –

चतुर्थ अध्याय में उत्तर प्रदेश में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का वर्णन किया गया है। ये सभी योजनायें दो भागों में विभक्त हैं– महिला समर्थित योजनायें एवं महिला विशिष्ट योजनायें।

पंचम अध्याय –

पंचम अध्याय में जनपद की महिलाओं के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम आर्थिक स्तर का वर्णन किया गया है जिसमें संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का वर्णन है, इसके बाद शैक्षिक स्तर को दो भागों में विभाजन करके अध्ययन किया गया है– साक्षरता का स्तर एवं शिक्षा का स्तर। अन्त में सामाजिक स्तर के अन्तर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य, हिंसा एवं राजनैतिक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

षष्टम अध्याय –

षष्टम अध्याय में निर्धनता उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं का महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्याय के लिए सर्वेक्षित की गयी प्रश्नावलियों का सहारा लिया गया है तथा विभिन्न सांख्यिकी पद्धतियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

सप्तम अध्याय –

सप्तम अध्याय में महिलाओं के विकास में आने वाले बाधक तत्वों का अध्ययन किया गया है। ये बाधक तत्व सामाजिक व आर्थिक दोनों प्रकार के हैं।

अष्टम अध्याय –

अष्टम अध्याय में शोध निष्कर्ष के साथ विभिन्न सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। सैद्धान्तिक सुझावों को दो भागों में विभाजित किया गया है– महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सुझाव एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सुझाव। अन्त में महिला विकास की भावी संभावनाओं का अध्ययन किया गया है।

तृतीय अध्याय

जिला जालौन की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

जनपद जालौन, भारत के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक जिला है। झाँसी संभाग के अन्तर्गत स्थित जिला जालौन का इतिहास बुन्देलखण्ड के गौरवशाली इतिहास से ही सम्बद्ध है। इसे वीर भूमि भी कहते हैं। इसे जालिम नामक ब्राह्मण ने बसाया था तथा जालिम को जालवन ऋषि भी कहते हैं। वीर सावरकर तथा अंग्रेजों के प्रारम्भिक पत्रों में जालौन को जालवन ही लिखा गया है। इसने कभी भी परतंत्रता में रहना स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इसने उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर अपनी विजय पताका लहराने की इच्छा से आगे बढ़ते लोगों का सामना करते हुए डटकर लोहा लिया है किसी भी सत्ता के आधिपत्य में रहना इस बुन्देली भूमि को कभी गवारा नहीं हुआ है। महाभारत काल में इस बुन्देलखण्ड, जोकि उस समय चेतदि के नाम से जाना जाता था, का प्रबल प्रतापी राजा शिशुपाल था। उसने कभी अपने जीवनपर्यन्त भगवान कृष्ण की आधीनता स्वीकार नहीं की और यहाँ तक कि उसने सदैव ही कृष्ण का तिरस्कार तथा अपमान किया। यदि कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे तो शिशुपाल अपने पैर के जूते में मोर पंख लगाकर कृष्ण के प्रति अपना तिरस्कार भाव प्रदर्शित करता था और आज भी शिशुपाल के जूतों की भांति चमड़े की मोर पंख की आकृति से अंकित 'पिचहा' नामक जूतों का प्रचलन इस बुन्देलखण्ड में है।

जनपद गुप्त साम्राज्य का एक अंग रहा है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के गणपतिनाम को, जोकि बुन्देलखण्ड का तत्कालीन शासक था, हराकर अपनी विजयश्री अंकित की और फिर यहाँ से दक्षिण पथ के लिए अग्रसरित हुआ। इससे भी यह आभास होता है कि समुद्र गुप्त ने दक्षिण की ओर कूच के लिए पहले इस जनपद पर

अपना प्रभुत्व बनाया होगा। गुप्तों के शासन के पश्चात् हर्षवर्द्धन का आधिपत्य इस जनपद पर रहा और उसकी राजधानी कन्नौज में थी। हर्षवर्द्धन के पश्चात् यह जनपद मिहिर भोज (836–885 ई0) के शासन में आ गया। उसने 843 ई0 में बुन्देलखण्ड पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात् कन्नौज के राजाओं ने कालपी को एक राजनैतिक गढ़ बनाना चाहा परन्तु 10वीं शताब्दी में जबकि पूरे भारत में राजपूतों ने कतिपय छोटे–छोटे राज्य स्थापित कर दिये गये थे। चन्देल वंश के राजाओं ने यहाँ एक सुदृढ़ गढ़ बनवाया। राजपूत काल में राज्यों की शक्ति का प्रतीक उनके गढ़ हुआ करते थे। वह अपने राज्य के मार्मिक स्थलों मे गढ़ बनाया करते थे यही कारण है कि अब भी बुन्देलखण्ड में अनेक गढ़ या गढ़ियों के खण्डहर पाये जाते हैं। चन्देल वंश के राजाओं ने 8 प्रसिद्ध गढ़ बनवाये थे, उनमें से कालपी भी एक था।

जनपद जालौन बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार है और ऐसा प्रवेश द्वार है कि यहाँ से प्रवेश किया जाए तो सभी सिद्धियां एवं अभीष्ट की प्राप्ति होती है। आमतौर पर द्वार तो किसी भवन का होता है और भवन रचना में द्वार का विशिष्ट स्थान होता है। अतः द्वार की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है।

यही स्थिति जालौन जनपद की बुन्देलखण्ड तथा दक्षिण भारत के साथ है। यदि बुन्देलखण्ड और दक्षिण भारत को एक भवन माना जाए, तो उसके उत्तर में द्वार होना चाहिए और उसके उत्तर में यमुना और दक्षिण मे कालपी ही है, जोकि जनपद जालौन का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार से यदि यूं समझा जाए कि जिस भवन का द्वार उत्तर मे होता है, वह सदैव धनधान्य से पूरित होता है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कालपी से प्रवेश करने पर बुन्देलखण्डी आंगन को पार करने के पश्चात् जिन कक्षों मे प्रवेश करना होता है, वे दक्षिण भारत के रूप में हैं, जोकि पूर्णरूपेण धनधान्य से सम्पूरित हैं। अतः समरौंगण के अनुसार– जनपद जालौन बुन्देलखण्ड का पूर्ण वाहू द्वार है एव बुन्देलखण्ड की उत्तरी सीमा पर सशक्त प्रहरी बनकर न केवल बुन्देलखण्ड

एवं सम्पूर्ण दक्षिण भारत की रक्षार्थ एवं सर्व मंगल हेतु अडिग रूप से तत्पर है।

इस जनपद में टेसू का खेल जहाँ विघ्न विनाशक की मान्यता को बल देता है, वहीं पर बालकों में टेसू की वीरता से ओत–प्रोत लोकगीत वीरभाव की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं।

मनुष्य भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों का दास होता है और इन्हीं परिस्थितियों से उसका राजनैतिक इतिहास बनता है।

उत्तर प्रदेश के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप मे विख्यात जालौन जनपद के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कोई अधिकृत पुस्तक आदि नहीं है, जिसके आधार पर प्राचीन इतिहास का अवलोकन किया जा सके। केवल सन् 1909 का गजेटियर ही एक ऐसा आधार है, जिसके माध्यम से इतिहास की कुछ नगण्य सी जानकारी ही प्राप्त हो पाती है। इस गजेटियर में भी प्राचीन इतिहास के स्थान पर केवल इतना ही मिलता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में कोल, भील नामक आदिवासी जनजातियां रहती थी तथा बाद में यहाँ पर आर्य आ गये।

तत्पश्चात् इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य रहा एवं बाद में गुप्त साम्राज्य का प्रभाव रहा। बुन्देलखण्ड के इतिहास के सूत्रधार के रूप में विख्यात दीवान प्रतिपाल सिंह के अनुसार यहाँ पर पहले कोल, भील एवं गोंड आदि ही रहते थे। इतिहास एव राजनीतिशास्त्र के विद्वान डॉ0 जयदयाल सक्सेना के मतानुसार गाँव मे स्थापित प्राचीन मठों में कुछ अनपढ़ प्रस्तर खण्डों की पूजा देवी–देवताओं के रूप मे की जाती है, जिन्हें ध्यान से देखने पर पाषाण कालीन उपकरण प्रतीत होते हैं। ये पाषाण अनपढ़ उपकरण पाषाणकालीन सभ्यता के वाहक है। मई 1995 में जिला मुख्यालय उरई के महावीरपुरा नामक मुहल्ले से कुछ ताम्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसका काल 2200 वर्ष ईसा पूर्व से 2000 वर्ष ईसा के मध्य माना गया है। इन ताम्र

कुठारों के अतिरिक्त ताम्र का एक चक्राकार पहिया तथा ताम्र (शिलाखण्ड की भांति) खण्ड की प्राप्ति से यह भी आभास मिलता है कि यहाँ पर इन उपकरणों का प्राप्त होना निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि यह जनपद कभी ताम्र युगीन सभ्यता, सिन्धु सभ्यता का वाहक था।

इस जनपद के कोंच नगर से तहसील प्रागंण की खुदाई के समय कुछ उपकरण तथा मानव अस्थियां प्राप्त हुयी हैं, जोकि बुन्देलखण्ड संग्रहालय उरई में सुरक्षित हैं। यह लौह उपकरण कोलों की उपस्थिति के परिचायक है। क्योंकि कोलारियनों (कोलों) को लौह धातु की विशेष जानकारी थी। अस्तु इस जनपद की प्राचीन सभ्यता को यदि आर्य–कोल सभ्यता कहा जाए तो अनुचित न होगा और यह आर्य सभ्यता इस जनपद में 5600 वर्ष ईसा पूर्व से अब तक पल्लिवित एवं पुष्पित हो रही है।

उत्तर वैदिक काल में मतस्य तथा उशीनगर जातियों ने इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। जालौन इन दोनों के निवास क्षेत्र के सन्धि स्थल पर रहा होगा। वैदिक काल एवं पौराणिक काल में ऋषियों, मुनियों द्वारा "सोमरस" 'सोम' नामक बेल से तैयार किया जाता था। इस सोमरस को तैयार करने हेतु एक विशिष्ट प्रकार की ओखली का प्रयोग होता था। उरई से पश्चिम की ओर 26 किमी0 दूर स्थित पड़री ग्राम के एक खेत पर ग्रेनाईट पत्थर द्वारा निर्मित लगभग 8 फिट लम्बी एक ओखली पड़ी है। यह ओखली उन ओखलियों के समकक्ष है जिनमें प्राचीनकाल मे सोमरस तैयार किया जाता था। इस ओखली से यह इंगित होता है कि यह जनपद ऋषियों, मुनियों की कर्मस्थली रहा है। यहाँ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अति विशिष्ट ऋषियों के आश्रम रहे हैं, जहाँ पर या तो उन ऋषियों ने चतुर्मासा व्यतीत किया है अथवा अपने ध्येय की प्राप्ति हेतु अटूट साधना की है। कालपी में कालपदेव तथा महर्षि वेदव्यास, परासन मे वेदव्यास के पिता परासर ऋषि, जलालपुर में शांडिल्य ऋषि, उरई में

उद्दालक ऋषि, कोंच में क्रोंच ऋषि, बबीना मे बाल्मीकि ऋषि, सन्दी में सन्दीपन ऋषि आदि के आश्रम थे। कुरहना ग्राम कुम्भज ऋषि (अगस्त्य) के आश्रम के लिए जाना जाता है। यह बात भी लोकोक्ति में है कि यहां पर अगस्त्य ऋषि ने चतुर्मास व्यतीत किया तथा यहीं से विन्ध्याचल को पार करके दक्षिण भारत की ओर गये थे। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि वैदिक एवं पौराणिक काल की संस्कृति इस जनपद में भी पल्लवित हुई है।

जनपद की भौगोलिक संरचना :

जनपद जालौन झाँसी मण्डल के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना, दक्षिणी सीमा पर बेतवा तथा पश्चिमी सीमा पर पहूज नदियाँ बहती हैं। जनपद जालौन तीनों नदियों के त्रिकोणीय स्थिति के मध्य है। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में पहाड़ियाँ हैं, शेष भाग नदियों का उपजाऊ मैदान है। पहाड़ी क्षेत्र से छोटी–छोटी नदियाँ निकलती हैं जो मध्य में बहती हुयी उत्तर–पूर्व की ओर जाकर यमुना में मिल जाती हैं।

जनपद जालौन का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किमी0 है। यह 26^0–27^0 व 25^0–46^0 उत्तरी अक्षांश और 78^0–55^0 व 79^0–55^0 पूर्व देशान्तर रेखाओं के मध्य फैला हुआ है। इस जनपद के उत्तर में इटावा, दक्षिण–पूर्व में हमीरपुर और दक्षिण–पश्चिम में झाँसी है। यह पूर्व में कानपुर और पश्चिम में जो पहूज नदी के उस पार मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। इस जनपद का विस्तार उत्तर से दक्षिण 105 किमी0 और पूर्व से पश्चिम 80 किमी0 है।

जनपद की जलवायु एवं प्राकृतिक संरचना :

कर्क रेखा के बहुत निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु जल्दी प्रारम्भ होती है एवं देर तक रहती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 47.

8 डिग्री सेल्सियस से 49.2 डिग्री सेल्सियस और 3.1 डिग्री सेल्सियस से 0.0 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु प्रभावी होती है लेकिन शुष्कता के कारण कोहरा एवं पाला कम पड़ता है। मानसून यहां जून के अन्त में आता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वर्षा कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 1901 मिली मीटर होती है। सामान्य वर्षा 862 मिलीमीटर तथा वास्तविक वर्षा 550 मिमी0 होती है।

यहाँ मार, कावर, पडुआ एवं राकड़ बुन्देलखण्ड में पायी जाने वाली चारों प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो सिंचाई की सुविधा के अभाव में कृषि के अन्तर्गत नहीं है। सामान्यतः जनपद में माधौगढ़ एवं कुठौंद को छोड़कर अन्य विकास खण्डों में एक ही फसल ली जाती है। वर्ष 2002–03 में जनपद का दो फसली क्षेत्र 35069 हेक्टेयर रहा, जो शुद्ध बोये गये (345131 हेक्टेयर) का मात्र 17 प्रतिशत है। इस जनपद में कृषकों के पास बड़ी जोत है परन्तु सिंचाई का अभाव होने के कारण कृषक दो फसलें उगा नहीं पा रहे हैं।

जनपद की प्रशासनिक संरचना :

जनपद में 5 तहसीलें तथा 9 विकास खण्ड हैं। कुल ग्राम 1152 है, जिसमें 942 आबाद ग्राम, 564 ग्रामसभायें हैं तथा 81 न्याय पंचायतें हैं। जनपद में सर्वाधिक आबाद ग्राम (143) नदीगाँव विकास खण्ड में तथा सबसे कम (75) रामपुरा विकास खण्ड में है। डकोर और जालौन विकास खण्ड में सबसे अधिक न्याय पंचायतें 11–11 हैं। कोंच विकास खण्ड में सबसे कम न्याय पंचायत है। विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाले गाँवों का विवरण, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायतें आदि का विवरण निम्न समंकों से स्पष्ट है–

तालिका 3.1

जनपद की प्रशासनिक संरचना

क्र0 सं0	प्रशासनिक इकाइयां	विकास खण्ड	कुल ग्राम	कुल आबाद ग्राम	ग्राम पंचायत	न्याय पंचायतें
1.	जालौन	जालौन	115	99	61	11
		कुठौंद	143	16	66	09
2.	माधौगढ़	माधौगढ़	93	84	57	10
		रामपुरा	89	76	43	08
3.	उरई	डकोर	157	128	76	11
4.	कोंच	कोंच	121	102	62	07
		नदीगांव	193	143	73	09
5.	कालपी	महेवा	129	95	58	08
		कदौरा	111	99	68	08

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, जनपद जालौन, 2004, पृ0 113

जनपद में 4 नगर पालिकायें – उरई, कोंच, कालपी एवं जालौन हैं। इनमें नगर पालिका का गठन किया जाता है। इस जनपद में 6 टाउन एरिया भी है– अटरिया, ऊमरी, नदीगांव, रामपुरा, माधौगढ़ तथा कोटरा।

जनपद में जनशक्ति :

1. जनसंख्या एवं घनत्व –

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद जालौन की कुल जनसंख्या 14,55,859 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 7,88,264 तथा स्त्रियों की संख्या 6,67,595 हैं। जनसंख्या घनत्व 319 प्रति वर्ग किमी0 है। ग्रामीण जनसंख्या 11,64,688 है जोकि कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या 2,91,171 है जोकि कुल जनसंख्या का

20 प्रतिशत है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 847 है।

2. साक्षरता -

विगत दो वर्षों से साक्षरता की दृष्टि से उतरोत्तर वृद्धि हो रही है, जो जनपद के विकास की दृष्टि से एक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। 1991 में कुल साक्षरता का प्रतिशत 50.7 था, जिसमें 66.2 प्रतिशत पुरुष एवं 31.6 प्रतिशत स्त्री साक्षरता थी। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 8,09,988 है जिसमें पुरुष संख्या 5,26,744 तथा स्त्री संख्या 2,83,214 है। इस प्रकार 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 66.14 हो गया। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 19. 14 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता का प्रतिशत 50.66 है।

जिले की शिक्षण संस्थायें (2002-03)

जूनियर बेसिक स्कूल	–	1856
सीनियर बेसिक स्कूल	–	481
हायर सेकेण्डरी स्कूल	–	128
महाविद्यालय	–	07
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	06
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	–	01
पॉलीटेक्निक कालेज	–	01

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका 2004

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में 2 लाख 754 हजार 730 पुस्तकों का वितरण किया गया।

ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में 882 तथा नगरीय क्षेत्र में 247 सहायक अध्यापक, ग्रामीण क्षेत्र में 882 तथा नगरीय क्षेत्र में 64 प्रधान अध्यापकों की तैनाती है।

जनपद में श्रम एवं रोजगार :

जनपद में औद्योगिक तथा श्रम एवं रोजगार की प्रगति अत्यन्त धीमी है। यहाँ अधिकतम् 83425 कृषि श्रमिक है। 58 पंजीकृत कारखानों में से मात्र 24 कारखाने कार्यरत है। जिसमें लगभग 678 मजदूर कार्य कर रहे हैं। फसल के समय यहाँ पर मजदूरों की कमी हो जाती है परन्तु जब से कटाई के लिए हार्वेस्टर प्रयोग होने लगे हैं, तब से श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। थ्रेसिंग, कटाई आदि में कृषि श्रमिक कार्य करते हैं तथा सड़क, पुलिया, नाली, खड़ंजा आदि में श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है जोकि अल्पकालिक होता है।

जिले में कुल मुख्य एवं सीमान्त कर्मकार 524605 है, जिसमें कुल कृषक 222612, कृषक मजदूर 173379, उद्योग धंधों में लगे परिवार 16516 तथा अन्य कर्मकार 112098 है।

जनपद जालौन में 1998 में आर्थिक गणना सम्पन्न करायी गयी थी, जिसके आंकड़ें निम्न तालिका से स्पष्ट हैं–

तालिका 3.2

जनपद में श्रम एवं रोजगार

क्र0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	उद्यमों की संख्या			
1.1	कृषि	1142	341	1483
1.2	अकृषि	9644	16953	26597
1.3	योग	10786	17294	28080
2.	स्वकार्य उद्यमों (सामान्यतः भाड़े पर)			
	कार्यरत व्यक्ति (कृषि+अकृषि)	2546	5426	7972
3.	स्वकार्य उद्यमों की संख्या	8240	11868	20108
	(कृषि+अकृषि)			
4.	उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	(अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)			
4.1.	पुरुष	19182	32080	51262
4.2	स्त्री	1527	3038	3565
4.3	योग	20709	34118	54827
5.	भाड़े पर सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
5.1.	पुरुष	8712	12713	21425
5.2	स्त्री	296	1021	1317
5.3	योग	9008	13734	22742

स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ

जनपद में कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन :

औद्योगिक विकास के अभाव से ग्रसित जनपद जालौन केवल कृषि पर ही पूर्णतः आधारित है। इस जनपद में भूमि का विभाजन सीमान्त जोतें, लघु जोतें, दीर्घ जोतें, कुछ बंजर भूमि तथा कुछ परती भूमि के रूप में है। आमतौर पर गेहूँ, धान, चना, मसूर, मटर की पैदावार अधिक मात्रा में की जाती है। यदि जनपद की आर्थिक दृष्टि से समीक्षा की जाए, तो न केवल वर्तमान में अपितु भविष्य में आगामी कई वर्षों तक आने वाली जनसंख्या के लिए कृषि ही आधार रहेगी।

1. भूमि उपयोगिता –

वर्ष 2002–03 में भूमि उपयोगिता के अन्तर्गत जनपद जालौन का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 454434 हेक्टेयर है, जिसमें वन 25640 हेक्टेयर, कृषि योग्य बंजर भूमि 3474 हेक्टेयर तथा वर्तमान परती भूमि 21020 हेक्टेयर है। अन्य परती भूमि 6319 हेक्टेयर है। उसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि 12489 हेक्टेयर है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि 3585 हेक्टेयर है। चारागाह का क्षेत्र 90 हेक्टेयर है, उद्यानों बागों का क्षेत्र 4118 हेक्टेयर है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 345131 हेक्टेयर तथा कुल बोया गया क्षेत्र 380200 हेक्टेयर है, जिसके अन्तर्गत रबी का क्षेत्र 321614 हेक्टेयर, खरीफ का क्षेत्र 56240 हेक्टेयर एवं जायद का क्षेत्र 2333 हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 127812 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्र 180998 हेक्टेयर है।

2. कृषि जोत –

जोत के आधार पर 45.8 प्रतिशत सीमान्त कृषक, 22.1 प्रतिशत लघु कृषक एवं 32.1 प्रतिशत बड़े कृषक है। वर्ष 1995–96 की कृषि गणना के आधार पर कुल जोतों की संख्या 217371 है, जिसका क्षेत्रफल 366232 हेक्टेयर है।

3. फसली ऋण वितरण –

वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा 2234.00 लाख रूपये एवं व्यवसायिक बैंक द्वारा 8325.00 लाख रूपये एवं भूमि विकास बैंक द्वारा कुल 317.77 लाख रूपये का फसली ऋण कृषकों में वितरित किया गया। अन्य कृषि सम्बन्धी ऋण समस्त बैंकों द्वारा 10052.06 लाख रूपये वितरित किया गया।

4. किसान क्रेडिट कार्ड वितरण –

वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत जनपद में सहकारी बैंकों द्वारा 8640 एवं व्यवसायिक/ग्रामीण बैंकों द्वारा 1380 किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण कृषकों में किया गया। इस तरह जनपद में कुल 10020 किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया।

5. सिंचाई के साधन –

जनपद में सिंचाई के साधन निम्न हैं –

01. जनपद में सिंचाई के साधन के रूप में दो प्रमुख नहरें हैं। बेतवा नदी से निकाली गयी नहर की दो शाखाओं में से प्रथम कुठौंद एवं द्वितीय हमीरपुर शाखा है। दोनों नहरों की लम्बाई 2138 किमी0 के लगभग है। जहां तक नहरों से पानी देने का सम्बन्ध है, यह वर्षा पर निर्भर है। यह नहरें बेतवा नदी से निकली होने के कारण अधिक समय तक पानी उपलब्ध नहीं करा पाती हैं।

02. जनपद में राजकीय नलकूप 521 है, जिनमें 17 नलकूपों में यांत्रिक दोष है तथा व्यक्तिगत नलकूपों की संख्या 1102 है। भूस्तरीय पम्पसेट 2047 है। इसके अतिरिक्त बोरिंग पम्पसेटों की संख्या 10533 है। कुंए एवं रहट के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है।

2003–03 में विभिन्न साधनो द्वारा स्रोतानुसार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) के आंकड़ें निम्न हैं–

कुल सिंचित क्षेत्रफल	–	177812
कुंओं द्वारा सिंचित	–	8684
तालाब द्वारा सिंचित	–	1088
नहर द्वारा सिंचित	–	129748
नलकूप द्वारा सिंचित	–	34682
अन्य साधनों द्वारा सिंचित	–	3610

स्रोत : 1. भूलेख अधिकारी, जालौन

2. अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ

6. खाद्यान्न उत्पादन -

इस जनपद की मुख्य फसलें खरीफ में ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, धान, तिल व सोयाबीन है। इसी प्रकार से रबी की फसल में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ, राई एवं सरसो की फसलें बोई जाती है। जिनमें मुख्य रूप से गेहूँ, चना एवं मसूर की खेती की जाती है।

वर्ष 2000–01 में उत्पादित फसलों का विवरण निम्न है–

तालिका 3.3

रबी की फसलों की उत्पादकता

क्र0सं0	फसल	क्षेत्र	उत्पादन (मिट्रिक टन)	उत्पादकता (किलो/हेक्टेयर)
1.	गेहूँ	117674	339140	28.82
2.	जौ	8623	14525	16.84
3.	चना	77652	55255	7.12
4.	मटर	47108	45930	9.75
5.	मसूर	62804	31214	4.97
6.	अलसी	911	213	2.34
7.	अरहर	8637	19960	23.11

स्रोत : जिला कृषि कार्यालय, उरई (जालौन)

तालिका 3.4

खरीफ की फसलों की उत्पादकता

क्र0सं0	फसल	उत्पादकता (किलो/हेक्टेयर)			
		1999–00	2000–01	2001–02	2002–03
1.	चावल	8.76	10.58	7.10	5.62
2.	ज्वार	9.70	12.69	14.63	8.01
3.	बाजरा	12.66	15.29	9.76	9.93
4.	अरहर	13.61	17.54	13.82	18.80
5.	उर्द	1.68	5.38	4.26	3.48
6.	तिल	0.93	2.28	2.66	1.35
7.	सोयाबीन	3.05	12.00	7.18	1.82
8.	मूंगफली	5.85	9.00	8.36	3.14
9.	सूरजमुखी	12.71	14.00	—	—
10.	मक्का	—	—	7.08	5.00
11.	औसत उत्पादकता	7.29	10.33	7.74	8.25

स्रोत : जिला कृषि कार्यालय, उरई (जालौन)

जनपद की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ :

1. वित्तीय संस्थान –

कृषि एवं उद्योगों के उचित विकास के लिए वित्त की प्रमुख आवश्यकता होती है। राष्ट्रीयकृत एवं गैर–राष्ट्रीयकृत दोनों ही प्रकार के संस्थान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में वित्त का प्रमुख स्रोत राष्ट्रीयकृत बैंक है। इलाहाबाद बैंक जनपद की लीड बैंक है। इस जनपद में बैंकों की 103 शाखायें हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

तालिका 3.5

वित्तीय संस्थान

क्र०सं०	बैंक का नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	भारतीय स्टेट बैंक	5	3	8
2.	इलाहाबाद बैंक	8	19	27
3.	सेण्ट्रल बैंक	3	4	7
4.	पंजाब नेशनल बैंक	1	–	1
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1	–	1
6.	जालौन जिला सहकारी बैंक	11	6	17
7.	जिला कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक	4	–	4
8.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	4	33	37
9.	बैंक ऑफ इण्डिया	1	–	1
	योग	**38**	**65**	**103**

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, जनपद जालौन, 2004

2. पशुपालन एवं मत्स्य -

जनपद में वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन 792572 है, जिसमें गौवंशीय पशु 237213, महिषवंशीय 239862, भेड़ 30048, बकरे एवं बकरियां 257389 है, सुअर 26522, अन्य पशु 2840, कुल मुर्गे एवं मुर्गियां 50649 है तथा अन्य कुक्कुट 1102 है।

उपरोक्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक विकास में जनपद में उपलब्ध पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जनपद में दूध देने वाले पशुओं की नस्ल में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु जनपद में अनेक प्रकार की योजनायें कार्यान्वित की जा रही है।

जनपद में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु वर्ष 1982–83 में मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में अप्रयुक्त ताल, पोखरों तथा अप्रयुक्त जल क्षेत्रों का उपयोग कर मत्स्य पालन करके मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में सुधार लाना है।

जनपद में लगभग 1124 बड़े एवं छोटे तालाब है लेकिन सभी तालाब मत्स्य पालन के लिए उपयोगी नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 496 तालाब ही मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है। जिले में प्रति औसत हेक्टेयर में 2300 किलो मछली का उत्पादन होता है। कुल उत्पादित मछलियों का अधिकांश भाग का उपयोग तो जिले में ही कर लिया जाता है और शेष का अन्य शहरों में व्यवसाय किया जाता है।

वर्ष 2000–01 में 2.5 करोड़ का व्यवसाय किया गया, जोकि इस विभाग की जागरूकता एवं विकास का सूचक है।

3. कुक्कुट पालन -

कुक्कुट पालन स्वरोजगार करने हेतु आटा (उरई) में कुक्कुट काम्पलेक्स बना हुआ है, जिनमें अनेक लाभार्थी ब्राइलर कुक्कुट पालन कर जीवकोपार्जन कर रहे हैं, जिसमें 40 पेन हैं। पूरे काम्पलेक्स की कुक्कुट पालन क्षमता 20000 है, जिसमें 40 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं।

4. सड़क परिवहन -

जनपदवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सड़क परिवहन एवं संचार जैसे महत्वपूर्ण साधनों का विशेष महत्व है। सड़क एवं परिवहन आवागमन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 तक निर्मित कुल 1840 किमी0, सड़कों की लम्बाई 1938 किमी0 है। वर्ष 2002–03 में प्रति लाख जनसंख्या पर लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत पक्की सड़कों की लम्बाई 33.2 किमी0 है। वर्ष 2002–03 में जिला पंचायत के द्वारा 24 किमी0 तथा नगर निकायों द्वारा 49 किमी0 सड़कों का निर्माण कराया गया।

5. दूरसंचार कार्यक्रम -

आज दूरसंचार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करने का अच्छा माध्यम है। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में यह एक अच्छा साधन है। जनपद में इस दिशा में आशातीत प्रगति हुयी है। जनपद में कुल कार्यरत टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 33434 तथा कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या 667 है। जनपद में वर्ष 2004 में मोबाइल फोन कनेक्शन जनता को उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी कम्पनियों द्वारा मोबाइल कनेक्शन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

लैण्डलाइन कनेक्शन	–	21634
डब्ल्यू0एल0एल0	–	980
मोबाइल कनेक्शन	–	14000
कुल कनेक्शन	–	36614

6. विद्युत -

आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उसके आर्थिक विकास की दृष्टि से विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2003-04 तक 942 आबाद ग्रामों से केन्द्रीय प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार 575 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद में 719 अनुसूचित जाति की बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही जनपद की विद्युत हेतु 132 के0बी0 उरई विद्युत उपकेन्द्र से, 33 के0बी0 लाइन द्वारा 11 अन्य उपकेन्द्रों की विद्युत की आपूर्ति की जाती है, जिसके अन्तर्गत 33 के0बी0 लाइन 338 किमी0 है, 11 के0बी0 लाइन की लम्बाई 1853 किमी0 है।

7. खनिज -

खनिज उपलब्धता की दृष्टि से यह जनपद बहुत पिछड़ा है। यहाँ कोई भी विशेष खनिज उपलब्ध नहीं है। बेतवा नदी के किनारे के स्थान में मोरम खनिज पदार्थ के रूप में उपलब्ध है, जो परासन तथा सैदनगर से जनपद के बाहर अन्य जनपदों में भेजी जाती है, जो उच्च कोटि की होती है। पहाड़गांव तथा सैदनगर में छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं किन्तु उनका पत्थर अच्छा नहीं है फिर भी इसका प्रयोग निर्माण कार्य में होता है।

8. औद्योगिक गतिविधियाँ -

जनपद जालौन प्रमुख रूप से कृषि आधारित जिला है। अतः इस जनपद का औद्योगिक विकास अत्यन्त पिछड़ी हुयी दशा में है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर

उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग है। जिले की भौगोलिक स्थिति एवं यातायात सुविधाओं को देखते हुए यहां औद्योगिक विकास की संभावनायें मौजूद हैं। यह जनपद कानपुर एवं झाँसी के मध्य स्थित है, इसलिए यहाँ यातायात की सुविधायें अच्छी हैं।

इस जनपद में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों के लिए अच्छी संभावनायें हैं। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल, योग्य एवं अयोग्य दोनों प्रकार के श्रमिक पर्याप्त रूप में उपलब्ध है।

लगभग 18000 पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग है। शासन द्वारा एक लाख से अधिक पूँजी विनियोजन की इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष 2002–03 के लिए 75 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। परन्तु मार्च 2004 तक 75 इकाइयां स्थापित की गई, जो मुख्यतः आयल, स्पेलर, हैण्डमेड पेपर, फोटो स्टेट, जनरल इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर प्रिटिंग/डाटा प्रोसेसिंग से सम्बन्धित है।

चतुर्थ अध्याय

महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पर दृष्टिपात

भारत में स्त्रियों का इतिहास भले ही गौरवशाली रहा हो, उन्हें संविधान में भी पुरुषों की तरह ही सभी अधिकार दे दिये गये हों, मगर व्यवहारिक तौर पर आम भारतीय स्त्री की स्थिति एक ऐसे मनुष्य की तरह है, जिसके शरीर में दिमाग और दृष्टि तो है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसी और का है। उसकी जबान तालू से चिपकी है, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है।

कानून एवं संविधान के नजरिए से देखा जाए तो भारतीय स्त्री आजाद लगती है, मगर जहाँ तक समाज की स्त्री का सवाल है, वह पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ी हुई है। 'संविधान की स्त्री' और 'समाज की स्त्री' के बीच का जो फासला है उसका सफर भारतीय स्त्री आजादी के पांच दशक के बाद भी पूरा नहीं कर पायी है। वर्ष 1997 में यानी आजादी के ठीक पचास वर्ष बाद सरकार ने एक ''संसदीय संयुक्त समिति'' का गठन किया था, जिसका उद्देश्य स्त्री को शक्तिशाली बनाने के उपायों पर विचार करना था। यह तथ्य इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि भारतीय स्त्री विकास की मुख्य धारा में समान भागीदारी की लड़ाई अभी भी लड़ रही है। भारतीय समाज में महिला कल्याण तथा उसके विकास के मार्ग से गुजरते हुए सबलीकरण के लक्ष्य तक पहुँचने की गति काफी धीमी रही है, मगर इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि यह लड़ाई लड़ी जा रही है।

भारत की वास्तविक शक्ति लोकतंत्र है। इसलिए इसी लोकतंत्र के सहारे आज भारतीय स्त्री अपने सबलीकरण का रास्ता तलाश रही है।

19वीं शताब्दी में महिलाओं के प्रति बरते जा रहे भेदभाव और शोषण को देखकर अनेक सुधारकों ने स्त्री विरोधी कुरीतियों के विरूद्ध उनके हित में अभियान

चलाए। आजाद भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी तथा अनेक योजनायें और कार्यक्रम चलाये गये। इन संस्थाओं एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य वस्तुतः स्त्री के प्रति संकीर्ण और रूढ़िवादी मानसिकता के विरूद्ध एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण निर्मित करना था।

महिलाओं को महत्वपूर्ण मानव संसाधन मानकर सरकार ने उनके कल्याण, विकास और सशक्तीकरण के लिए ठोस कदम उठाये। महिलाओं के विकास को तीव्र करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग के अन्तर्गत सरकार महिला उत्थान से संदर्भित कोणों को तलाश करती है। महिला विकास की अवधारणा को उसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान से जोड़कर महिलाओं को प्रभावित करने वाली योजनाओं और नीतियों का गठन करती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के लिए 'नोडल' विभाग है। इस समय यह विभाग दो श्रेणियों में अपने कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए यह उन्हें प्रशिक्षण, कौशल निर्माण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1997 में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य था गरीब और सम्पत्ति विहीन महिलाओं का कौशल बढ़ाना, उन्हें संगठित करना, विवेकशील बनाना और कृषि, पशुपालन, मछली पालन, हथकरघे, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग आदि पारम्परिक क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना। इस योजना से डेरी उद्योग, हथकरघे, हस्तशिल्प तथा रेशम उद्योग से जुड़ी अनेक महिलायें लाभान्वित हुई हैं। प्रशिक्षण और रोजगार का दूसरा

कार्यक्रम ''प्रशिक्षण–सह–रोजगार–सह–उत्पादन केन्द्र (नोराड)'' के रूप में चलाया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उनका कौशल बढ़ाकर उन्हें सतत् आधार पर रोजगार प्रदान करना है। इसमें इलैक्ट्रानिक, कम्प्यूटर, मुद्रण, होटल प्रबन्ध, फैशन, प्रोद्योगिकी, सौन्दर्य प्रसाधन, पर्यटन और बेकरी आदि व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के राष्ट्रीय स्तर पर चार संगठन हैं– केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला कोष। ये संगठन विभाग कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड :

वर्ष 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना सरकारी संसाधनों और स्वैच्छिक क्षेत्र की शक्ति को एक साथ समन्वित कर महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद लोगों के हित में कार्य करने के लिए की गई। शुरूआती दौर में इस बोर्ड ने सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसके तहत् विशेष रूप से पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों की विधवाओं, निराश्रित, विकलांग और जरूरतमंद महिलाओं को 'काम और वेतन' के अवसर प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की। आज भी यह बोर्ड अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे महिलाओं में शिक्षा का प्रसार कर, चेतना और जागरूकता फैलाकर उन्हें मजबूत बनाया जा सके।

इस बोर्ड के अन्तर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्राथमिक/मिडिल/मैट्रिक परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रशिक्षण देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है। महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण

का प्रावधान है। जागरूकता प्रसार परियोजनाओं के तहत् महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता शिविरों, बैठकों, रैलियों, थियेटर गतिविधियों और अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। पारिवारिक असमायोजन एवं तनाव की शिकार महिलाओं तथा परिवारों को परामर्श एवं पुनर्वास की सेवाएं मुहैया कराने के लिए समाज कल्याण बोर्ड "परिवार परामर्श केन्द्रों" के स्थापना हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करते हैं।

देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के विकास के लिए अनेक क्षेत्रों की परियोजनाओं को समाज कल्याण बोर्ड वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत इन क्षेत्रों की महिलाओं को शिल्प प्रशिक्षण तथा बच्चों को स्वास्थ्य व पोषाहार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) :

इस संस्था की स्थापना वर्ष 1966 में महिलाओं तथा बच्चों के विकास को दृष्टि में रखकर की गयी थी। यह संस्थान व्यापक स्तर पर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए किये जाने वाले स्वैच्छिक कार्यों, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देता है। इस संस्थान ने क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार सन् 1978, 1980 और 1982 में क्रमशः गुवाहाटी, बंगलौर तथा लखनऊ में अपने क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं और महिलाओं एवं बच्चों के हित में हो रहे कार्यों में सहायता दी तथा अनुसंधान की गति को तीव्र किया है, इस दिशा में प्रशिक्षण और प्रलेखन को भी प्रोत्साहित किया है।

इस संस्थान का महिला विकास प्रभाग अपनी नियमित गतिविधियों के रूप में महिलाओं सम्बन्धी विविध पहलुओं पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर आयोजित किये जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं– अर्ध कानूनी प्रशिक्षण, पंचायतों की चुनी हुई महिला

प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, नेतृत्व और संगठन, महिलाओं हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रशिक्षण, जागरूकता तथा विकास के कार्यक्रमों में महिला सम्बन्धी मुद्दों को सम्मिलित करना, आदि।

राष्ट्रीय महिला आयोग :

सरकार ने जनवरी 1992 में महिलाओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग नामक एक वैधानिक निकाय बनाया। इस आयोग को महिलाओं के हक में संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अध्ययन करने तथा उन पर निगाह रखने, संविधान और अन्य विधियों के अन्तर्गत महिलाओं को प्रभावित करने वाले उपबंधों का पुनरीक्षण करने और जहां अपेक्षित हो, वहां संशोधन की सिफारिश करने के साथ–साथ महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने और स्व–प्रेरणा से उन पर ध्यान देने जैसे कार्य सौंपे गये। असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ऐसे आयोग पहले ही गठित कर लिये गये हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग आज महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दों पर राज्य महिला आयोग और सामाजिक संगठनों से सम्पर्क रखकर महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है।

राष्ट्रीय महिला कोष :

गरीब महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूती देने के लिए वर्ष 1993 में एक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष का पंजीकरण किया गया। इसकी स्थापना गाँवों तथा शहरी इलाकों के असंगठित क्षेत्र में गरीब महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों, महिला विकास निगमों जैसे अन्य महिला संगठनों की मध्यस्थता के जरिए अपनी खुद की आमदनी जुटा सकने वाले कार्यों के लिए लघु ऋण की व्यवस्था करना है। इस तरह राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य गरीब महिलाओं,

विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। वर्ष 1992–93 के दौरान कोष को कायिक निधि के तौर पर इकतीस करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई थी।

निर्धनता उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इससे महिला वर्ग भी प्रभावित होता है। ये योजनायें एवं कार्यक्रम महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभावपूर्ण असर डालती है। इन समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को दो भागों में बाँटा जा सकता है– प्रथम, तो वे योजनायें एवं कार्यक्रम जिनसे महिलायें एवं पुरुष दोनों वर्ग लाभान्वित होते हैं तथा द्वितीय वे योजनायें एवं कार्यक्रम जिनसे सिर्फ महिलायें लाभान्वित होती हैं। अतः इस दृष्टिकोण से समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को दो भागों में बाँटकर अध्ययन किया जायेगा–

01. महिला समर्थित योजनायें

02. महिला विशिष्ट योजनायें

महिला समर्थित योजनायें :

महिला समर्थित योजनाओं के अन्तर्गत वे योजनायें आती हैं, जो समाज के सभी पिछड़े एवं वंचित वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वे महिलायें हो अथवा पुरुष। इन योजनाओं का उद्देश्य शोषित एवं वंचित व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उच्च करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। इन योजनाओं का लक्ष्य व्यक्ति को ऐसी दशायें प्रदान करना है, जिससे वे सदैव के लिए विकास प्रक्रिया में शामिल हो जायें। इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही योजनायें शामिल हैं।

ग्रामीण योजनायें/कार्यक्रम[1]

(Rural Plans/ Programmes)

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना –

(Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojna, SGSY)

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी निर्धनता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निर्धनता का देश के विकास पर क्या असर पड़ता है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है, इस समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढना था। इस परिप्रेक्ष्य में स्व–रोजगार कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये कार्यक्रम ही ग्रामीण निर्धनों को आय का टिकाऊ आधार प्रदान कर सकते हैं।

प्रारम्भ में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार सम्बन्धी एकमात्र कार्यक्रम था। बाद के वर्षों में, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) सहित कई सम्बद्ध कार्यक्रम शुरू किये गये। जैसे– ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास, ग्रामीण कारीगरों को बेहतर उपकरणों की आपूर्ति (सिट्रा) तथा गंगा कल्याण योजना। कार्यक्रमों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें अलग–अलग कार्यक्रम के रूप में देखा जाता था, जिसके कारण समुचित सामाजिक मध्यस्थता नहीं हो पाती थी। इन कार्यक्रमों में परस्पर समन्वय नहीं था और टिकाऊ आय–सृजन के मुख्य मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाए अलग–अलग कार्यक्रमों का लक्ष्य हासिल करने को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन किया जाता था। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने स्व–रोजगार कार्यक्रमों के पुनर्गठन का फैसला किया। अप्रैल 1999 में ''स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना'' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। यह एक

---

1. राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण उ0प्र0 (लखनऊ)

ऐसा व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं का समावेश है, जैसे– निर्धनों का स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी आधारित संरचना व विपणन। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य 75 : 25 के अनुपात में करेंगे।

एस0जी0एस0वाई0 में विलय की गयी योजनाओं का विवरण

1. *ट्राइसेम* (TRYSEM)

ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण के लिये यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 1979 से शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत "गरीबी रेखा से नीचे" रहने वाले 18–35 आयु वर्ग के युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को होना चाहिए तथा उनकी वार्षिक आय रु03,500/– से कम होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों में एक तिहाई महिलायों का होना आवश्यक है।

2. *समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम* (IRDP)

छठीं योजना काल में 02 अक्टूबर, 1980 से यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना था। यह कार्यक्रम आगे चलकर सभी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन का प्रमुख कार्यक्रम बना। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के वित्त सम्बन्धी भार का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकार 50 : 50 के अनुपात में करते हैं। साथ ही सहायता प्राप्त परिवारों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति की अनिवार्यता तथा कम से कम 40 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है।

3. *ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम* (DWCRA)

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से सितम्बर 1982 में शुरू किया गया।

4. गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojna)

01 फरवरी, 1997 से प्रारम्भ इस योजना में मूलः गरीबी रेखा से नीचे वाले छोटे तथा सीमान्त कृषकों को प्रति हेक्टेयर रु05,000/– की सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे भूमिगत जल तथा भूतल जल के लिए उप–परियोजना प्रारम्भ कर सकें।

उपर्युक्त योजनाओं के साथ ही सिट्रा व 10 लाख कुंआ योजना जो अलग से नहीं चल रहे हैं, अपितु एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य

इस योजना का लक्ष्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि लम्बे समय तक उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अन्य बातों के साथ–साथ सामाजिक गतिशीलता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण व सरकारी सब्सिडी के जरिए आय–सर्जक परिसम्पत्तियों का प्रावधान कर ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना होगा।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं

* स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य ग्रामीण निर्धनों की क्षमता का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे–छोटे उद्यम लगाना। यह इस विश्वास के कारण है कि भारत के ग्रामीण निर्धनों में क्षमता है और यदि उन्हें उचित सहायता दी जाए तो वे मूल्यवान वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादक बन सकते हैं।

* सहायता प्राप्त परिवार (जिन्हें एतदुपरांत स्वरोजगारी कहा गया है) अलग–अलग व्यक्ति हो सकते हैं और समूह (स्वयं सहायता समूह) भी।

* स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्रामीण निर्धनों के सबसे कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। तद्नुसार स्वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे। महिलायें 30 प्रतिशत और विकलांग 3 प्रतिशत होंगे।

* स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में समूह दृष्टिकोण पर भी बल दिया जायेगा। इसके तहत् सामाजिक गतिशीलता तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रक्रिया के जरिए निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना होगा। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की संलग्नता के लिए प्रयास किये जायेंगे। इसके अलावा विशिष्ट महिला समूहों को बनाया जाना जारी रहेगा। प्रखण्ड स्तर पर कम से कम आधे समूह केवल महिलाओं के होंगे।

2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

(Jawahar Gram Samridhi Yojna, JGSY)

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

* पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना (जे0आर0वाई0) का पुनर्गठन, सुव्यवस्थित एवं व्यापक स्वरूप के रूप में 01 अप्रैल, 1999 से जे0जी0एस0वाई0 के रूप में किया गया।

* जे0जी0एस0वाई0 का मूलभूत उद्देश्य गांवों में माँग आधारित सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसमें टिकाऊ सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का भी सृजन सम्मिलित है।

* उपर्युक्त आधार पर इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों हेतु लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

* इस योजना का एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार, गरीबों के लिए

मजदूरी आधारित रोजगार अवसरों का सृजन करना भी है।

* जवाहर ग्राम समृद्धि योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के लागत बंटवारे अनुपात के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
* योजना को पूरी तरह ग्राम पंचायत स्तर पर ही लागू किया गया है। इस योजना को दिल्ली एवं चण्डीगढ़ को छोड़कर समग्र देश में सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है।
* इस योजना की 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/जनजाति की अलग लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।
* इस योजना के वार्षिक आवंटन का 3 प्रतिशत अपंग लोगों के लिए अवसंरचनात्मक विकास पर व्यय करने का प्रावधान है।

3. रोजगार आश्वासन योजना

(Employment Assurance Scheme, EAS)

रोजगार आश्वासन योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

* ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 विकास खण्डों में 02 अक्टूबर, 1993 से रोजगार आश्वासन योजना प्रारम्भ की गई थी। तत्पश्चात् यह योजना चरणबद्ध रूप में देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और अन्ततः 1997–98 में इसे सार्वभौमिक कर देश के सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों को शामिल किया गया।
* इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जिस मौसम में कृषि रोजगार न हो, उस समय रोजगार प्रदान करना है।
* इस योजना का वित्तीय बोझ का विभाजन केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 80:20 के अनुपात में होता है।

* योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरतमंद प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो युवाओं को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

* यह एक मांग चलित कार्यक्रम (Demand Driven Programme) है, अतः इसके अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

4. अंत्योदय अन्न योजना

(Antyodya Anna Yojna)

इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

* 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इस योजना का शुभारम्भ किया।

* इस योजना का केन्द्रीय उद्देश्य निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत देश के एक करोड़ निर्धनतम् परिवारों को प्रतिमाह 25 किग्रा0 अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

* इस योजना से समाज के निर्धनतम् वर्ग को जहाँ विशेष रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा, वहीं भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) को भी खाद्यान्न के विपुल भण्डार से निजात मिल सकेगा।

5. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

(Prime Minister's Gramodaya Yojna, PMGY)

इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

* पांच हजार करोड़ रूपये के आवंटन वाली यह योजना बजट 2000–01 में प्रस्तुत की गई।

* ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के 5 तत्वों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार है– 1. स्वास्थ्य 2. शिक्षा 3. पेयजल 4. आवास तथा सड़कें

* उपर्युक्त 5 घटकों के विकास हेतु निम्नलिखित योजना व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

* गाँवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य निर्धारित करते हुए न केवल यह ग्रामीण विकास में सहायक है, अपितु इसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी एक प्रभावी घटक के रूप में स्वीकार किया गया है।

* इस योजना के प्रथम चरण में 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को वर्ष 203 तक 'अच्छी बारहमासी सड़कों' से जोड़ने की योजना बनाई गयी।

* इस योजना के द्वितीय चरण में 2007 तक 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना है।

ग्रामीण आवास योजना (Rural Inhabitance)

इस योजना का मूल उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्थायी पर्यावास विकास को पूर्ण करना है।

* सरकार दसवीं योजना के अंत तक सभी को पक्के मकान सुलभ कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी है। इस कार्य योजना के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत् हैं–

(अ) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत नये आवास निर्माणों के साथ–साथ कच्चे मकानों का उन्नयन : उल्लेखनीय है कि 'इंदिरा आवास योजना' वर्ष 1985–86 में 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम' (आर.एल.इ.जी.पी.) की एक

उप–योजना के रूप में आरम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है।

* 1989–90 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिये जाने के पश्चात् इंदिरा आवास योजना को भी जवाहर रोजगार योजना का अंग बना दिया गया, किन्तु 1996 में इसे जवाहर रोजगार योजना से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का स्वरूप प्रदान किया गया।

(ब) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के एक घटक के रूप में ग्रामीण आवास योजना लागू की गई है।

* इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लाभकारी मानव विकास है, जिसकी पूर्ति के लिए इस योजना में राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित करने का प्रावधान है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास की मौलिक आवश्यक सेवा में सुधार किया जा सके।

(स) ग्रामीण आवास की ऋण–सह–सब्सिडी योजना : अप्रैल, 1999 से यह योजना आरम्भ की गई। इस योजना में 32,000 रूपये तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को लक्षित लाभार्थियों में सम्मिलित करने का प्रावधान है।

* इस योजना में 'सब्सिडी राशि' में केन्द्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी 75:25 है और ऋण भाग व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं आवास भिन्न संस्थानों द्वारा बांटा जाता है।

(द) समग्र आवास योजना : 1999–2000 में लागू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवास स्वच्छता एवं जलापूर्ति के लिए एकीकृत आय सुनिश्चित करना है।

6. अन्नपूर्णा योजना

(Annapurna Yojana)

* 01 अप्रैल, 2000 से केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों (Poor and helpless Senior Citizens) को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' को प्रारम्भ किया है।

* 14 जनवरी, 2001 से इस योजना का विस्तार किया गया है।

* इस योजना के अन्तर्गत लक्षित 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (TPDS) के अन्तर्गत शामिल किये गए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम् परिवारों की पहचान की गई है।

* यह योजना मूलतः निर्धनता रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों) के लिए प्रारम्भ की गयी थी, जो ''राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' (NOAPS) के पात्र थे तथा किन्हीं कारणों से यह पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

* इस योजना के अन्तर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किग्रा0 अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

7. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

(Sampurna Gramin Rozgar Yojana, SGRY)

* 25 सितम्बर, 2001 को प्रधानमंत्री श्री बाजपेयी ने मथुरा के फरह से इस योजना का शुभारम्भ किया।

* इस योजना में 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' तथा 'रोजगार आश्वासन योजना' का विलय कर दिया गया है।

* 10 हजार करोड़ रूपये वार्षिक की केन्द्र द्वारा प्रायोजित (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित) इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त व सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है।
* इस योजना के संचालन में साढ़े सात हजार रूपये केन्द्र सरकार द्वारा खर्च किये जायेंगे तथा 2500 करोड़ रूपये राज्य सरकारों द्वारा व्यय किये जायेंगे।
* इस योजना के तहत् प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रूपये मूल्य का 50 लाख टन अनाज केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।
* इस योजना में 100 करोड़ 'मानव दिवस रोजगार' के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
* योजना के तहत् लाभार्थियों को प्रतिदिन की मजदूरी के बदले 5 किलो अनाज के साथ ही अतिरिक्त नगद राशि प्रदान की जायेगी।

8. *संगम योजना*

(Sangam Yojana)

* 15 अगस्त, 1996 को घोषित इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विकलांग लोगों को समूह में संगठित किया जायेगा।
* 'संगम' नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियाँ सम्पन्न करने हेतु 15,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।

9. *सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम*

(Drought-Prone Area Programme, DPAP)

* 1973 में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम सूखे की संभावना वाले चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया।

* इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य उपर्युक्त प्रभाव वाले क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित विकास करके 'पर्यावरण संतुलन' को बहाल करना है।

* इस कार्यक्रम हेतु वित्तीयन 01 अप्रैल, 1999 से केन्द्र व सम्बन्धित राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है।

10. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(Accelerated Rural Water Supply Programme, ARWSP)

* केन्द्र सरकार ने वर्ष 1972–73 में पेयजल आपूर्ति की गति में तेजी लाने के लिए राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों की मदद पहुँचाने हेतु 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' प्रारम्भ किया था।

* इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के प्रयासों से सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करना है।

* वर्ष 1986 में पेयजल तथा इससे सम्बन्धित जल व्यवस्था पर भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय पेयजल मिशन' (National Drinking Water Mission, NDWN) की स्थापना की।

* वर्ष 1991 में NDWN का नाम बदलकर 'राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' (RGNDWM) कर दिया गया।

* अक्टूबर 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक 'पेयजल आपूर्ति विभाग' (Drinking Water Supply Department) बनाया गया।

11. खेतिहर मजदूर बीमा योजना या कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (KSSSY)

* केन्द्रीय बजट 2001–02 में सरकार ने 'भारतीय जीवन बीमा निगम' के माध्यम से भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए यह योजना लागू करने की घोषणा की।
* 01 जुलाई, 2001 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।
* इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की बीमा सुरक्षा के साथ–साथ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100 रूपये से 1900 रूपये प्रतिमाह तक की पेंशन दिये जाने की व्यवस्था करना निर्धारित है।
* इस योजना में लाभार्थी को 1 रूपया प्रतिदिन की मामूली प्रीमियम राशि देनी होगी तथा 2 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
* इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की प्राकृतिक मृत्यु 60 वर्ष से कम होने पर बीमा कम्पनी द्वारा बीस हजार रूपये भुगतान किया जायेगा।
* लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रूपये दिये जाने की व्यवस्था रखी गयी है।
* उल्लेखनीय है कि लाभार्थी के 60 वर्ष तक जीवित रहने की स्थिति में 100 रूपये से 1900 रूपये तक प्रतिमाह की पेंशन तथा मृत्यु के समय 13 हजार रूपये से ढाई लाख रूपये की राशि एकमुश्त बीमित व्यक्ति के परिवार को दे दी जायेगी।

12. केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(Centrally Sponsored Rural Sanitation Programme, CSRSP)

* केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के स्वच्छता प्रयासों को सहयोग देने के उद्देश्य से 1986 से यह कार्यक्रम लागू किया गया है।

* इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना है।

13. ग्रामीण कुटीर ज्योति कार्यक्रम

(Rural Kuteer Jyoti Programme)

* भारत सरकार ने 1988–89 में हरिजन एवं आदिवासी परिवारों सहित 'गरीबी की रेखा से नीचे' रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया।
* 'कुटीर ज्योति कार्यक्रम' के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 'एक बत्ती विद्युत कनेक्शन' उपलब्ध कराने के लिए 400 रूपये सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

14. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद

(Council for Advancement of People's Action & Rural Technology, CAPART)

* कपार्ट का गठन 01 सितम्बर, 1986 को किया गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
* कपार्ट का प्रादेशिक केन्द्र लखनऊ में स्थित है।
* कपार्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 'स्वैच्छिक कार्य' (Voluntary Works) को प्रोत्साहन देना और इसमें सहायता करना है।
* प्रादेशिक समिति को अपने प्रदेश की 'स्वयंसेवी संस्थाओं' (Self-help Institutions) को 10 लाख तक के परिव्यय वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देती है।

15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राज्य के 22 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत शुरू की गई है। 'काम के बदले अनाज योजना' व 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' का विलय इस नई योजना में कर दिया गया है। यह अधिनियम 02 फरवरी, 2006 से लागू हो गया है। इस अधिनियम पर खर्च होने वाली कुल रकम का 10 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार उपलब्ध करायेगी। इस अधिनियम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों को लाभ होगा। परिवार के एक–एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। यह अधिनियम आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चन्दौसी, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र तथा उन्नाव जिलों में लागू है।

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसका लाभ उठाने वालों में से एक तिहाई महिलायें होंगी।
2. अधिसूचित क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए ग्रामसभा में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। इसके बाद उसे जॉब कार्ड दे दिया जायेगा।
3. जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है, जिससे पंजीकृत व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने का हकदार हो जाता है।
4. पंजीकरण वर्ष भर खुला रहेगा।
5. रोजगार आवेदक के घर से 5 किमी0 के दायरे में दिया जायेगा। ऐसा सम्भव न होने पर अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।

16. क्षेत्रीय विकास निधि (विधायक निधि)

यह योजना वर्ष 1998–99 से लागू की गयी है। विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनुभूत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु वर्ष 2004–05 में रु01.00 करोड़ प्रति निर्वाचन क्षेत्र की दर से आय–व्यय में प्रावधान किया गया।

शहरी योजनायें/कार्यक्रम[1]

(Urban Plans/Programmes)

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

(Swarn Jayanti Shahri Rozgar Yojna, SJSRY)

03 दिसम्बर, 1997 से यह योजना लागू की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित योजनायें विलय की गयी हैं– नेहरू रोजगार योजना (NRY), निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (Urban Basic Services for the Poor, UBSP) तथा प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programmes, PMIUPEP).

उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, सवेतन रोजगार सृजन हेतु उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना।
2. इस योजना हेतु धन की व्यवस्था केन्द्र तथा राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में की गयी है।

---

1. सूडा (शहरी विकास प्राधिकरण) उ0प्र0 (लखनऊ)

3. इस योजना के दो बिन्दु निम्नवत् हैं–

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

(Urban Self Employment Programme, USED)

इस कार्यक्रम के तीन भाग हैं–

1. प्रत्येक शहरी गरीब लाभार्थी को लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता देना।

2. शहरी गरीब महिलाओं के समूह को लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता देना। इस उपयोजना को 'शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की विकास योजना' (The Scheme for Development of women and children in Urban Areas, DWCUA) कहा जाता है।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों, संभावित लाभार्थियों व शहरी रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को व्यावसायिक (Vocational) और उद्यम मूलक कौशल (Enterpreneurial Skill) के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देना।

(2) शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम

(Urban Wage Employment Programme, UWED)

इस कार्यक्रम के प्रमुख तथ्य निम्नांकित हैं–

* शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में 'गरीबी रेखा से नीचे' रहने वाले लाभार्थियों को, उनके श्रम का सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण में उपयोग करके मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना।
* सामग्री श्रम अनुपात 60:40 का रखा गया है।
* कार्यक्रम का सर्वेक्षण सामुदायिक विकास समितियाँ करती हैं।

2. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (NSDP)

यह शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें धनराशियों की स्वीकृतियां प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से जारी की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2004–05 में माह जनवरी, 05 तक रु03459.05 लाख व्यय करके 24.01 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष विशेष प्रयास करके केन्द्रीय सरकार से प्राप्त मूल वार्षिक आवंटन रु04279.00 लाख के अतिरिक्त रु04315.00 लाख का आवंटन प्राप्त किया गया है।

3. बाल्मीकि अम्बेडकर आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे तथा दुर्बल आय वर्ग के वे परिवार पात्र होंगे, जिसके पास आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत निर्माण लागत रु040 हजार से 60 हजार है, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है एवं 50 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना है (सामान्य शहर रु040 हजार, मेट्रो शहर रु050 हजार एवं मेगा शहर रु060 हजार प्रति आवास) योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल रु056.37 करोड़ अनुदान धनराशि प्राप्त हो गयी है एवं योजनान्तर्गत 10939 आवासों का निर्माण विभिन्न जनपदों में कराया जा चुका है एवं लगभग 4165 आवास निर्माणाधीन है।

अन्य योजनायें–[1]

1. जयप्रकाश नारायण गारण्टी योजना (JPRGY)

* यह योजना बजट 2002–03 में घोषित की गई।
* इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि सर्वाधिक विवादग्रस्त जिलों में बेरोजगारों को रोजगार की गारण्टी प्रदान करना।

---

1. प्रतियोगिता साहित्य सीरीज : उ0प्र0 एक अध्ययन, 2006

2. शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार योजना (SEEUY)

* 1983–84 से शुरू यह केन्द्र सरकार की योजना है।

* इस योजना के अन्तर्गत 10000 रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के मैट्रिक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त 15 से 35 वर्ष के युवकों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)

* अक्टूबर 1993 से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत् आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों (आयु 18–40), जिनकी पारिवारिक आय 40 हजार रूपये वार्षिक से कम है, को व्यापारिक कारोबार हेतु एक लाख रूपये तक तथा दो या दो से अधिक लोगों की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए दस लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है।

* इस योजना के तहत् कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, जोकि अधिकतम् 15,000 रूपये होता है। सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।

* 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के मामलों में बैंकों को छूट दी गई है कि परियोजना लागत के 5 से 12.5 प्रतिशत तक मार्जिन मनी ले सकेंगे।

* 1 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिए किसी जमानत गारण्टी की आवश्यकता नहीं होगी।

* 01 अप्रैल, 1994 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना को भी इसी में ही समाहित कर दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें –[1]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 3.40 करोड़ है। इसी तथ्य

1. उ0प्र0, 2006

को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना का संचालन इन वर्गों के लिए किया जा रहा है। प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समाज कल्याण विभाग अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ–साथ इन निर्बल वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन भी इसी उद्देश्य विशेष की कड़ी के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि अत्यन्त निर्धन परिवार, जो अपने प्रतिदिन का भोजन व्यवस्था करने में असमर्थ एवं अनिश्चित भविष्य के शिकार होते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों हेतु समाज कल्याण विभाग आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन करता है। इस विभाग का उद्देश्य समाज के गरीब एवं पिछड़े तबके को समाज की मुख्य धारा के समतुल्य लाना है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं–

01. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु दान दिया जाना मुख्य है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रही हैं।

02. वर्ष 2003–04 में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के कल्याण के लिए उपरोक्त विभिन्न योजनाओं के आयोजनागत पक्ष में आवंटित कुल परिव्यय रु024,000 लाख के विरूद्ध रु041,904.40 लाख की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 2004–05 में उपरोक्त

योजनाओं के संचालन हेतु कुल रु024,393.99 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया।

03. छात्रवृत्ति की योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल 9196000 छात्रों हेतु रु042,528.34 लाख की व्यवस्था छात्रवृत्ति वितरण हेतु की गयी है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में रु066,696.75 लाख कुल 9196000 छात्रों हेतु प्रावधान है।

महिला विशिष्ट योजनायें :

महिला विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत वे योजनायें आती हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के लाभ में पुरुषों की कोई भागीदारी नहीं है। प्रायः यह देखने में आता है कि महिला समर्थित योजनाओं से महिलाओं को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। उन योजनाओं के पूरे लाभ पुरुष ही उठा लेते हैं। अतः मुख्य रूप से महिला विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए महिला विशिष्ट योजनाओं की शुरूआत की गयी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से महिलाओं के लिए निम्न योजनायें एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं–

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें –[1]

महिलाओं को प्रदेश की विकास धारा से जोड़ने के उद्देश्य से तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में शासन स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग का सृजन किया गया है। इससे पूर्व यह कार्य समाज कल्याण विभाग के आधीन था। वर्ष 1975 में प्रदेश के 3 विकास खण्डों में गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं बच्चों को कुपोषण आदि से बचाने तथा उनके समन्वित विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारम्भ की गयी।

इसके अतिरिक्त आई0सी0डी0एस0 (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत 110

---

1. उ0प्र0, 2006, पृ0 635
निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ

परियोजनायें संचालित है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें आदि सम्मिलित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलायें, किशोरी बालिकायें, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों, महिलाओं तथा बालिकाओं को लाभ पहुँचाया जाता है। महिला कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम एवं योजनायें चलाई जा रही हैं–

अनुपूरक पुष्टाहार

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 वर्ष के कुपोषित तथा अति–कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं का कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से अनुपूरक पुष्टाहार वितरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार के मद में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रु02.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन एवं गर्भवती धात्री एवं किशोरियों के लिए रु02.30 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की व्यय सीमा निर्धारित की गयी है परन्तु राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए इस सीमा में वृद्धि कर सकती है। भारत सरकार द्वारा यह भी मानक निर्धारित किये गये हैं कि कुपोषित बच्चों को कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8–10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अनुपूरक पुष्टाहार में उपलब्ध हो, जबकि अति कुपोषित बालकों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा तथा 20–25 ग्राम प्रोटीन का मानक निर्धारित किया गया है।

स्कूल पूर्व शिक्षा

निःसन्देह अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुसंस्कृत जीवन की नींव का पत्थर है, जिससे आगे चलकर बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाया जा सके। वर्तमान समय में प्रदेश की लगभग

84634 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दूर ग्रामीण क्षेत्रों, दुर्लभ क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

टीकाकरण

विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले एक साल तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगाये जाते हैं एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से कराती है।

यूनीसेफ की सहायता

परियोजनाओं की स्थापना के समय से वाहनों की उपलब्धता यूनीसेफ द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। परियोजनाओं की स्थापना के समय यूनीसेफ द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए आवश्यक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों के आयोजन, मार्गदर्शन तथा पुस्तकों के रूप में भी यूनीसेफ द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तैयार वार्षिक योजना के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।

बालिका समृद्धि योजना

भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बालिका समृद्धि योजना का संचालन समेकित बाल विकास परियोजनाओं से आच्छादित विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से तथा अन्य क्षेत्रों में जिला नगर विकास अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की, 15 अगस्त 1997 या उसके बाद जन्म लेने वाली एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होता है। इस योजना के अन्तर्गत अर्ह/पात्र बालिकाओं को निम्न लाभ प्राप्त हो सकेंगे–

01. जन्म पर रु0500/– (इसके अन्तर्गत धनराशि नगद नहीं दी जायेगी बल्कि अधिकतम देय ब्याज अर्जित करने वाले खाते में रखी जायेगी)। इसी रु0500/– में से रु0100/– बालिका के बीमा हेतु भाग्यश्री बालिका बीमा योजना के प्रीमियम हेतु देय होगा।

02. स्कूल जाने पर बालिका को वार्षिक छात्रवृत्ति का भुगतान भी प्रति कक्षा हेतु निर्धारित दरों पर निहित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाना है।

किशोरी शक्ति योजना

किशोरी बालिकाओं को तीन दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं 60 दिवसीय तकनीकी व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार मुरब्बा आदि का प्रशिक्षण। पॉलीटेक्निक/नेहरू युवा केन्द्र/आई0टी0आई0 के माध्यम से प्रशिक्षित कर किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है। प्रशिक्षण प्रति विकास खण्ड 6 माह के लिए 30 किशोरियों का चिन्हांकन कर प्रदेश के 55 जनपदों के 423 विकास खण्डों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में रु0465 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष 25380 किशोरियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र में बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 40 किलोग्राम से कम वजन की समस्त गर्भवती व धात्री महिलाओं एवं 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों से) की पहचान कर प्रतिमाह 6 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं) 6 माह तक उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु वर्ष 2002–03 में 248.44 लाख की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में रु072.80 लाख का बजट प्राविधानित है तथा 1.46 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष 73116 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2004–05 में रु0218.47 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 38726 लाभार्थियों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है, जिस पर कुल रु072.80 लाख का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु कुल 73116 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना

महिला एवं बाल विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई0सी0डी0एस0 (समेकित बाल विकास सेवायें) द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गयी है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण प्रदेश में संचालित 66 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 52 दिन का कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2004–05 में 11239 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिला विकास में आंगनवाड़ी केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आंगनवाड़ी के 6 लाभार्थी समूह

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली 6 सेवायें

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें –[1]

संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है बल्कि राज्य को यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनायें बना सकते हैं। महिलाओं की बेहतरी व समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह इस हेतु प्रयासरत है। इसी के तहत् महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव दूर करने के सम्बन्ध में राष्ट्र संगठन के सीडा अधिवेशन, 1993 व बीजिंग प्लेटफार्म फार एक्शन, 1995 पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं। भारत सरकार की वचनबद्धता के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार भी इन संकल्पों के क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध है।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरुतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

बजट आयोजनेत्तर

(रु0 हजार में)

वास्तविक आय	***आय–व्ययक प्रावधान***	***पुनरीक्षित अनुमान***	***आय–व्ययक अनुमान***
2003–04	2004–05	2004–05	2005–06
11097	12643	12643	12178

दहेज पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं, जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा

1. उ0प्र0, 2006

न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, पात्रता की श्रेणी में आती है। योजनान्तर्गत ऐसी उत्पीड़ित महिला को वाद के निस्तारण तक रु0125/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2005–06 में रु01,000 हजार तक आय–व्ययक रखा गया है।

दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं, जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रु02,500/– की एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2005–06 मेंरु01,000 हजार तक आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

विधवा महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना

योजनान्तर्गत प्रचलित नियमावली में व्यवस्था है कि विधवा महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रु011,000/– का अनुदान दिया जाता है। बशर्ते कि वह आयकर दाता न हो। वित्तीय वर्ष 2005–06 में रु06,800 हजार का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन उद्धार संगठनों की स्थापना

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 07 मण्डल मुख्यालयों में एक–एक उद्धार कार्यालय स्थापित किये गये हैं, जहाँ उद्धार अधिकारी तैनात हैं। मण्डल के जनपद में समय–समय पर पुलिस के सहयोग से वैश्यालयों तथा वैश्यावृत्ति के संभावित स्थानों पर छापे मारकर वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को मुक्त कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में रु03,189 हजार का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलायें, जिनके पति की मृत्यु हो गई है व जिनकी वार्षिक आय रु012,000/– से कम है तथा जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग होने के बावजूद भरण–पोषण के लिए असमर्थ है, को रु0125/– प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है एवं स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार अब ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है, जो ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में की जाती है। पात्र महिलाओं को अनुदान की राशि जीवनपर्यन्त दिये जाने की व्यवस्था की गई है, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई पेंशन/अनुदान न मिल रहा हो, साथ ही पेंशन स्वीकृति के समय सबसे कम आयु की महिला की वरीयता दिये जाने की व्यवस्था है। आवेदन पत्र जिला परिवीक्षा अधिकारी, विकास खण्ड अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर उपलब्ध है।

पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं की वयस्क पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं की वयस्क पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा रु010,000/– की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली सामान्य श्रेणी की लड़कियों/महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्ति योजना

सामान्य श्रेणी की लड़कियों/महिलाओं को आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक,

एम0बी0ए0, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में अध्ययन हेतु रु050/– से रु0425/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित है।

श्रमजीवी महिला आवास

भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि की लागत का 50 प्रतिशत तथा निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। निर्माण लागत में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम् 15 प्रतिशत का सहयोग प्रदान किया जाता है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में रु01,000 हजार का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से संचालित अनाथालयों/यतीमखानों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है।

बजट

(रु0 हजार में)

वास्तविक आय	आय–व्ययक प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
2003–04	2004–05	2004–05	2005–06
6000	6100	6100	6000

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का क्रियान्वयन

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक महिला कल्याण को मुख्य दहेज सम्बन्धी कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है। वर्ष 2003–04 में 1858 मामले पंजीकृत हुए, जिसके सापेक्ष 681 शिकायतों का दहेज

प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किया गया। प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को दहेज प्रतिषेध दिवस मनाये जाने के निर्देश हैं तथा दहेज न लेने के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्मिक एवं छात्रों को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी भरने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार के सहयोग से सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित योजनायें–[1]

01. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)।
02. बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों का निर्माण/विस्तार।
03. महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अल्पवास गृह।
04. महिलाओं तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सामान्य सहायता।
05. महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता।
06. अनुसंधान एवं प्रकाशन हेतु सहायता अनुदान।
07. स्वधारा योजना।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के सहयोग से संचालित योजनायें–[2]

प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध तरीके से क्रियान्वित कर रहा है। प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड निम्न कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक

---

1. निदेशालय, महिला कल्याण, लखनऊ, उ0प्र0
2. उ0प्र0, 2006

संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है–

01. प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

02. ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना।

03. परिवार परामर्श केन्द्र

04. महिला एवं बालिकाओं के लिए अल्पवास सदन।

05. कामकाजी व बीमार माताओं के बच्चों के लिए पालनघर।

06. महिला मण्डल।

महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित योजनायें–[1]

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत मार्च, 1988 में निर्धन तथा निर्बल वर्ग की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए की गयी–

महिला आवास योजना

कामकाजी महिलाओं को सस्ते, सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत भूमि मद में स्वीकृत लागत के 50 प्रतिशत तथा निर्माण मद में 75 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता से योजनान्तर्गत कानपुर, लखनऊ, आगरा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी में आवास निर्मित है एवं इलाहाबाद में आवास निर्माणाधीन है तथा बरेली में भूमि क्रय की गई है।

स्वावलम्बन (नोराड) योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश की आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारम्परिक व गैर पारम्परिक ट्रेडर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु

---

1. निदेशालय, महिला कल्याण, लखनऊ, उ0प्र0

धनराशि स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध करायी जाती है। निगम की भूमिका योजना हेतु प्रदेश नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने की है। संस्थाओं के लिए स्वीकृत परियोजना लागत का 3 प्रतिशत निगम की मॉनीटरिंग फीस के रूप में प्राप्त होता है। यह योजना निगम को 1996 में प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 1996–97 से दिसम्बर,04 तक कुल 1475 प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रसारित किये गये। भारत सरकार द्वारा 406 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, जिसकी स्वीकृत लागत रु01113.00 लाख के सापेक्ष रु0821 लाख निगम को अवमुक्त किये गये।

स्वयं सिद्धा उत्तर प्रदेश परियोजना

यह योजना भी भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। पूर्व में यह योजना इंदिरा महिला योजना के नाम से आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से प्रदेश में संचालित थी। स्वयं सिद्धा के नाम से यह योजना 2002–03 से संचालित है। योजना के मुख्य स्वरूप के अन्तर्गत समान स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक ऋण के अभ्यास विकसित किये जाते हैं। ऐसे बचत तथा आंतरिक ऋण में कुशलता प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का स्थानीय बैंक में खाता खोला जाता है, जिसमें समूह की बचत राशि से लगभग चार गुना ऋण बैंक द्वारा भी दिया जाता है। इस प्रकार इस ऋण से सम्बन्धित खाते के समूह की महिलायें अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के आय सृजक गतिविधियों को आरम्भ कर स्वावलम्बी बनती है। यह योजना प्रदेश के 54 जनपदों के 94 विकास खण्डों में संचालित हैं। योजना का कार्यकाल मार्च, 06 तक था, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड पर 100 समूहों की दर से कुल 9400 समूहों के गठन का लक्ष्य था।

स्वशक्ति उत्तर प्रदेश परियोजना

महिलाओं के ग्राम स्तरीय स्वशक्ति समूहों, संकुलों, संगठनों एवं संघों के

निर्माण उपरांत महिलाओं की क्षमता वृद्धि पर बल देती है।

राज्य महिला आयोग

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 द्वारा दि020.08.04 को राज्य महिला आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गयी। इसके गठन का उद्देश्य महिलाओं के सर्वाधिक अधिकारों के संरक्षण एवं उनके समुचित विकास तथा कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना है।

अन्य योजनायें-[1]

शहीद सैनिकों की पत्नियों को राजकीय सहायता

शहीद सैनिको की पत्नियों को निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 द्वारा निम्न राजकीय सहायता प्रदान की जाती है–

01. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिको एव दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 01 अप्रैल, 2001 से रु0500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।
02. दिवंगत सैनिकों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान।
03. पूर्व सैनिकों की पत्नियों को सिलाई/बुनाई मशीन की सहायता।
04. युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु योजनायें।
05. सियाचीन युद्ध में शहीद हुए उ0प्र0 के सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों को सहायता।

विकलांग महिलाओं/बालिकाओं को राजकीय सहायता

01. गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं में 03 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का शासनादेश निर्गत किया गया है।

---

1. प्रतियोगिता साहित्य, 9 सीरीज : उ0प्र0 एक अध्ययन, 2006

02. निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु अधिकतम रु08,000/– तक का चिकित्सीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

03. विकलांग गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य की जांच हेतु सहायता।

04. मूक बधिर बालिका विद्यार्थियों की स्थापना।

05. विकलांग छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति।

06. विकलांग युवती से विवाह करने की दशा में रु014,000/– का प्रोत्साहन पुरस्कार।

परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाएं –

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टिटनिस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का संदर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रदत्त सहायता –

महिलाओं में जागृति लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाये तथा इसके लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं व अधिकार दिये जाएं। इसके साथ ही उनमें चेतना जागृत की जाए तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वरोजगार स्थापना की ओर प्रेरित किया जाए। इसी उद्देश्य से महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन अप्रैल 1990 में किया गया है तथा प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में महिला उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है, जिसके उद्देश्य एवं कार्य

निम्नवत् हैं–

01. महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उद्योगों की स्थापना में प्रोत्साहन देना।

02. उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक सुविधायें जैसे वित्तीय सहायता, भूमि भवन की सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के विपणन में सहायता देना।

03. उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके महिला उद्यमी को उपलब्ध कराना।

04. महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में एक महिला हाट/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित करायी जाती है तथा महिला उद्यमी को प्रेरित करने हेतु गोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किया जाता है।

05. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 3467 महिलाओं को प्रशिक्षित कर लाभान्वित किया गया है।

06. उद्यमिता विकास कार्यम योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 में 2036 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है।

जननी सुरक्षा योजना –

निर्धनता रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं हेतु 01 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ इस योजना ने ''राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना'' का स्थान ले लिया है तथा यह ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' का घटक है। मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ लागू इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होगा। योजनान्तर्गत प्रसव कराने वाली स्वास्थ्य सेविका को भी 200 रूपये से 800 रूपये तक

की धनराशि प्रदान की जायेगी।

कन्या विद्या धन योजना -

किसी भी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा 20,000 की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना का लाभ गरीब बालिकाओं को ही दिया जायेगा।

न्यू स्वर्णिमा योजना -

पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष योजना स्वर्णिमा योजना प्रस्तावित की गयी है। स्वर्णिमा योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

01. महिला लाभार्थी को अपना अंश विनियोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
02. इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम् ऋण रु050,000/– प्रति लाभार्थी है।
03. ऋण भुगतान की अधिकतम् अवधि 7 वर्ष है, जोकि अन्य योजनाओं की अपेक्षा 2 वर्ष अधिक है।
04. ऋण पर लाभार्थी द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, जबकि सामान्य ऋण पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक है।

पंचम् अध्याय

जनपद जालौन में महिलाओं का आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक स्तर

सशक्त नारी सशक्त समाज की अवधारणा को पुष्ट करते हुए देश के सरकारी और गैर–सरकारी सभी स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक योजनायें और नीतियां बनायी गयी हैं। इन योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में आने वाले परिवर्तनों को नकारा भी नहीं जा सकता है। वास्तव में देश के विभाजन के पश्चात् ही महिलाओं में अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जाग्रति आयी है। वैधानिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं और इन समान अवसरों की रक्षा के लिए आरक्षण, प्रोत्साहन तथा विशेष सहयोग की नीतियों को अपनाया गया। लेकिन कानूनी प्रावधान के बाद भी महिलायें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने में असफल रही हैं। क्योंकि जटिल सामाजिक कुरीतियाँ आज भी जीवित हैं। शहरों में सभ्यता के विकास के अनुरूप ये कुरीतियाँ गौण होती नजर आ रही हैं परन्तु ग्रामीण एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अभी भी समस्यात्मक है।

नारी शक्ति का विकास की प्रक्रिया में अपूर्व योगदान है। नारी के पूर्ण सहयोग के बिना गरीबी, बेरोजगारी, असमानता एवं जनसंख्या विस्फोट रूपी जंजीर को कदापि नहीं तोड़ा जा सकता। यदि नारी शक्ति, कार्यक्षमता तथा मनोबल का सही मायने में उपयोग किया जाए तो विकास की धारा को नया रूप, नयी शक्ति तथा नयी दिशा मिल सकती है। लेकिन ये दौड़ती हुई स्वस्थ्य आशायें, आकांक्षायें ग्रामीण अंचलों में अभी भी अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत दूर हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित जनपद जालौन भी एक ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है तथा इस जनपद में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत चिन्तनीय है।

इस जनपद की महिलायें अभी भी घरेलू हिंसा, पारम्परिक वर्जनायें तथा पुरुषों की रूढ़िवादी तथा संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं। ''पुरुष प्रधान समाज

व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है, जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर करके आंकती हैं। महिला तथा पुरुष दोनों इंसान हैं, लेकिन दोनों के बीच लिंग के आधार पर जबरदस्त गैर बराबरी स्थापित की गयी है और यही गैर बराबरी महिला पर महिला होने के कारण की जा रही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।''[1]

१. महिलाओं का आर्थिक स्तर :

आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ये वे गतिविधियाँ हैं, जो आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। जब महिलायें इन आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती हैं तो कार्य तथा आय दोनों में ही अन्तर होता है। अतः यह एक प्रकार का सूचक है कि किस तरह से आर्थिक क्षेत्र, जेंडर असमानता को जन्म देता है।

अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। औद्योगिक कार्य, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य और अन्य औपचारिक संस्थाओं के कार्य संगठित क्षेत्र में आते हैं। स्व–रोजगार जैसे गली, मोहल्ले में बिक्री, कृषि, खेतिहर मजदूरी ये सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ये दोनों क्षेत्र पुरुषों तथा महिलाओं को अलग–अलग निर्णय लेने तथा शक्ति के अलग–अलग सम्बन्धों को बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में पुरुषों एवं महिलाओं की अलग–अलग भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग, टोकरी निर्माण और बुनाई ये सभी जीविका के माध्यम महिलाओं को प्रदान किये जाते हैं। इसके विपरीत स्टील उद्योग, काष्ठकार तथा यांत्रिकी से सम्बन्धित कार्य पुरुषों को प्रदान किये जाते हैं। श्रम के इस प्रकार के विभाजन के बाद भी आमदनी को पुरुष ही रखते हैं। इस प्रकार महिलायें सामान्यतः घाटे की स्थिति में रहती हैं क्योंकि खर्च और बचत के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कृषि के क्षेत्र में महिलायें और पुरुष दोनों ही खेतों

---

1. समान (सशक्त महिला आन्दोलन) डायरी, जनपद जालौन

में कार्य करते हैं। इसके बावजूद किस फसल को उगाना है तथा खेती से होने वाले लाभ का उपयोग आदि पर पूरी तरह से पुरुषों का नियंत्रण होता है। असंगठित क्षेत्र में महिलायें सबसे ज्यादा संख्या में रहती है तथा कठोर श्रम करती हैं। फिर भी इस क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी योजना, सामाजिक सुरक्षा या जेंडर संवेदनशील योजनाएं लागू नहीं होती हैं जिससे उनकी असुरक्षा और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ, जो कार्य महिलाएँ अपने घर पर करती हैं , उसकी कोई मान्यता नहीं होती है और उसको कोई महत्व भी नहीं दिया जाता है।

5वीं आर्थिक जनगणना (2005) के अनुसार जनपद में कुल 5428 महिलायें आर्थिक कार्यों में लगी हुयी हैं, इन महिलाओं को अपने कार्य के बदले आय की प्राप्ति होती है। इन कार्यशील महिलाओं में 2564 ग्रामीण महिलायें हैं तथा 2864 शहरी महिलायें हैं। इसके अतिरिक्त 5803 महिलायें अवैतनिक रूप से आर्थिक कार्यों में संलग्न है। इन महिलाओं को अपने कार्य का कोई भी आर्थिक लाभांश नहीं मिलता। इनके कार्यों को पारिवारिक सहयोग माना जाता है। 5803 महिलाओं में से 1033 ग्रामीण महिलायें हैं तथा 915 शहरी क्षेत्र की महिलायें हैं।

जनपद में कुल 177656 गरीब महिलाओं का आंकलन किया गया है, इनमें से 14866 डकोर, 14903 कोंच, 11605 महेवा, 17930 कदौरा, 17245 नदीगाँव, 14982 माधौगढ़, 16208 कुठौंद, 14730 रामपुरा एवं 21252 जालौन विकास खण्ड में है।[1]

हालांकि वास्तविकता तो यह है कि विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जेंडर विश्लेषण और उसके नियोजन को महिलाओं की गरीबी जिसे ''नारित्व की गरीबी'' भी कहा जाता है, के कारणों को व्यक्त करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार विश्व में दो अरब से ज्यादा संख्या महिलाओं की है। लगभग पूरे विश्व में इस तरह की सामाजिक–आर्थिक

1. दैनिक जागरण, 5 सितम्बर, 2006

व्यवस्था विकसित हुई है कि जेंडर के आधार पर सामान्यतः पुरुष ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते हैं, नियंत्रण करते हैं। दूसरी तरफ महिलायें अनुपाततः संसाधनों, क्षमता, अधिकार और स्वायत्तता को कमी महसूस करती है।

महिलाओं की उत्पादन सम्बन्धी अवधारणा भी स्पष्ट नहीं है। उन कार्यों को उत्पादक माना जाता है जिसका अपना विनिमय मूल्य होता है। श्रम का जेंडर के आधार पर किया जाने वाला विभाजन पुरुषों को उत्पादन सम्बन्धी कार्य को सम्पादित करने के लिए ज्यादा अधिकार देता है। पुरुषों को प्रत्येक कार्य के लिए महिलाओं से अधिक पैसे मिलते हैं। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि पुरुष अधिक कार्य कुशल होते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के कार्य को गौण तथा सबसे कम मजदूरी में कार्य करने वाला माना जाता है। हालाँकि उत्पादक कौन है, इसकी इतनी संकीर्ण परिभाषा पर एक विवाद खड़ा हो जाता है। आज इस बात को उठाया जा रहा है कि महिलाओं की जिम्मेदारी जैसे– बच्चा पैदा करना और पालन–पोषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। महिलाएं केवल माँ के रूप में ही अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं बल्कि भविष्य के कामगार वर्ग के उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह वर्तमान सामाजिक ढाँचे की एक स्वाभाविक रूढ़िवादी सोच है जिसके तहत् महिलाओं के कार्यों को कम महत्व दिया जाता है। इसे हम अगर अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि ये कार्य उतने ही 'उत्पादक' है जितने आर्थिक क्रियाकलाप। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुछ कार्य जिन्हें महिलायें घर में करती हैं उन्हें स्वाभाविक मान लिया जाता है तथा उन कार्यों का अवमूल्यन किया जाता है। इसी प्रकार का काम जब पुरुषों द्वारा घर के बाहर किया जाता है तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, महिलायें घर पर खाना बनाती है लेकिन पुरुष घर के बाहर खाना बनाते हैं तो इसे वे एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं, जिससे आमदनी होती है।

प्रजनन सम्बन्धी भूमिका के अन्तर्गत बहुत प्रकार के क्रियाकलाप अंतर्निहित है, जिसमें बच्चा होना, पालन–पोषण करने की जिम्मेदारियाँ और घरेलू कार्य जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना आदि। ऐसे कार्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा सम्पादित किये जाते हैं तथा भविष्य में कामगार वर्ग की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के कार्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं।

२. जनपद में महिलाओं का शैक्षिक स्तर :

साक्षरता और शिक्षा किसी भी समाज के विकास के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। साक्षरता के प्रसार को साधारणतया आधुनिकता, शहरीकरण, औद्योगीकरण, संचार और वाणिज्य से जोड़कर देखा जाता है।

Education is the most important single factor in achieving rapid economic development and creating social order found on the values of freedom, Social Justice and equal opportunity.[1]

साक्षरता किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास का अविभाज्य हिस्सा है, जिससे वह अपने सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर तरीके से समझ सकता है। शिक्षा का उच्च स्तर और साक्षरता व्यक्ति में जागृति पेदा करके उसकी आर्थिक दशा सुधारने में भी मदद देता है। साक्षतर तथा शिक्षा सामाजिक उन्नयन में एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। साक्षरता तथा शिक्षा दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए जनपद में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को दो भागों – महिलाओं में साक्षरता का स्तर तथा महिलाओं में शिक्षा का स्तर, में बाँटकर अध्ययन करना उपयुक्त होगा।

---

1. Arora, R.C., Integrated Rural Development, Published by S. Chand & Co.Ltd., New Delhi (1979), P. 261

महिलाओं में साक्षरता का स्तर -

साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति इस जनपद में अभी भी कमजोर है। जबकि महिलाओं का साक्षर होना या जागरूक होना अति आवश्यक है। यदि महिलायें ही जागरूक नहीं होंगी, तो आगे आने वाला समाज कैसे शिक्षित होगा और कैसे जागरूक होगा? जनपद में महिला साक्षरता की स्थिति को तालिका 5.2.1 से समझा जा सकता है।

तालिका 5.2.1

जनपद में महिला साक्षरता

वर्ष	कुल साक्षर जनसंख्या	साक्षर स्त्रियाँ	साक्षर पुरुष
1961	151148	26010	125138
1971	222610	46563	176047
1981	302616	85160	269346
1991	498272	138901	359371
2001	782033	272497	509536

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, 1961, 71, 81, 91, 2001

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्त्री साक्षरता में वृद्धि हो रही है परन्तु पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता का स्तर निम्न है। 1961 में जहाँ मात्र 26010 स्त्रियां साक्षर थी, वहीं 2001 में यह संख्या बढ़कर 272497 हो गयी है। इससे यह तो स्पष्ट है कि महिलाओं में साक्षरता के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास खण्डों में भी महिला साक्षरता का प्रतिशत भिन्न–भिन्न है। यह तालिका 5.2.2 में दर्शाया गया है।

<u>ग्राफ सं0–6</u>

जनपद में पुरूष एवं महिला साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति

तालिका 5.2.2

जनपद में विभिन्न विकास खण्डों में महिला साक्षरता का प्रतिशत

विकास खण्ड	कुल साक्षरता	स्त्री साक्षरता	पुरुष साक्षरता
रामपुरा	60.40	42.70	74.89
कुठौंद	64.49	48.60	77.95
माधौगढ़	64.53	48.45	78.04
जालौन	69.97	54.35	83.15
नदीगाँव	61.78	44.50	76.15
कोंच	68.38	51.08	83.25
डकोर	62.43	45.07	77.00
महेवा	56.97	36.92	73.22
कदौरा	53.79	37.38	67.15

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 2001, जनपद जालौन

उपर्युक्त तालिका 5.2.2 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता विकास खण्ड जालौन (54.35 प्रतिशत) में है। इसके पश्चात् कोंच (51.08) तथा कुठौंद (46.60) का स्थान है। सबसे कम महिला साक्षरता महेवा में है, जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 36.92 है। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार भी महिला साक्षरता भिन्न–भिन्न है। (साक्षरता का पता लगाने के लिए जनगणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों की गणना की जाती है जो किसी भी भाषा में लिख–पढ़ सकते हैं।)

तालिका 5.2.3

जनपद में आयु-वर्गानुसार साक्षर तथा निरक्षर स्त्रियाँ

आयु समूह	निरक्षर स्त्रियाँ	साक्षर स्त्रियाँ (बिना शैक्षिक स्तर के)
00 – 06	114064	–
07 – 09	16136	504
10 – 14	17576	829
15 – 19	14977	737
20 – 24	24179	1050
25 – 29	28753	1185
30 – 34	29567	942
35 – 59	101369	2955
> = 60	47852	1003

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 2001, जनपद जालौन

साक्षरता का अभिप्राय अक्षर ज्ञान या दूसरे शब्दों में जागरूकता से है। तालिका 5.2.3 में उन स्त्रियों की संख्या दर्शायी गयी है जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की तथा वे मात्र पढ़ना–लिखना जानती हैं, उच्च या संस्थागत शिक्षा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 35–59 आयु वर्ग में साक्षर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 2955 है जोकि प्रौढ़ शिक्षा के प्रभाव को स्पष्ट करती है लेकिन निरक्षर महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत अधिक है जोकि समाज के पिछड़ेपन का सूचक है।

महिलाओं में शिक्षा का स्तर –

आधुनिक समय में साक्षरता के साथ–साथ शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षित होने का सामान्य अर्थ संस्थागत शिक्षा प्राप्त करने से होता है। किसी भी

तालिका 5.2.4

विभिन्न वर्षों में संस्थागत तथा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रायें

वर्ष	जूनियर बेसिक स्कूलों में		सीनियर बेसिक स्कूलों में		हायर सेकेण्डरी स्कूलों में		डिग्री स्तर पर		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
	कुल छात्रायें	अनु०जाति की छात्रायें	कुल छात्रायें	अनु०जाति की छात्रायें	कुल छात्रायें	अनु०जाति की छात्रायें	कुल छात्रायें	अनु०जाति की छात्रायें	कुल छात्रायें	अनु०जाति की छात्रायें
1982	33207	6319	3420	727	2595	481	586	16	.	.
1992	78717	18824	14189	3034	17508	5852	2119	321	.	.
1993	76966	19031	14056	4066	17518	5862	2149	324	.	.
1994	16966	14031	14056	4066	17549	5873	2179	324	.	.
2001	73607	25515	20435	15324	18250	6112	2356	389	.	.
2002	83521	39055	20435	15324	18250	6449	4779	754	.	.
2003	83567	39575	20450	15339	18255	6512	4883	758	.	.
2004	83567	39575	20450	15339	18255	6512	4883	758	24	6
2005	71818	36549	18066	13388	44520	10295	6245	885	13	6

स्रोत– सांख्यिकी पत्रिका 1982, 1995, 2006, जनपद जालौन

कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा का प्राप्त होना आवश्यक है।

"The literacy increases people's capacity to cope with the demands of living and working."[1]

जनपद में संस्थागत शिक्षा के स्तर को तालिका 5.2.4 से समझा जा सकता है।

जनपद में विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार भी महिलाओं में शिक्षा के स्तर में भिन्नता है। यह भिन्नता महिलाओं के संस्थागत शिक्षण एवं उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हुए रुझान को दर्शाती है, जो महिलायें अशिक्षित है अथवा अल्प शिक्षित हैं, वे अब अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहती हैं। यही कारण है कि संस्थागत शिक्षा प्राप्त करने में 10–14 आयु वर्ग की लड़कियाँ सबसे आगे हैं।

तालिका 5.2.5

जनपद में आयु-वर्गानुसार महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

आयु समूह	प्राइमरी	मिडिल	हायर सेकेन्डरी स्कूल	गैर तकनीकी डिप्लोमा प्रमाण पत्र	तकनीकी डिप्लोमा प्रमाण पत्र	स्नातक या अधिक
00–06	–	–	–	–	–	–
07–09	1469	–	–	–	–	–
10–14	32754	10706	–	–	–	–
15–19	8411	11749	3660	4	7	–
20–24	7128	7730	4316	6	11	2429
25–29	7181	6886	2358	3	12	2206
30–34	6894	5529	1783	5	12	1771
55–59	18132	10349	2832	7	20	3180
> = 60	3189	1025	178	0	2	151

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 2001, जनपद जालौन

1. Ashirvad, N.; Drive against literacy : Quest for a new approach, Yojna, Vol.34, No.23, Dec.,1990, P.15.

किसी समाज में स्त्रियों की उन्नत दशा को उस समाज के विकास का प्रतीक समझा जाता है। शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है क्योंकि विकास का मॉडल ही शिक्षा पर आधारित होता है। भारतीय स्त्री परिवार की धुरी होती है जो खाना पकाने, बच्चों का पालन–पोषण करने तथा परिवार के सदस्यों की देखभाल से लेकर परिवार के अधिकांश उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करती है। अतः किसी बात को सही ढंग से सोचने–विचारने एवं जिम्मेदारियों का समुचित रूप से पालन करने हेतु शिक्षित महिला परमावश्यक है जिसके अभाव में समाज आगे नहीं बढ़ सकता। एक बच्चे की शिक्षा का आरम्भ घर पर ही उसकी माँ से होता है तथा माँ बच्चे की प्राथमिक शिक्षिका होती है। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गाँधी जी ने कहा है– "यदि आप एक पुरुष को शिक्षा देते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं किन्तु यदि आप एक स्त्री को शिक्षा प्रदान करते हैं तो सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करते हैं।"

जनपद जालौन शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और फिर स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में तो स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। यहाँ लड़कियों को पढ़ाना अनिवार्य नहीं समझा जाता है जबकि लड़कों के विषय में ऐसा नहीं है। लड़कियों की शिक्षा पर इसलिए भी ध्यान नहीं दिया जाता या कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि उन्हें विवाह के पश्चात् दूसरे परिवारों में जाना होता है। माता–पिता उनकी शिक्षा की अपेक्षा शादी पर धन व्यय करना अधिक उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त संकीर्ण सामाजिक मानसिकता के कारण लोग लड़कियों को नौकरी करने के लिए भेजना पसन्द नहीं करते। स्त्रियों के प्रति पर्दा–प्रथा वाला यह दृष्टिकोण उनकी शिक्षा में प्रमुख बाधक है। जिन गाँवों में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर के बाद लड़कियों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, वहाँ अधिकांश माता–पिता अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते, बल्कि जल्दी ही शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं।

३. जनपद में महिलाओं का सामाजिक स्तर :

महिलायें समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अतः वे समाज में अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करती हैं। ये उत्तरदायित्व पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वाहन करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं का सामाजिक स्तर भी उच्च हो। महिलाओं का सामाजिक स्तर उनके जनांककीय, स्वास्थ्य, विभिन्न निर्णयों में उनकी भूमिका तथा राजनैतिक स्तर आदि पर निर्भर करता है। अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सामाजिक कारणों से समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर वर्ग की बनी हुई है और इस कमजोर स्थिति के कारण पूरे समाज की स्थिति कमजोर एवं पिछड़ी हुयी है। महिलाओं के लिए राजनीति और वाणिज्य–व्यवसाय में प्रवेश करने के अवसर बहुत सीमित है। परम्परागत जीवन–शैली में कैद महिलाओं को घर से बाहर निकल सामाजिक कार्यों में भागीदारी के अवसर कहाँ मिल पाते हैं? इस सबके कारण नारी का अपना कुशलक्षेम और उसकी वृहद भूमिका दोनों ही बहुत सीमित और बाधित हो जाती है। मेरा आग्रह है कि इस परिसीमन के प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही तात्कालिक अभावग्रस्तता के कही अधिक गहन दूरगामी सामाजिक दुष्प्रभाव होते हैं।[1]

जनपद की महिलाओं के सामाजिक स्तर का अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है–

महिलाओं की जनसंख्या -

किसी भी समाज की पूँजी वहाँ की जनसंख्या होती है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के विकास में मानव संसाधन का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि मनुष्य ही संसाधनों का उपयोग करता है। प्रो0 पी0एल0 रावत के शब्दों में ''मनुष्य आर्थिक

---

1. सेन, अमर्त्य : भारतीय अर्थतंत्र इतिहास और संस्कृति, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006, पृ0 15

क्रियाओं का आदि तथा अन्त दोनों ही है।'' इस सम्पूर्ण जनशक्ति में एक भाग स्त्री जनसंख्या का भी है तथा वह इस जनसंख्या की सृजनकर्ती भी है। समस्त जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वह एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं विकसित समाज की आधारशिला होती है। जनपद जालौन में स्त्री जनसंख्या की स्थिति को तालिका 5.3.1 तथा ग्राफ 5.3.1 से समझा जा सकता है।

तालिका 5.3.1

जनपद में विभिन्न वर्षों में स्त्री जनसंख्या

वर्ष	स्त्रियाँ	कुल जनसंख्या में स्त्रियों का %	पुरुष	कुल जनसंख्या में पुरुषों का %	कुल जनसंख्या
1961	311464	46.97	345704	53.03	663168
1971	375518	46.16	437972	53.84	813490
1981	449221	46.55	537017	54.45	986238
1991	428898	45.14	521282	54.86	950190
2001	667811	45.92	786641	54.08	1454452

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1961, 71, 81, 91, 2001, जनपद जालौन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है तथा कुल जनसंख्या में से महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के प्रतिशत की तुलना में कम है। वर्ष 1961 की तुलना में 2001 में महिलाओं की जनसंख्या में 1.05 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि पुरुषों की जनसंख्या में 1.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति की स्त्रियों की जनसंख्या में भी निरन्तर कमी हो रही है जोकि तालिका 5.3.2 से स्पष्ट है।

तालिका 5.3.2

जनपद में विभिन्न वर्षों में अनु0जाति/जनजाति की स्त्रियों की जनसंख्या

वर्ष	अनु0जाति की स्त्रियाँ	अनु0जाति की स्त्रियों का %	अनु0जनजाति की स्त्रियाँ	कुल स्त्रियाँ
1961	93441	30.00	–	311464
1971	103543	27.57	–	375518
1981	120692	26.87	–	449221
1991	149091	34.76	–	428898
2001	178436	26.72	72	667811

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1961, 71, 81, 91, 2001, जनपद जालौन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की स्त्रियों की जनसंख्या में कमी हो रही है। वर्ष 1991 में प्रतिशत में अवश्य अत्यधिक वृद्धि हुयी है परन्तु कुल स्त्री जनसंख्या में ह्रास हुआ है। अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों की जनसंख्या, जोकि अभी तक शून्य थी, में अवश्य मामूली सा परिवर्तन आया है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों की जनसंख्या 72 है।

स्त्रियों की जनसंख्या का विभिन्न विकास खण्डों में असमान वितरण है, जिसे तालिका 5.3.3. में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5.3.3

विभिन्न विकास खण्डों में स्त्री जनसंख्या का वितरण

विकास खण्ड	स्त्रियों की जनसंख्या	कुल जनसंख्या में से %	अनु०जाति की स्त्रियाँ	अनु०जनजाति स्त्रियाँ
रामपुरा	35361	5.29	10463	—
कुठौंद	54436	8.15	14528	—
माधौगढ़	43421	6.50	12122	—
जालौन	52132	7.81	16803	—
नदीगाँव	71893	10.77	20351	—
कोंच	51030	7.64	15964	—
डकोर	81261	12.17	23127	7
महेवा	48735	7.29	9806	—
कदौरा	71362	10.69	21177	—

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 2001, जनपद जालौन

विकास खण्ड–वार स्त्रियों की जनसंख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रामपुरा ब्लाक में सबसे कम स्त्री जनसंख्या है, जोकि कुल जनसंख्या का 5.29 प्रतिशत है जबकि डकोर ब्लाक में स्त्री जनसंख्या सर्वाधिक 12.17 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्त्रियों की जनसंख्या का वितरण भी प्रत्येक विकास खण्ड में असमान है जोकि तालिका 5.3.3. तथा ग्राफ 5.3.2 से स्पष्ट है।

अनुसूचित जाति की स्त्रियों की जनसंख्या कुल स्त्रियों की जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। महेवा विकास खण्ड में कुल स्त्रियों की जनसंख्या 48735 है जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिशत मात्र 18.27 है जोकि कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। वहीं जालौन विकास खण्ड में कुल स्त्री जनसंख्या में से अनुसूचित जाति की स्त्रियों का प्रतिशत 32.23 है।

ग्राफ सं0–7

विभिन्न विकास खण्डों में स्त्री जनसंख्या

ग्राफ सं0–8

विभिन्न विकास खण्डों में अनु0जाति की स्त्रियां

जनपद जालौन ग्रामीण बाहुल्य जनपद है, अतः यहाँ की अधिकांश महिलायें भी गाँवों में ही निवास करती हैं। उन महिलाओं की समस्यायें एवं स्तर शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक समस्यात्मक एवं जटिल है। ये महिलायें खेतों में एवं घर में दोनों जगह परिश्रम करती हैं, फिर भी दोनों ही जगह उनकी स्थिति दयनीय है। खेतों में काम करने के बाद भी उन्हें न तो कृषक का दर्जा हासिल है, न ही कार्य का, कोई आर्थिक प्रतिफल मिलता है उनके कार्य को परिवार के सदस्य के नाते किया जाने वाला सहयोग माना जाता है। दिन भर पुरुष सदस्यों के कार्य में सहयोग करने के बाद इन्हें घर में भी अथक परिश्रम करना पड़ता है। जैसे– लकड़ी लाना, पानी लाना, जानवरों की व्यवस्था, उसके बाद परिवार के भोजन की व्यवस्था एवं बच्चों को देखना। इतने जी–तोड़ परिश्रम के बाद भी उन्हें परिवार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है।

तालिका 5.3.4

विभिन्न वर्षों में ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की जनसंख्या

वर्ष	ग्रामीण स्त्रियाँ	कुल जनसंख्या में से ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत	शहरी स्त्रियाँ	कुल जनसंख्या में शहरी महिलाओं का प्रतिशत
1961	272788	87.58	38676	12.42
1971	324719	86.47	50799	13.53
1981	359489	80.02	99732	22.20
1991	305284	71.18	123614	28.82
2001	509631	76.31	158180	23.69

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1961, 71, 81, 91, 2001, जनपद जालौन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस जनपद में अधिकांश महिलायें गाँवों में निवास करती हैं। परन्तु विभिन्न वर्षों के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि धीरे–धीरे शहरी महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है

जबकि ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या में गिरती हुयी दर से वृद्धि हो रही है। परन्तु अभी भी ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।

जनपद में लिंग संरचना -

मानव संरचना में लिंग संरचना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है, जो किसी भी प्रकार के जनांककीय व सामाजिक विश्लेषण के लिए अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। लिंग संरचना में परिवर्तन किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भलीभांति दर्शाता है। लिंगानुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। यह एक ऐसा सामाजिक सूचकांक है जो किसी दिये हुए समय में किसी समाज में महिला पुरुष के मध्य समानता के स्तर को दर्शाता है। सम्पूर्ण भारत की तरह इस जनपद में भी लिंग संरचना का पुरुषों की ओर झुकाव है। जनपद में लिंगानुपात की प्रवृत्ति को तालिका 5.3.5 से समझा जा सकता है।

<u>तालिका 5.3.5</u>

<u>विभिन्न वर्षों में जनपद में लिंगानुपात की प्रवृत्ति</u>

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001
महिला	937	931	901	908	904	908	886	851	837	829	847
पुरुष	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

स्रोत : Census 2001

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस जनपद की महिलायें घरेलू हिंसा, पारम्परिक वर्जनायें तथा पुरुषों की रूढ़िवादी तथा संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं, जो उन्हें पुरुषों से कमतर करके आंकती हैं। महिला तथा पुरुष दोनों ही मनुष्य है लेकिन दोनों के बीच लिंग के आधार पर जबरदस्त गैर बराबरी स्थापित की गयी है और यही गैर बराबरी महिला पर महिला होने के कारण की जा रही हिंसा के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ और महिलायें हिंसा का शिकार है बल्कि गर्भ में पल रही

अजन्मी मादा भ्रूण भी हिंसा का शिकार है। अपने तन से पैदा हुई 'तनया' के बारे में बुन्देलखण्ड के लोगों की राय है कि जितना सुख खेत में खड़ी ईख के बिकने से होता है, वैसा ही जनमते बेटी के मरने और अगर शादी से पहले बेटी मर गयी तो क्या कहने?[1] 2001 के जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार यह तथ्य सामने आया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालक–बालिका अनुपात में कमी आयी है। 1991 में जहाँ यह अनुपात 100:94.5 था, वहीं 2001 में घटकर यह अनुपात 100:92.7 हो गया है।[2]

तालिका 5.3.6

विकास खण्डवार लिंगानुपात

क्र0सं0	विकास खण्ड	महिलायें	पुरुष
1.	रामपुरा	832	1000
2.	कुठौंद	857	1000
3.	माधौगढ़	849	1000
4.	जालौन	848	1000
5.	नदीगाँव	839	1000
6.	कोंच	862	1000
7.	डकोर	847	1000
8.	महेवा	827	1000
9.	कदौरा	837	1000

स्रोत : $\frac{\text{विकास खण्ड में कुल महिलाओं की संख्या}}{\text{विकास खण्ड में कुल पुरुषों की संख्या}} \times 1000$

1. नसीरूद्दीन : लड़की मरै घड़ी भर का दुःख, जिये तो जनम भर का, उम्मीद 2005, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ज्ञान विज्ञान समिति उ0प्र0 द्वारा लखनऊ से प्रकाशित, पृ0 45
2. गुप्ता, डॉ0 वीना : बालिका भ्रूण हत्या समाज के सामने एक और चुनौती, उम्मीद 2002, पृ0 41

तालिका सं0 5.3.6 से स्पष्ट है कि विभिन्न विकास खण्डों में लिंगानुपात में अन्तर है। महेवा विकास खण्ड में लिंगानुपात सबसे कम 827 तथा कोंच विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों की तुलना में सबसे अधिक 86.2 है।

2001 की जनगणना के अनुसार इस जनपद का लिंगानुपात 847 है, जोकि बहुत ही निम्न है क्योंकि यदि प्रदेश के अन्य जनपदों से इस जनपद की तुलना की जाए तो निम्न स्त्री–पुरुष अनुपात में जनपद जालौन का प्रदेश में छठा स्थान है तथा सर्वाधिक निम्न स्त्री–पुरुष अनुपात वाले प्रारम्भिक 5 जनपद हैं– शाहजहांपुर (838), बदायूं (841), मथुरा (841), गौतमबुद्ध नगर (842) व हरदोई (843)।

यदि इस जनपद को एक राज्य मानकर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना की जाए तो भी न्यूनतम् स्त्री–पुरुष अनुपात में छठवां स्थान होगा। प्रारम्भिक पांच राज्य है– दमन व दीव (709), चण्डीगढ़ (773), दादर व नागर हवेली (811), दिल्ली (881) तथा अण्डमान, निकोबार दीप समूह (846)।

स्त्री पुरुष अनुपात का यह अन्तर समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। "बात जो भी हो, एक बात तो तय है कि बिना लैगिंक अनुपात की समस्या सुलझाये महिला सशक्तीकरण की पहेली को सुलझाना एक दुरुह कार्य है, क्योंकि बिगड़ते लैंगिक अनुपात के कारण जब महिलायें ही नहीं रहेंगी, तो हम सशक्तीकरण किसका करेंगे? पहली समस्या तो उन्हें बचाने की है, सशक्तीकरण तो बाद में होगा।"[1] महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिकता प्रायः प्रत्येक आयु वर्ग में है तथा यह असंतुलन इतना अधिक हो गया है कि इससे सामाजिक कुरीतियाँ पनपने लगी है। इस असंतुलन के इतना अधिक बढ़ने का कारण यह रहा कि अभी तक इस समस्या की गम्भीरता को नजरंदाज किया जाता रहा है। डॉ0 ज्ञानचन्द्र के शब्दों में "सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि हम इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि यह भी कोई समस्या है जिसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

1.महिला सशक्तीकरण : कुछ अनसुलझे पहलू, कुरुक्षेत्र, मार्च 2006

अभी तक महिलाओं की संख्या में कमी केवल सांख्यिकीय रुचि का विषय मात्र है। समाजशास्त्रियों, अनुवांशिक विशेषज्ञों और यहाँ तक कि जनसंख्याशास्त्री भी अंधेरे में है। जनगणना रिपोर्ट में भी लिंगानुपात का जो विवरण दिया जाता है, उसे पूरी गम्भीरता तथा सारगर्भिता से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में यह लैंगिक विषमता और भी प्रखर हो उठती है तथा अनेक सामाजिक तनावों को उत्पन्न करती है।[1]

किसी भी समाज में विद्यमान आयु संरचना का विशेष महत्व होता है। आयु संरचना से बहुत सी बातों की जानकारी होती है। जैसे– समाज में शिशुओं एवं वृद्धों की संख्या, अशिक्षित अनुपात, स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या, विवाह योग्य जनसंख्या तथा मतदाताओं की संख्या आदि। आयु संरचना के आधार पर प्रजनन योग्य स्त्रियों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। डॉ0 चन्द्रशेखर के शब्दों में "व्यक्ति की आयु, उसके स्कूल में प्रवेश, श्रम बाजार में प्रवेश, मत देने का अधिका, विवाह आदि का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयु संरचना का मृत्यु तथा विवाह दर, जनसंख्या के आर्थिक एवं व्यवसायिक संगठन तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।" जनपद में आयु वर्गानुसार स्त्रियों की जनसंख्या का वितरण तालिका 5.3.7 में दिखाया गया है।

तालिका 5.3.7

जनपद में आयु वर्गानुसार स्त्रियों की जनसंख्या

आयु समूह	कुल स्त्रियाँ	ग्रामीण स्त्रियाँ	नगरीय स्त्रियाँ
00 – 04	74294	58990	15304
05 – 09	93202	72590	20612
10 – 14	85331	64190	21141
15 – 19	52335	36557	15778

1. Dr. Gyan Chandra : Population in Perspective, P. 361

आयु समूह	कुल स्त्रियाँ	ग्रामीण स्त्रियाँ	नगरीय स्त्रियाँ
20 – 24	52452	39035	13417
25 – 29	54186	41680	12506
30 – 34	50885	39188	11697
35 – 39	43425	32278	11147
40 – 44	33784	25181	8603
45 – 49	28534	21479	7055
50 – 54	21727	16800	4927
55 – 59	20633	16283	4350
> = 60	55665	44210	11455

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 2001, जनपद जालौन

तालिका 5.3.7 से स्पष्ट है कि 0–9 वर्ष तक की लड़कियों की संख्या अधिक है परन्तु धीरे–धीरे यह जनसंख्या घटने लगती है। प्रजनन योग्य आयु में महिलाओं की संख्या का कम होना ऊँची मातृत्व मृत्यु दर का प्रतीक है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि वृद्ध महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। बढ़ती आयु के साथ स्त्री जनसंख्या के कम होने का कारण निम्न आयु में विवाह तथा कुपोषण की समस्या है।

महिलाओं का स्वास्थ्य –

कैसी विडम्बना है कि पोषण का गेटकीपर कही जाने वाली स्त्रियाँ स्वयं अल्प पोषण या कुपोषण के चक्र में फँसती चली जाती हैं, आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी के कारण रोगग्रस्त हो जाती हैं। कभी–कभी उनकी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि गर्भावस्था के दौरान भी उन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, अधिकतर गर्भवती स्त्रियाँ खून की कमी और पोषक आहार के अभाव की शिकार हैं।

ग्राफ सं0–9

जनपद में आयु वर्गानुसार स्त्रियों की जनसंख्या

>60 55665
55-59 20633
50-54 21727
45-49 28534
40-44 33784
35-39 43425
30-34 50885
25-29 54186
20-24 52452
15-19 52335
10-14 85331
05-09 93202
00-04 74294

कुल स्त्रियां

गर्भाधारण करने की स्थिति में आवश्यक जाँच के दौरान स्त्रियों में खून की कमी का पता चल जाता है, मगर सामान्य जीवन में जो स्त्रियाँ एनीमिया का शिकार है, वे स्वयं ही नहीं जानती कि उनके शरीर में खून की कमी है। जनपद में लगभग 40 प्रतिशत महिलायें एनीमिया का शिकार है। महिला चिकित्सालय की रिपोर्ट के अनुसार 90 प्रतिशत गर्भवती महिलायें एनीमिया का शिकार हैं। इसी का मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर की अधिकता है। जनपद में मातृ मृत्यु दर का अनुपात 1000 पर 7 है तथा शिशु मृत्यु दर 1000 पर 5 है।

अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद महिलाओं के पास स्वयं के स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिए समय ही नहीं बचता। घर में सबको खाना खिलाने के बाद, वे बचा हुआ खाद्य पदार्थ खाकर ही अपनी भूख संतुष्ट कर लेती हैं। खाने में होने वाले विटामिन, खनिज तथा अन्य पोषक तत्वों की मात्रा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है। महिलाओं के खान–पान के साथ भेदभाव उनके बचपन से ही प्रारम्भ हो जाता है और निरन्तर चलता रहता है। बच्चों को जन्म देने के बाद तो उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है जिस कारण वे प्रायः किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगती हैं। परिवार में उनकी भूमिका उत्पादक की नहीं बल्कि पुनरुत्पादक की होती है और इस भूमिका के चलते उन्हें दोयम दर्जे की स्थिति का शिकार होना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य की समस्या को अधिक घातक बना देती है। उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा की परिणिति मृत्यु के रूप में सामने आती है। यही कारण है कि आयु बढ़ने के साथ उनकी मृत्यु दर बढ़ने की संभावना अधिक होती है। (देखें तालिका 5.3.7)

आधुनिक समय में एड्स बड़े ही भयावह तरीके से अपना शिकंजा फैलाता जा रहा है। महिलायें भी इस बीमारी से अछूती नहीं है। इस जनपद की महिलायें भी इस लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं जोकि उनके पुरुष साथियों द्वारा दी गयी है।

तालिका 5.3.8

जनपद में एड्स से प्रभावित महिलायें

क्र0सं0	वर्ष	महिलायें
01.	2002	03
02.	2003	05
03.	2004	04
04.	2005	08
05.	2006	04
	योग–	**24**

स्रोत : जिला चिकित्सालय, जनपद जालौन

(ये केवल उन महिलाओं के आंकड़ें हैं, जिन्होंने अपना परीक्षण कराया)

समाज में महिलाओं की निबल एवं असहाय छवि ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है, जिस कारण वे हर सही व गलत बात को सहन करती रहती हैं तथा कुंठित बनी रहती हैं। इस कुंठा का सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। महिलायें पूरे परिवार का आधार स्तम्भ होती है। अतः परिवार की विभिन्न स्थितियाँ तथा निर्णय सम्मिलित रूप से उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति भेदभाव ने गिरते हुए लिंगानुपात की विषम समस्या पूरे विश्व के सामने पैदा कर दी है। ''उदाहरण के लिए ढेरों साक्षियाँ यह प्रमाणित कर रही है कि प्रकृति के नियमों के विपरीत और समाज के व्यवहार द्वारा रचित कारकों ने एशिया और उत्तरी अफ्रीका में नारी की अति मरणशीलता की भयावह सृष्टि रच दी है। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि में लिंग भेद के कारण करोड़ों की संख्या में नारियां विलुप्त हो गई हैं।''[1]

---

1. सेन, अमर्त्य : आर्थिक विकास और स्वातन्त्र्य, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2004, पृ0 201

महिलाओं की परिवार में स्थिति –

हमारे समाज की एक बहुत ही रूढ़िवादी मानसिकता है कि महिलाओं को सिर्फ घर और बच्चों की जिम्मेदारी संहालनी चाहिए। (इन दायित्वों के निर्वहन में पूरी स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ भी पुरुषों की मर्जी को प्राथमिकता दी जाती है) सभी आर्थिक एवं उत्पादक क्षेत्रों पर मात्र पुरुषों का अधिकार है। इस मानसिकता ने महिलाओं की एक ऐसी छवि गढ़ दी है जिसे सिर्फ मौन रहकर कार्य करना है, अपने अधिकार एवं व्यक्तित्व के विकास के बारे में सोचना उनकी कार्यक्षेत्र की सीमा से बाहर है। महिलाओं के घरेलू कार्य एवं प्रजनन सम्बन्धी कार्य को पुनुरुत्पादक माना जाता है जबकि पुरुषों के सभी कार्यों को उत्पादक माना जाता है। जबकि महिलायें पुरुषों के साथ आर्थिक कार्य में सहयोग करती है, तब भी उन्हें उनके लाभ का कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। इसे भी पुनुरुपादक कार्यों में शामिल कर लिया जाता है। ''इसे कभी–कभी 'श्रम विभाजन' का नाम दिया जाता है, जबकि इसका नाम तो 'नारी पर काम की लदाई' होना चाहिए।''[1]

तालिका 5.3.9

जनपद में विभिन्न आयु वर्गो की महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

आयु वर्ग	अविवाहित स्त्रियाँ	विवाहित स्त्रियाँ	विधवा स्त्रियाँ	तलाकशुदा स्त्रियाँ
00 – 09	167496	0	0	0
10 – 14	83218	1920	147	46
15 – 19	38154	14014	135	32
20 – 24	6132	45805	401	114
25 – 29	943	52466	671	106
30 – 34	302	49442	1045	96
35 – 39	149	41745	1420	111

1. सेन, अमर्त्य : भारतीय अर्थतंत्र इतिहास और संस्कृति, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006, पृ0 216

आयु वर्ग	अविवाहित स्त्रियाँ	विवाहित स्त्रियाँ	विधवा स्त्रियाँ	तलाकशुदा स्त्रियाँ
40 — 44	151	31711	1844	78
45 — 49	96	36317	2049	72
50 — 54	65	18797	2824	41
55 — 59	51	17926	2633	23
60 — 64	195	13881	6354	30
65 — 69	170	9731	4895	11
> = 70	460	8759	11163	17

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 2001, जनपद जालौन

जनपद में महिला हिंसा की स्थिति –

"स्त्री–पुरुष विषमता का सबसे पाशविक स्वरूप नारी का शारीरिक उत्पीड़न है। इस प्रकार की हिंसात्मक घटनायें केवल गरीब और कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। आधुनिक और धनी देशों में भी यह पाशविकता काफी उच्च स्तर पर पाई जा रही है।"[1] शक्ति का दुरुपयोग हिंसा को जन्म देता है। यह हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कड़वा सच है। किसी भी विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम में स्त्री हिंसा पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है तथा उस हिंसा का जिसका महिलायें सामना करती है, विश्लेषण की आवश्यकता है। शायद ही कोई महिला हो जो कभी हिंसा का शिकार न हुई हो, इससे यह तो स्पष्ट है कि समाज में महिलायें विभिन्न तरीकों से हिंसा से ग्रसित है। इस प्रकार हिंसा में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लिंग से सम्बन्धित हिंसा भी शामिल रहती है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, स्त्री और पुरुष के बीच प्रधानता और आधीनता के सम्बन्ध को जारी रखने का एक निर्णायक हथियार होता है।

---

1. सेन, अमर्त्य : भारतीय अर्थतंत्र इतिहास और संस्कृति, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006, पृ0 216

महिला भ्रूण हत्या, बाल हत्या, दहेज के कारण हिंसा, बलात्कार, लिंग सम्बन्धी दुर्व्यवहार, अपहरण, घरेलू हिंसा तथा महिलाओं की खरीद फरोख्त आदि ऐसी हिंसा है जो किसी से भी छिपी नहीं है। हिंसा के आरोपी अधिकांशतः बच जाते हैं, यह स्थिति हिंसा को और अधिक बढ़ावा देती है। जैसे–जैसे समाज विकास कर रहा है, महिला हिंसा कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। जनपद में वर्ष 2004 में दहेज हत्या के 20 मामले सामने आये। 2005 में 18 तथा 2006 में ये आंकड़ें बढ़कर 35 हो गये हैं। अधिकांश मामले तो दबा दिये जाते हैं। ऐसा लगता है कि हिंसा महिलाओं के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिसे महिलायें भी स्वीकार कर लेती हैं।

जनपद में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति –

अगस्त, 1947 में आजादी के बाद भारत ने एक संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रित और संघीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। इस संविधान ने स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनैतिक और साथ ही जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान तथा शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना अधिकार प्रदान किये। इस प्रकार भारतीय संविधान में महिलाओं की स्वतंत्र तथा सक्रिय और समान राजनैतिक हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के लिए उनके राजनैतिक सबलीकरण की जरूरत को रेखांकित किया गया।

परन्तु इस जनपद में चुनाव या विधायिका जैसे मंचों से जुड़ी औपचारिक राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत सीमित रही है। अनेक अध्ययनों ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया है कि चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी न केवल उम्मीदवार के तौर पर बल्कि मतदाता के रूप में भी बहुत सीमित है। सर्वेक्षण के दौरान निम्न तथ्य सामने आये–

01. महिलायें स्वतंत्र मतदाता नहीं है।
02. उनमें ज्यादातर महिलायें निरक्षर है।

03. उनमें से अधिकांश महिलाओं का निर्णय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों– पिता, पति तथा पुत्र आदि पर निर्भर करता है।

04. महिलाओं में सूचना और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है, तथा

05. महिलायें राजनीतिक रूप से सचेत नहीं है।

संसद द्वारा वर्ष 1992 में पारित संविधान संशोधन का 73वाँ और 74वाँ बिल भारतीय महिलाओं के लिए क्रान्तिकारी घटना थी। इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ही स्थानीय निकायों के सभी चुने हुए कार्यालयों में कुल स्थानों का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इस बिल के जरिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों की पंचायतों में कुल सीटों का एक तिहाई भाग आरक्षित हुआ। साथ ही यही व्यवस्था प्रधान तथा अध्यक्ष पद के लिए भी हुयी। उन्हें ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद, नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक एक–तिहाई आरक्षण मिला।

इस जनपद के वंचित लोगों में महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग है। वे यहाँ की आधी दुनिया है, कहीं–कहीं यह आधी दुनियां पुरुषों से अधिक काम करती है, परन्तु उसे पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः इस आधी दुनिया को सशक्त बनाने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए तथा राजनैतिक सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण के माध्यम से रास्ता बनाया गया और माना गया कि आरक्षण की प्रणाली के जरिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी के आधार को विस्तार दिया गया। आरक्षण व्यवस्था से पहले जनपद में महिलाओं की विभिन्न पदों पर राजनैतिक हिस्सेदारी 1 से 2 प्रतिशत तक थी परन्तु 1995 में 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुयी है। वर्तमान में 564 कुल ग्राम पंचायतों में 234 महिला प्रधान है (देखें तालिका 5.3.10)। आरक्षण के बाद क्षेत्र

पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत तथा नगर पालिकाओं में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुयी है। (देखे तालिका 5.3.11, 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.15, 5.3.16)

तालिका 5.3.10

ग्राम पंचायत में महिला प्रधानों का विकास खण्डवार विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल ग्राम पंचायत	कुल महिला प्रधान	पिछड़े वर्ग की महिला प्रधान	अनु0जाति की महिला प्रधान	सामान्य वर्ग की महिला प्रधान
1.	डकोर	76	38	13	6	19
2.	कोंच	61	40	14	5	21
3.	जालौन	62	21	10	5	6
4.	नदीगांव	73	32	15	6	11
5.	माधौगढ़	57	20	9	5	6
6.	रामपुरा	43	15	7	4	4
7.	कुठौंद	66	22	10	6	6
8.	महेवा	58	20	9	4	7
9.	कदौरा	68	27	9	6	12
	योग–	**564**	**234**	**95**	**47**	**92**

स्रोत : जिला ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

तालिका 5.3.11

ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों का विकास खण्डवार विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल सं.	कुल महिला सदस्य	पिछड़े वर्ग की महिलायें	अनु0जाति की महिलायें	सामान्य वर्ग की महिलायें
1.	डकोर	930	336	109	116	111
2.	कोंच	710	256	73	100	83
3.	जालौन	715	260	79	98	83
4.	नदीगांव	857	309	92	112	105
5.	माधौगढ़	663	240	67	83	90
6.	रामपुरा	493	179	51	62	66
7.	कुठौंद	758	275	74	93	108
8.	महेवा	678	243	70	70	103
9.	कदौरा	834	301	90	108	103
	योग–	**6638**	**2399**	**705**	**842**	**852**

स्रोत : जिला ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

तालिका 5.3.12

क्षेत्र पंचायत में महिला प्रधानों का क्षेत्र पंचायतवार विवरण

क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत	क्षेत्र पंचायत प्रधान	आरक्षण	शैक्षिक योग्यता
1.	डकोर	महिला	अनारक्षित	बी0ए0
2.	कोंच	–	–	–
3.	जालौन	–	–	–
4.	नदीगांव	महिला	अनारक्षित	साक्षर
5.	माधौगढ़	महिला	अनारक्षित	बी0ए0
6.	रामपुरा	–	–	–
7.	कुठौंद	–	–	–
8.	महेवा	–	–	–
9.	कदौरा	महिला	आरक्षित	हाईस्कूल

स्रोत : जिला ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

तालिका 5.3.13

क्षेत्र पंचायत में महिला सदस्यों का क्षेत्र पंचायतवार विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल सं.	कुल महिला सदस्य	पिछड़े वर्ग की महिलायें	अनु0जाति की महिलायें	सामान्य वर्ग की महिलायें
1.	डकोर	85	29	8	9	12
2.	कोंच	56	19	5	6	8
3.	जालौन	56	19	5	6	8
4.	नदीगांव	71	24	7	7	10
5.	माधौगढ़	54	18	5	5	8
6.	रामपुरा	35	12	3	4	5
7.	कुठौंद	59	20	5	6	9
8.	महेवा	53	18	5	4	9
9.	कदौरा	77	26	7	8	11
	योग–	**546**	**185**	**50**	**55**	**80**

स्रोत : जिला ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

तालिका 5.3.14

जिला पंचायत में महिला सदस्य

क्र0 सं0	जिला पंचायत	कुल जिला पंचायत सदस्य	कुल महिला सदस्य	पिछड़े वर्ग की महिलायें	अनु0जाति महिलायें	सामान्य महिलायें
1.	जालौन	20	7	2	2	3

स्रोत : जिला ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

तालिका 5.3.15

नगर पंचायतों में महिला सदस्यों एवं अध्यक्षों का विवरण

क्र0 सं0	नगर पंचायत	कुल सदस्य	महिला सदस्य	पिछड़े वर्ग की सदस्य	अनु0जाति सदस्य	सामान्य सदस्य	अध्यक्ष
1.	रामपुरा	11	4	1	1	2	महिला(एससी)
2.	माधौगढ़	11	5	1	1	3	महिला(एससी)
3.	ऊमरी	10	4	1	1	2	–
4.	कोटरा	10	4	1	1	2	–
5.	नदीगाँव	10	4	1	1	2	–
6.	कदौरा	12	4	1	1	2	–
	योग	***64***	***25***	***6***	***6***	***13***	–

स्रोत : नगर पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

तालिका 5.3.16

नगर पालिकाओं में महिला सदस्यों एवं अध्यक्षों का विवरण

क्र0 सं0	नगर पंचायत	कुल सदस्य	महिला सदस्य	पिछड़े वर्ग की सदस्य	अनु0जाति सदस्य	सामान्य सदस्य	अध्यक्ष
1.	उरई	28	10	3	3	4	–
2.	कालपी	25	9	2	2	5	महिला
3.	कोंच	25	9	3	2	4	महिला
4.	जालौन	25	9	2	2	5	महिला(एससी)
	योग	103	97	10	9	18	

स्रोत : नगर पंचायत कार्यालय, जनपद जालौन

पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद का अनुभव समय–समय पर विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्ट, आंकड़ें और अनेक घटनायें तथा सर्वेक्षण के अनुसार यह निष्कर्ष निकला कि इस आरक्षण के जरिए महिलायें ग्राम पंचायतों की प्रधान और सदस्य बनी, उन्हें ब्लाक प्रमुख का दर्जा मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठी। आरक्षण के कारण वे स्थानीय संस्थाओं की सत्ता तक पहुँच तो गयी, लेकिन सच्चे अर्थों में आरक्षण का सीधा और प्रत्यक्ष लाभ उन्हें नहीं मिला।

पारम्परिक वर्जनाओं और रूढ़ियों के कारण महिलायें प्रतिनिधि के रूप में खुलकर अपने दिल–दिमाग से फैसले नहीं कर पाती। घूँघट की प्रथा के कारण पंचायतों की प्रधान चुनी जाने के बावजूद महिलायें राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से हाशिये पर ही हैं। कुर्सी उनके नाम की होती है, मगर उस कुर्सी के फैसले पंचायत प्रधान के पति यानि 'प्रधानपति' के होते हैं। संविधान संशोधन में महिला आरक्षण के प्रावधान को लेकर ग्रामीण पुरुषों में बेहद बैचेनी है, वे इस प्रावधान को नकार तो नहीं पाते, लेकिन पत्नी के प्रधान होने पर भी वे औरत की पुरानी, निरीह और दबी कुचली

छवि में कैद रखने के हिमायती होने के कारण पंचायत के फैसले करने का अधिकार उन्हें नहीं देते।

पुरुष जो औरतों को घर में स्वतंत्र निर्णय लेने की अधिकारिणी नहीं समझते, उन्हें अचानक गाँव भर के फैसले लेने का अधिकार भला वे क्यों और कैसे सौंप दें।

अध्याय

जनपद जालौन में विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रस्तुत अध्याय में, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न निर्धनता उन्मूलक योजनाओं का महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। समाज में महिलायें आज भी पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई तथा गरीब हैं। यदि सम्पूर्ण समाज को विकास की निर्बाधित राह प्रदान करना है तो समाज के इस कमजोर वर्ग को भी शक्ति प्रदान करनी होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की क्षमता में विकास तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी दृश्यता और मूल्यों को प्रतिष्ठा प्रदान है, ताकि वे गरिमामय एवं सुरक्षित जीवन–यापन कर सकें।

प्रस्तुत शोध में 'रेण्डम सेम्पलिंग' के माध्यम से कृषक, खेतिहीन कृषि मजदूर, मजदूर, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र से सम्बन्धित 800 महिलायें सर्वेक्षित की गयी हैं। निम्न आय तथा पारिवारिक दबाव के कारण इन महिलाओं की आय सृजन क्षमता एवं क्रय शक्ति बहुत कम है। सरकार द्वारा वित्त तथा रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करने के बाद भी महिलाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो सका, जिसका कारण पारिवारिक एवं सामाजिक बंधन तथा अशिक्षा है। इन सबके अतिरिक्त महिलाओं तक लाभ न पहुँचने के प्रमुख कारणों में योजनाओं का कागजी क्रियान्वयन एवं भ्रष्टाचारी भी है। योजनाओं का लाभ उन परिवारों की महिलाओं को ही मिल पाया है जो अधिकारियों के परिचित है अथवा जिन्होंने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत व सिफारिश का सहारा लिया है।

सरकार ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए महिला

समर्थित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है तथा महिला विशिष्ट योजनाओं का भी प्रसार किया है। जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वित्त आदि सुविधायें प्रदान करने वाली योजनायें शामिल है।

इस अध्याय में सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने का एक संक्षिप्त प्रयास किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 4 विकास खण्ड के 16 गाँवों की 800 महिलाओं का प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया, जिसमें स्वास्थ्य पारिवारिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति तथा सम्बन्धित योजनाओं से मिलने वाले लाभ के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये। प्रस्तुत अध्याय में आँकड़ों का विश्लेषण जाति, आय तथा कार्यशील व घरेलू महिलाओं में विभाजित करके किया गया है। जाति के वर्गीकरण में सरकारी आरक्षण को आधार माना गया है। आय, कार्यशील एवं घरेलू आधार पर महिलाओं का वर्गीकरण रेण्डम सेम्पलिंग पर आधारित होने के कारण प्रत्येक ब्लाक में यह प्रतिशत अलग–अलग है।

सर्वेक्षित की गयी 800 महिलाओं में से 27 प्रतिशत महिलायें पिछड़ी जाति की तथा 23 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति की हैं, जोकि विभिन्न आय वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आर्थिक आधार पर इन महिलाओं को पाँच वर्गों में बाँटा गया है। आँकड़ों के विश्लेषण के दौरान इन आय वर्गों के लिए प्रश्नावली में प्रयुक्त किये गये संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है। ये प्रयुक्त संकेताक्षर निम्नवत् हैं–

01. a (1000 – 10000 तक वार्षिक आय)
02. b (10000 – 25000 तक वार्षिक आय)
03. c (25000 – 45000 तक वार्षिक आय)
04. d (45000 – 70000 तक वार्षिक आय)
05. e (70000 से अधिक वार्षिक आय)

इसके अतिरिक्त कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं के आधार पर भी आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण को स्पष्ट बनाने के लिए तीन प्रकार की तालिकाओं का प्रयोग किया गया है–

01. A (जाति के आधार पर तालिका)

02. B (आय के आधार पर तालिका)

03. C (कार्यशील एवं घरेलू के आधार पर तालिका)

निर्धनता उन्मूलक योजनाओं/कार्यक्रमों का जनपद की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव :

जनपद में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है। निर्धनता उन्मूलन अभियानों ने उन्हें प्रभावित तो किया है लेकिन यह प्रभाव अत्यन्त सीमित रहा, जिस कारण 21वीं सदी के भारत में भी महिलायें न चाहते हुए भी शोषित एवं उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी आर्थिक स्तर की हो, चाहे वह कार्यशील हो अथवा घरेलू, वह बचपन से ही उपेक्षा एवं शोषण का शिकार होने लगती है, जिस कारण वह अपने को अबला मान बैठी है। ऐसे में विकास के लिए कुछ विशेष विचार एवं योजनाओं की आवश्यकता है जो सर्वप्रथम महिलाओं को इस शोषित छवि से उबार सके। सरकार जहाँ महिला विकास के बड़े–बड़े दावे करती हैं, वहीं इस जनपद की महिलायें सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के नाम तक नहीं जानती है और यदि किसी योजना का लाभ प्राप्त भी हो गया तो उस लाभ का प्रयोग परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कर लिया जाता है। उन्हें उस लाभ का एक छोटा सा अंश भी प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन दो भागों में किया गया है–

01. सामाजिक स्थिति पर प्रभाव

02. आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव -

सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति, पारिवारिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति तथा राजनैतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

1. स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति पर प्रभाव

महिला विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का प्रारम्भ उनके स्वास्थ्य से होता है। क्योंकि वे एक महिला होने के साथ–साथ एक माँ एवं गृहणी की भूमिका भी निभारती है। इन दोहरी–तेहरी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए महिलाओं को एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। परन्तु जनपद में महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नहीं है। सरकार भले ही आँगनवाड़ी, ए. एन.एम., आशा बहुओं आदि की संख्यायें बढ़ाती जा रही है परन्तु महिलाओं को तो इन कार्यक्रमों/योजनाओं की जानकारी तक नहीं है, लाभ तो दूर की बात है।

तालिका 6.1.1 - (A)

गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाये जा रहे
कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	50	54	60	44	56	48	40	64	206	210	49.52	50.48
पिछड़ा	19	35	29	25	22	32	13	41	83	133	38.43	61.57
अनु0जाति	15	27	22	20	17	25	10	32	64	104	38.10	61.90
योग	84	116	111	89	95	105	63	137	353	447	44.13	55.87

उपर्युक्त तालिका सं0 6.1.1- (A) से स्पष्ट है कि कुल 353 अर्थात् 44.13 प्रतिशत महिलाओं को ही महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी है, जिनमें पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की जानकारी का प्रतिशत समान है जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं में जानकारी का प्रतिशत अपेक्षाकृत उच्च है। परन्तु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन सभी महिलाओं में से किसी भी महिला को किसी भी कार्यक्रम के नाम की जानकारी नहीं थी।

तालिका 6.1.1 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	20	20	30	10	20	30	13	12	83	72	53.55	46.45
b	30	20	18	12	30	20	24	26	102	78	56.67	43.33
c	17	33	23	27	30	20	14	31	84	111	43.07	56.92
d	12	23	33	17	10	10	8	42	63	92	40.65	59.36
e	5	20	17	13	5	25	4	26	31	84	26.94	73.06

उपर्युक्त तालिका सं0 6.1.1- (B) का विश्लेषण इंगित करता है कि उच्च आय वर्ग की तुलना में निम्न आय वर्ग की महिलाओं में जानकारी का स्तर अधिक उच्च है। क्योंकि उच्च आय वर्ग की महिलायें घर से बाहर कम निकलती है तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं की जानकारी लेना तथा उनका लाभ लेना इन परिवारों में उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं समझा जाता।

तालिका 6.1.1 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	45	15	65	10	28	17	13	17	151	59	71.90	28.09
घरेलू	39	101	46	79	55	100	50	120	190	400	32.20	67.79

विश्लेषण से एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि कार्यशील महिलाओं की जानकारी का स्तर घरेलू महिलाओं की तुलना में काफी उच्च है, जोकि तालिका से स्पष्ट है। 71.90 प्रतिशत कार्यशील महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी है जबकि घरेलू महिलाओं में यह प्रतिशत 32.20 है। इसका प्रमुख कारण यह है कि घरेलू महिलायें अपने किसी भी निर्णय के लिए परिवार पर निर्भर रहती है जबकि कार्यशील महिलायें अपने अधिकांश निर्णय स्वयं लेती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सिर्फ 52 प्रतिशत महिलाओं से ही उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी फैसलों में कोई राय ली जाती है। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत मात्र 45 है।[1]

भले ही 44.13 प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी है परन्तु ये सभी महिलायें इनके लाभ प्राप्त नहीं कर पाती हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों का न आना, सुविधाओं का न होना तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रुचि पूर्वक जानकारी न देने तथा उपचार में लापरवाही के कारण महिलायें लाभान्वित नहीं हो पाती हैं। लाभान्वित महिलाओं की स्थिति को निम्न तालिकाओं से समझा जा सकता है।

तालिका 6.1.2 - (A)

गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा सम्बन्धी

सहायता प्राप्त करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	14	90	22	82	16	88	15	89	67	349	16.11	83.89
पिछड़ा	17	37	17	37	15	39	10	44	59	157	27.31	72.69
अनु0जाति	13	29	13	29	10	32	7	35	43	125	25.59	74.41
योग	44	156	52	148	41	159	32	168	169	631	21.13	78.87

1. रिपोर्ट : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2, 1998–99

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 21.13 प्रतिशत महिलाओं को ही गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्राप्त हो सकी, जबकि अन्य 78.87 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुयी। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 65.1 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा प्राप्त हो रही है।[1]

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य जाति की महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिक सहायता प्राप्त हुयी है, जबकि जानकारी का स्तर (49.52 प्रतिशत) सामान्य वर्ग की महिलाओं में अधिक है, जोकि तालिका 6.1.1-(A) से स्पष्ट है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति बहुत ही कम प्राप्त होती है, जिस कारण वे सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाती हैं।

आर्थिक आधार पर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि धनी वर्ग में लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 14.78 है तथा निम्न आय वर्ग में यह प्रतिशत 12.90 प्रतिशत है, जोकि तालिका 6.1.2.- (B) से स्पष्ट है–

तालिका 6.1.2 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	5	35	5	35	5	45	5	20	20	135	12.90	87.10
b	15	35	7	23	16	34	13	37	51	129	28.33	71.67
c	17	33	15	35	10	40	9	36	51	144	26.15	73.85
d	5	30	13	37	10	10	2	48	30	125	19.34	80.66
e	2	23	12	18	–	30	3	27	17	98	14.78	85.22

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि धनी वर्ग की तुलना में निम्न आय वर्ग की

1. रिपोर्ट : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2, 1998–99

महिलायें अधिक लाभ प्राप्त कर रही हैं, परन्तु अत्यधिक निम्न वर्ग में यह प्रतिशत गिर जाता है।

तालिका 6.1.2 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	13	47	35	40	18	27	8	22	74	136	35.24	64.76
घरेलू	31	109	17	108	60	95	24	146	132	458	22.37	71.63

घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलाओं में लाभार्थियों का प्रतिशत अधिक उच्च है।

प्रायः यह देखने में आता है कि अधिकांश महिलायें किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहती है। उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को प्रायः गम्भीरता से नहीं किया जाता, जब तक वे किसी गम्भीर बीमारी में परिणित नहीं हो जाती। सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश महिलायें थकान तथा मासिक धर्म की अनियमितता जैसी समस्याओं से ग्रसित थी, जिनका प्रमुख कारण खून की कमी का होना है। परन्तु वे इसे इतनी गम्भीरता से नहीं लेती। बाल्यावस्था से ही लड़कियों के खान–पान में भेदभाव किया जाता है। परिणामस्वरूप वे एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। जिस कारण प्रसव के दौरान माँ तथा बच्चे दोनों को ही किसी न किसी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है।

तालिका 6.1.3 - (A)

बीमारी से ग्रसित महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	27	77	28	76	32	72	35	69	122	294	29.33	70.67
पिछड़ा	18	36	16	38	14	40	20	34	68	148	31.48	68.52
अनु0जाति	4	38	8	34	5	37	10	32	27	141	16.07	83.93
योग	49	151	52	148	51	149	65	135	217	583	27.12	72.88

सर्वेक्षण में 27.12 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित हैं।

तालिका 6.1.3 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	17	23	13	27	17	33	12	13	59	96	38.06	61.94
b	18	32	10	20	15	35	20	30	63	117	35.00	65.00
c	10	40	9	41	10	40	14	31	43	152	22.05	77.95
d	4	31	11	39	6	14	15	35	36	119	23.23	76.77
e	–	25	9	21	3	27	4	26	16	99	13.91	86.09

आय के आधार पर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि निम्न आय वर्ग की महिलाओं में बीमारी का प्रतिशत अधिक है, जबकि उच्च आय वर्ग में यह प्रतिशत (13. 91) कम है।

तालिका 6.1.3 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	9	51	23	52	12	33	15	15	59	151	28.09	71.91
घरेलू	40	100	29	96	39	116	50	120	158	432	26.78	73.22

तालिका सं0 6.1.3- (C) से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाओं में घरेलू महिलाओं की तुलना में बीमारी का प्रतिशत अधिक है। कार्यशील महिलाओं को घर—बाहर दोनों ही स्थानों पर जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। अत्यधिक कार्य का नकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।

इन महिलाओं में से 31.80 प्रतिशत महिलाओं को ही सरकारी चिकित्सा प्राप्त हो रही है। परन्तु यहाँ से प्राप्त होने वाली चिकित्सीय सहायता स्तरीय न होने के कारण इन महिलाओं को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण उनमें सरकारी चिकित्सा के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया है।

तालिका 6.1.4 - (A)

सरकारी चिकित्सा प्राप्त करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	11	16	10	18	8	24	5	30	34	88	27.87	72.13
पिछड़ा	8	10	9	7	4	10	5	15	26	42	38.24	61.76
अनु0जाति	—	4	6	2	1	4	2	8	9	18	33.33	66.67
योग	19	30	25	27	13	38	12	53	69	148	31.80	68.20

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य जाति की महिलाओं की तुलना में पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की महिलायें सरकारी चिकित्सा से अधिक लाभान्वित हुयी है।

तालिका 6.1.4 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	7	5	8	4	13	2	10	21	38	35.59	64.41
b	7	11	4	6	5	10	5	15	21	42	33.33	66.67
c	4	6	6	3	3	7	2	12	15	28	34.88	65.12
d	2	2	5	6	1	5	3	12	11	25	30.56	69.44
e	–	–	5	4	–	3	–	4	5	11	31.25	68.75

तालिका से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत उच्च हो जाता है।

तालिका 6.1.4 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	3	6	15	8	6	6	3	12	27	32	45.76	54.24
घरेलू	16	24	10	19	7	32	9	41	42	116	26.58	73.42

कार्यशील एवं घरेलू के आधार पर देखने पर ज्ञात होता है कि कार्यशील महिलाओं में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारण प्रायः गर्भपात की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण में 101 (12.63 प्रतिशत) महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी न कभी गर्भपात कराया परन्तु इन गर्भपात कराने वाली महिलाओं में से 23.16 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने कन्या भ्रूण के कारण गर्भपात कराया। लड़कियों के प्रति इसी तिरस्कृत भाव के कारण यह जनपद ही नहीं बल्कि पूरा देश व पूरा विश्व लैगिंक विषमता का सामना कर रहा है।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रो0 अमर्त्य सेन के अनुसार 1986 तक पूरे विश्व से 100 मिलियन (10 करोड़) महिलाएं विलुप्त हो चुकी थी।[1]

तालिका 6.1.5 - (A)

कन्या भ्रूण होने के कारण गर्भपात कराने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	6	30	6	26	10	30	10	20	32	106	23.19	76.81
पिछड़ा	2	5	3	5	2	8	1	7	8	25	25.00	75.00
अनु0जाति	1	4	1	2	1	5	1	4	4	15	21.05	78.95
योग	9	39	10	33	13	43	12	31	44	146	23.16	76.84

जिन महिलाओं ने कभी गर्भपात कराया है उनमें से 23.16 प्रतिशत महिलाओं का गर्भपात कराने का कारण कन्या भ्रूण है। 76.84 प्रतिशत महिलाओं का गर्भपात करने के कारण अन्य थे, जैसे– बीमार होना, अनचाहा गर्भ होना आदि। कैसी विडम्बना है कि माँ अपने ही स्वरूप को सहर्ष मिटाने को तैयार है। जनपद में लिंगानुपात कम (1000 : 847) होने का यही कारण है। प्रत्येक सरकार महिला सशक्तीकरण के मुद्दे को अपने एजेन्डे में शामिल करती है। परन्तु वह उसे जन्म का अधिकार ही नहीं दिला पा रही है, सशक्तीकरण तो दूर की बात है।

कन्या भ्रूण हत्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण दहेज तथा उनकी सुरक्षा की समस्या है। जब तक समाज इन दो जघन्य समस्याओं से मुक्ति नहीं पाता, कन्या भ्रूण हत्या का क्रम यू ही चलता रहेगा। इस तथ्य को निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

---

1. सेन, अमर्त्य : भारतीय अर्थतंत्र इतिहास और संस्कृति, पृ0 207

तालिका 6.1.5 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	3	9	4	6	4	11	3	3	14	29	32.56	67.44
b	4	14	4	6	3	17	4	6	15	43	25.86	74.14
c	1	8	2	10	4	4	3	10	10	32	23.81	76.19
d	1	4	–	7	–	5	2	9	3	25	10.71	89.29
e	–	4	–	4	2	6	–	3	2	17	10.53	89.47

तालिका से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे उच्च आय स्तर बढ़ता जाता है कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत गिरता जाता है।

तालिका 6.1.5 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	3	5	3	9	–	5	3	9	9	28	24.32	75.68
घरेलू	6	34	7	24	13	38	9	22	35	118	22.88	77.12

सर्वे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक तथ्य यह सामने आया है कि कार्यशील महिलाओं में घरेलू महिलाओं की तुलना में कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत उच्च है।

जनसंख्या नियंत्रण तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारम्भ किया, परन्तु यह कार्यक्रम आज भी 55 वर्षों के बाद भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। अभी भी महिलाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है।

तालिका 6.1.6 - (A)

परिवार नियोजन कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	75	29	64	40	50	54	70	34	259	157	62.26	37.74
पिछड़ा	30	24	27	27	21	33	25	29	103	113	47.69	52.31
अनु0जाति	12	30	14	28	8	34	10	32	44	124	26.19	73.81
योग	117	83	105	95	79	121	105	95	406	394	50.75	49.25

जनपद में किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि मात्र 50.75 प्रतिशत महिलायें ही परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में जानती हैं। परन्तु इन महिलाओं को किसी भी कार्यक्रम के नाम की जानकारी नहीं है।

तालिका 6.1.6 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	18	22	20	20	16	34	7	18	61	94	39.35	60.65
b	33	17	18	12	9	41	30	20	90	90	50.00	50.00
c	37	13	23	27	27	23	35	10	122	73	62.56	37.44
d	17	18	27	23	12	8	23	27	79	76	50.97	49.03
e	12	13	17	13	15	15	10	20	54	61	46.96	53.04

तालिका से स्पष्ट है कि अत्यधिक उच्च एवं निम्न दोनों ही आय वर्गों में जानकारी का प्रतिशत मध्यम आय वर्गों की तुलना में कम है।

घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलाओं की जानकारी का प्रतिशत उच्च है, जोकि तालिका सं0 6.1.6.- (B) से स्पष्ट है।

तालिका 6.1.6 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	20	30	55	20	30	15	18	12	123	77	61.50	38.50
घरेलू	87	53	50	75	59	96	87	83	283	307	41.97	52.03

विभिन्न सरकारी आँकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज भी हमारे देश में 50 प्रतिशत से कम महिलायें ही गर्भ निरोधकों का प्रयोग करती है। इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर पॉपूलेशन साइन्सेज 2000 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 48 प्रतिशत महिलायें ही गर्म निरोधकों का प्रयोग करती है जबकि उ0प्र0 में यह प्रतिशत 28 है।[1]

जब महिलाओं से परिवार नियोजन के सम्बन्ध में पति की सहमति के बारे में पूछा गया तो मात्र 33.75 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके पति परिवार नियोजन सम्बन्धी उपायों को अपनाने को तैयार है।

तालिका 6.1.7 - (A)

परिवार नियोजन माध्यमों को अपनाने के लिए पुरुषों की सहमति

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	72	32	37	67	30	74	45	59	184	232	44.23	55.77
पिछड़ा	17	37	14	40	10	44	11	43	52	164	24.07	75.93
अनु0जाति	13	29	3	39	10	32	8	34	34	134	20.24	79.76
योग	102	98	54	146	50	150	64	136	270	530	33.75	66.25

तालिका से स्पष्ट होता है कि आज भी पुरुष वर्ग परिवार नियोजन से सम्बन्धित मामलों को महिलाओं की ही जिम्मेदारी मानते हैं।

---

1. रिपोर्ट : इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर पॉपूलेशन साइन्सेज 2000

<u>ग्राफ सं0– 10</u>

जनपद में महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति

स्रोत : सभी आँकड़ें प्रश्नावली से संकलित हैं।

तालिका 6.1.7 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	16	24	4	36	10	40	3	22	33	122	21.29	78.71
b	22	28	7	23	3	47	12	38	44	136	24.44	75.56
c	36	14	17	33	20	30	16	29	89	106	45.64	54.36
d	18	17	20	30	7	13	25	25	70	85	45.16	54.84
e	10	25	6	24	10	20	8	22	34	81	29.57	70.43

उक्त तालिका से इंगित होता है कि परिवार नियोजन माध्यमों को अपनाने के लिए पुरुषों की सहमति मध्यम आय वर्ग में अधिक है। निम्न आय वर्ग अज्ञानता के कारण परिवार नियोजन माध्यमों को नहीं अपनाता। उनके लिए अधिक बच्चों का अर्थ अधिक कमाई के साधन होता है तथा उच्च वर्ग पारम्परिक मानसिकता में जकड़ा हुआ है। वे बच्चों को भगवान की देन मानते हैं व उनके सामने बच्चों के पालन–पोषण सम्बन्धी कोई समस्या भी नहीं होती है।

तालिका 6.1.7 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	25	35	35	40	12	33	14	16	86	124	40.95	59.05
घरेलू	77	63	19	106	38	117	50	120	184	406	31.19	68.81

घरेलू एवं कार्यशील महिलाओं के आँकड़ों से स्पष्ट है कि इन दोनों ही वर्ग की महिलाओं में से कार्यशील महिलाओं का पति की सहमति के सम्बन्ध में उच्च प्रतिशत है।

2. पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव

शोध क्षेत्र के परिवारों में तो महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय है।

जहाँ आज पूरे संसार की महिलायें व्यवसायिक, कारपोरेट तथा प्रबन्धन जैसे क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाये हुए हैं तथा प्रत्येक फैसले में उनकी राय महत्वपूर्ण भागीदारी निभारती हैं, वहीं अध्ययन क्षेत्र की महिलायें अपने ही घर में उपेक्षित है। परिवार के विभिन्न निर्णयों में उनकी राय नहीं ली जाती है। यहाँ तक कि बच्चों एवं उनके स्वयं से सम्बन्धित फैसलों में भी उनकी राय नहीं ली जाती है।

तालिका सं0 6.2.1.- (A) से स्पष्ट है कि विकास के 21 सोपानों पर पहुँचने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मात्र 34.50 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि विभिन्न निर्णयों में उनकी राय महत्व रखती जबकि 65.50 प्रतिशत महिलायें ऐसी है जिनसे कोई भी राय नहीं ली जाती है बल्कि वे अपने सभी निर्णय परिवार की सलाह के अनुसार लेती है।

तालिका 6.2.1 - (A)

परिवार के विभिन्न निर्णयों में महिलाओं की भूमिका

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	48	56	44	60	40	64	40	64	172	244	41.35	58.65
पिछड़ा	20	34	14	40	10	44	13	41	57	159	26.39	73.61
अनु0जाति	15	27	12	30	10	32	10	32	47	121	27.98	72.02
योग	83	117	70	130	60	140	63	137	276	524	34.50	65.50

तालिका से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप में अच्छी है।

तालिका 6.2.1 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	13	27	9	31	10	40	13	12	45	110	29.03	70.97
b	7	23	12	38	10	40	24	26	53	127	29.44	70.56
c	19	31	23	27	20	30	14	31	76	119	38.97	61.03
d	24	26	15	20	10	10	8	42	57	98	36.77	63.23
e	20	10	11	14	10	20	4	26	45	70	39.13	60.87

आय आधारित विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्यम आय वर्गीय परिवारों में महिलाओं की स्थिति अन्य की अपेक्षा ठीक है।

तालिका 6.2.1 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	45	30	45	15	30	15	13	17	133	77	63.33	36.67
घरेलू	38	87	25	115	30	125	50	120	143	447	24.24	75.76

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कार्यशील महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। इन आँकड़ों से यह तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकती है।

पारिवारिक उपेक्षा तथा निम्न आत्मसम्मान के कारण महिलायें हिंसा का शिकार अधिक होती है। छोटी से छोटी बात पर भी पुरुष महिलाओं के साथ शाब्दिक तथा शारीरिक हिंसा का प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं।

तालिका 6.2.2 - (A)

घरेलू हिंसा की शिकार महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	45	59	53	51	50	54	48	56	196	220	47.12	52.88
पिछड़ा	24	30	28	26	30	24	25	29	107	109	49.54	50.46
अनु0जाति	28	14	32	10	35	7	20	22	115	53	68.45	31.54
योग	97	103	113	87	115	85	93	107	418	382	52.25	47.75

तालिका से स्पष्ट है कि सभी अधिनियम एवं कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए महिला हिंसा निरन्तर जारी है। 52.25 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वे हिंसा का शिकार है। सामान्य वर्ग की अपेक्षा पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का स्तर अधिक उच्च है।

तालिका 6.2.2 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	24	16	31	9	35	15	17	8	107	48	69.03	30.97
b	13	17	32	18	30	20	22	28	97	83	53.39	46.61
c	27	23	24	26	25	25	18	27	94	101	48.21	51.79
d	23	27	14	21	10	10	20	30	67	88	43.23	56.77
e	10	20	12	13	15	15	16	14	53	62	46.09	53.91

यदि आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की महिलायें अधिक हिंसा का शिकार है।

तालिका 6.2.2 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	24	51	15	45	30	15	11	19	80	130	38.10	61.90
घरेलू	73	52	98	42	85	70	82	88	338	252	57.29	42.75

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आर्थिक सशक्तीकरण ही महिला सशक्तीकरण का सर्वाधिक मजबूत शस्त्र है। कार्यशील महिलाओं में हिंसा का प्रतिशत 38.10 प्रतिशत है, वहीं दूसरी ओर घरेलू महिलाओं में यह प्रतिशत 57.29 है। इन दोनों के मध्य 19.19 प्रतिशत का अंतर है। इससे यह पता चलता है कि आय का अर्जन करने वाली महिलाओं के प्रति हिंसा का स्तर कम तो है परन्तु वे भी हिंसा मुक्त नहीं है।

महिलायें इस त्रासदी को सहते–सहते इसे सच मान बैठी हैं। इस हिंसा को वे अपने जीवन का अंग मानती हैं तथा इसका विरोध भी नहीं करती हैं।

तालिका 6.2.3 - (A)

हिंसा का विरोध करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	12	33	13	40	10	40	9	39	44	152	22.45	77.55
पिछड़ा	6	18	8	20	5	25	4	21	23	84	21.50	78.50
अनु0जाति	7	21	5	27	5	30	2	18	19	96	16.52	83.48
योग	25	72	26	87	20	95	15	78	86	332	20.57	79.43

तालिका के अनुसार मात्र 20.57 प्रतिशत महिलायें ही अपने प्रति होने वाली हिंसा का विरोध कर पाती हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिशत तो मात्र 16.52 प्रतिशत है जबकि पिछड़ी जाति में 22.45 प्रतिशत है।

तालिका 6.2.3 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	14	2	29	—	35	2	15	14	93	13.08	86.92
b	3	10	4	28	3	27	7	15	17	80	17.53	82.47
c	7	20	10	14	10	15	4	14	31	63	32.98	67.02
d	3	20	6	8	5	5	2	18	16	51	23.88	76.12
e	2	8	4	8	2	13	—	16	8	45	15.09	84.91

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च तथा निम्न आय वर्ग की तुलना में मध्यम आय वर्ग की महिलाओं में विरोध का प्रतिशत कहीं अधिक है।

तालिका 6.2.3 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	4	20	5	10	5	25	5	6	19	61	23.75	76.25
घरेलू	21	52	21	77	15	70	10	72	67	271	19.82	80.18

कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं में घरेलू महिलाओं का विरोध का प्रतिशत निम्न (19.82) है।

अध्ययन क्षेत्र की महिलायें कितना भी शोषण एवं तिरस्कार सह रही हों परन्तु अब वे इस परम्परा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। वे चाहती हैं कि नयी पीढ़ी की लड़कियां जागरूक, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर हो, ताकि वे अपने प्रति होने वाले शोषण का विरोध कर सकें।

तालिका 6.2.4 - (A)

लड़कियों में शिक्षा, जागरूकता एवं आत्म निर्भरता पसन्द करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	82	22	90	14	80	24	51	53	303	113	72.84	27.16
पिछड़ा	37	17	47	7	40	14	22	32	146	70	67.59	32.41
अनु0जाति	38	4	39	3	37	5	19	23	133	35	79.17	20.83
योग	157	43	176	24	157	43	92	108	582	218	72.75	27.25

तालिका सं0 6.2.4.- (A) से इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि महिलायें अब अपने पूरे अधिकार के साथ जीना चाहती हैं। 72.75 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि लड़कियों को जागरूक, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होना चाहिए तभी वे महिलाओं की कुशलता एवं क्षमता का परिचय दे पायेंगी। परन्तु यहाँ भी रूढ़ मानसिकता उनका पीछा नहीं छोड़ती। यही कारण है कि 27.25 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार लड़कियों को अधिक जागरूक, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू जिम्मेदारियाँ ही उनके लिए अधिक उपयुक्त होती है।

तालिका 6.2.4 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	32	8	35	5	37	13	10	15	114	41	73.55	26.45
b	45	5	23	7	42	8	17	33	127	53	70.56	29.44
c	40	10	45	5	39	11	19	26	143	52	73.33	26.67
d	25	10	45	5	17	3	24	26	111	44	71.61	28.39
e	15	10	28	2	22	8	22	8	87	28	75.65	24.35

<u>ग्राफ सं0– 11</u>

जनपद में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति

स्रोत : सभी आँकड़ें प्रश्नावली से संकलित हैं।

जबकि उक्त तालिका में विभिन्न आय वर्गों में विचारों में विभिन्नता है। सम्पन्न परिवारों में आज भी महिलाओं का घर की चारदीवारी में रहना ही उचित माना जाता है।

तालिका 6.2.4 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	58	2	65	10	45	–	24	6	192	18	91.43	8.57
घरेलू	99	41	111	14	112	43	68	102	390	200	66.10	33.90

उपर्युक्त तालिका के अनुसार घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलायें लड़कियों के विकास के पक्ष में अधिक हैं।

3. शैक्षिक स्थिति पर प्रभाव

साक्षरता ही जागरूकता प्राप्त करने का एक मात्र रास्ता है। इसीलिए सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान तथा प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियां तथा महिलायें भी जागरूक हो सकें। परन्तु जनपद में चलाये जा रहे साक्षरता कार्यक्रम अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर। ये सभी कार्यक्रम अभी तक 50 प्रतिशत भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं।

तालिका सं0 6.3.1.- (A) इंगित करती है कि सर्वेक्षित की गयी महिलाओं में 52.64 प्रतिशत महिलायें निरक्षर थी जोकि अपना नाम लिखना भी नहीं जानती थी।

तालिका 6.3.1 - (A)

सर्वेक्षित महिलाओं में साक्षरता

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	60	44	85	19	70	34	50	54	265	151	63.70	36.30
पिछड़ा	18	36	30	24	20	34	8	46	76	140	35.18	64.82
अनु0जाति	10	32	14	28	10	32	4	38	38	130	22.62	77.38
योग	88	112	129	71	100	100	62	138	379	421	47.36	52.64

सर्वेक्षित महिलाओं में 47.36 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर थी। इनमें से मुश्किल से 5 या 6 प्रतिशत महिलायें ऐसी थी जिन्होंने इण्टर के बाद डिग्री स्तर पर शिक्षा प्राप्त की है। इन साक्षर महिलाओं में वे महिलायें भी है जो मात्र अपना नाम लिखना जानती है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग की तुलना में पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत कम है।

तालिका 6.3.1 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	30	20	20	24	26	2	23	56	99	36.13	63.87
b	30	20	26	4	20	30	20	30	96	84	53.33	46.67
c	20	30	41	9	31	19	15	30	107	88	54.87	45.13
d	15	20	30	20	15	5	20	30	80	75	51.61	48.39
e	13	12	12	18	10	20	5	25	40	75	22.86	77.14

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यम आय वर्गीय महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। उच्च तथा निम्न आय वर्गीय परिवारों की महिलायें साक्षरता में पिछड़ी हुयी हैं।

घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलाओं में साक्षरता का स्तर ऊँचा है। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलाओं में 15.71 प्रतिशत निरक्षर है जबकि घरेलू महिलाओं में यह प्रतिशत 65.76 है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि साक्षरता तथा आत्मनिर्भरता में धनात्मक सह–सम्बन्ध होता है।

तालिका 6.3.1 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	60	15	60	–	45	–	12	18	177	33	84.29	15.71
घरेलू	28	97	69	71	55	100	50	120	202	388	34.24	65.76

"जब तक स्त्रियों को शिक्षित कर उन्हें आर्थिक स्तर पर स्वावलम्बी बनाकर हर क्षेत्र में विकास का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक कुछ स्त्रियों की प्रगति को भारत की सभी या अधिकांश स्त्रियों की प्रगति नहीं माना जा सकता।"[1]

जो महिलायें साक्षर नहीं थी जब उनसे पूछा गया कि क्या वे साक्षर बनना चाहती हैं तो उनमें से कई महिलाओं ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिले तो वे अभी भी साक्षर बनना चाहेगी लेकिन उनके पास साक्षर होने का कोई साधन या सुविधा नहीं है। ये विचार उन महिलाओं के उत्साह का परिचायक है परन्तु सरकार द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों की असफलता का भी पता चलता है।

---

1. गुप्ता, रमणिका : स्त्री विमर्श : कलम और कुदाल के बहाने, पृ0 11

तालिका 6.3.2 - (A)

साक्षरता की इच्छा रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	5	39	5	14	7	27	10	44	27	124	17.88	82.12
पिछड़ा	4	32	4	20	5	29	4	42	17	123	12.14	87.86
अनु0जाति	5	27	4	24	5	27	3	35	17	113	13.08	86.92
योग	14	98	13	58	17	83	17	121	61	360	14.49	85.51

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 52.64 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं में 14.49 प्रतिशत महिलाओं में साक्षर बनने का उत्साह अभी भी है। 85.51 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि अब उनकी साक्षर होने की उम्र व समय नहीं रह गया है। महिलाओं का यह नकारात्मक दृष्टिकोण भी उनके विकास में एक बाधा है।

तालिका 6.3.2 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	3	27	3	17	4	22	2	21	12	87	12.12	87.88
b	2	18	4	–	–	30	3	27	9	75	10.71	89.29
c	3	27	–	9	5	14	5	25	13	75	14.77	85.12
d	3	17	3	17	5	–	4	26	15	60	20.00	80.00
e	3	9	3	15	3	17	3	22	12	63	16.00	84.00

उपर्युक्त तालिका में एक बार फिर से यह स्पष्ट होता है कि मध्यम आय वर्ग की महिलाओं में तुलनात्मक रूप से साक्षर होने की इच्छा अधिक है।

कार्यशील महिलाओं में 33 निरक्षर महिलाओं में से 9 महिलायें अर्थात् 27.27 प्रतिशत महिलायें साक्षर होना चाहती है जबकि घरेलू महिलाओं में 13.40

प्रतिशत महिलायें ही साक्षर होने की इच्छा रखती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां तथा घर के अन्दर बंद रहने के बाद भी महिलाओं में साक्षरता की इच्छा बनी हुयी है परन्तु सुविधाओं के अभाव में इन महिलाओं की यह इच्छा साकार रूप नहीं ले पा रही है। तालिका सं0 6.3.2.- (C) से उनकी स्थिति स्पष्ट है।

तालिका 6.3.2 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	6	9	—	—	—	—	3	15	9	24	27.27	72.73
घरेलू	8	89	13	58	17	83	14	106	52	336	13.40	86.60

महिलाओं में निरक्षरता का प्रमुख कारण उनमें साक्षरता कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव है। सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा शिक्षा तथा कस्तूरबा गाँधी विद्यालय गरीब लड़कियों के लिए छात्रावास तथा सांयकालीन शिक्षा आदि कार्यक्रम चला रही है पर महिलाओं को इन कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं है जोकि तालिका सं0 6.3.3.- (A) से स्पष्ट है।

तालिका 6.3.3 - (A)

साक्षरता कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	15	89	40	64	20	84	14	90	89	327	21.39	78.61
पिछड़ा	5	49	12	42	5	49	6	48	28	188	12.96	87.04
अनु0जाति	10	32	10	32	8	34	10	32	38	130	22.62	77.38
योग	30	170	62	138	33	167	30	170	155	645	19.38	80.62

मात्र 19.38 प्रतिशत महिलाओं को ही किन्हीं साक्षरता कार्यक्रमों की जानकारी है। 80.62 प्रतिशत महिलायें इन कार्यक्रमों के बारे में कुछ भी नहीं जानती।

तालिका 6.3.3 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	–	40	5	35	5	45	–	25	10	143	6.45	93.55
b	10	40	12	18	5	45	–	505	27	153	15.00	85.00
c	10	40	15	35	14	36	10	35	49	146	25.13	74.87
d	5	30	20	30	4	16	10	40	39	116	25.16	74.84
e	5	20	10	20	5	25	10	20	30	85	26.09	73.91

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गरीब महिलाओं को इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं है। मात्र 6.45 प्रतिशत महिलायें ही साक्षरता कार्यक्रमों की जानकारी रखती है। यही कारण है कि गरीब महिलाओं में साक्षरता कम है तथा उनकी लड़कियां भी बिना पढ़ी–लिखी रह जाती हैं।

तालिका 6.3.3 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	12	63	40	20	10	35	20	10	82	128	39.05	60.95
घरेलू	18	107	22	118	23	132	10	160	73	517	12.37	87.63

उक्त तालिका देखने से ज्ञात होता है कि कार्यशील महिलाओं में जानकारी का प्रतिशत कहीं अधिक उच्च है।

जहाँ तक इन साक्षरता कार्यक्रमों से लाभ लेने की बात है, तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। निम्न तालिका से इंगित होता है कि 4.50 प्रतिशत महिलायें ही इन साक्षरता कार्यक्रमों से लाभ ले पाती हैं।

तालिका 6.3.4 - (A)

लाभान्वित महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	2	102	7	97	4	100	5	99	18	398	4.33	95.67
पिछड़ा	2	52	4	50	–	54	3	51	9	207	4.17	95.83
अनु0जाति	1	41	2	40	1	41	5	37	9	159	5.36	94.64
योग	5	195	13	117	5	195	13	187	36	764	4.50	95.50

इन 4.50 प्रतिशत महिलाओं ने अपना नाम लिखना तथा टूटी–फूटी भाषा में किताब पढ़ना सीखी है। अन्य महिलायें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि के बारे में जानती ही नहीं है और जो जानती है तो उनका कहना था कि घर के कामों से ही समय नहीं मिलता तथा इन केन्द्रों में जाने में उन्हें संकोच भी होता है।

तालिका 6.3.4 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	–	40	2	38	–	50	6	19	8	147	5.16	94.84
b	1	49	3	27	2	48	2	48	8	172	4.64	95.56
c	3	47	3	47	3	47	5	40	14	181	7.18	92.82
d	1	34	1	49	–	20	–	50	2	153	1.29	98.71
e	–	25	4	26	–	30	–	30	4	111	3.48	96.52

उपर्युक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि मध्यम आय वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत उच्च है। इन लाभान्वित महिलाओं में अधिकांश वे ही महिलायें हैं जो किसी न किसी रूप में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कार्यों से जुड़ गयी हैं।

तालिका 6.3.4 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	21	73	4	56	2	43	8	22	16	194	7.62	92.38
घरेलू	31	122	9	131	3	152	5	165	20	570	3.39	96.61

उक्त तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि इन लाभान्वित महिलाओं में 15 प्रतिशत महिलायें कार्यशील वर्ग से सम्बन्धित है।

सरकार सर्वशिक्षा अभियान पर अच्छी खासी धनराशि व्यय कर रही है, जिसके लिए विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त हो रही है। इस अभियान के तहत् लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन शोध जनपद में लड़कियों की स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने सम्बन्धी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 18.07 प्रतिशत लड़कियाँ कभी स्कूल भी नहीं गयी, 16.81 प्रतिशत लड़कियों ने प्राइमरी के बाद स्कूल जाना शुरू किया, 29.41 प्रतिशत लड़कियों की शिक्षा जूनियर हाईस्कूल के बाद बंद हो गई तथा 35.71 प्रतिशत लड़कियाँ माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षा से वंचित रह गईं (देखें ग्राफ सं0– 12)।

इन लड़कियों के स्कूल न जाने का कारण आर्थिक समस्या तथा स्कूलों का गाँव से दूर स्थित होना है। इन समस्याओं के सामने होने पर इनके माता–पिता इनकी शिक्षा के बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। उनके सामने सीधा रास्ता पढ़ाई बंद करवा देना होता है।

सभी को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा सभी जातियों के निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। सर्वेक्षित क्षेत्र में 45 प्रतिशत लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, परन्तु इन में से 28.84 प्रतिशत लड़कियों की

<u>ग्राफ सं0– 12</u>

स्कूल न जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत

ग्राफ सं0– 13

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियां का प्रतिशत

लड़कियों पर व्यय की जाने वाली छात्रवृत्ति का प्रतिशत

घरेलू कार्यों पर व्यय की जाने वाली छात्रवृत्ति का प्रतिशत

<u>ग्राफ सं0– 14</u>

जनपद में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

स्रोत : सभी आँकड़ें प्रश्नावली से संकलित हैं।

छात्रवृत्ति उनकी शिक्षा तथा उनकी अन्य आवश्यकताओं पर व्यय कर दी जाती है परन्तु शेष 71.16 प्रतिशत लड़कियों की छात्रवृत्ति घरेलू कार्यों पर व्यय कर ली जाती है (देखें ग्राफ सं0 13), जिस कारण लड़कियों को छात्रवृत्ति का विशेष लाभ नहीं मिल पाता है।

4. राजनैतिक स्थिति पर प्रभाव

जनपद में महिलाओं की राजनैतिक हिस्सेदारी सदैव कम रही है। परन्तु महिला आरक्षण के बाद तो विभिन्न पदों पर महिलायें दिखाई दे रही हैं। वे दिखाई तो दे रही हैं लेकिन यदि उनकी भूमिका पर विचार किया जाए तो उनकी भूमिका मात्र दिखाई देने की ही है, अधिकारों के प्रयोग की नहीं है। यहाँ फिर से पुरुषों ने महिलाओं को कठपुतली बनाकर अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। यह महिला आरक्षण उन्हें शक्तिशाली बनाने में असफल रहा है क्योंकि पुरुष ही उनके अधिकार एवं शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।

"नेतृत्व में इतनी सक्षम होने पर भी स्त्रियाँ क्यों नहीं नीति निर्णायक मुद्दों पर उसी अनुपात में आगे आ पाई हैं? इसका एक कारण उनकी अशिक्षा, हीनभावना, परिवार और घर के प्रति नाहक मोह तथा अपने विकास के प्रति उपेक्षा भाव है, तो दूसरा बड़ा कारण पुरुषों द्वारा उन्हें नेतृत्व के काबिल न समझना, उन्हें गम्भीरता से न लेना या घर के कामों में उलझाये रखना, बल्कि उसके ऐसे कामों में असहयोग करना भी है। प्रायः सभी राजनीतिक दलों में औरतों के आगे न आने का यही कारण है।"[1]

सर्वेक्षण में मात्र 28.88 प्रतिशत महिलाओं ने ही स्वीकार किया कि उन्हें अपनी मर्जी से मत देने की स्वतंत्रता है। शेष 71.12 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे अपने पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बताये गये उम्मीदवार को ही मत देते हैं।

---

1. गुप्ता, रमणिका : स्त्री विमर्श : कलम और कुदाल के बहाने, पृ0 11

तालिका 6.4.1 - (A)

मतदान की स्वतंत्रता

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	45	59	25	79	40	64	28	76	138	278	33.17	66.83
पिछड़ा	25	29	11	43	20	34	14	40	70	146	32.41	67.59
अनु0जाति	8	34	8	34	5	37	2	40	23	145	13.69	86.31
योग	78	122	44	156	65	135	44	156	231	569	28.88	71.12

तालिका सं0 6.4.1- (A) से स्पष्ट होता है कि महिलायें आज भी मतदान सम्बन्धी निर्णय के लिए स्वतंत्र नहीं है। उनके मतदान सम्बन्धी निर्णय पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर करते हैं। मात्र 28.88 प्रतिशत महिलायें ही मतदान सम्बन्धी निर्णय ले पाती हैं।

विभिन्न आय वर्गों के अनुसार भी निर्णय की स्वतंत्रता अलग–अलग हो जाती है जोकि तालिका सं0 6.4.1- (B) से स्पष्ट है।

तालिका 6.4.1 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	30	9	31	20	30	6	19	45	110	29.03	70.97
b	12	38	8	22	15	35	10	40	45	135	25.00	75.00
c	18	32	10	40	20	30	8	37	56	139	28.72	71.28
d	23	12	10	40	5	15	16	34	54	101	34.84	65.167
e	15	10	7	23	5	25	4	26	31	84	26.96	73.04

सरकार महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण जैसी विभिन्न सुविधायें प्रदान तो कर रही है, पर उसका विशेष प्रभाव

महिलाओं पर नहीं पड़ पा रहा है। वे आज भी अपने प्रत्येक निर्णय के लिए पति व परिवार पर निर्भर रहती है। जो महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, वे अवश्य निर्णय लेने के प्रति स्वतंत्र है। परन्तु उनमें से भी सभी महिलायें स्वतंत्र नहीं है। आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उन्हें अपने निर्णयों में पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती है।

तालिका 6.4.1 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	35	25	25	50	45	–	20	10	125	85	59.52	40.48
घरेलू	43	97	19	106	20	135	24	146	106	484	17.97	82.03

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 59.52 प्रतिशत कार्यशील महिलायें ही मतदान सम्बन्धी निर्णय अपनी मर्जी से ले पाती हैं जबकि घरेलू महिलाओं में यह प्रतिशत मात्र 17.97 ही है।

भले ही निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी को पुरुष प्रतिबंधित करे परन्तु महिलाओं की राजनीति में रुचि बरकरार है।

तालिका 6.4.2 - (A)

राजनीति में रुचि रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	50	54	30	74	25	79	37	67	142	274	34.13	65.87
पिछड़ा	35	19	25	29	14	40	30	24	104	112	48.15	51.85
अनु0जाति	15	27	20	22	10	32	29	13	74	94	44.05	55.95
योग	100	100	75	125	49	151	96	104	320	480	40.00	60.00

तालिका सं0 6.4.2- (A) के अनुसार 40 प्रतिशत महिलायें राजनीति में रुचि रखती हैं। वे इस बात में रुचि रखती है कि उनके गाँव, प्रदेश तथा देश में क्या हो रहा है तथा क्या राजनैतिक क्रियायें चल रही है। कुछ महिलाओं ने कहा कि यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वे चुनाव लड़कर राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहेंगी। परन्तु परिवार एवं समाज की परम्परागत मान्यताओं के चलते वे अपनी इस इच्छा को न तो पूरी कर पाती हैं और न ही किसी के सामने उजागर करती है।

तालिका 6.4.2 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	30	2	38	10	40	5	20	27	128	17.42	82.58
b	40	10	12	18	15	35	22	28	89	91	49.44	50.56
c	30	20	30	20	15	35	20	25	95	100	48.72	51.28
d	10	25	20	30	4	16	32	18	66	89	42.58	57.42
e	10	15	11	19	5	25	17	13	43	72	15.80	84.20

आय के आधार पर गणना करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न आय वर्गों में यह प्रतिशत भिन्न–भिन्न है। आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक गरीब महिलाओं की राजनीति में रुचि कम है। इन महिलाओं का कहना है कि उनके सामने दोनों समय के भोजन की समस्या है जोकि राजनीति से हल नहीं हो सकती है।

तालिका 6.4.2 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	25	35	60	15	20	25	25	5	130	80	61.90	38.10
घरेलू	75	65	15	10	29	126	71	99	190	400	32.20	67.80

कार्यशील महिलाओं में अधिक जागरूकता होने के कारण तथा आत्मनिर्भर होने के कारण वे कुछ हद तक घरेलू महिलाओं की तुलना में बंधन मुक्त होती है व घर से बाहर रहने के कारण उन्हें अपने चारों तरफ घटित होने वाले राजनैतिक घटनाक्रम की जानकारी रहती है। यही कारण है कि कार्यशील महिलाओं की जानकारी का प्रतिशत उच्च है।

महिलायें राजनीति में रुचि रखने के बाद भी स्वतंत्र एवं सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पाती हैं जोकि तालिका सं0 6.4.3- (A) से स्पष्ट है।

तालिका 6.4.3 - (A)

किसी राजनैतिक पार्टी की सक्रिय सदस्या

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	8	96	5	99	4	100	10	94	27	389	6.49	93.51
पिछड़ा	6	48	3	51	5	49	4	50	18	198	8.33	91.67
अनु0जाति	3	39	2	40	3	39	6	36	14	154	8.33	91.67
योग	17	183	10	190	12	188	20	180	59	741	7.38	92.62

तालिका से स्पष्ट है कि मात्र 7.38 प्रतिशत महिलायें ही राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, जबकि 40 प्रतिशत महिलायें राजनीति में रुचि रखती हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक वर्जनायें उनकी रुचि को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देती हैं। तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग की तुलना में पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता अधिक है।

तालिका 6.4.3 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	4	36	1	39	5	45	2	23	12	143	7.74	92.26
b	2	48	2	28	3	47	8	42	15	165	8.33	91.67
c	4	46	3	47	—	50	—	45	7	188	3.59	96.41
d	3	32	2	48	1	19	—	50	6	149	3.87	96.13
e	4	21	2	28	3	27	10	20	19	96	16.52	83.48

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च आय वर्ग में महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता अधिक है। मध्यम आय वर्ग की राजनैतिक सक्रियता निम्न है तथा निम्न आय वर्ग में मध्यम आय वर्ग की तुलना में उच्च है।

तालिका 6.4.3 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	8	52	3	72	7	38	9	21	27	183	12.86	87.14
घरेलू	9	131	7	118	5	150	11	159	32	558	5.42	94.58

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलाओं में सक्रिय राजनैतिक सदस्याओं का प्रतिशत अधिक है।

राजनीति में रुचि एवं सक्रियता के बाद भी इन महिलाओं के अधिकांश राजनैतिक कार्य उनके पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं।

तालिका 6.4.4 - (A)

वे महिलायें जो अपने राजनैतिक कार्य स्वयं करती हैं

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	2	6	1	4	–	4	2	8	5	22	18.52	81.48
पिछड़ा	2	4	–	3	2	3	–	4	4	14	22.22	77.78
अनु0जाति	1	2	2	–	1	2	3	3	7	7	50.00	50.00
योग	5	12	3	7	3	9	5	15	16	43	27.12	72.88

उक्त तालिका इंगित करती है कि 27.12 प्रतिशत महिलायें ही अपने राजनैतिक कार्यों को स्वयं करती हैं। यदि सम्पूर्ण प्रतिदर्श में देखा जाए तो यह प्रतिशत मात्र 2 है। महिलायें आज भी पुरुष वर्चस्व के घेरे में कैद हैं, जिसे वे चाहते हुए भी नहीं तोड़ पाती हैं।

"पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों में औरतें मुखिया और सरपंच तो चुनी गयी पर उनमें से अधिकांश अभी भी घूँघट में है। बाई प्रॉक्सी उनकी हाजिरी लगती है लेकिन वास्तविक मुखियागीरी उनका पति, पुत्र या अन्य कोई पुरुष ही करता है।"[1]

तालिका 6.4.4 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	–	4	–	1	1	4	–	2	1	11	8.33	91.67
b	1	1	1	1	1	2	3	5	6	9	40.00	60.00
c	1	3	2	1	–	–	–	–	3	4	42.86	57.14
d	2	1	–	2	–	1	–	–	3	3	50.00	50.00
e	1	3	–	2	1	2	2	8	4	15	21.05	78.95

1. गुप्ता, रमणिका : स्त्री विमर्श : कलम और कुदाल के बहाने, पृ0 13

उक्त तालिका के आंकड़ों के अनुसार मध्यम आय वर्ग में अपने कार्यों को स्वयं करने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। उच्च आय वर्ग में महिलाओं के राजनैतिक कार्य उनके पतियों द्वारा किये जाते हैं। निम्न आय वर्ग को तो कठपुतली की भाँति प्रयोग किया जाता है। इन महिलाओं के अधिकारों का प्रयोग इनके पति तथा उनके राजनैतिक दल के मुखिया के द्वारा किया जाता है।

तालिका 6.4.4 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	3	5	2	1	3	4	3	6	11	16	40.74	59.26
घरेलू	2	7	1	6	–	5	2	9	5	27	15.63	84.37

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि कार्यशील महिलाओं की तुलना में घरेलू महिलाओं में यह प्रतिशत निम्न है। उनके अधिकांश कार्यों को उनके पतियों द्वारा किया जाता है। वे महिला सीट होने के कारण पति के स्थान पर चुनाव लड़ती है। उनकी भूमिका कागजों पर हस्ताक्षर एवं आवश्यकता पड़ने पर अथवा विशेष सभा आदि होने पर घूँघट डालकर बैठने की मात्र होती है।

महिलाओं में जागरूकता तथा आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी है। इसी कारण वे पुरुष हस्तक्षेप का कभी विरोध नहीं करती है तथा वे इसे उचित मानती है। महिलायें स्वयं को इतना सबल नहीं मानती कि वे सभी कार्य स्वयं कर सके।

तालिका 6.4.5 - (A)

पुरुषों के हस्तक्षेप के प्रति महिलाओं का मत

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	65	39	55	49	60	44	45	59	225	191	54.09	45.91
पिछड़ा	35	19	24	30	30	24	17	37	106	110	49.07	50.93
अनु0जाति	27	15	12	30	25	17	14	28	78	90	46.43	53.57
योग	127	73	91	109	115	85	76	124	409	391	51.12	48.88

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 51.12 प्रतिशत महिलायें पुरुषों के इस हस्तक्षेप को उचित मानती हैं तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं में यह प्रतिशत अधिक उच्च है। आज भी वे इस मानसिकता में कैद है कि राजनीति एवं घर से बाहर के कार्य पुरुषों के लिए ही होते हैं। शिक्षा की कमी तथा असुरक्षित सामाजिक वातावरण भी उनकी इस मानसिकता का एक प्रमुख कारण है।

तालिका 6.4.5 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	28	12	10	30	30	20	5	20	73	82	47.10	52.90
b	28	22	12	18	30	20	23	27	93	87	51.67	48.33
c	35	15	20	30	30	20	15	30	100	95	51.28	48.72
d	22	13	25	25	10	10	21	29	78	77	50.32	49.68
e	14	11	24	6	15	15	12	18	65	50	56.52	43.48

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निम्न आय वर्ग की तुलना में उच्च आय वर्ग की महिलायें पुरुषों के हस्तक्षेप को अधिक उचित मानती हैं। जैसे–जैसे आय का स्तर गिरता है महिलाओं में पुरुषों के हस्तक्षेप के विरोध में प्रतिशत बढ़ता जाता है।

आंकड़ों के विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि कार्यशील महिलायें भी पुरुषों के हस्ताक्षेप को उचित मानती है। निम्नलिखित तालिका सं0 6.4.5- (C) से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत कार्यशील महिलायें पुरुषों का हस्तक्षेप उचित मानती है। इसका कारण पूछने पर इन महिलाओं का उत्तर था कि पुरुषों के मध्य राजनीति के दांवपेंच खेलना महिलाओं के बस की बात नहीं है।

तालिका 6.4.5 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	35	25	55	20	—	45	15	15	105	105	50.00	50.00
घरेलू	92	48	36	89	115	40	61	109	304	286	51.53	48.47

सरकार ने निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान किया तथा इसके पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि महिलाओं के राजनीति में प्रवेश से अन्य महिलाओं को भी लाभ मिलेगा परन्तु यह उद्देश्य पूरा न हो सका जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका 6.4.6 - (A)

राजनीतिक सक्रियता का महिलाओं को लाभ

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	14	90	25	79	10	94	22	82	71	345	17.07	82.93
पिछड़ा	4	50	7	47	5	49	10	44	26	190	12.04	87.96
अनु0जाति	8	34	5	37	4	38	10	32	27	141	16.07	83.93
योग	26	174	37	163	19	181	42	158	124	676	15.50	84.50

मात्र 15.50 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि महिलाओं की राजनीतिक

सक्रियता से महिलाओं को कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह कि जो महिलायें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए न तो सक्षम है और न ही स्वतंत्र, वे अन्य महिलाओं के बारे में क्या और कैसे सोचेगी?

तालिका 6.4.6 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	4	36	4	36	–	50	7	18	15	140	9.68	90.32
b	2	48	3	27	1	49	13	37	19	161	10.56	89.44
c	7	43	5	45	2	48	7	38	21	174	10.77	89.23
d	6	29	12	38	2	18	3	47	23	132	14.84	85.16
e	7	18	13	17	14	16	12	18	46	69	40.00	60.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च आय वर्ग को महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता के अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं जबकि निम्न आय वर्ग को कम। उच्च आय वाले परिवारों का राजनीति में प्रभुत्व होने के कारण ये महिलायें अधिक लाभ प्राप्त कर सकी है। सच्चाई भी यही है जो महिलायें आज विकास के उच्च पायदान पर नजर आती हैं, उनमें से अधिकांश महिलायें उच्च आय एवं प्रभुत्व वाले परिवारों से ही सम्बन्धित होती है।

तालिका 6.4.6 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	15	45	25	50	17	28	20	10	77	133	86.67	63.33
घरेलू	11	129	12	113	2	153	22	148	97	543	7.97	92.03

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलाओं को राजनैतिक सक्रियता के अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

ग्राफ सं0– 15

जनपद में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति

स्रोत : सभी आँकड़ें प्रश्नावली से संकलित हैं।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव –

आज भी महिलाओं को स्वतंत्र उत्पादक के रूप में नहीं देखा जाता। यही कारण कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आंकड़ें स्वतंत्र रूप से कम ही प्राप्त होते हैं। परिवार के पुरुषों की स्थिति के अनुसार ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति का आंकलन किया जाता है। परन्तु वास्तविकता इससे इतर है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान आय–व्यय करने तथा सम्पत्ति खरीदने–बेचने के अधिकार नहीं होते हैं। अतः महिलाओं की आर्थिक स्थिति को पुरुषों की आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र रखकर, उसकी स्वतंत्र समीक्षा करने की आवश्यकता है।

जनपद जालौन की महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी उनकी सामाजिक स्थिति की तरह से ही चिन्ताजनक है। न तो महिलाओं को व्यय की स्वतंत्रता है और न ही कार्य करने की। अधिकांश महिलायें पति के साथ खेतों तथा दुकानों पर कार्य करती हैं पर उनके कार्य को न तो उत्पादक माना जाता है और न ही उन्हें लाभ का कोई हिस्सा प्राप्त होता है तथा सरकार के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम/योजनाओं का भी उनकी स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यदि किसी योजना का लाभ उन्हें मिल भी गया है तो उस लाभ का प्रयोग भी उनके पति की मर्जी से ही होता है, जिस कारण उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल पाता है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है। "स्वावलम्बी होने से औरत का स्वाभिमान बढ़ता है और उसका आत्मसम्मान भी। साथ ही वह प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रतिबंधों को नकारने की क्षमता हासिल कर लेती है।"[1]

महिलाओं की स्थिति भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार आँकी

---

1. गुप्ता, रमणिका : स्त्री विमर्श : कलम और कुदाल के बहाने, पृ0 14

जाती है परन्तु उनकी पहुँच घर की सम्पत्ति तक बहुत ही कम होती है। तालिका सं0 6.1 से स्पष्ट है कि मात्र 13.38 प्रतिशत महिलाओं को ही व्यय करने की स्वतंत्रता है।

तालिका 6.1 - (A)

महिलाओं में व्यय करने की स्वतंत्रता

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	15	89	18	86	20	84	13	91	66	350	15.87	84.13
पिछड़ा	7	47	8	46	10	44	6	48	31	185	14.35	85.65
अनु0जाति	–	42	5	37	3	39	2	40	10	158	5.95	94.05
योग	22	178	31	169	33	167	21	179	107	693	13.38	86.62

86.22 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर था कि उन्हें व्यय करने की स्वतंत्रता नहीं है। वे तभी व्यय कर सकती है जब उनके पति की सहमति हो। यहीं महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है कि महिलायें पुरुषों की तुलना में कितनी निर्धन होती हैं।

तालिका 6.1 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	30	6	34	2	48	4	21	22	133	14.19	85.81
b	–	50	–	30	6	44	13	37	19	161	10.56	89.43
c	4	46	10	40	7	43	10	35	31	164	15.90	84.10
d	5	30	10	40	8	12	21	29	44	111	28.39	71.61
e	3	22	5	25	10	20	8	22	26	89	22.61	77.39

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि धनी परिवारों में भी महिलाओं को व्यय करने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, उनका प्रतिशत निर्धन परिवारों की तुलना में उच्च

अवश्य है।

महिलाओं की स्थिति तब और भी दयनीय प्रतीत होती है जब कार्यशील महिलाओं ने यह कहा कि यदि वे पति की सहमति के बिना व्यय करती हैं, तो यह बात पारिवारिक झगड़े का कारण बन सकती है।

तालिका 6.1 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	10	50	20	55	15	30	15	15	60	150	28.57	71.43
घरेलू	12	128	11	114	20	135	22	148	65	525	11.02	88.91

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलाओं में भी मात्र 28.57 प्रतिशत महिलाओं को ही व्यय करने की स्वतंत्रता है जबकि वे स्वयं आय का अर्जन करती हैं। घरेलू महिलाओं में व्यय की स्वतंत्रता का प्रतिशत 11.02 है। भारत में कुल 60 प्रतिशत तथा उ0प्र0 में 52 प्रतिशत महिलाओं की परिवार में पैसों तक पहुँच है।[1]

जनपद की अधिकांश महिलायें अपने परिवार के आर्थिक कार्य में सहयोग करती हैं, वे उत्पादक कार्य करती है फिर भी उनकी गणना घरेलू महिलाओं में ही होती है। क्योंकि वे स्वयं को सदैव घरेलू ही बताती हैं। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अधिकांश काम जैसे खेतों में काम करना तथा व्यवसाय में निशुल्क काम करना आदि छिपा दिया जाता है तथा यह राष्ट्रीय आंकड़ों से गायब हो जाता है।[2]

---

1. रिपोर्ट : जनसंख्या विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, 2000
2. कुमार, ए0के0 शिव, कल्याणी मेनन–सेन : भारत में औरतें कितनी आजाद? कितनी बराबर, Retrived from www.un.org.in, P.52

तालिका 6.2 - (A)

पति के आर्थिक कार्यों में सहयोग करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	40	64	30	74	22	82	47	57	139	277	33.41	66.59
पिछड़ा	35	19	25	29	30	24	22	32	112	104	51.85	48.15
अनु0जाति	37	5	31	11	30	12	25	17	123	45	73.21	26.79
योग	112	88	86	114	82	118	94	106	374	426	46.75	53.25

उक्त तालिका इंगित करती है कि 46.75 प्रतिशत महिलायें अपने पति/परिवार के आर्थिक कार्यों में सहयोग करती हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं में यह प्रतिशत सर्वाधिक उच्च है।

तालिका 6.2 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	30	10	22	18	31	19	20	5	103	52	66.45	33.55
b	40	10	20	10	25	25	32	18	117	63	65.00	35.00
c	27	23	19	31	6	44	20	25	72	123	36.92	63.08
d	10	25	5	45	–	20	22	28	37	118	23.87	76.13
e	5	20	–	30	–	30	–	30	5	110	4.35	95.65

आय के आधार पर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग में 4.35 प्रतिशत महिलायें ही आर्थिक कार्यों में सहयोग करती हैं जबकि निम्न आय वर्ग में यह प्रतिशत अधिक उच्च हो जाता है।

तालिका 6.2 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	21	39	10	65	3	42	10	20	44	166	20.95	79.05
घरेलू	91	49	76	49	79	76	84	86	330	260	55.93	44.07

सिर्फ घरेलू महिलायें ही नहीं पति के कार्यों में सहयोग करती है बल्कि कार्यशील महिलायें भी सहयोग करती हैं। ये वे महिलायें हैं जो असंगठित क्षेत्र में लगी हुयी है जब इन महिलाओं के पास कार्य करने के लिए नहीं होता, तब वे अपने पति के कार्य में सहयोग करती हैं।

परन्तु इसका दुःखद पहलू यह है कि इन महिलाओं को इसका कोई भी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं होता है।

तालिका 6.3

सहयोग करने वाली महिलाओं में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	–	40	–	30	–	22	–	47	–	139	–	100
पिछड़ा	–	35	–	25	–	30	–	22	–	112	–	100
अनु0जाति	–	37	–	31	–	30	–	25	–	123	–	100
योग	–	112	–	86	–	82	–	94	–	374	–	100

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक भी महिला ने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्हें इस सहयोग का कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होता है। परिवार को प्राप्त होने वाले लाभ को अवश्य वे इस सहयोग का पारितोषक मान लेती हैं। इस प्रकार ये महिलायें अवैतनिक एवं निर्धन रहते हुए दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं।

यदि महिलायें परिवार के व्यवसायिक कार्य में सहयोग करती है तो इसे उत्पादक कार्यों की श्रेणी में ही रखा जाता है। बल्कि यह तो पारिवारिक सदस्य होने के नाते सहयोग माना जाता है और यदि वे घर से बाहर जाकर पारिवारिक व्यवसाय से अलग कार्य करती है तो इसे उनके स्वतंत्र अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखा जाता है बल्कि मजबूरी के रूप में देखा जाता है। समाज की यह मानसिकता महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ी बाधा है। प्रतिदर्श की 46.75 प्रतिशत महिलायें उत्पादक कार्य तो करती है परन्तु वे अपने आपको उत्पादक/कार्यशील नहीं कहलाना चाहती है, जबकि 26.25 प्रतिशत महिलायें स्वतंत्र उत्पादक है। यदि इन दोनों प्रकार की महिलाओं के प्रतिशत को संयुक्त रूप से देखा जाए तो 67.5 प्रतिशत महिलायें उत्पादक है। (यह प्रतिशत निकालने के लिए आर्थिक सहयोग करने वाली 374 महिलाओं में से 44 महिलाओं को निकाल लिया गया जो कार्यशील है फिर भी पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग करती है तथा 210 कार्यशील महिलाओं को शामिल किया गया। इस प्रकार कुल 540 महिलायें उत्पादक हैं)

तालिका 6.4 - (A)

कार्यशील महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	15	89	10	94	8	96	5	99	38	378	9.13	90.87
पिछड़ा	27	27	30	24	15	39	10	44	82	134	37.96	62.04
अनु0जाति	18	24	35	7	22	20	15	27	90	78	53.57	46.43
योग	60	140	75	125	45	155	30	170	210	590	26.25	73.75

उक्त तालिका से कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत इंगित है। तालिका से ज्ञात होता है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं में अभी भी घर से बाहर जाकर कार्य

करने का प्रतिशत कम है जबकि पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं में प्रतिशत उच्च है। सामान्य वर्ग की महिलाओं में खेतों में काम करने वाली तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम देखा गया।

तालिका सं0 6.4- (B) से विभिन्न आय वर्गों में कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत स्पष्ट है। उच्च आय वर्ग में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत कम है। जैसे–जैसे आय का स्तर गिरता है, कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जाता है।

तालिका 6.4 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	6	34	14	26	7	43	10	15	37	118	23.87	76.23
b	10	40	26	4	15	35	9	41	60	120	33.33	66.67
c	21	29	27	23	19	31	6	39	73	122	37.44	62.56
d	11	24	3	47	2	18	1	49	17	138	10.97	89.03
e	12	13	5	25	2	28	4	26	23	92	20.00	80.00

जो परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं वे अपने परिवार की महिलाओं का घर से बाहर जाकर काम करना बंद करवा देते हैं। ''पंजाब में हरित क्रान्ति के दौरान यही चलन देखा गया कि आमदनी बढ़ने के साथ श्रम शक्ति में औरतों की भागीदारी बढ़ने की जगह घट गई।''[1]

यदि संगठित क्षेत्र की महिलाओं की बात छोड़ दी जाए तो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर समय तक कार्य करने के बाद भी बराबरी का वेतन प्राप्त नहीं होता है। 24.16 प्रतिशत महिलाओं को ही पुरुषों के समान वेतन प्राप्त होता है जोकि तालिका 6.5 से स्पष्ट है, जबकि हमारा कानून समान कार्य

---

1. कुमार, ए0के0 शिव, कल्याणी मेनन–सेन : भारत में औरतें कितनी आजाद? कितनी बराबर, Retrived from www.un.org.in, P.52

के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय श्रम केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की मजदूरी पुरुषों से 30 प्रतिशत कम होती है।[1]

तालिका 6.5

पुरूषों के बराबर आय प्राप्त करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	5	10	7	3	6	2	2	3	20	18	52.63	47.37
पिछड़ा	4	23	9	21	3	12	1	9	17	65	20.73	79.27
अनु0जाति	2	16	6	29	5	17	2	13	15	75	16.67	83.33
योग	11	49	22	53	14	31	5	25	52	158	24.76	75.24

महिलाओं से जब कम आय का कारण पूछा तो उनका कहना था कि नियोक्ता यह मानते हैं कि महिलायें पुरुषों से कम कार्य कर पाती हैं तथा वे पुरुषों के बराबर अपने कार्य में योग्यता भी हासिल नहीं कर पाती हैं तथा उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनकी कार्यक्षमता को कम कर देती है। इन सभी कारणों से वे श्रम बाजार में सस्ता श्रम बेचने को तैयार हो जाती हैं तथा उनके श्रम का शोषण होता है।

कार्यशील महिलाओं से उनके बचत स्तर के बारे में पूछने पर 119 (56.67 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि वे अपनी आय का कुछ भाग बचत करती हैं परन्तु 91 (43.33 प्रतिशत) महिलाओं की सम्पूर्ण आय उपभोग में व्यय हो जाती है।

1. राष्ट्रीय श्रम केन्द्र रिपोर्ट, 1999

तालिका 6.6 - (A)

कार्यशील महिलाओं में उपभोग व्यय/बचत

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत
सामान्य	–	15	3	7	2	6	3	2	8	30	21.05	78.95
पिछड़ा	11	16	20	10	7	8	4	6	42	40	51.22	48.78
अनु0जाति	7	11	5	30	18	4	11	4	41	49	45.56	54.44
योग	18	42	28	47	27	18	18	12	91	119	43.33	56.67

जो महिलायें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है तथा बहुत निर्धन है अथवा बड़ा परिवार है, वे महिलायें बचत नहीं कर पाती। उनकी सम्पूर्ण आय पारिवारिक व्यय तथा अपने छोटे–मोटे ऋणों को चुकाने में ही समाप्त हो जाती है।

तालिका 6.6 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत	व्यय	बचत
a	6	–	12	2	7	–	8	2	33	4	89.20	10.80
b	8	2	6	20	13	2	7	2	34	26	56.67	43.33
c	4	17	10	17	7	12	3	3	24	49	32.87	67.13
d	–	11	–	3	–	2	–	1	–	17	–	100
e	–	12	–	5	–	2	–	4	–	23	–	100

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निम्न आय वर्ग में 10.80 प्रतिशत महिलायें ही बचत कर पाती हैं, जबकि उच्च आय वर्ग की सभी कार्यशील महिलायें अपनी आय से बचत कर लेती हैं। निम्न आय वर्ग में बचत का प्रतिशत निम्न है।

महिलाओं से बचत जमा करने के स्थान के सम्बन्ध में पूछने पर ज्ञात हुआ कि आज भी महिलाओं में वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव है। वे

बैंक, डाकघरों में पैसा जमा करने से डरती है। अशिक्षा तथा जागरूकता के अभाव के कारण वे इन वित्तीय संस्थाओं पर विश्वास नहीं करती है तथा जो विश्वास करती हैं वे इन संस्थाओं की औपचारिकताओं से डरती हैं।

तालिका 6.7

बचत जमा करने का स्थान

स्थान	डकोर	कदौरा	कुठौंद	जालौन	योग	प्रतिशत
बैंक	10	10	3	2	25	21.01
डाकघर	20	22	8	5	55	46.22
संबंधी/मित्र	5	7	2	—	14	11.76
स्वयं के पास	7	8	5	5	25	21.01

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलाओं में से 11.76 प्रतिशत महिलायें अभी भी अपने सम्बन्धियों (जैसे माँ, पिता, बहन) के पास अपनी बचत रखती हैं तथा 21.01 प्रतिशत महिलायें अपनी बचत अपने पास ही रखती हैं। इन आंकड़ों से वित्तीय संस्थाओं तक महिलाओं की पहुँच स्पष्ट हो जाती है।

कभी—कभी पारिवारिक परिस्थितियाँ महिलाओं को ऋण लेने के लिए भी मजबूर कर देती हैं, जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका 6.8 - (A)

ऋण लेने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	7	97	10	94	15	89	20	84	52	364	12.50	87.50
पिछड़ा	5	49	4	50	3	51	7	47	19	197	8.80	91.20
अनु0जाति	4	38	2	40	3	39	7	35	16	152	9.52	90.48
योग	16	184	16	184	21	179	34	166	87	713	10.88	89.12

तालिका से स्पष्ट है कि 10.88 प्रतिशत महिलाओं ने ऋण लिया है। इनमें से सामान्य वर्ग की महिलाओं में ऋण लेने का प्रतिशत अधिक है। सामान्य वर्ग आज भी अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए ऋण का सहारा लेता है।

ऐसा नहीं है कि निर्धन वर्ग की महिलायें ही ऋण लेती हैं, निम्न तालिका से स्पष्ट है कि धनी महिलाओं में ऋण लेने का प्रतिशत अधिक है।

तालिका 6.8 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	2	38	–	40	5	45	7	18	14	141	9.03	90.97
b	3	47	3	27	3	47	10	40	19	161	10.56	89.44
c	3	47	4	46	5	45	7	38	19	176	9.74	90.26
d	5	30	4	46	2	18	7	43	18	137	11.61	88.39
e	3	22	5	25	6	23	3	27	17	98	14.78	85.32

a आय वर्ग में 9.03 प्रतिशत महिलाओं ने ऋण लिया है जबकि b वर्ग में 10.56 प्रतिशत महिलाओं ने, c वर्ग में 9.74 प्रतिशत महिलाओं ने, d वर्ग में 11.61 प्रतिशत महिलाओं तथा e वर्ग में 14.78 प्रतिशत महिलाओं ने ऋण लिया है।

तालिका 6.8 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	7	53	5	70	4	41	6	24	22	188	10.48	89.52
घरेलू	9	131	11	114	17	138	28	142	65	525	11.02	88.98

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सिर्फ कार्यशील महिलायें ही ऋण नहीं लेती है बल्कि घरेलू महिलायें भी अपने विभिन्न पारिवारिक उद्देश्य के लिए ऋण लेती हैं।

परन्तु इन 87 ऋण लेने वाली महिलाओं में से मात्र 31 महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया है। अन्य महिलाओं ने अपने सम्बन्धियों, साथ में काम करने वालों तथा अन्य किसी व्यक्ति से ऋण लिया है।

तालिका 6.9 - (A)

बैंक से ऋण लेने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	5	2	2	8	5	10	3	17	15	37	28.85	71.15
पिछड़ा	2	3	1	3	2	1	5	2	10	9	52.63	47.37
अनु0जाति	2	2	–	2	1	2	3	4	6	10	37.50	62.50
योग	9	7	3	13	8	13	11	23	31	56	35.63	64.37

तालिका से स्पष्ट है कि 35.63 प्रतिशत महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया है। तालिका में पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। इसका कारण इन वर्गों के लिए चलाई जाने वाली कुछ विशेष वित्तीय योजनायें तथा सुविधायें हैं।

तालिका 6.9 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	–	2	–	–	2	3	2	5	2	10	16.67	83.33
b	1	2	–	3	1	2	2	8	4	15	21.05	78.95
c	2	1	–	4	2	3	–	7	4	15	21.05	78.95
d	3	2	–	4	2	–	4	3	9	9	50.00	50.00
e	3	–	3	2	1	5	3	–	10	7	58.82	41.18

उपर्युक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग की अधिक

महिलायें वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले पाती हैं। जैसे–जैसे आय का स्तर गिरता जाता है वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाली महिलाओं का स्तर गिर जाता है।

तालिका 6.9 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	4	3	1	4	1	3	2	4	8	14	36.36	63.64
घरेलू	5	4	2	9	7	10	9	19	23	42	35.38	64.62

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं में ऋण लेने के स्रोत के सम्बन्ध में कोई विशेष अन्तर नहीं है। कार्यशील महिलाओं में यह प्रतिशत 36.36 है, जबकि घरेलू महिलाओं में 35.38 प्रतिशत है।

इन महिलाओं के ऋण लेने के उद्देश्य व्यवसायिक एवं घरेलू दोनों ही है, जोकि निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका 6.10 - (A)

व्यवसायिक/घरेलू उद्देश्य से ऋण लेने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	2	5	2	8	5	10	5	15	14	38	26.92	73.08
पिछड़ा	1	4	—	4	2	1	3	4	6	13	31.58	68.42
अनु0जाति	—	4	1	1	1	2	2	5	4	12	25.00	75.00
योग	3	13	3	13	8	13	10	29	24	63	27.59	72.41

तालिका से ज्ञात होता है कि ऋण लेने वाली महिलाओं में से 27.59 प्रतिशत महिलाओं ने व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लिये हैं तथा 72.41 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू उद्देश्य जैसे बच्चों की शादी, पढ़ाई, परिवार के उपभोग, खर्चों को पूरा करने के लिए तथा बीमारी आदि के लिए ऋण लिया है।

तालिका 6.10 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	–	2	–	–	1	4	2	5	3	11	23.08	76.92
b	–	3	–	3	–	3	3	7	3	16	15.79	84.21
c	–	3	1	3	2	3	1	6	4	15	21.05	78.95
d	1	4	–	4	2	–	1	6	4	14	22.22	77.78
e	2	1	2	3	3	3	3	–	10	7	58.82	41.18

आर्थिक आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग की अधिक महिलाओं ने व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लिये हैं। जैसे–जैसे आय का स्तर गिरता जाता है, घरेलू उद्देश्य के लिए ऋण लेने वाली महिलाओं का स्तर बढ़ता जाता है।

निम्न तालिका देखने से ज्ञात होता है कि घरेलू महिलाओं ने व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अधिक ऋण लिया है, जबकि कार्यशील महिलाओं ने घरेलू उद्देश्य के लिए ऋण लिया है।

तालिका 6.10 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	1	6	1	4	1	3	2	4	5	17	22.73	77.27
घरेलू	2	7	2	9	7	10	8	20	19	46	29.23	70.77

परन्तु व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लेने वाली महिलाओं के ऋण का प्रयोग अधिकांशतया उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली ऋण योजनाओं या सुविधाओं का प्रयोग भी पुरुष

ही कर लेते हैं। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लेने वाली 24 महिलाओं में से 4 (16.67 प्रतिशत) महिलायें ही इनका लाभ ले सकी हैं। इन 4 महिलाओं ने ऋण की सहायता से अपना छोटा सा व्यवसाय प्रारम्भ किया।

समाज का प्रत्येक व्यक्ति सबल एवं आत्मनिर्भर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। परन्तु महिलाओं को तो इन रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी ही नही है, जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका 6.11 - (A)

सरकारी रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	15	89	10	94	4	100	14	90	43	373	10.34	89.66
पिछड़ा	5	49	4	50	8	46	10	44	27	189	12.50	87.50
अनु0जाति	5	37	2	40	3	39	5	37	15	153	8.93	91.07
योग	25	175	16	184	15	185	29	171	85	715	10.63	89.37

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि मात्र 10.63 प्रतिशत महिलाओं को ही सरकार द्वारा चलाये जाने वाले रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी है। कई महिलाओं ने कहा यदि उन्हें कोई रोजगार प्रशिक्षण या रोजगार का माध्यम मिल जाए तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। परन्तु आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं तथा जानकारी के अभाव के कारण वे आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।

तालिका 6.11 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	1	39	2	38	1	49	4	21	8	147	5.16	94.84
b	6	44	2	28	2	48	5	45	15	165	8.33	91.67
c	6	44	3	47	5	45	18	42	22	178	11.28	88.72
d	7	28	5	45	6	14	6	44	24	131	15.48	84.52
e	5	20	4	26	1	29	6	24	16	99	13.91	86.19

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग की महिलाओं में जानकारी का स्तर ऊँचा है परन्तु अत्यधिक उच्च आय की महिलाओं में जानकारी का स्तर कुछ गिर जाता है। निम्न आय वर्ग में तो जानकारी का स्तर अत्यन्त कम है जबकि रोजगारपरक योजनायें इस वर्ग को ही ध्यान में रखकर बनायी जाती हैं।

तालिका 6.11 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	20	40	10	65	8	37	20	10	58	152	27.62	72.38
घरेलू	5	135	6	119	7	148	9	161	27	563	4.58	95.42

घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यशील महिलाओं में जानकारी का स्तर उच्च तो है परन्तु संतोषजनक नहीं।

सभी योजनाओं की यही वास्तविकता है। प्रथम तो महिलाओं को कार्यक्रमों की ही जानकारी नहीं है और यदि जानकारी है तो जिन महिलाओं को आवश्यकता है तथा जिस वर्ग तक लाभ पहुँचना चाहिए, वह वर्ग कभी लाभ ले ही नहीं पाता। भ्रष्टाचारी की जड़े इतनी गहरी एवं विस्तृत हो गयी हैं कि उसने विकास को अपने में जकड़ लिया है। परिणामस्वरूप विकास अपना वह स्वरूप प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जो

अपेक्षित है।

तालिका 6.12 - (A)

विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ लेने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	30	74	25	79	20	84	28	76	103	313	24.76	75.24
पिछड़ा	30	24	15	39	13	41	25	29	83	133	38.43	61.57
अनु0जाति	15	27	13	29	14	28	20	22	62	106	36.90	63.10
योग	75	125	53	147	47	153	73	127	248	552	31.00	69.00

उक्त तालिका से सभी योजनाओं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मात्र 31 प्रतिशत महिलायें ही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकी है जिनमें पिछड़ी जाति की महिलायें अधिक लाभान्वित हुयी हैं। महिला लाभार्थियों की संख्या कम होने का कारण महिलाओं में जागरूकता का अभाव, रिश्वतखोरी, लाल फीताशाही, भाई–भतीजावाद तथा योजनाओं का कागजी क्रियान्वयन तो है ही, साथ में बजट की भी समस्या है। विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों से पता चला कि जनपद जालौन में निर्धनता तथा अशिक्षा का स्तर अधिक है। ऐसे में यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए अधिक बजट की आवश्यकता है। बजट की कमी के कारण वे जरूरतमंद सभी महिलाओं को लाभ प्रदान नहीं कर पाते हैं। पात्रता सूची में आने वाली कुछ महिलाओं को ही लाभ मिल पाता है जोकि इतने बड़े जनपद में 'ऊँट के मुँह में जीरा' के समान है।

तालिका 6.12 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	30	1	39	4	46	2	23	17	138	10.97	89.03
b	15	35	5	25	5	45	18	32	43	137	23.89	76.11
c	25	25	15	35	24	26	16	29	80	115	41.03	58.97
d	15	20	20	30	5	15	23	27	63	92	40.65	59.35
e	10	15	12	18	9	21	14	16	45	70	39.13	60.87

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मध्यम तथा उच्च आय वर्ग की महिलायें अधिक लाभान्वित हुयी हैं। निम्न वर्ग की महिलाओं में से मात्र 10.97 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हो पा रही हैं। यह वर्ग पेटभर भोजन को भी मोहताज है। पारिवारिक समृद्धि में भले ही समृद्धि का लाभ महिलाओं को नहीं मिलता परन्तु गरीबी की मार महिलायें ही सर्वाधिक झेलती हैं। क्योंकि घर में उपलब्ध संसाधनों से वे सबसे पहले पति एवं बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिस कारण वे स्वयं वंचित रह जाती है। जनपद में कुल 177656 महिलायें निर्धनता रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रही हैं।[1] अतः यह आवश्यक हो जाता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस वर्ग को विशेष ध्यान में रखकर किया जाए।

तालिका 6.12 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	54	6	38	37	24	21	16	14	132	78	62.86	37.14
घरेलू	21	119	15	110	23	132	57	113	116	474	19.66	80.34

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलायें, घरेलू महिलाओं की

1. दैनिक जागरण, 5 सितम्बर, 2006

तुलना में अधिक लाभान्वित हुयी हैं, जिसका प्रमुख कारण यह है कि कार्यशील महिलाओं की जानकारी का स्तर कुछ अधिक होता है तथा वे स्वयं जाकर अपना कार्य करने में भी सक्षम होती हैं।

जो 31 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हुयी हैं, वे भी कुछ गिनी–चुनी योजनाओं से ही लाभान्वित हुयी हैं। जैसे– विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास योजना, स्वयं सहायता समूह एवं रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रमुख हैं। अन्य योजनाओं की तो महिलाओं को जानकारी ही नहीं है।

तालिका सं0 6.13 से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत स्पष्ट हो जाता है।

तालिका 6.13

योजना/कार्यक्रमों में लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत

योजना/कार्यक्रम	प्रतिशत
विधवा पेंशन	10.00
वृद्धावस्था पेंशन	7.50
मातृत्व लाभ योजना	5.50
रोजगार गारंटी कार्यक्रम	6.00
अन्य (पारिवारिक लाभ योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वयं सहायता समूह योजना)	2.00

जो जरूरतमंद महिलायें लाभ प्राप्त न कर सकी, जब उनसे लाभ न प्राप्त करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें योजनाओं की तथा कहाँ से एवं कैसे लाभ प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी ही नहीं है। जिन महिलाओं को

जानकारी है तथा लाभ लेने का प्रयास किया, तो सबसे पहले तो प्रधान ही समस्या उत्पन्न कर देते हैं। वे अपने सगे–संबंधियों के कार्य करते हैं अथवा कार्य के बदले सुविधा शुल्क की माँग करते हैं। जिन महिलाओं ने समस्त औपचारिकतायें पूरी कर ली, उन्हें भी लाभ प्राप्त न हो सका। कारण जानने पर सिर्फ इतना पता चलता है कि पात्रता सूची में नाम नहीं है। कुछ महिलाओं ने बताया कि सम्बन्धित विभाग से उनके आवेदन पत्र ही खो गये हैं और जानकारी माँगने पर अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं।

जिन महिलाओं ने इन योजनाओं के लाभ प्राप्त किये हैं, वे भी इतनी आसानी से इन लाभों को प्राप्त नहीं कर पायी हैं, जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका 6.14 - (A)

योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	16	14	20	5	15	5	8	20	59	44	57.28	42.72
पिछड़ा	12	18	7	8	10	3	20	5	49	34	59.04	40.96
अनु0जाति	10	5	13	–	10	4	18	2	51	11	82.26	17.74
योग	38	37	40	13	35	12	46	27	159	89	64.11	35.89

64.11 प्रतिशत महिलाओं ने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में विभिन्न समस्याओं का सामना किया है। जैसे कार्यालयों के रोज–रोज चक्कर लगाना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार तथा विभिन्न औपचारिकता सम्बन्धी समस्यायें आदि का सामना करना पड़ता है। जो गाँव जिला कार्यालय से बहुत दूर हैं, वहाँ की महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने गाँव से प्रतिदिन जिला कार्यालय आने–जाने में परेशानी होती है, कभी–कभी प्रधान आवश्यक कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है।

तालिका 6.14 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	10	–	1	–	4	–	2	–	17	–	100	–
b	9	6	5	–	5	–	15	3	34	9	79.07	20.93
c	15	10	12	3	19	5	12	4	58	22	72.50	27.50
d	4	11	16	4	2	3	10	13	32	31	50.79	49.21
e	–	10	6	6	5	4	7	7	18	27	40.00	60.00

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि निम्न आय वर्ग की महिलाओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वर्ग का प्रतिशत 100 है। गरीबी के कारण इन महिलाओं की बात आसानी से नहीं सुनी जाती है जिस कारण उनकी समस्याओं का प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है।

तालिका 6.14 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	23	31	25	13	15	9	7	9	70	62	53.03	46.97
घरेलू	15	6	15	–	20	3	39	18	89	27	76.72	23.28

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलाओं की तुलना में घरेलू महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं ने लाभ लेने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों की मदद भी ली है।

तालिका 6.15 - (A)

सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति से सहायता लेने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	20	10	12	13	11	9	18	10	61	42	59.22	40.78
पिछड़ा	15	15	7	8	5	8	13	12	40	43	93.02	6.98
अनु0जाति	5	10	7	6	6	8	6	14	24	38	38.71	61.29
योग	50	35	26	27	22	25	37	36	125	123	50.40	49.60

योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं में से 50.40 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है। यह माध्यम पैसों या सिफारिश से प्राप्त हो जाता है। कुछ दलाल रूपये लेकर योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य भी करते हैं।[1]

तालिका 6.15 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	5	5	1	–	4	–	2	–	12	5	70.59	29.41
b	10	5	4	1	2	3	10	8	26	17	60.47	39.53
c	15	10	9	6	10	14	5	11	39	41	48.75	51.25
d	10	5	3	17	1	4	10	13	24	39	38.10	61.90
e	10	–	9	3	5	4	10	4	34	11	75.56	24.44

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मध्यम आय वर्ग में सहायता लेने का प्रतिशत कम है, जबकि निम्न तथा उच्च आय वर्ग में यह प्रतिशत है।

---

1. दैनिक जागरण, 16 दिसम्बर, 2006

तालिका 6.15 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	33	21	19	19	7	17	8	8	67	65	50.76	49.24
घरेलू	17	4	7	8	15	8	29	28	68	48	58.62	41.38

कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं के आँकड़ें देखने पर ज्ञात होता है कि कार्यशील महिलाओं की तुलना में घरेलू महिलाओं में सहायता लेने का प्रतिशत अधिक है।

सिर्फ सहायता लेने से ही योजनाओं का लाभ नहीं मिलता बल्कि रिश्वत की भी आवश्यकता होती है। जब तक किसी सम्बन्धित अधिकारी को सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता, तब तक सुविधा भी प्राप्त नहीं होती है, जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका 6.16 - (A)

रिश्वत का प्रयोग करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	20	10	12	13	12	8	16	12	60	43	58.25	41.75
पिछड़ा	10	20	9	6	5	8	5	20	29	54	34.94	65.06
अनु0जाति	6	9	5	8	5	9	7	13	23	39	37.10	62.90
योग	36	39	26	27	22	25	28	45	112	136	45.16	54.84

45.16 प्रतिशत महिलाओं ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए रिश्वत का प्रयोग किया जिनमें सामान्य वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

तालिका 6.16 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	3	7	–	1	2	2	–	2	5	12	29.41	70.59
b	4	11	3	2	1	4	2	16	10	33	23.26	76.74
c	10	15	7	8	8	16	7	9	32	48	40.00	60.00
d	9	6	8	12	5	–	11	12	33	30	52.38	47.62
e	10	–	8	4	6	3	8	6	32	13	71.11	28.89

आय आधारित तालिका देखने से ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग की महिलायें धन के बल पर अधिक लाभ ले लेती है। जबकि निम्न आय वर्ग पिछड़ जाता है। गरीब होने के बावजूद भी उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वे प्रायः लाभ से वंचित ही रह जाते है।

तालिका 6.16 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	21	33	17	21	9	15	8	8	55	77	41.67	58.33
घरेलू	15	6	9	6	13	10	20	37	57	59	49.14	50.86

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलाओं की तुलना में घरेलू महिलाओं ने रिश्वत का प्रयोग किया है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद भी ये महिलायें योजना से प्राप्त लाभ का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर पाती है।

तालिका 6.17 - (A)

योजना से प्राप्त लाभ का प्रयोग अपनी इच्छा से करने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	18	12	15	10	5	15	15	13	53	50	51.46	48.54
पिछड़ा	10	20	6	9	6	7	10	15	32	51	38.55	61.45
अनु0जाति	5	10	4	9	4	10	9	11	22	40	35.48	64.52
योग	33	42	25	28	15	32	34	39	107	141	43.15	56.85

तालिका से इंगित है कि मात्र 43.15 प्रतिशत महिलायें ही योजना का लाभ अपनी मर्जी से कर पाती हैं, बाकी 56.85 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त लाभ का प्रयोग उनके परिवार के सदस्यों की मर्जी से होता है।

तालिका 6.17 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	5	5	1	–	2	2	2	–	10	7	58.82	41.18
b	6	9	3	2	3	2	5	13	17	26	39.53	60.47
c	11	14	12	3	4	20	9	7	36	44	45.00	55.00
d	5	10	4	16	2	3	15	8	26	37	41.21	58.73
e	6	4	5	7	4	5	3	11	18	27	40.00	60.00

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निम्न वर्ग की महिलाओं की तुलना में उच्च आय वर्ग की महिलाओं में अपनी इच्छानुसार लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम है।

तालिका 6.17 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	13	41	17	21	5	19	14	2	49	83	37.12	62.88
घरेलू	20	1	8	7	10	13	20	37	58	58	50.00	50.00

उपर्युक्त तालिका के अनुसार घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कार्यशील महिलाओं में अपनी मर्जी से लाभ का प्रयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम है। क्योंकि कभी–कभी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी इन महिलाओं को दूसरों की इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है।

लाभ का प्रयोग किसकी इच्छा से हुआ, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस लाभ से कितनी महिलायें व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो पाती हैं। निम्न तालिका से महिलाओं में व्यक्तिगत लाभ की स्थिति स्पष्ट है।

तालिका 6.18 - (A)

योजना के लाभ से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	10	20	6	19	10	10	12	16	38	65	36.89	63.11
पिछड़ा	8	22	5	10	6	7	8	17	27	56	32.53	67.47
अनु0जाति	5	10	4	9	5	9	6	14	20	42	32.26	67.74
योग	23	52	15	38	21	26	26	47	85	163	34.27	65.73

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 34.27 प्रतिशत महिलायें व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो पा रही हैं। इन महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत (36.89) पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की तुलना में अधिक है। यदि महिलाओं को

किसी योजना का लाभ मिल भी जाए तो भी उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि महिलाओं की स्थिति में अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तन नहीं आ पाया है।

तालिका 6.18 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	1	9	–	1	–	4	1	1	2	15	11.76	88.24
b	2	13	–	5	1	4	2	16	5	38	11.63	88.37
c	7	18	4	11	8	16	7	9	26	54	32.50	67.50
d	7	8	6	14	5	–	13	10	31	32	49.20	50.80
e	6	4	5	7	7	2	3	11	21	24	46.67	53.33

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च आय वर्ग की महिलाओं की तुलना में निम्न आय वर्ग की महिलाओं को बहुत ही कम व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो पा रहा है। गरीबी के कारण अन्य पारिवारिक उत्तरदायित्व प्राथमिक हो जाते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ गौण हो जाते हैं।

तालिका 6.18 - (C)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
कार्यशील	16	38	10	28	12	12	10	6	48	84	36.36	63.64
घरेलू	7	14	5	10	9	14	16	41	37	79	31.90	68.10

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि कार्यशील महिलाओं में 36.36 प्रतिशत महिलाओं को व्यक्तिगत लाभ मिला, जबकि घरेलू महिलाओं में 31.90 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिला। यदि तालिका सं0 6.17-(C) को देखा जाए तो 50 प्रतिशत घरेलू महिलाओं के लाभ का प्रयोग उनकी मर्जी से हुआ था, फिर भी 31.90 प्रतिशत

महिलायें ही व्यक्तिगत लाभ ले सकीं। क्योंकि ये महिलायें अपनी इच्छा से या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समस्त लाभ अपने परिवार के सदस्यों को दे देती हैं तथा प्रायः परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार के भावात्मक व हिंसात्मक दबाव बनाकर ले लेते हैं।

तालिका 6.19 - (A)

आत्मनिर्भरता की इच्छा रखने वाली महिलायें

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
सामान्य	30	59	40	54	60	36	40	59	170	208	44.97	55.03
पिछड़ा	16	11	20	4	18	21	20	24	74	60	55.22	44.78
अनु0जाति	13	11	7	—	15	5	18	9	53	25	67.95	32.05
योग	59	81	67	58	93	50	78	92	297	293	50.34	49.66

वर्तमान समय में महिलाओं में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा बलवती होने लगी है, इसलिए वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।

उक्त तालिका के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि घरेलू महिलाओं में से 50.34 प्रतिशत महिलायें आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहती हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में पिछड़ी जाति की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है तथा पिछड़ी जाति की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। सामान्य वर्ग की महिलायें अभी भी परम्परागत सामाजिक मानसिकता में जकड़ी हुयी हैं।

<u>ग्राफ सं0– 16.1</u>

जनपद में महिलाओं की आर्थिक स्थिति

स्रोत : सभी आँकड़ें प्रश्नावली से संकलित हैं।

ग्राफ सं0– 16.2

जनपद में महिलाओं की आर्थिक स्थिति

स्रोत : सभी आँकड़ें प्रश्नावली से संकलित हैं।

तालिका 6.19 - (B)

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या											
	डकोर		कदौरा		कुठौंद		जालौन		योग		प्रतिशत	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
a	25	9	14	12	35	8	13	2	87	31	73.73	26.27
b	11	29	4	–	19	16	25	16	59	61	49.17	50.83
c	9	20	13	10	21	10	25	14	68	54	55.74	44.26
d	10	14	25	22	8	10	10	39	53	85	38.41	61.59
e	4	9	11	14	10	18	5	21	30	62	32.61	67.39

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च आय वर्ग की तुलना में निम्न आय वर्ग की अधिक महिलायें आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।

ये सभी महिलायें आत्मनिर्भर तो बनना चाहती है परन्तु अशिक्षा, जानकारी का अभाव, आर्थिक समस्यायें, पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यतायें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। उन्हें बस एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता है, जो उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बना सके तथा विकास की दिशा प्रदान कर सके।

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी जनपद जालौन की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। निर्धन वर्ग की महिलायें जिन्हें विकास की सर्वाधिक आवश्यकता है, वे अपने सामाजिक एवं आर्थिक कुचक्र को नहीं तोड़ पा रही हैं। महिलायें किसी भी जाति की हो, शोषित सभी हैं। किन्हीं स्थानों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति उच्च हो जाती है, तो कहीं वे सामाजिक मान्यताओं के तले दब जाती हैं। उस स्थिति में पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति उच्च हो जाती है। कार्यशील महिलायें तो और भी दोहरे शोषण का शिकार है– घरेलू शोषण एवं नियोक्ता का शोषण का।

सप्तम् अध्याय

महिलाओं के आर्थिक विकास में बाधक तत्व

जीवन में प्रायः बहुत सी समस्यायें आती हैं और आगे बढ़ने के लिए इन समस्याओं से सभी को जूझना पड़ता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। लेकिन भारतीय समाज में विशेष रूप से अध्ययन क्षेत्र की महिलायें पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समस्याओं में जकड़ी हुयी हैं तथा ये समस्यायें भिन्न–भिन्न प्रकार की हैं। ये समस्यायें प्रत्येक समाज, धर्म, जाति तथा क्षेत्र में अलग–अलग प्रकार की है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि आज का दौर महिलाओं के सम्बन्ध में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का दौर है। महिलायें विकास में बाधक तत्वों को विखण्डित करके सफलता के नित नये आयाम बना रही है। नैना लाल किदवई, इन्दिरा नूयी तथा किरण मजूमदार शॉ जैसी महिलायें इसका जीवन्त उदाहरण है। लेकिन जैसाकि पूर्व में बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में तथा समाज में समस्याओं के रूप भिन्न–भिन्न है। अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं की समस्यायें भी अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। अध्ययन क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ आधारभूत संरचनााओं का भी अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। यहाँ की महिलायें तो अभी स्वयं अपनी समस्याओं को पहचानने में असमर्थ है जबकि चारो तरफ महिलाओं में क्रान्ति का बिगुल बज चुका है। संसद से लेकर ग्राम पंचायत में, व्यापार से लेकर कृषि कार्य में तथा आँगनबाड़ी, अध्यापक व डाक्टर जैसे परम्परागत क्षेत्र के अलावा सेना, इंजीनियर, मैनेजर तथा बी.पी.ओ. (बिजनिस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग) जैसे अपरम्परागत क्षेत्रों में भी महिलाओं की सहभागिता दिखाई दे रही है। भले ही यह सहभागिता पुरुषों से कम है, लेकिन कम से कम दुनिया ने महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कार्य कुशलता को स्वीकार किया है।

सारी दुनिया में लिंग विभेद के विरूद्ध समय–समय पर संघर्ष होते रहे हैं। पश्चिमी देशों की महिलाओं ने सबसे पहले समानता के लिए आवाज उठाई तथा संघर्षों के कठिन दौर से गुजरी। उनके संघर्षों ने पूरी दुनिया का ध्यान महिलाओं के प्रति होने

वाले अमानवीय पक्षपात की तरफ आकर्षित किया तथा लिंग समानता के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान नारी मुक्ति का इतिहास उनके आर्थिक आन्दोलन से ही शुरू होता है। यह सफर शुरू हुआ 8 मार्च 1857 को, उस दिन न्यूयार्क की सड़कों पर पहली बार हजारों कामकाजी महिलायें एकत्र हुयीं। ये महिलायें न्यूयार्क शहर की गारमेंट तथा टैक्सटाइल कारखाने की कामगार थी। बहुत कम वेतन मिलना, काम के घंटे बहुत अधिक होना तथा वर्किंग कंडीशनंस बेहद अमानवीय होना, ऐसे कारण थे जो उनके लिए असहनीय हो चुके थे, आखिरकार उन्होंने हड़ताल कर दी।

शोषण के विरूद्ध संघर्ष करने वाली महिलाओं को अनेक बलिदानों के बाद अंततः 8 मार्च 1908 को सफलता मिली। 14–15 घंटे के स्थान पर काम के 8 घंटे निश्चित हुए। 8 मार्च, 1908 को क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में लाखों महिलाओं ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में युद्ध के विरूद्ध हस्ताक्षर कर अपना विरोध प्रकट किया। 8 मार्च, 1915 को महिलाओं द्वारा विश्वयुद्ध का विरोध किया गया, इसी दिन 1916 को चीन की महिलाओं का समानता के अधिकार को लेकर विशाल प्रदर्शन हुआ। 8 मार्च, 1943 को इटली की महिलाओं द्वारा दमनकारी, तानाशाह शासक मुसोलनी का कड़ा विरोध किया गया। 1947 को अमेरिका साम्राज्यवादी नीति के विरोध में वियतनाम की महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया, 8 मार्च 1978 को पर्दा प्रथा के विरोध में ईरान की महिलाओं ने प्रदर्शन किया।[1] इस प्रकार यह दिन (8 मार्च) विश्व भर की नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। 8 मार्च 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिन 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में घोषित किया।

इस सम्बन्ध में भारतीय महिलायें भाग्यशाली है कि बिना किसी संघर्ष के संविधान ने उन्हें सभी प्रकार की समानता के अधिकार प्रदान किये हैं। अनुच्छेद 14, 15

---

1. श्रीवास्तव करुणा : 8 मार्च का सफर और चुनौतियां, उम्मीद 2004 (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समता ज्ञान विज्ञान समिति उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित), पृ0 5

तथा 16 महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के कार्य करने एवं जीवन–यापन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।[1] परन्तु विडम्बना यह है कि अशिक्षा तथा महिलाओं का दमन करने वाली परम्पराओं के कारण यहाँ की अधिकांश महिलायें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है।[2] यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र की महिलायें अभी भी पुरुष प्रधान समाज की परम्पराओं तथा रूढ़ियों में जकड़ी हुयी है और विकास की राह की बाधाओं को वे दूर नहीं कर पायी हैं।

विभिन्न कानूनी अधिकारों के बाद भी भारतीय महिलायें विशेष रूप से ग्रामीण महिलायें जन्म से लेकर मृत्यु तक भेदभाव का सामना करती है। यद्यपि कुछ महिलायें सदियों से चले आ रहे शोषण और दमनकारी चक्र को तोड़कर विकास कर रही है।[3] लेकिन अधिकांश महिलायें अभी भी शोषण तथा उपेक्षा का शिकार है। महिलाओं की इन समस्याओं का प्रारम्भ उनके घर से ही हो जाता है और जो महिलायें इन समस्याओं का सामना करके घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने को प्रयासरत है या आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, उन्हें घर से बाहर भी शोषण, उपेक्षा तथा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अतः महिलाओं की समस्याओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है– पारिवारिक समस्यायें एवं गैर–पारिवारिक समस्यायें।

"स्त्री के शोषण के हमारे समाज में अनेक रूप है, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते या जानते हुए भी समाज को नजर नहीं आते। हम स्त्रियों को तीन तरह से शोषित मानते हैं। स्त्रियों के शोषण का रूप यह है कि वह चाहे जिस वर्ग या जाति की हो, स्त्री के रूप में उसका शोषण किया जाता है। इस प्रकार के शोषण से प्रत्येक स्त्री प्रभावित होती है। चाहे अमीर घर की हो या गरीब मजदूर स्त्री, गृहणी हो या कामकाजी स्त्री, नीची जाति

1. Antony, M.J.; Women's Rights, Published by Hind Pocket Books(P) Ltd., New Delhi (1989), P.10
2. Ibid, P.10
3. Singh, Usha ; Programmes for Women; A new Thrust Needed; Yojana, Vol.34, 1990, P. 6

की हो या ऊँची जाति की स्त्री वह शोषण का शिकार अवश्य होती है। उसके श्रम का शोषण तो होता ही है – घरेलू काम करने, बच्चों को पैदा करने और पालने–पोसने, पति के अलावा परिवार के बूढ़ों और बच्चों की सेवा करने आदि में किये जाने वाले श्रम को तो श्रम ही नहीं माना जाता, वह तरह–तरह से यौन शोषण का शिकार भी बनती है, जो घर में होने वाले बलात्कार से लेकर बाहर होने वाले बलात्कार जैसे अनेक रूपों में होता है। पूँजीवादी समाज में एक मजदूर स्त्री या खेत में काम करने वाली स्त्री या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली स्त्री या घर में रहकर घर में काम करने वाली स्त्री का दोहरा शोषण होता है– एक स्त्री के रूप में, दूसरा श्रमिक के रूप में। तीसरी तरह की शोषित स्त्रियाँ वे हैं जिनका शोषण किसी जाति या सम्प्रदाय की स्त्री के रूप में किया जाता है। दलित या अल्पसंख्यक स्त्रियों का तिहरा शोषण होता है– एक स्त्री के रूप में, दूसरा श्रमिक के रूप में और तीसरा किसी जाति या सम्प्रदाय के रूप में।''[1]

परिवार में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता है, लड़कों की तरफ झुकाव तथा लड़कियों की उपेक्षा का सिलसिला जन्म से ही शुरू हो जाता है (यही कारण है कि जनपद जालौन का लिंगानुपात 847 : 1000 है, जोकि बहुत कम है और चिंता का विषय है)। भेदभाव की यह समस्या बहुत ही विकृत रूप में है, सर्वप्रथम तो कन्या भ्रूण को ही भ्रूण हत्या के रूप में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और जन्म मिल भी गया तो परिवार के लिए दुःख का विषय बन जाती है। जन्म के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उन्हें उनकी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने का मौका नहीं देता। अध्ययन क्षेत्र की महिलायें कुपोषण, निम्न जीवन स्तर तथा अशिक्षा जैसी समस्याओं से ग्रसित है और यदि इन समस्याओं पर विजय पाकर जो महिलायें आर्थिक कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, उन्हें लिंग, रोजगार, आय तथा ऋण प्राप्त करने में असमानता का सामना करना पड़ता है।

---

1. करात, वृंदा : संकीर्ण स्त्रीवाद से बचने की जरूरत, उम्मीद 2006, पृ0 36

महिलाओं के विकास में बाधक प्रमुख तत्व

भारत में महिलाओं के साथ अनेक तरीकों से भेदभाव होता है, जैसे उन्हें सिर्फ कुछ महिनों तक माँ का दूध मिलता है, कम प्यार और खेलकूद, कम देखभाल और बीमार पड़ने पर कम इलाज, माता–पिता का कम ध्यान, परिणामस्वरूप लड़कियाँ लड़कों की तुलना में बीमारी और संक्रमण की अधिक शिकार होती है, जिससे उनकी सेहत कमजोर रहती है और जीवन अवधि कम हो जाती है। लड़कियों के पालन–पोषण और देखभाल में जीवन–भर उनके साथ होने वाला भेदभाव ही लड़कियों का असली हत्यारा है– यह दबा–छिपा और कम नाटकीय है लेकिन कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या की तरह ही निश्चित रूप से घातक है।[1]

महिलाओं के विकास में बाधक तथ्वों का अध्ययन करने के उद्देश्य से महिलाओं को तीन श्रेणी में विभक्त करके उनकी समस्याओं का अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा–

1. महिलाओं की घरेलू समस्यायें
2. महिलाओं की व्यवसायिक समस्यायें
3. विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी समस्यायें।

०१. महिलाओं की घरेलू समस्यायें :

घरेलू महिला की समस्या उसके बचपन से ही प्रारम्भ हो जाती है और तब तक चलती रहती है, जब तक वे जीवन के अन्तिम क्षणों तक नहीं पहुँच जाती हैं। दक्षिण एशियाई देशों की तरह भारत में भी महिलाओं को सीमित अधिकार और काम दिये गये हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतांक गिरता हुआ स्त्री–पुरुष अनुपात है। प्रत्येक राज्य में यह अनुपात भिन्न–भिन्न है।

---

1. मैनन, कल्याणी–सेन, कुमार, ए0के0 शिव : भारत में औरते कितनी आजाद? कितनी बराबर? Retrieved from www.un.org.in, P.36

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक कारणों से महिलाओं के प्रति होने वाला भेदभाव तथा उपेक्षा का भाव बहुत ही गहरी जड़ें बना चुका है, जिसे उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। स्वतंत्रता के 50 दशक तथा महिला विकास की नीतियों के 20 दशक से भी अधिक बीत जाने पर महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुयी है। अध्ययन क्षेत्र में घरेलू महिलाओं के विकास में बाधक तत्व के रूप में निम्न बिन्दु सामने आये है–

निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव –

सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि गाँवों में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। परिवार की महिलायें पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर करती हैं तथा युवा महिलायें तो दोहरे बंधन में रहती हैं– परिवार की बुजुर्ग महिलाओं तथा पुरुष सदस्यों द्वारा ही उनके सभी निर्णय लिये जाते हैं। यही कारण है कि एकांकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में महिलाओं का स्तर अधिक सोचनीय होता है। सर्वेक्षण के दौरान कई महिलाओं ने तो प्रश्नावली भरवाने से मना कर दिया, क्योंकि पति की अनुमति के बिना उन्हें किसी निर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं था तथा जिन परिवारों में सास तथा अन्य महिलायें जैसे ननद अथवा जिठानी थी, वहाँ भी वे भी घर की बहुओं से प्रश्नावली भरवाने को तैयार नहीं हो रही थीं। ग्रामीण परिवारों में महिलायें परिवार के सभी कार्य करती है तथा बच्चों का पालन–पोषण तो करती है परन्तु उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। ''यत्र नारियस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता'' यह कथन आज के समाज पर एक प्रश्नचिन्ह है। संवैधानिक समानता के बावजूद भी विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओं के कारण महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न है।

पारिवारिक हिंसा –

पारिवारिक हिंसा भी महिलाओं के विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख तत्व है। यह हिंसा पति, सास–ससुर, ननद, जिठानी आदि के द्वारा की जाती है।

ऐसा नहीं है कि घरेलू महिला ही इस हिंसा का शिकार है बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं ने भी हिंसा की बात स्वीकार की। निश्चित रूप से यह एक पाश्विक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के मानसिक विकास को कुंठित कर देता है। पुरुष मामूली से मामूली बातों पर भी घर की महिलाओं के साथ हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना लेते और बहुत ही कम महिलायें इस हिंसा का विरोध कर पाती हैं।

परिवार के आर्थिक कार्यों में सहयोग का लाभांश प्राप्त न होना -

सर्वेक्षण के दौरान, पति के कार्यों में सहयोग करने वाली महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें उसका कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलता, यह तो पारिवारिक सदस्य के नाते उनका सहयोग माना जाता है। घरेलू कार्यों को समाप्त करने के बाद वे पूरे दिन पति के साथ खेतों व दुकानों पर काम करती हैं। दूसरे शब्दों में कहे, कार्य एवं जिम्मेदारियों की दोहरी मार झेलती है और जब उन्हें अपनी किसी आवश्यकता के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो पति की कृपा पर ही निर्भर रहती है। यह महिला शोषण का ही एक रूप है। महिला श्रम का यह शोषण किसी नियोक्ता द्वारा नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

महिला कुपोषण की समस्या -

महिला विकास के सम्बन्ध में सबसे ज्वलन्त समस्या महिला स्वास्थ्य की समस्या है। उनके साथ भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता में भी भेद किया जाता है। अधिकांश महिलायें तथा लड़कियाँ, पुरुषों तथा लड़कों की तुलना में अपर्याप्त तथा निम्न श्रेणी का भोजन लेती हैं। यही कारण है कि वे कुपोषण का शिकार हो जाती है। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि लड़कियाँ ही भविष्य की महिलायें तथा माँ है फिर भी प्रारम्भ से ही उनके खानपान में भेदभाव किया जाता है। नेशनल न्यूट्रीशियन बोर्ड के आहार उपभोग आंकड़ों के अनुसार 13–14 आयु वर्ग की किशोरियों को वांछित कैलोरी का

दो तिहाई भाग ही मिलता है। इस कारण वे अत्यधिक कमजोर व बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है तथा असामयिक महिला मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर का कारण यही है। यह कुपोषण समाज के लिए स्लो प्वाइजन का काम कर रहा है। वास्तविकता यह है कि कुपोषण एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है, जिसकी प्रकृति न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय है।[1]

पारिवारिक उत्तरदायित्वों का सम्पूर्ण भार –

यद्यपि महिलायें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं लेकिन यदि महिला कार्यशील है तो उसके सामने समस्याओं की एक लम्बी श्रृंखला खड़ी हो जाती है। ये समस्यायें परिवार तथा पति, कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से बाहर तथा समाज से सम्बन्धित होती है। एक कार्यशील महिला की गृहणी की भूमिका के रूप में समस्या अधिक बढ़ जाती है। इन समस्याओं के अन्तर्गत खाना पकाना, कपड़े धोना, साफ–सफाई, बच्चों का पालन–पोषण तथा पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल आदि समस्यायें सम्मिलित हो जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति के विस्तार ने कामकाजी महिलाओं के शोषण के नये–नये हथियार पैदा कर दिये है। कामकाजी महिला का शोषण परिवार, कार्यालय एवं घर से बाहर होता है।

कामकाजी महिलाओं को केवल घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी के कारण ही संकट का सामना नहीं करना पड़ता बल्कि कार्यस्थलों पर अपने कैरियर के विभिन्न चरणों में अपनी अस्मिता के लिए उन्हें अलग–अलग प्रकार का युद्ध लड़ना पड़ता है। महिलाओं को अपने कार्यस्थलों और कैरियर के आड़े आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है।[2]

---

1. बनर्जी, शभंकर : महिला कुपोषण : एक राष्ट्रीय समस्या, कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2005, पृ036
2. शर्मा, कुमुद : स्त्रीघोष, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2002, पृ0 66

भारतीय समाज में महिलाओं के बाह्य कार्यों की अपेक्षा घरेलू कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें अपने कार्य पर जाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है और यदि कोई आकस्मिक समस्या आती है तो उन्हें अपने कार्य से अवकाश लेना पड़ता है। जिसका उनकी कार्यक्षमता व आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एक कार्यशील महिला चार प्रकार की समस्याओं का सामना करती है– परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन व्यवस्था, अन्य घरेलू कार्यों से सम्बन्धित सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, बच्चों का पालन–पोषण व इन सबके बाद अपने आर्थिक कार्यों से सम्बन्धित समस्यायें।

विभिन्न प्रकार के कार्यों का बोझ महिलाओं के विकास को प्रभावित करता है। निःसन्देह डॉ. प्रमिला थापर ने सही कहा है कि "विवाहित कार्यशील महिला को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, प्रथम तो पत्नी, माँ तथा गृहणी के रूप में तथा दूसरी सेवानियोजन के रूप में। घर तथा बाहर दोहरी मांग होने के कारण उन्हें समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है।[1]

आर्थिक निर्भरता –

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। महिलाओं को अनुत्पादक एवं दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला माना जाता है। उस पर भी दहेज तो उनकी समस्या को और अधिक विकराल बना देता है। इन सब कारणों से लड़की का जन्म एक निराशा भरे वातावरण में होता है तथा पूरे जीवन वह परिवार की दुःखद सच्चाईयों को झेलती है। वह शारीरिक, मानसिक एवं लैगिंक हिंसा, दहेज हत्या, परिवार की उपेक्षा, पति द्वारा छोड़ना एवं दूसरी शादी करना तथा अनेक अन्य रूपों में शोषण का शिकार

---

1. कपूर, प्रोमिला : मैरिज एण्ड द वर्किंग वूमैन इन इण्डिया, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, 1970, पृ0 12

बनती है। इस क्षेत्र की महिलायें ये प्रताड़नायें सदियों से झेलती आ रही हैं। आज भी उनका सामना कर रही है। समानता के दौर में भी महिलायें दोयम दर्जे की स्थिति में ही जी रही हैं।

यद्यपि महिलाओं को 'शक्ति : देवी माँ, दुर्गा, भारत माता आदि उपनामों से अलंकृत किया गया है लेकिन उनसे जीवन तक का अधिकार छीनकर उन्हें शक्तिहीन बना दिया गया है। महिलाओं को सृजनकर्त्ता की पदवी तो दी गयी है लेकिन उन्हें उत्पादक नहीं माना गया है। यह एक सामाजिक विडम्बना है कि यह समाज अपनी आवश्यकतानुसार कोई भी पदवी प्रदान कर देता है और फिर अपनी आवश्यकतानुसार विमुक्त भी कर देता है। इन सबका सबसे बड़ा कारण यह है कि महिलायें आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहती है। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता, वे जो भी काम करती है उन्हें उत्पादक नहीं पुनुरुत्पादक माना जाता है क्योंकि उन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से धन का अर्जन नहीं होता जबकि जो कार्य पुरुष करते हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से धन अर्जन होता है। यदि ईमानदारी से स्वीकार किया जाए तो महिलायें भी उत्पादक है, वे जो भी कार्य करती हैं वे कार्य उत्पादन में सहयोगी होते हैं तथा महिलायें ही भविष्य के लिए कार्यशील एवं कुशल उत्पादक तैयार करती है। महिलाओं के घरेलू एवं प्रजनन सम्बन्धी कार्यों को पुनुरुत्पादक कार्यों की श्रेणी में रखे जाने के कारण समाज में उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है तथा उन्हें शारीरिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर समझा जाता है।

उपर्युक्त कारणों ने ही महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया है। वे अब महसूस करने लगी है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही वे शक्तिशाली बन सकती है। यही कारण है कि महिलायें आज प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति कुछ हद तक उन्नत हुयी है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि महिलायें घर की चारदीवारी के अन्दर बिना किसी प्रतिरोध के विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सामना कर रही है।

कभी–कभी तो वे आत्महत्या तक का कदम उठा लेती हैं। इसके बाद भी पुरुष प्रधान समाज उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी महिलायें भेदभाव, शोषण तथा पूर्वाग्रहों का सामना कर रही है।

०२. महिलाओं की व्यवसायिक समस्यायें :

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और कार्य करने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के अधिनियम व योजनायें अवश्य बनाये हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज कल्याण कार्यक्रमों ने भी अपना योगदान दिया है, फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। सरकार महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने में प्रयत्नशील है लेकिन समस्या का आकार बहुत बड़ा है। वे अभी भी नियोजन में भेदभाव, न्यूनतम् मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी गम्भीर समस्यायें महिलाओं के विकास में रोड़ा बने हुए है।

रोजगार की सुरक्षा –

रोजगार की असुरक्षा सबसे अधिक असंगठित क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलायें असंगठित क्षेत्रों में ही कार्यरत है।

आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों द्वारा भाग लेना आधुनिक युग के लिए कोई नयी बात नहीं है। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में स्त्री श्रमिकों का किसी न किसी रूप में अंशदान अवश्य है। पहले स्त्रियों की उत्पादन क्रियायें इस बात तक सीमित थी कि वे पुरुषों के कृषि, पशुपालन और घरेलू कार्यों में सहायता करे। परन्तु औद्योगीकरण व बड़े पैमाने के उत्पादन प्रारम्भ होने से अधिक से अधिक स्त्रियों ने लाभप्रद रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश किया। स्त्री श्रम और स्त्री श्रम के रोजगार में नियोजन की दृष्टि से विद्यमान स्थिति को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। भारत की आबादी की विशालता और उद्योगों की विकासशीलता की गति के संदर्भ में स्त्री श्रम की स्थिति चिन्ताजनक है, क्योंकि स्त्री श्रमिकों का नियोजन कम ही रोजगारों में होता है तथा

जिन रोजगारों में वे कार्य करती हैं उनमें भी सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं होती। स्त्रियों की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या रोजगार की समस्या है। स्त्री श्रमिकों का रोजगार असुरक्षित है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार है। प्रथम– शारीरिक कोमलता के कारण स्त्री की कार्यक्षमता पुरुषों से कम होती। इसी कारण यह माना जाता है कि स्त्रियों में पुरुषों जैसी कठोरता व शक्ति नहीं होती है। शक्तिजन्य और कठोर परिश्रम वाले कार्यों के लिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम उपयुक्त समझा जाता है। भारतीय उद्योगों में स्त्री श्रम का नियोजन इसी कारण कम होता है। यही कारण स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन रेखा कार्य करती है। पुरुषों से हीन समझकर अनेक रोजगार क्षेत्रों में उनका प्रवेश वर्जित कर भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के संदर्भ में समान अधिकारों की बात तो मात्र कागजी रूप में ही है।

स्त्रियों की मानसिक संरचना भी पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती है। पुरुष स्वयं को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्र बना लेते है किन्तु स्त्रियाँ अपनी विशिष्ट मानसिकता के कारण आकस्मिक परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार न कर स्वयं अपने को बदली हुयी परिस्थितियों ने अनुकूल बनाने में काफी समय लगाती है। भावनात्मकता के कारण संकट व बाधा के समय उनके कार्य की गति पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है।

प्राकृतिक कारणों से भी जहाँ पुरुष श्रमिक तीसों दिन एक समान क्षमता और पूरी शक्ति से कार्य कर सकता है। वहीं स्त्री श्रमिकों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं होता। मासिक धर्म, गर्भधारण, शिशु जन्म तथा उसके बाद एक दो माह तक उसकी शारीरिक शक्ति उसकी कार्यक्षमता में बाधक होती है। ऐसे समस्त प्राकृतिक कारण पुरुष प्रधान समाज में स्त्री श्रम के नियोजन में व रोजगार के क्षेत्र में नियोजन हेतु स्थायी अवरोध माने जाने लगे हैं।

स्त्री श्रम के रोजगार की असुरक्षा और नियोजन की कमी का एक कारण

यह भी है कि भारतीय स्त्री अधिक गहराई से सामाजिक परम्पराओं से जुड़ी हुयी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सभी परम्परायें व वर्जनायें स्त्रियों के लिए ही बनायी गयी है। विभिन्न पूर्वाग्रह भी स्त्रियों के विकास को बाधित करते हैं।

पुरुष वर्ग श्रमिक के रूप में पहली, दूसरी और तीसरी पाली अनुसार चौबीस घंटे व रात्रि में भी कार्य कर सकते है। परन्तु स्त्री श्रमिक के साथ नारीत्व व सतीत्व जैसी सुरक्षा सम्बन्धी समस्यायें जुड़ी होने के कारण वे सांयकालीन तथा रात्रिकालीन पालियों में कार्य करने में असमर्थ है। महिलाओं के साथ घटित होने वाली विभिन्न शर्मनाक व दुखद घटनाओं के बाद रात्रिकालीन पालियों में तथा जमीन के अन्दर भूमिगत कार्यों में महिला श्रमिकों से कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया, जोकि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त रहा परन्तु इन क्षेत्रों में सिर्फ पुरुषों का आरक्षण हो गया।

स्त्री श्रमिकों के रोजगार से सम्बन्धित विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत नियोक्ताओं पर जो वित्तीय भार पड़ता है, उसके कारण भी स्त्रियों को रोजगार देने में कमी आयी है। मातृत्वकालीन लाभ की अदायगी, शिशु गृहों की व्यवस्था, रात्रिकालीन कार्य पर प्रतिबंध, समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था, मजदूरी समानीकरण प्रयासों का लागू होना इत्यादि वैधानिक विषयों ने सेवायोजनों को स्त्रियों की नियुक्ति के प्रति अनिच्छुक बना दिया है। इन कानूनों की अवहेलना दण्डनीय अपराध है, इसलिए नियोक्ता उन्हें काम पर रखना ही नहीं चाहते है।

स्त्री श्रमिकों की एक विशिष्ट समस्या उनमें संगठन का आभाव है। महिलायें आर्थिक दृष्टि से परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहती है तथा असंगठित होती है। इस कारण वे पुरुषों की अपेक्षा नीची मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। महिलायें विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। इसी कारण महिला श्रमिक अपना अलग श्रम संगठन नहीं बनाती। विभिन्न पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण उनके पास संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए

समय नहीं होता। संगठन के अभाव के कारण नियोक्ता वर्ग अपनी मनमानी करते हैं तथा महिलाओं का आर्थिक शोषण निर्बाध रूप से चलता रहता है।

कार्य करने की दयनीय स्थिति –

कार्य करने की स्थितियों के अन्तर्गत सामान्यतया कार्य करने की दशाओं का समावेश किया जाता है। कार्यदशाओं से तात्पर्य उन बातों से है, जिन दशाओं में श्रमिकों को काम करना पड़ता है या जिन परिस्थितियों में रहकर श्रमिक कार्यों को सम्पन्न करता है। लाभकारी व्यवसायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस पुरानी सोच पर प्रहार किया है कि पुरुष खेत के लिए होते हैं और महिलायें चूल्हे के लिए।[1] अब महिलायें भी घर से निकलकर आफिस, खेत, कारखाने तथा उद्योगों में काम कर रही है, ऐसे में इन स्थलों की कार्य करने की दशाओं का महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है क्योंकि महिलायें कार्य करने की दशाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। कार्य करने की दशायें महिलाओं के लिए उपयुक्त न होने पर तथा सुरक्षा का अभाव होने पर परिवार के सदस्य उन्हें व्यवसायिक कार्यों में भेजना पसन्द नहीं करते हैं।

खेत, कारखानों तथा निर्माण कार्य में लगी महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कार्य करना पड़ता है। इन कार्यों में अकेली महिला होने या कम महिलायें होने पर तथा समय निश्चित न होने के कारण सबसे प्रमुख समस्या तो सुरक्षा की उत्पन्न होती है। कभी–कभी नियोक्ता तथा उनके साथ काम करने वाले पुरुष साथी ही उनके लिए असुरक्षित माहौल बना देते हैं। इसके अतिरिक्त जिन स्थलों पर ये महिलायें कार्य करती हैं, वहाँ पानी, हवा, रोशनी तथा अलग विश्राम स्थल की भी सुविधायें नहीं होती है तथा इन स्थलों पर गन्दगी का भी साम्राज्य होता है, जिस कारण प्रायः ये महिलायें थकी हुयी

---

1. Moarthy, Vasudeva M. : Problems and Welfare of our women workers, Indian Journal of Social Work, Sept., 1945.

तथा बीमार रहती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके घरेलू तथा बाह्य जीवन पर पड़ता है।

बीड़ी उद्योग को संसार का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। तम्बाकू की महत्ता के सम्बन्ध में श्रीमती पदमिनी सेन गुप्त ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "तम्बाकू सम्भवतः भारत की सर्वाधिक प्रजातांत्रिक वस्तु है। यह तम्बाकू धनी लोगों के लिए सांत्वना और निर्धन लोगों के लिए विश्रांति है।"[1]

जनपद जालौन में भी बीड़ी उद्योगों में अधिकांशतया महिला श्रमिक ही कार्य करती हैं तथा उनका कार्यस्थल उनका घर होता है। बीड़ी उद्योग में अधिकांश महिलाओं के कार्य करने का कारण भी यही है कि घर पर कार्य करना सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त है परन्तु कार्य करने की दशायें यहाँ भी सोचनीय है। एक महिला बीड़ी श्रमिक शहर या गाँव के अत्यन्त अंदरूनी और गंदी बस्ती वाले इलाके में किसी झुग्गी झोपड़ी अथवा छोटी कोठरी जैसे घर में निवास करता है। वे प्रातःकाल से लेकर देर रात्रि तक कार्य में व्यस्त रहती हैं ताकि अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। अधिकांश महिला श्रमिकों के बच्चे भी उनके साथ इस कार्य में व्यस्त रहते हैं जिसका उनके बच्चों की शिक्षा तथा विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी भी बच्चों पर ही पड़ जाती है।

झोपड़ियों के बाहर तो गन्दगी भरा वातावरण रहता ही है, घर के अन्दर भी कोई स्वच्छता नहीं रहती है। घर में कटी हुयी पत्तियाँ तथा तम्बाकू आदि महिलाओं तथा अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

जनपद जालौन में निर्माण कार्य में लगी महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक हीन और दयनीय है। महिलायें निर्माण कार्यों में रेजा के रूप में कार्य करती हैं। स्त्री श्रमिकों को सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक लगातार काम करना पड़ता है। गिट्टी तोड़ने, ईटें उठाने, सीमेन्ट लाने, गारा बनाने, मसाला तैयार करने का कार्य ग्रीष्मकाल

1. गुप्त, पदमिनी सेन : वीमैन वर्कर्स ऑफ इण्डिया

और शीतकाल में तपती धूप और कड़कती सर्दी में सम्पन्न करना पड़ता है। महिलाओं के जिन विशेष सुविधाओं और प्रावधानों की बात की जाती है, उनमें से किसी का भी अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है।

यह एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से उपेक्षित रहा है। महिलाओं की विपन्नता और दरिद्रता का चित्र बड़ा मर्मस्पर्शी होता है क्योंकि वे अपने कार्य में शारीरिक परिश्रम सबसे अधिक करती हैं किन्तु मजदूरी सबसे कम प्राप्त होती है। परिवार इतना बड़ा होता है तथा आर्थिक दशा इतनी दयनीय होती है कि अगर किसी दिन इन्हें रोजगार नहीं मिलता तो संभवतः भूखों रहने की नौबत आ जाती है।

डॉ0 राधा कमल मुखर्जी ने श्रमिकों की इस उपेक्षित स्थिति को सुधारने का प्रारम्भिक हल सुझाया है–

''जहाँ कार्य कम से कम दो वर्षों तक सतत् रूप से लागू रहे, वहाँ कुछ ऐसे निश्चित नियम बनाये जाने चाहिए ताकि ठेकेदार उचित प्रकार की आवास व्यवस्था और सफाई व्यवस्था, बीमारी में चिकित्सा और संक्रामक रोगों से पीड़ित दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों हेतु पृथक आवास की व्यवस्था अपने श्रमिकों को प्रदत्त करने हेतु बाध्य किये जा सके।''[1]

अतः समाज का हित इसी में है कि महिला श्रमिकों के लिए स्वस्थ व संतोषजनक कार्यदशाएं उपलब्ध करायें। महिलाओं के कार्य करने की दशायें ऐसी हो जिससे कार्य का दबाव उनके पारिवारिक जीवन पर न पड़े, उन्हें कार्य में नीरसता एवं थकान का अनुभव न हो, जीवन को कोई खतरा न हो तथा कार्य दशायें उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल न होकर अनुकूल हो। इससे महिलाओं की आर्थिक कार्य सहभागिता बढ़ेगी जोकि समाज के विकास के लिए आवश्यक शर्त है।

---

1. मुखर्जी, राधाकमल : इण्डिया वर्किंग क्लास, पृ0 91

स्त्री श्रमिकों की न्यून उत्पादकता –

आज आर्थिक विकास की हर योजना और औद्योगिक क्रान्ति का हर विचार उत्पादकता वृद्धि के प्रयासों पर आधारित है। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का पर्यायवाची माना गया है।

"उत्पादकता का आशय उस मानवीय सम्बन्ध से है जो एक ओर सुपरिभाषित उत्पादन तथा दूसरी ओर साधनों के बीच होता है– अर्थात् एक ऐसा सम्बन्ध जो उत्पादन के परिणामों तथा सम्बद्ध उत्पादन साधनों के बीच निर्धारित समय तथा निश्चित दशाओं के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक दोनों रूपों में होता है।"[1]

जनपद जालौन के विभिन्न संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिला श्रमिकों की उत्पादकता भी न्यून है, जिस कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है। परिणामस्वरूप पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वे अपने आर्थिक स्तर को उच्च नहीं कर पाती हैं।

महिला श्रमिकों की न्यून उत्पादकता के कई कारण है। जैसे– पुरुष श्रमिक शारीरिक शक्ति से बलवान होते हैं जिससे वे अधिक श्रम कर सकते हैं किन्तु महिला श्रमिक शारीरिक कोमलता के कारण साधारण परिश्रम ही कर सकती है। प्राकृतिक कारण ही महिला श्रमिकों की न्यून उत्पादकता के लिए प्रथम उत्तरदायी है।

महिला श्रमिक का श्रमिक के रूप में कार्य करने पर भी अपने परिवार से सम्बन्ध बराबर बना रहता है, जिससे उसे श्रमिक और परिवार के सदस्य के रूप में दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। श्रमिक के रूप में कार्य करने तथा आय अर्जित करने के बाद भी उन्हें पारिवारिक दायित्वों से किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दोहरे दायित्वों के बोझ के कारण महिला श्रमिक की मनःस्थिति तनावपूर्ण

---

1. लाल, बी0बी0 : इण्डस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एण्ड इकॉनोमिक ग्रोथ, पृ0 71

रहती है। इस तनाव के कारण स्त्री श्रमिक की कार्यक्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

अधिकांश स्त्री श्रमिक अशिक्षित है जिसके कारण एक ओर उनका सामान्य ज्ञान कम होता है और कार्य में विशिष्टता ग्रहण नहीं कर पाती है तथा तकनीकी ज्ञान का भी अभाव होता है। साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव भी है। ज्ञान का अभाव महिलाओं की उत्पादकता को न्यून कर देता है।

महिला श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग अस्थायी श्रमिक के रूप में कार्यरत रहता है। गाँव में रहने वाली महिला श्रमिक फसल के समय गाँव चले जाते हैं और खाली समय में शहरों में कार्य करने आ जाती हैं। एक बार गाँव जाने पर तथा कुछ समय बाद वापस लौटने पर जरूरी नहीं कि उन्हें वह कार्य फिर से प्राप्त हो जाए। अतः नई जगह उन्हें नया कार्य फिर से सीखना पड़ता है और उत्पादकता का स्तर पुनः प्रवासिता के कारण एक बार फिर गिर जाता है।

निर्धनता और मजदूरी के निम्न स्तर के कारण स्त्री श्रमिकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है। दरिद्रता के कारण वे भलीप्रकार अपना पेट भी नहीं भर पाती। आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता दिनों–दिन कम होती जाती है।

श्रम कल्याणकारी केन्द्रों का अभाव –

आज के परिवर्तित मानवीय सम्बन्ध औद्योगिक उत्तरदायित्व और राजकीय नीति के संदर्भ में श्रमिक को केवल मजदूरी ही नहीं दी जाती वरन् उसके कल्याण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार और समाज पर होता है। आज यह स्वीकार किया जाता है कि "मशीनों का महत्व मानव जीवन से अधिक नहीं है, श्रमिकों के परिवार की भलाई से लाभ अधिक पवित्र नहीं है और कार्यरत श्रमिक के कल्याण और सुरक्षा के समक्ष

लाभांश को प्राथमिकता नहीं है।"[1]

श्रम कल्याण कार्यों के अन्तर्गत वे समस्त कार्य सम्मिलित किये जाते हैं, जो श्रमिकों की भलाई के लिए किये जाते हैं। जैसे– मनोरंजन, जलपान की व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधायें, आवास सुविधायें, यातायात सुविधायें व अन्य सभी कार्य जिनका उद्देश्य श्रमिकों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान करना हो।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार– "श्रम कल्याण से आशय ऐसी सेवाओं, सुविधाओं और आरामों से समझना चाहिए जो कारखाने के अन्दर या निकटवर्ती स्थानों में उपलब्ध हो, जिससे उन कारखानों में काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और शांतिपूर्ण परिस्थितियों में अपना कार्य कर सकें और अपने स्वास्थ्य एवं नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।"[2]

जनपद जालौन में महिला श्रमिकों के लिए बनाये गये विभिन्न कल्याणकारी नियमों का तो जैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। कुठौंद ब्लाक में चलने वाले ईंट भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं की दशा देखकर तो लगता है कि किसी भी सरकारी प्रावधान को बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस वर्ग के लिए इन प्रावधानों की आवश्यकता है, वह वर्ग तो इन योजनाओं के बारे में जानता ही नहीं है और न ही जानने का समय है। उसे तो सिर्फ अपना पेट भरने की चिन्ता रहती है। तपती हुयी धूप हो या कड़ाके की ठंड, वे खुले मैदानों में बैठकर कार्य करती है। विश्राम के समय भी सिर्फ आसमान की छाया ही मिलती है। वही पर ये लोग अपने साथ लाया गया भोजन करती हैं तथा आसपास से प्राप्त कैसे भी गन्दे पानी से अपनी प्यास बुझाती हैं। भट्ठे के मालिक द्वारा दी जाने वाली फटकार तथा अपशब्द सुनने के बावजूद भी बहुत ही

---

1. सक्सेना एवं गुप्ता : भारत में उद्योगों का संगठन वित्त व्यवस्था एवं प्रबन्धन, 1985, पृ0 190
2. II Report of the I.L.O., Asian Regional Conference, P. 3.

थोड़ा सा पारिश्रमिक मिलता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने नहीं देता। महिलाओं में 'महिला संगठन' का अभाव होने की वजह से भी वे अपनी माँगे पूरी नहीं करा पाती है तथा दयनीय आर्थिक दशा होने के कारण उन्हें अपनी नौकरी जाने का भय भी रहता है।

जबकि भविष्य निधि हेतु अंशदान की कटौती, अकाल मृत्यु पर परिवारजनों को 6 माह के वेतन अनुसार सहायता अनुदान, सेवाकाल की समाप्ति पर पेंशन आदि व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है।

स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुविधाओं का अभाव –

स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सकता है। परन्तु जनपद में महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें भी विकराल रूप में है। जो महिलायें घर से बाहर जाकर काम करती है उनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें अधिक पायी गयी क्योंकि वे घर, बच्चों तथा कार्य के तिहरे दबाव को झेलती हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधायें, प्रसूति सुविधायें, मातृत्व सुविधायें तथा परिवार कल्याण सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। प्रसूति व परिवार कल्याण कार्यक्रम कभी स्त्रियों के लिए जीवन–मरण का प्रश्न बन जाते हैं। प्रसूति के लिए और प्रसूति के समय स्त्रियों के लिए विशेष देखभाल और उपचार की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं को ये सुविधायें पर्याप्त मात्रा में बिना किसी निषेघ के निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। परन्तु गाँवों में ये सुविधायें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है। किसी भी समस्या के लिए उन्हें शहरों की तरफ भागना पड़ता है। गाँवों में चलाये जा रहे आँगनबाड़ी केन्द्र एवं नियुक्त की जाने वाली ए0एन0एम0 कार्यकत्री सिर्फ खानापूर्ति करती हैं अथवा अपने परिचितों को सुविधायें प्रदान करती हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर्वेक्षण के दौरान मात्र 2 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें मातृत्व लाभ योजना का कोई लाभ मिला। कुछ

महिलाओं ने बताया कि प्रसव के बाद प्रसव केन्द्र में मातृत्व लाभ योजना का धन मिलना तो दूर की बात रही, बल्कि प्रसूति केन्द्रों की नर्सों ने उनसे सुविधा शुल्क लिया है।

जो महिलायें घर से बाहर जाकर कार्य करती हैं उन्हें तो प्रजनन के समय अपना कार्य भी छोड़ना पड़ता है। अतः महिलाओं के विकास को प्रेरित करने के लिए उन्हें सवैतनिक या अर्द्धवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा का अभाव –

सामाजिक सुरक्षा समाज के प्रति एक प्रगतिशील विचारधारा की नीति का अंग है। इसका आशय असमर्थता के समय समाज के सक्षम सदस्यों द्वारा निरीहों को आश्रय एवं संरक्षण देना है। सामाजिक सुरक्षा का विचार यह है कि राज्य को अपने सभी नागरिकों को एक ऐसे व्यापक आधार पर, जिसमें जीवन की सभी महत्वपूर्ण समस्यायें शामिल हों, भौतिक कल्याण के एक न्यूनतम् स्तर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

जी0डी0एच0 कौल के शब्दों में– "सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि समाज के प्रतिनिधि के रूप में सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए एक न्यूनतम् जीवन स्तर बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है।"[1]

इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज अपनी प्रतिनिधि संस्था द्वारा अपने सदस्यों को उनके जीवन में आने वाली बीमारी, बेकारी, आकस्मिक दुर्घटनायें, मातृत्व, बुढ़ापा इत्यादि विपत्तियों में उनकी रक्षा करने तथा एक उचित आर्थिक, शारीरिक एवं नैतिक स्तर बनाये रखने के लिए प्रदान करता है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद जालौन में महिलाओं का स्तर निम्न होने का एक प्रमुख कारण सामाजिक सुरक्षा हेतु चलायी जा रही योजनाओं की कमी तथा जो

1. सक्सेना, डॉ0 एस0पी0 : श्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा, पृ0 71

योजनायें चल रही हैं, उन तक महिलाओं की पहुँच न होना भी है। सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनायें जैसे– विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, गरीब लड़कियों की शादी के लिए अनुदान आदि का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाता। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि जिन महिलाओं को इनका लाभ मिला था उन्होंने या तो रिश्वत दी थी या वे सम्बन्धित अधिकारी से परिचय रखती थी।

अतः विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच महिलाओं तक न होने के कारण भी महिलाओं का विकास बाधित है।

०३. भिन्न योजनाओं सम्बन्धी समस्यायें :

महिला विकास के लिए किये जाने वाले निवेश स्तर से सम्बन्धित समस्या –

प्रायः यह देखा गया है कि निवेश की औसत मात्रा, सरकारी अनुदान, संस्था की साख, प्रति महिला लाभाज्रन पर्याप्त नहीं है। लाभ की यह थोड़ी सी मात्रा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं की आय बढ़ाने में सक्षम नहीं है। यद्यपि निवेश की इस स्थिति में पाँचवीं योजना से छठवीं योजना में सुधार हुआ है। लेकिन यह गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपर्याप्त है। लोक लेखा समिति (1987) ने इस बारे में कहा है–

"The assitance was far below the amount of Rs.7,000 to Rs.9,000 estimated by the experts as being required to generate income to raise the beneficiaries above the poverty line."[1]

अतः असहाय गरीब महिला लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निवेश स्तर की औसत मात्रा में वृद्धि करनी होगी।

1. Self employment programmes IRDP, TRYSEM & DWCRA, Govt.of India, Ministry of Agriculture, Deptt.of Rural Development, New Delhi, P.15

आधारभूत सुविधा तथा सम्बन्धित सुविधाओं की समस्या –

निःसन्देह ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव, आधारभूत सुविधाओं तथा उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः इससे पहले कि वे किसी व्यवसाय का चुनाव करें, समुचित तथा पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। जोकि किसी व्यवसाय को चलाने तथा आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। जैसेकि कच्चा माल तथा मार्केटिंग आदि की सुविधायें। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के ध्यान के प्रमुख केन्द्र बिन्दु पूँजी का उपलब्धता तथा स्थानीय उद्योगों की स्थापना करना होना चाहिए।

ऋण प्राप्त करने की समस्या –

एक नजर में देखने पर सरकार की सभी योजनायें बहुत अच्छी दिखायी देती हैं। परन्तु यदि कोई इन योजनाओं से कुछ प्राप्त करना चाहे, तो यह बहुत ही कष्टकारी तथा परेशानी भरा काम है, चाहे पुरुष हो या महिला। अतः जो महिलायें अपने घर पर किसी व्यवसाय या काम की शुरुआत करना चाहती है उनके लिए किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। यदि वे किसी प्रकार से ऋण प्राप्त करने में सफल भी हो तो पूरी धनराशि उनके हाथ में नहीं आयेगी क्योंकि धनराशि की अच्छी–खासी मात्रा बिचौलियों द्वारा बचा ली जाती है। अतः इस दिशा में कुछ सुधार होने आवश्यक है, ताकि महिलायें बिना मध्यस्थों की सहायता के ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं से ऋण ले सकें।

प्रशिक्षण का निम्न स्तर –

ड्वाकरा योजना (TRYSEM) के अन्तर्गत महिलाओं को दिये जाने वाले प्रशिक्षण अत्यन्त निम्न स्तरीय हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभान्वित महिलायें इस प्रतिस्पर्धी बाजार में पर्याप्त आमदनी अर्जित करने में कठिनाई महसूस करती हैं और

प्रशिक्षण काल और ऋण अनुदान दिये जाने के बीच बहुत अन्तर भी होता है।[1]

महिलाओं की निम्न क्रय शक्ति की समस्या –

भोजन के वास्तविक खरीददार गरीब लोग होते हैं, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन मजदूर तथा ऐसे किसान होते हैं जिनके पास आर्थिक लाभ देने वाली जोतों का अभाव है। ऐसे समूह की महिलायें बहुत ही कष्टसाध्य परिश्रम करती हैं क्योंकि उन्हें दोहरी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं अर्थात् घर के अन्दर तथा घर के बाहर भी। फिर भी उनके पास अपनी तथा बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत थोड़ी धनराशि होती है।

उनके परिवार के लिए भोजन की उपलब्धता उनकी कमाई पर निर्भर करती है जोकि नियमित रूप से रोजगार मिलने पर निर्भर करती है। महिलाओं की गरीबी का उन्मूलन प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना कि गरीब व्यक्तियों की बढ़ती हुई क्रय शक्ति पर, उत्पादित परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण, रोजगार के प्रावधान या प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर करता है।[2]

इस प्रकार गरीब वे लोग है जिनकी आय, मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक आय से कम होती है।[3]

इस प्रकार, योजना निर्माताओं के समक्ष समस्या केवल प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि मुख्य समस्या महिलाओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना है। यदि किसी भी तरह

1. Verma, R.K. and et.al., "Evaluation of Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) Scheme : A case study of district Etawah, in Women's Status in India (Policies and Programmes) by B.P. Churasia (Ed.), Chugh Publication, Allahabad, 1992, P.210.
2. Sen, Amartya, "Poverty and Famine", An Essay on Entitlement and Deprivation, 1981.
3. Self Employment Programme IRDP, TRYSEM & DWCRA, Govt.of India, Ministry of Agriculture, Deptt.of Rural Development, New Delhi, P.14

उनकी क्रय शक्ति बढ़ा दी जाए तो उनकी अपने परिवार के लिए कैलोरी उपलब्ध कराने की न्यूनतम् आवश्यकतायें स्वयं ही पूरी हो जायेगी।

योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं के सामने आर्थिक कार्यों के चुनाव की समस्या -

गरीब तथा अशिक्षित महिलाओं के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में से किसी योजना का चुनाव करना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि वे सदा से ही पुरुषों की तुलना में अशिक्षित और सम्पत्तिहीन रही हैं।

महिलायें उन पारम्परिक व्यवसायिक योग्यताओं, जिनमें वे लगी हुई हैं, के अलावा मुश्किल से ही नयी व्यवसायिक योग्यताओं को अर्जित करती हैं। वे गरीबी में तो उत्साहपूर्वक समायोजन करती है परन्तु बड़ी मात्रा में परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन करना उनके लिए कठिन कार्य है (जबकि उन्होंने उन्हें नया–नया अर्जित किया हो)। गरीब लोगों में अपने काम, आजीविका तथा निवास आदि के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिकता होती है। गरीब महिलायें उस अधीनता को जारी रखने तथा बढ़ाने में सहायक होती हैं। सामान्यतः प्रतिदिन वे अधिकांश समय कम आय वाले कार्यों में व्यस्त रहती हैं। ऐसे में कभी–कभी तो उन्हें साल–भर किसी व्यवसाय विशेष पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रायः उनके पास एक ही समय में या क्रमिक रूप से बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, जिससे कि वे अपने परिवार की आजीविका से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करती है। गरीब महिलायें खर्चों में कमी लाने वाले कार्यों को अत्यधिक महत्व देती हैं जैसेकि निःशुल्क ईंधन, चारा, कुछ अन्य आवश्यकतायें तथा खाने–पीने की चीजें एकत्र करना।[1]

---

1. Banerjee, Narayan, 'Poverty Alleviation Programmes and Socio-Political Context of Poor Women', Journal of Rural Development, NIRD, Hyderabad, Vol.(I), 1990, P. 49-50.

इन परिस्थितियों में उन योजनाओं के भण्डार से किसी भी योजना का चुनाव करना बहुत ही कष्टकारी कार्य है, जोकि ग्रामीण महिलाओं के उद्धार के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही है। गरीब महिलाओं के जीवन में कार्य करने की अवधि लम्बी होती है जोकि युवावस्था से प्रारम्भ होकर मृत्यु तक समाप्त होती है।[1] इतने लम्बे समय के लिए किसी भी आर्थिक क्रिया का चुनाव एक बहुत ही परेशानी भरा और समस्यापूर्ण कार्य है।

अन्त में इतना कहना पर्याप्त है कि इस ग्रामीण अध्ययन क्षेत्र (जनपद जालौन) की महिलायें विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाईयों का सामना कर रही हैं। वे असमानता, पक्षपात, अन्याय तथा शोषण का सामना कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन में समायोजन की कठिनाई, रोजगार तथा पारिवारिक आय में वृद्धि आदि के लिए संघर्षरत् हैं। परन्तु इस संघर्ष में विराम नहीं है बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा है।

---

1. Banerjee, Narayan, 'Poverty Alleviation Programmes and Socio-Political Context of Poor Women', Journal of Rural Development, NIRD, Hyderabad, Vol.(I), 1990, P.50.

अष्टम्
अध्याय

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध ''उत्तर प्रदेश में निर्धनता उन्मूलन अभियान के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, जनपद जालौन के विशेष संदर्भ में'' के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। इस शोध का उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव, समीक्षात्मक अध्ययन, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत शोध महिलाओं की निर्धनता से सम्बन्धित एक सूक्ष्म विश्लेषण है, जिसमें अध्ययन क्षेत्र जनपद जालौन लिया गया है। क्योंकि यह जनपद अत्यन्त पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कृषि की प्रधानता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र अभी भी यहाँ अत्यन्त पिछड़ी हुई दशा में है। अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों द्वारा निर्धनता का अनुमान लगाते समय या निर्धनता उन्मूलन अभियान बनाते समय पूरे समाज को नहीं, बल्कि पुरुष वर्ग को विशेष ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि महिलाओं का स्वतंत्र अस्तित्व कभी स्वीकार ही नहीं किया गया, उन्हें सदैव पुरुषों के साथ जोड़कर देखा जाता है। यदि परिवार के पुरुष सदस्यों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि महिलाओं का स्तर स्वतः ही उच्च हो जायेगा। लेकिन यह एक गलत अवधारणा है कि पुरुषों का विकास होने से महिलाओं का विकास स्वतः हो जायेगा। ''स्त्री–पुरुष परस्पर एक पूरक होकर भी दो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है।''[1] दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध में महिलाओं की निर्धनता के कारण, बाधाओं, समाधान तथा भावी

---

1. व्होरा, आशारानी : स्त्री सरोकार, आर्य प्रकाशन मण्डल, दिल्ली, 2006, पृ0 23

संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। निर्धनता का स्तर कितना कम हो रहा है, इसका पता व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसका सामाजिक स्तर भी उच्च होगा। इसके विपरीत महिलायें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर उनका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। यह आर्थिक निर्भरता परिवार एवं समाज में उनकी भूमिका को गौण बना देती है। उनके निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे समाज में महिलायें गरीब हैं। विकास प्रक्रिया में अगर गरीब और महिलाओं को केन्द्र बिन्दु न बनाया गया तो न तो उसमें तेजी आयेगी और न ही वह सम्पूर्ण होगी।[1] हमारे समाज में महिलायें अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है बल्कि दूसरों पर निर्भर है। मूलभूत आवश्यकताओं तक महिलाओं की पहुँच न होने से 'गरीबी का स्त्रीकरण' होता है। परिवार पर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आने पर उसकी मार महिलाओं पर अधिक पड़ती है। वे घर के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती हैं और स्वयं वंचना का कष्ट भोगती हैं। गरीबी के स्त्रीकरण से तात्पर्य है कि दुनिया के गरीबों का एक अविभाजित हिस्सा महिलाओं का है।[2]

जनपद जालौन झाँसी मण्डल के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना, दक्षिणी सीमा पर बेतवा तथा पहूज नदी बहती है। जनपद जालौन तीनों नदियों त्रिकोणीय स्थिति के मध्य में है। इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किमी0 है। इस जनपद का विस्तार उत्तर से दक्षिण 105 किमी0 तथा पूर्व से

1. भट्ट, इला आर0 : गरीब महिलाओं को मिला नोबेल पुरस्कार, योजना, दिसम्बर 2006, पृ0 81
2. Chapter 51, Meeting Women's Needs As Food Producers, Population Reports, Published by the Population Information Programme, Center for Communication Programmes. The Johans Hopkins School of Public Health, Maryland, USA, Volume XXV, December, 1997.

पश्चिम 80 किमी0 है। जनपद में 5 तहसीलें तथा 9 विकास खण्ड हैं, जिनमें 1152 गाँव है। प्रस्तुत शोध के लिए आवश्यक आँकड़ों एवं कार्यक्रमों का संकलन जिला कार्यालय केन्द्र उरई में स्थित सम्बन्धित विभागों से किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद जालौन की कुल जनसंख्या 14,55,859 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 7,88,264 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 6,67,595 है। 1000 पुरुषों पर 847 महिलायें है। जनपद में 272497 महिलायें साक्षर हैं जबकि साक्षर पुरुषों की संख्या 509536 है। यहाँ की अधिकांश महिलायें कृषि कार्य में संलग्न है। संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है। लेकिन इन महिलाओं को अपने कार्य का पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जो महिलायें अपने पति के साथ आर्थिक कार्य में सहयोग करती हैं, उन्हें तो अपने कार्य का कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं होता है।

शोध अध्ययन के माध्यम से महिलाओं की जो स्थिति सामने आयी है, वह अधिक संतोषजनक नहीं है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन तो आया है क्योंकि आज के वैश्वीकरण के दौर में तकनीकी परिवर्तन तथा मीडिया के प्रभाव से महिलायें अछूती नहीं है। परन्तु महिला विकास के जिस उद्देश्य एवं जिस वर्ग के लिए सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, न तो वे उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं और न वांछित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। इस जनपद की महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुयी हैं। महिलाओं के विकास के लिए जो भी योजनायें चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं से इस जनपद की महिलायें कितनी लाभान्वित हुयी है, इसका अध्ययन करने के लिए जनपद के 9 विकास खण्डों में से 4 विकास खण्डों तथा प्रत्येक विकास खण्डों में से 4–4 गाँवों को 'रेण्डम सैम्पलिंग' द्वारा लिया गया। इन 16 गाँवों से 800 महिलाओं (प्रत्येक गाँव से 50 महिलायें) का चयन भी रेण्डम सैम्पलिंग द्वारा किया गया। जिनमें सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति

की महिलाओं को शामिल किया गया, जोकि नौकरी पेशा, किसान, मजदूर, उच्च आमदनी तथा निम्न आमदनी वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुयी है। सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति की महिलाओं को सरकारी आरक्षण को आधार मानते हुए 21 प्रतिशत स्थान दिया गया, क्योंकि महिलाओं में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति कहीं अधिक दयनीय है, वे अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक वंचना का शिकार हैं। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन करने के लिए 800 महिलाओं से प्रश्नावलियाँ भरवाई गई। प्राथमिक आँकड़ों के अतिरिक्त द्वितीयक आँकड़ें भी विभिन्न सरकारी कार्यालयों से एकत्रित किये गये।

महिलायें हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। वे 'आधी दुनिया' हैं, फिर भी उन्हें समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए था। प्राचीन भारत में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान मिला हुआ था, वे विद्वता तथा साहस से परिपूर्ण होती थी। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। परन्तु ऋग्वेद काल के बाद से उनकी स्थिति में परिवर्तन आने लगा। वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों में जकड़ी जाने लगी। इसके बाद मनु काल से तो महिलाओं को पर्दे में रखकर उन्हें पूरे समाज के क्रियाकलापों से दूर कर दिया गया। उन्हें पुरुषों की दासी बना दिया गया। अब उन्हें उन्हीं कार्यों के करने का अधिकार था, जो पुरुष कहेंगे, क्योंकि यह पर्दा उनकी आँखों के साथ–साथ दिमाग पर भी डाल दिया गया था। आधुनिक काल महिलाओं की क्रान्ति का युग है। आज महिलायें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ स्वयं आवाज उठा रही हैं और जागरूक हो रही हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि महिलायें सदैव पुरुषों के अनुसार चलती रही हैं, उन्होंने अपनी क्षमताओं और कुशलताओं को पहचाना ही नहीं है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कभी पुरुषों से अलग करके नहीं देखा। इसका प्रमुख कारण महिलाओं में अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। उन्हें अपने सामाजार्थिक विकास की राह में आने वाली

बाधाओं को तोड़ने के लिए स्वयं ही प्रयास करने होंगे। महिलाओं को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 102.7 करोड़ है, जिसमें 52.67 प्रतिशत पुरुष और 47.39 प्रतिशत महिलायें हैं। अतः महिलाओं के विकास का अर्थ है पूरे समाज का विकास। इसी विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही महिला विकास के कार्यक्रमों पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1953 में 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' की स्थापना की गयी, जिसने ऐच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले महिला कल्याण कार्यक्रमों को दिशा प्रदान की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए 'महिला मण्डलों' की स्थापना की गयी। महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए 'महिला मण्डलों' की स्थापना की गयी। महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यूनीसेफ की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम चलाये गये। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रमुखता देते हुए उनके आर्थिक विकास, रोजगार तथा प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1980–85) को महिला विकास के लिए 'लैण्डमार्क' कह सकते हैं। महिलायें तथा विकास की विचारधारा को पहली बार इस योजना में शामिल किया गया। 1985 में ही 'महिला एवं बाल विकास विभाग' की स्थापना की गयी, जोकि महिला विकास के लिए चलाया जा रहा सबसे बड़ा निकाय है। सातवीं योजना में अभी तक चलाई जा रही सभी योजनाओं को बहुमुखी आयाम प्रदान किये गये, ताकि ऐसे कदम उठाये जा सके, जो महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करें और अपनी शक्ति और अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता प्रदान करें। सातवीं योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं हेतु 27 लाभार्थी उन्मुख स्कीमों की

संकल्पना शुरू हुयी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 'महिलाओं के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण' के अवसर बढ़ाने तथा दशायें सुधारने पर बल दिया गया। आठवीं योजना (1992–97) में लैगिंक परिदृश्य और सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों के द्वारा महिलाओं के लिए निधियों के एक निश्चित प्रवाह को सुनिश्चित करने की जरूरत को पहली बार उजागर किया गया। योजना के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया कि "विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लाभ से महिलाओं को वंचित न रखा जाय और सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायें। सामान्य विकास कार्यक्रमों में अधिक जेंडर संवेदनशीलता को परिलक्षित किया जाना चाहिए।"[1] नौवीं योजना (1997–2002) में 'महिला घटक योजना' को एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में अंगीकार किया गया तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये कि महिलाओं से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में कम से कम 30 प्रतिशत निधियाँ/लाभ निर्दिष्ट किये जाएं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कार्यनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाये जायें। एक प्रभावी तंत्र के माध्यम से निर्दिष्ट निधियों/लाभ के प्रवाह पर विशेष सतर्कता बरतने की वकालत की गई।

दसवीं योजना (2002–2007) में जेंडर भेद समाप्त करने तथा जेंडर प्रतिबद्धताओं को बजट प्रतिबद्धताओं में बदलने के लिए जेंडर बजटिंग के प्रति प्रतिबद्धता को बल दिया गया है। "दसवीं योजना में सरकार के बजट के विश्लेषण की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि महिलाओं पर इसके प्रभाव का पता लगाया जा सके और महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को बजटीय प्रतिबद्धता में बदला जा सके। दसवीं योजना के अन्तर्गत महिला घटक योजना एवं जेंडर बजटिंग की इन प्रभाव संकल्पनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके और इसके फलस्वरूप

1. "स्त्री पुरुष समानता की ओर उठे कदम", (योजना सम्पादकीय टीम द्वारा संकलित), योजना, अक्टूबर 2006, पृ0 21

महिलाओं को महिला सम्बन्धी सभी सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों में अपना उचित हिस्सा प्राप्त हो सके।'' (दसवीं योजना के दस्तावेज से उद्धरण)

सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं का विकास करने एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेकों योजनायें चलायी गयी लेकिन इन सभी योजनाओं में औरतों को संगठित करने, उनमें जागरूकता लाने तथा उनकी योग्यताओं में वृद्धि करने के लिए एक विधिवत् प्रशिक्षण और व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी रही है। निर्धनता उन्मूलन की अनेकों योजनायें प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही चलाई जा रही है। छठवीं एवं सातवीं योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों, जिनमें महिलायें भी शामिल थी, को मूलभूत आवश्यकतायें प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन महिलाओं की निर्धनता पर विशेष ध्यान 80 के दशक में दिया गया, जब छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980–85) में 'महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक विकास' नामक अध्याय अलग से जोड़ा गया। इसी अवधारणा के तहत् समाज के इस पिछड़े हुए भाग को शक्तिशाली बनाने के लिए 'ड्वाकरा' योजना प्रस्तावित की गयी, जिसके तहत् महिलाओं को ऋण तथा अनुदान प्रदान किये गये। जबकि 'ट्राइसेम' के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऋण एवं अनुदान में उनकी भागीदारी बहुत ही कम थी।

इस बात में तो कोई सन्देह नहीं कि 'महिला समर्थित योजनाओं' की अपेक्षा 'महिला विशिष्ट योजनाओं' ने महिलाओं के सामाजार्थिक विकास को विशिष्ट रूप से प्रभावित किया है। सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि महिलाओं ने जिन योजनाओं के लाभ लिये थे, उन योजनाओं में अधिकांश योजनायें वे थी, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। अन्य योजनाओं में पुरुष वर्चस्व के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। यदि दोनों ही प्रकार की योजनाओं के लाभ महिलाओं को मिले तो उनका सामाजार्थिक स्तर अपेक्षाकृत अधिक उच्च हो। सर्वेक्षण के दौरान एक तथ्य और भी सामने आया कि अनुसूचित जाति की महिलायें

अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक लाभान्वित हुयी है। परन्तु अन्य वर्गों की अपेक्षा उनमें गरीबी का स्तर अधिक उच्च होने के कारण उनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया तथा उन्हें जो लाभ मिला, वह बहुत ही मामूली सा था। उचित वर्ग तक उचित लाभ न पहुँचने के दो कारण हैं—

* प्रथम, महिलाओं में जागरूकता का अभाव है, उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं है और यदि जानकारी है और योजना का लाभ भी मिल गया तो उस लाभ का उपयोग उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कर लिया जाता है। उनकी भूमिका आवश्यक स्थान पर हस्ताक्षर करने मात्र तक सीमित होती है, जिस कारण वह योजना उनके व्यक्तिगत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है।
* दूसरा, योजनाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया पूरी तरह से दोषयुक्त है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का बहुत–बहुत प्रयास किया (कईयों ने तो गरीबी के बावजूद रिश्वत भी दी), परन्तु उनकी बात नहीं सुनी गयी। योजना का लाभ उन्हें मिला जो प्रधान के अथवा अधिकारियों के खास व्यक्ति थे अथवा धनी एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

अतः आवश्यकता दोनों पक्षों के दोषों को दूर करने की है, तभी कोई भी योजना अपने लक्ष्य तक पहुँच पायेगी।

सुझाव :

महिलायें समाज का एक कमजोर पहिया है और समाज को विकास की राह पर तेज गति से चलाने के लिए इस पहिये को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक सामाजिक समूह के रूप में महिलाओं का सशक्तीकरण तथा उनके हितों का सरंक्षण ही सभी विकास कार्यक्रमों का निर्णायक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि

महिलाओं को कमजोर बनाने वाले तत्वों का उन्मूलन ही महिला सशक्तीकरण को शक्ति प्रदान करेगा। विकास की योजनायें तो अनेक बनायी जाती हैं, परन्तु वे अपने अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाती है। अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने का कारण – योजनाओं के निर्माण में होने वाली सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक खामियाँ हैं। कोई भी योजना तभी सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है, जब वह सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों ही तरीके से दोषमुक्त हो। अतः सुझावों को दो भागों में विभक्त करना उपयुक्त होगा– सैद्धान्तिक सुझाव तथा व्यवहारिक सुझाव।

सैद्धान्तिक सुझाव –

किसी भी कार्यक्रम का निर्माण सैद्धान्तिक रूप से किया जाता है। ये सैद्धान्तिक पक्ष ही योजनाओं को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास को तथा विकास के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों को वांछित लक्ष्य तक निम्न सुझावों द्वारा पहुँचाया जा सकता है–

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के अन्तर्गत उनके शैक्षिक, राजनैतिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी कारकों को रखा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि जब महिलाओं के विकास के ये आधारभूत बिन्दु मजबूत होंगे, तभी वे सामाजिक रूप से सशक्त बनेगी और जब वे सामाजिक रूप से सशक्त होंगी, तभी वे आर्थिक सशक्तीकरण की ओर कदम बढ़ा पायेंगी और ये आर्थिक सशक्तीकरण ही उन्हें सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बनने को प्रेरित करेगा। क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक तत्व एक दूसरे से अन्तर्सम्बद्ध होते हैं।

* विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम तो महिलाओं में आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। सदियों से उपेक्षित एवं शोषित रहने के कारण

वे स्वयं भी इस बात को मान बैठी हैं कि वे 'अबला' हैं। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 75 प्रतिशत महिलाओं का इस तरह का दृष्टिकोण पाया गया। उन महिलाओं का मानना था कि पुरुष जो निर्णय लेते हैं, वे उचित एवं मानने योग्य होते हैं क्योंकि वे महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। जब उनसे ये कहा गया कि परिवार, बच्चों व अन्य कार्यों से सम्बन्धित निर्णय आप स्वयं भी तो ले सकती हैं, तो उनका उत्तर था– 'औरतों में इतनी बुद्धि नहीं होती है'। यहाँ तक कि जब पति द्वारा की जाने वाली हिंसा के सम्बन्ध में पूछा गया तो जिन महिलाओं ने हिंसा की बात स्वीकार की थी, उनमें से अधिकांश महिलाओं ने उस मार–पीट को अत्याचार स्वीकारने से मना कर दिया। उन महिलाओं का मानना था कि यदि कोई काम गलत हो जाता है या गलत बोलने पर पति का डाँटना या मारना स्वाभाविक है, इसे हिंसा नहीं कहते। महिलाओं के इस तरह के विचारों से ऐसा लगता है जैसे वे इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है कि संसार के सारे कार्य एवं वस्तुयें पुरुषों के लिए बनाये गये हैं, पुरुषों का प्रत्येक निर्णय सही होता है। जो महिलायें विरोध करना भी चाहती है, उनका कहना है– 'हम क्या करें?' उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः सर्वप्रथम तो इस बात की आवश्यकता है कि महिलायें स्वयं अपने अन्दर जागरूकता लायें, अपनी शक्तियों को पहचाने उन्हें अपने को शक्तिहीन नहीं बल्कि शक्तिशाली समझना होगा। महिलाओं को इस तथ्य को समझना होगा कि जो स्वयं पुरुषों को जीवन, सोच, समझ एवं दिशा देती हैं वे उनसे निम्न कैसे हो सकती है।

महिलाओं का विकास तभी सम्भव है, जब वे स्वयं अपनी आन्तरिक शक्ति को पहचाने तथा अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करने की क्षमता का विकास करें। उन्हें अपनी शक्तियों तथा कमजोरियों का मूल्यांकन स्वयं करना होगा।

* विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाये जाने की भी आवश्यकता है। चाहे क्षेत्र सामाजिक हो, राजनैतिक हो या फिर आर्थिक सभी निर्णयों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता है–

i) राजनैतिक विशेषाधिकार प्रदान करने से उनकी राजनैतिक शक्ति तथा प्रतिनिधित्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। उनकी यह भूमिका ग्रामीण शासन (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत), शहरी शासन (नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम), राज्य स्तरीय शासन (विधान सभा एवं विधान परिषद), केन्द्र स्तरीय शासन (राज्य सभा एवं लोक सभा) तथा अन्य प्रशासनिक पदों में उनकी सहभागिता बढ़ाकर ही बढ़ाई जा सकती है।

ii) ग्रामीण शासन एवं शहरी शासन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया गया है परन्तु अभी राज्य स्तरीय तथा केन्द्र स्तरीय शासन में भी 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। आज भी हमारे देश में कुछ महिलायें ही उच्च स्तर पर राजनैतिक पदों पर है। 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से उनकी सहभागिता बढ़ जायेगी, जब यह सुनिश्चित हो जायेगा कि इन सीटों पर सिर्फ महिलायें ही चुनाव लड़ेंगी तो पुरुषों को स्वेच्छा से न सही पर बाध्य होकर ही उन्हें उनके राजनैतिक अधिकार प्रदान करने पढ़ेंगे तथा विभिन्न निर्णयों में उनकी भागीदारी स्वीकार करनी पड़ेगी।

iii) जब भी किसी समिति अथवा आयोग का गठन किया जाए तो उसमें कम से कम 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्रदान किये जाये, ताकि प्रत्येक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता बढ़ सके।

iv) आज एक ऐसे मैकेनिज्म के विकास की आवश्यकता है जो निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा नीति निर्माण व क्रियान्वयन दोनों में ही उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें।

* महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है परिवार में उनकी स्थिति एवं स्वतंत्रता। परिवार में सुदृढ़ स्थिति एवं स्वतंत्रता उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करती है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। महिलायें ही महिलाओं को परिवार में उच्च स्थिति प्रदान कर सकती हैं। जब एक माँ अपनी बेटी का पालन–पोषण बिना किसी लिंग भेदभाव के करेगी तथा आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करेगी तो वह लड़की आगे चलकर एक सशक्त महिला बनेगी और जब परिवार में बेटा–बेटी का भेद नहीं होगा, तो लड़कों में भी दूसरे लिंग के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। वे महिलाओं को दासी नहीं सहभागिनी मानते हैं तथा परिवार सम्बन्धी सभी निर्णयों में उनकी महत्ता को स्वीकार करते हैं।

* महिलाओं के विकास में एक बहुत बड़ी समस्या लैंगिक हिंसा है। यह लैंगिक हिंसा ही वास्तव में तमाम आयोजनों को विफल बना रही है। यह समस्या कम होने की बजाए दिन व दिन बढ़ती जा रही है। लगभग प्रत्येक 45 मिनट पर एक बलात्कार की घटना घटित होती है। छेड़खानी करना, अश्लील हरकतें तथा बलात्कार जैसी घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं के कम होने और एक सुरक्षित वातावरण होने पर लोग लड़कियों एवं महिलाओं को घर से बाहर भेजने में नहीं डरेंगे। जिन गाँवों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद स्कूल नहीं है, वहाँ की लड़कियाँ भी आगे पढ़ने के लिए बाहर जा सकेंगी तथा आत्मनिर्भर बनने में भी कोई रूकावट नहीं आयेगी। इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधानों का लागू करने के साथ–साथ उतनी ही सख्ती से उनका पालन करने की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक विकास खण्ड एवं शहर में महिला हिंसा से सम्बन्धित विभाग अथवा विशेष महिला पुलिस दल की स्थापना की जाये जो सिर्फ महिलाओं से सम्बन्धित

मामलों को देखें तथा आरोपियों को सजा से वंचित न होने दें।

* लड़कियों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम से कम प्रत्येक ब्लाक में एक महाविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। क्योंकि आज भी माता–पिता कई सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भेजते। इस प्रकार की व्यवस्था से लड़कियों की शिक्षा में आश्चर्यजनक बदलाव आयेगा।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण का प्रमुख केन्द्र बिन्दु उनके व्यक्तिगत जीवन, परिवार तथा समाज से सम्बन्धित विभिन्न निर्णयों में उनकी भागीदारी तथा स्वतंत्रता से है। लेकिन महिलाओं का सामाजिक सबलीकरण उनके आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। जहाँ महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, वहाँ उनकी सामाजिक स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से तात्पर्य उत्पादन के साधनों तक उनकी पहुंच तथा उनकी आय पर उनके नियंत्रण से है। उत्पादन के साधनों तक उनकी पहुंच से तात्पर्य भू–स्वामित्व, अन्य उत्पादन परिसम्पत्तियों पर उनका हक, पूँजी तथा तकनीकी तक पहुंच तथा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाने वाली विभिन्न योग्यताओं की प्राप्ति से है तथा आय पर नियंत्रण से तात्पर्य आय को व्यय करने तथा बचत करने की स्वतंत्रता से है।

* जब भू–स्वामित्व की बात आती है, तो देखने में आता है कि भूमि पर महिलाओं का हक नहीं होता है। इस जनपद में अधिकांश महिलायें कृषि कार्यों से जुड़ी हुयी हैं। कहीं–कहीं तो कृषि सम्बन्धी सभी कार्य महिलायें ही देखती हैं परन्तु कृषि भूमि का कोई भी हिस्सा उनके नाम नहीं होता है। वे भूमिहीन कृषक होती

हैं। भूमि से सम्बन्धित सभी अधिकार पति तथा पुत्र के होते हैं। किन्हीं–किन्हीं परिवारों में जहाँ पति की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ भी उनकी विधवाओं को अपने पति की भूमि पर अधिकार नहीं दिया गया। उस जमीन पर देवर ससुर तथा परिवार के अन्य सदस्यों का अधिकार बना रहा। अतः भू–स्वामित्व द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निम्न कदम उठाये जाने चाहिए–

i) महिलायें जो भी सम्पत्ति शादी के समय अपने साथ लेकर आती हैं, वह सम्पत्ति कानूनी रूप से उनके नाम होनी चाहिए।

ii) पति की पैतृक सम्पत्ति पर कानूनी रूप से पति–पत्नी दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए।

iii) जो सम्पत्ति महिलाओं द्वारा अपनी आय से सृजित की गयी है, वह भी उनके नाम होनी चाहिए।

iv) जो सम्पत्ति पति–पत्नी दोनों के सहयोग से खरीदी गयी है, संयुक्त रूप से उस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए।

v) जहाँ कृषि कार्यों में पुरुषों के साथ महिलायें भी संलग्न है, वहाँ भूमि तथा कृषि उत्पादन पर दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए।

* महिलाओं का सह–स्वामित्व भूमि के साथ–साथ अन्य उत्पादक सम्पत्तियों जैसे घर, दुकान, परिवार की सम्पत्ति, फैक्टरी, मशीनों तथा अन्य उत्पादक परिसम्पत्तियों पर भी होना चाहिए। इससे सम्पत्तियों का प्रयोग करने, बेचने तथा हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित उनके निर्णयों के प्रभाव में वृद्धि होगी।

* महिलाओं की तकनीकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने वाले प्रशिक्षण कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए जनपद के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए तथा समय–समय पर

विभिन्न गाँवों में विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाये जाने चाहिए। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण की विधि सुगम होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलायें भी आसानी से कार्य सीख सकें। प्रशिक्षण में नयी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया जाना चाहिए।

* संगठित क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य की दशा एवं दिशा में विकास के लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय एक वैधानिक समिति का गठन किया जाना चाहिए जोकि इन क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं जैसे निजी क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, उनके कार्य की दशाओं में सुधार करना तथा उनके हितों की रक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान देना। इससे एक महिला प्रबन्धक से लेकर महिला कर्मचारी तक की कार्य करने की दशा एवं दिशा उन्नत होगी।

* असंगठित क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी संगठित क्षेत्रों की तरह वैधानिक समिति का गठन किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्रों जैसे– ईंट के भट्ठे, पत्थर तोड़ना, निर्माण कार्य तथा कृषि कार्य में बहुत सी महिला श्रमिक कार्य करती हैं। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को शोषण का अधिक शिकार होना पड़ता है। उनका कार्य एवं कार्य के घंटे सुनिश्चित करना, मजदूरी के भेदभाव को रोकना, कार्य की दशायें सुधारने तथा यौन शोषण को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों का सख्ती से पालन कराने तथा उन कानूनों से महिलाओं को अवगत कराने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए एक कोष की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि आवश्यकता के समय वे उस कोष के धन का उपयोग कर सकें।

* पूँजी तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए बैंक तथा अन्य ऋण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। ऋण संस्थानों को महिलाओं

को स्वतंत्र रूप से ऋण प्रदान करना चाहिए। इससे महिलाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सम्बन्ध में महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिए निम्न कदम उठाये जाने की आवश्यकता है–

i) ऋण प्राप्त करने के लिए तथा अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पति की सम्पत्ति प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए।

ii) महिलाओं को उनके पति तथा संरक्षकों की अनुमति के बिना ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।

iii) महिला निवेशकों, कृषकों तथा अन्य स्वरोजगार में लगी महिलाओं को साख सम्बन्धी गतिशीलता प्रदान करने के लिए विशेष सहकारी संस्थानों तथा रजिस्टर्ड निकायों की स्थापना की जानी चाहिए, जो महिलाओं को साख प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष रणनीति बनाये।

iv) राज्य स्तर पर एक ऐसी बैंकों की स्थापना की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का प्रबन्धन करे।

v) 'माइक्रो फाइनेंस' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करने का यह कारगर तरीका है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस हुसैन का 'माइक्रो फाइनेंसिग' प्रणाली द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे महिलाओं के सामाजार्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया।

vi) सरकारी ऋण के सम्बन्ध में महिलाओं में व्याप्त भय को समाप्त करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए ऋण सम्बन्धी नियम एवं प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश महिलाओं में सरकारी ऋण के प्रति भय व्याप्त था। जिन महिलाओं ने रिश्तेदारों, व्यवहारियों

या अन्य किसी से ऋण लिया था, उनसे जब यह पूछा गया कि आपने बैंक से ऋण क्यों नहीं लिया, तो उनका उत्तर था कि भगवान कभी ऐसी स्थिति न लाये कि सरकारी कर्ज लेना पड़े।

* गाँवों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण तथा सरकारी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

* महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए तथा उनके द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को बाजार तक पहुँचाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

* शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार की स्त्रियों के लिए योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

व्यवहारिक सुझाव –

महिला सशक्तीकरण का संघर्ष गरीब, प्रताड़ित, उपेक्षित तथा वंचित वर्ग का सामाजिक अन्याय तथा असमानता, सम्पत्ति के वितरण की असमानता तथा सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक संसाधनों पर शक्तिशालियों के प्रभुत्व के विरोध में है। यह मात्र महिलाओं का संघर्ष नहीं बल्कि वंचितों का संघर्ष भी है। यह संघर्ष महिलाओं की अस्मिता तथा उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा का है। इस संघर्ष के माध्यम से महिलाओं के मध्य ही जो वर्ग, सम्पत्ति तथा जातिगत आधार पर बने हुए हैं, उन वर्गों की असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में महिलाओं में आपस में ही अन्र्तद्वन्द्व तथा मतभेद हैं तथा वे समाज में उपेक्षित अनु0जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा अन्य ग्रामीण गरीबों को अपने से अलग कर देती हैं।[1]

---

1. Occasional Papers (First series) 'Employment of Women', Published by Government of India, Deptt.of Rural Development, Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi, P. 81 to 85.

सैद्धान्तिक सुझावों के अतिरिक्त कुछ व्यवहारिक सुझाव की भी आवश्यकता है क्योंकि कोई भी सिद्धान्त तब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उसमें व्यवहारिकता का समावेश नहीं होगा। जब कोई योजना लागू की जाती है, तो उसके क्रियान्वयन से लेकर लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक बाधायें आती हैं। यदि इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया, तो योजनाओं के लक्ष्य आधे–अधूरे प्राप्त होंगे। कुछ प्रमुख व्यवहारिक सुझाव निम्न हैं–

* महिलाओं में अपने अधिकारों एवं अवसरों के सम्बन्ध में जागरूकता लाने के लिए आगनवाड़ी एवं आशा बहुओं के माध्यम से स्वास्थ्य, सफाई एवं पोषण के साथ यह ज्ञान भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सप्ताह में एक दिन कक्षा लगाई जा सकती है तथा विभिन्न सामुदायिक केन्द्रों पर उनके अधिकार एवं अवसरों से सम्बन्धित कानूनों एवं सुविधाओं के बारे में लिखवाया जा सकता है।
* महिलाओं में जागरूकता लाने एवं उनकी विशेष समस्याओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक गाँव में कम से कम एक माह में एक शिविर अवश्य लगाया जाना चाहिए। इन शिविरों में विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा नियमावली के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
* ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।
* जनसंचार के साधनों के माध्यम से महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि की जा सकती है।
* महिलाओं के अधिकार, समस्यायें एवं सुझावों से सम्बन्धित जागरूकता का प्रसार फिल्म अथवा नुक्कड़ नाटकों द्वारा किया जा सकता है।

* सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जो गाँव, जिला केन्द्र एवं सड़कों से बहुत दूर स्थित हैं तथा आने–जाने का कोई साधन नहीं है, वहाँ की महिलायें अधिक पिछड़ी हुयी हैं। इस प्रकार के गाँवों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

* महिलाओं को बाल विवाह एक्ट 1929, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशालीन प्रस्तुतीकरण (निवारण) अधिनियम 1986, सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम 2005 आदि की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि महिलाओं का सामाजिक शोषण रोका जा सके।

* जो महिलायें असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उन्हें शोषण से मुक्ति प्रदान करने के लिए कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, बंधुआ श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 आदि की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

* महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केन्द्रों की स्थापना मात्र जिला, केन्द्र अथवा विकास खण्ड में न होकर सभी गाँवों में होना चाहिए। जिन गाँवों के मध्य दूरी बहुत कम है, वहाँ एक केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

* 6–12 वर्ष की लड़कियों के उचित विकास के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।

* प्रत्येक क्षेत्र की अलग–अलग समस्यायें होती हैं, उन समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

* बच्चों के पालन–पोषण से सम्बन्धित सुविधायें बढ़ाई जानी चाहिए तथा 'चाइल्ड केयर सेन्टर' अधिक से अधिक संख्या में स्थापित किये जाये, ताकि बच्चों की परवरिश के कारण महिलाओं को अपने–अपने आर्थिक कार्य न छोड़ने पड़ें।
* महिलाओं की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन संगठनों को सरकारी सहायता भी दी जानी चाहिए।
* विभिन्न कार्यक्रमों में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों में महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण महिलायें निसंकोच अपनी बात कह सकें।
* प्रत्येक गाँव में वहाँ की कुछ महिलाओं का एक संगठन बनाया जाना चाहिए। उस संगठन में प्रत्येक वर्ग की महिलायें शामिल की जानी चाहिए। ये संगठन ग्रामीण महिलाओं को भिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा वांछित महिला तक उसका लाभ पहुँचाने का कार्य करेगा। इससे पात्र महिला को ही लाभ मिलेगा तथा भ्रष्टाचार की संभावना भी कम रहेगी।
* समय–समय पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषयों पर विचार–संगोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए, जहाँ ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलायें भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। इससे महिलाओं की क्षमतायें एवं कुशलतायें सामने आयेंगी तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा।
* जो महिलायें किसी भी कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी का विकास करना चाहती हैं तथा किसी विषय पर शोध करना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं को सरकारी अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।
* ''रूरल मैनेजमेंट'' से सम्बन्धित विषयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा रूरल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों में ही स्थापित किये जाने चाहिए। उनमें पढ़ने वाले छात्रों से अध्ययन के दौरान गाँवों की समस्याओं एवं उनके

निदान से सम्बन्धित प्रोजेक्ट सर्वे द्वारा तैयार कराये जाने चाहिए। इससे गाँवों की आधारभूत समस्यायें उजागर होगी तथा योजनाओं के निर्माण के समय प्रत्येक गाँव से सम्बन्धित प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

* इसी प्रकार 'महिला शोध संस्थानों' को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि उनके विकास के सम्बन्ध में नये–नये सुझाव एवं मॉडल आते रहें।

* सह–शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि लड़के–लड़कियों में जो असमानता की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह मनोवैज्ञानिक तरीके से समाप्त की जा सके।

* महिला मण्डलों के अन्तर्गत मुक्त विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

* स्कूल पाठ्यक्रम में लिंग भेदभाव को समाप्त करने एवं सामाजिक जागरूकता से सम्बन्धित विषयों का समावेश किया जाना चाहिए।

* गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को पानी एवं ईंधन जैसी समस्याओं से न जूझना पड़े।

* योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जांच समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ये समितियाँ निम्न स्तरों पर गठित की जानी चाहिए–

ग्रामीण जाँच समिति
↓
क्षेत्रीय जाँच समिति
↓
जिला जाँच समिति
↓
मण्डलीय जाँच समिति
↓
प्रादेशिक जाँच समिति
↓
केन्द्रीय जाँच समिति

* इन जाँच समितियों में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की किसी भी तरह से राजनीति में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। ये जाँच समितियाँ निष्पंदन का कार्य करेंगी। विभिन्न स्तरों पर जाँच होने से भ्रष्टाचार कम हो जायेगा तथा प्राप्त होने वाली रिपोर्ट में कहीं अधिक शुद्धता की संभावना होगी।

* भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ये सभी सुझाव तब तक निष्फल हैं, जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। विभिन्न विकास योजनाओं की असफलता के मूल में भ्रष्टाचार ही है। जब यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तभी ये सभी कार्यक्रम कागजी क्रियान्वयन से निकलकर वास्तविकता के धरातल पर क्रियान्वित हो पायेंगे।

* महिलाओं के विकास से सम्बन्धित विशेष कार्य करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि आजादी के 55 वर्ष से भी अधिक बीत जाने पर भी महिलाओं की स्थिति में वह सुधार नहीं आया है, जिसकी आशा की जा रही है। जबकि पूरा देश 9 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है, महिलाओं की विकास दर अभी भी गति नहीं पकड़ पायी है। पिछले दो दशकों में हुए शानदार आर्थिक विकास के बावजूद महिलाओं के तुलनात्मक रूप से वंचित रहते जाने की समस्या को समाप्त करने में सफलता नहीं मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आर्थिक भागीदारी आदि अनेक प्रमुख संकेतक देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति में विद्यमान असमानता की ओर इशारा ही करते हैं।[1] विकास की दौड़ में महिलाओं के पिछड़े रहने का कारण सदियों से महिलाओं के सम्बन्ध में व्याप्त संकीर्ण मानसिकता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलायें भी यह मानती हैं कि समाज की पारम्परिक मान्यतायें ही उनके लिए उचित है तथा जो महिलायें आगे बढ़ना चाहती है

1. रेवा, नैयर : स्त्री पुरुष समानता की ओर, योजना, अक्टूबर, 2006, पृ० 7

महिला विकास मॉडल

महिलाओं का आर्थिक सबलीकरण
1. संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. आधारभूत संरचना का विकास।
3. प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र में महिलाओं का 33% आरक्षण।
4. प्रत्येक योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. सार्वजनिक व्यय का 50% भाग महिला विकास को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये।
निर्णयों में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि
1. विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाना।
2. महिलाओं के लिये बनायी जाने वाली नीतियों के निर्माण में महिला नीति निर्माताओं की संख्या अधिक होना।
3. महिलाओं के कार्यों में पति/पुरूषों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिये कानूनी नियम।
4. सुरक्षा प्रदान करना—महिलाओं को भयमुक्त बनाने के लिये तथा उनकी समस्यायें सुनने के लिये महिला पुलिस का विशेष कार्य—दल प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्त किया जाना चाहिये।
सामाजिक सबलीकरण
1. महिलाओं को जागरूक बनाने के लिये विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन।
2. विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी नियमों की जानकारी प्रदान करना।
3. पारिवारिक सम्पत्ति के 50% हिस्से पर महिलाओं का कानूनी अधिकार।
4. परिवार की महिलाओं द्वारा बच्चों को बिना लिंग भेदभाव के विकास के समान अवसर प्रदान करना, इससे मनोवैज्ञानिक तरीके से मानसिकता में परिवर्तन आयेगा।

उन्हें भी इसी संकीर्ण और रूढ़िवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ता है।

परन्तु धीरे–धीरे इस मानसिकता का विखण्डन हो रहा है। जनपद जालौन जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मानसिकता बदलने में समय अवश्य लगेगा परन्तु बदलाव अपेक्षित है। महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ सोच में बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि सरकार की अपनी सीमायें हैं, अपनी संभावनायें हैं। भारत एक बड़े भू–भाग पर पसरा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जिसे अपने विकास में अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की खाई अभी पार करना बाकी है। इन सबके बावजूद सरकार ने अपने प्रयासों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग और जन सहभागिता से काफी सराहनीय सफलता अर्जित की है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाओं की सशक्त बनाने की बात हो रही है। हालांकि उसमें समय है लेकिन कल्याण से विकास और विकास से सशक्तीकरण की ओर बढ़ते हुए कदमों ने साफ कर दिया है कि अब मंजिल दूर नहीं।[1]

भावी संभावनायें :

भले ही विभिन्न योजनायें अपने लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकी और न ही इस जनपद की महिलाओं में इतनी जागरूकता आ पायी है कि उनकी तुलना महानगरों की महिलाओं से की जा सके। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में यहाँ की लड़कियों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन क्षेत्र में सफलता प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रवृत्ति प्राप्त करके तथा रोजगार प्राप्त करके परम्परावादी मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया है तथा यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी योग्यतायें और क्षमतायें किसी से कम नहीं बल्कि विकास की राह की वे भी प्रबल दावेदार हैं। यहाँ की ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलायें भी बहुत ही मेहनतकश एवं जुझारू हैं। जो महिलायें शिक्षित एवं आत्मनिर्भर नहीं है, वे अपनी शिक्षा और आत्मनिर्भरता अपनी बेटी में देखना चाहती

1. कुमार, नीरज : महिला सशक्तीकरण की कुछ कोशिशें, योजना, मार्च, 2007, पृ012

हैं। उनका मानना है कि जो उपेक्षा एवं शोषण उन्होंने सहा है उनकी बेटियाँ उसके विरोध में आवाज उठाकर उपेक्षा एवं शोषण से मुक्त जीवन जिये। अतः कहा जा सकता है कि महिला विकास की भावी संभावनायें बहुत ही उज्जवल है। बस उन्हें थोड़े से आत्मबल एवं सहयोग की आवश्यकता है जो एक बार उन्हें विकास की राह दिखा दें। धीरे–धीरे गति तो वे स्वयं पकड़ लेंगी। इस जनपद की महिलायें स्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ने को प्रयासरत हैं। जैसे–जैसे महिलायें जागरूक होती जा रही हैं, वे अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। वे समझने लगी हैं कि यदि अधिकार अपने आप नहीं मिलते तो वे विभिन्न नियमों एवं कानूनों के द्वारा अपने अधिकार लड़कर प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी संघर्षमयी स्थिति में विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम उन्हें शक्ति प्रदान करके उनके लिए आशा की किरण का काम करते है। यदि थोड़ी सी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए, तो लक्ष्य दूर नहीं है।

''हम उसे रेखांकित तो करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि वह क्या कह रही हैं?'' अमृत्यसेन के ये विचार महिलाओं की पूरी स्थिति को रेखांकित कर देते हैं। विकास में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से अवरूद्ध है। सर्वप्रथम तो इन कारकों में परिवर्तन लाना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुनरुत्पादन प्रक्रिया के अलावा उत्पादक प्रक्रिया से भी जोड़ना होगा। उन्हें सीधे बाजार अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें उनकी लैंगिक स्थिति से आंकलित किया जाता है, जो उनकी विकास प्रक्रिया को धीमा करता है। ''जेंडर एण्ड पावर्टी इन इण्डिया (1995)'' की विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब औरतें दक्ष आर्थिक प्रबंधक है जिनके पास पुरुषों से अधिक प्रबंध तथा उद्यम की योग्यतायें हैं। इसलिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि ऋण सुविधाओं, तकनीकि दक्षता और शिक्षा इत्यादि तक औरतों की पहुँच को बढ़ाया जाये।

एक न्यायोचित समाज सभी धर्मों, सभी जातियों और दोनों लिंगों को विकास के समान अवसर प्रदान करता है। भारत में तो जन्म के साथ ही भेदभाव प्रारम्भ हो जाता है। जन्म से पूर्व ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। जन्म हो जाए तो बाद में उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के सभी अवसरों में भेदभाव किया जाता है। अधिकतर लड़कियां सिर्फ घर के कार्य देखती हैं। लड़कियां अपने परिवार के लिए बोझ और चिंता का विषय होती है। उनकी शादी के लिए 'दहेज' तो जैसे उनके पूरे जीवन को अभिशापित कर देता है और यह चक्र निरन्तर चलता रहता है। लेकिन क्या यह चक्र तोड़ा नहीं जा सकता? लड़कियां प्रारम्भ से ही अपने परिवार के लिए आर्थिक बोझ होती है जो उनकी अधीनस्थ स्थिति को सदैव कायम रखती है। यदि लड़की को आर्थिक बोझ बनाया ही न जाए, उसे भी लड़कों के समान आर्थिक कार्यों को करने के समान अवसर दिये जाएं तो कहीं कोई समस्या नहीं रह जायेगी। गरीब माता–पिता पढ़ाई के खर्च के कारण नहीं पढ़ाते है। आज अच्छी शिक्षा बाजार की वस्तु बन गयी है और गरीब लड़कियों की पहुँच से अभी भी कहीं दूर है। ज्यादा से ज्यादा वे अपने गाँव के किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। जहाँ अध्यापक शायद ही कभी–कभार आते हैं और कहीं स्कूल गाँव से दूर हुआ तो उससे भी वंचित। नीति निर्माताओं को भी नीतियों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी समाज में किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत निम्न है। नीतियों का निर्माण उनके विकास को ध्यान में रखकर करना होगा। लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में गृह–विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई और पाकशास्त्र जैसे विषयों तक ही नहीं सोचना होगा बल्कि उनके लिए ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सके। साधनों को उनकी पहुँच तक लाना होगा। लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ के अभिशाप से मुक्त कराने की आवश्यकता है। इस तरह की नीतियों का निर्माण किया जाए कि वे

परिवार के लिए सहारा बने, बोझ नहीं।

शिक्षा तक तो ठीक है लेकिन जब आर्थिक आत्म–निर्भरता की बात आती है तो ऐसा लगता है कि नीति निर्माता महिलाओं को शायद रेखांकित भी नहीं करते अथवा उन्हें अनुपूरक आय सृजित करने के योग्य ही बनाते है, जो फिर उनकी अधीनस्थ स्थिति को बनाये रखती है। उच्च और तकनीकि शिक्षा प्रदान करने के बाद उन्हें सीधे बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है। आज वैश्वीकरण और उदारीकरण की वर्तमान प्रवृत्तियों ने सम्पूर्ण समाज को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की है। फिर ये वर्ग क्यों पीछे हैं? जिस तरह की नीतियों से महिलाओं का विकास करने की कोशिश की जा रही है, शायद ही उनका विकास सम्भव है।

इस शोषित और उपेक्षित वर्ग के विकास की राह इतनी आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मानसिकता में परिवर्तन। नीति निर्माता परिवार समाज सभी को उसे एक 'जेण्डर' से अलग समाज का एक हिस्सा मानना होगा, सभी सारी समस्याओं का निराकरण है।

परिशिष्ट

प्रश्नावली

01. सामान्य विवरण –

(i) ग्राम –

(ii) ब्लाक –

(iii) जनपद –

02. परिचयात्मक विवरण –

(i) नाम –

(ii) उम्र –

(iii) वैवाहिक स्थिति – विवाहित/अविवाहित/अन्य

(iv) जाति वर्ग – A. सामान्य B. पिछड़ी C. अनुसूचित

(v) धर्म – A. हिन्दू B. मुस्लिम C. सिक्ख D. ईसाई

(vi) शिक्षा का स्तर –A. शिक्षित

a) प्राइमरी

b) जू0हाईस्कूल

c) हाईस्कूल

d) इण्टर

e) स्नातक

f) परास्नातक

g) अन्य

B. अशिक्षित

(vii) वार्षिक आय (रु0 में) –

a) 1,000 – 10,000

b) 10,000 – 25,000

c) 25,000 – 45,000

d) 45,000 – 70,000

e) 70,000 से अधिक

(viii) आप घरेलू महिला है या कहीं कार्यरत हैं –

(ix) यदि कार्यरत हैं, तो व्यवसाय/पद का नाम एवं आय का विवरण दें –

03. परिवार के अन्य सदस्यों की संख्या एवं विवरण–

क्र0	सदस्य का नाम	सम्बन्ध	लिंग	आयु	शिक्षा	मासिक आय	अन्य
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

सामाजिक विवरण

1. स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण :

01. क्या आपको सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी है, यदि हाँ, तो कार्यक्रम का नाम बतायें? हाँ / नही

....

02. क्या आपके परिवार में किसी गर्भवती महिला को सरकारी चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्राप्त हो रही है? हाँ / नही

03. क्या परिवार की कोई महिला / लड़की किसी बीमारी से ग्रसित है? हाँ / नही

04. यदि हाँ, तो क्या कोई सरकारी सहायता प्राप्त हुई? हाँ / नही

05. क्या परिवार की किसी महिला ने गर्भपात कराया है? हाँ / नहीं

06. क्या कन्या भ्रूण होने के कारण गर्भपात कराया? हाँ / नहीं

07. क्या आपको सरकार द्वारा चलाये जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रमों की जानकारी है, — हाँ / नहीं
    यदि हाँ, तो कार्यक्रम का नाम बतायें? — ....

08. क्या आपके पति परिवार नियोजन के माध्यम को अपनाने के लिए सहमत है? — हाँ / नहीं

2. पारिवारिक स्थिति का विवरण :

01. क्या परिवार के विभिन्न निर्णयों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है? — हाँ / नहीं

02. क्या आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं? — हाँ / नहीं

03. क्या आपने इस हिंसा का कभी विरोध किया? — हाँ / नहीं

04. क्या आप अगली पीढ़ी की लड़कियों को शिक्षित, जागरूक एवं आत्मनिर्भर देखना चाहती हैं? — हाँ / नहीं

3. शैक्षिक विवरण

01. क्या आप साक्षर है? — हाँ / नहीं

02. यदि नहीं तो क्या साक्षर होने की इच्छा है? — हाँ / नहीं

03. क्या आपको सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों की जानकारी है? — हाँ / नहीं

04. क्या आपने सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त किये हैं? — हाँ / नहीं

05. क्या आप लड़कियों को स्कूल भेजते हैं? — हाँ / नही

06. यदि नहीं, तो क्या कारण है?

07. क्या किसी लड़की की पढ़ाई बीच में ही छूट गयी है? — हाँ / नही

08. यदि हाँ, तो क्या कारण हैं?

09. क्या आपके परिवार की लड़कियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त होती है? — हाँ / नहीं

10. यदि हाँ, तो प्राप्त छात्रवृत्ति को लड़कियों पर व्यय किया जाता है? हाँ / नहीं

4. राजनैतिक विवरण

01. क्या आप स्वतंत्र मतदाता है? हाँ / नहीं
02. क्या आपको राजनीति में रुचि है? हाँ / नहीं
03. क्या आप किसी राजनैतिक पार्टी की सदस्या हैं? हाँ / नहीं
04. क्या आप अपने राजनैतिक कार्यों को स्वयं करती है? हाँ / नहीं
05. क्या पुरूषों द्वारा महिलाओं के राजनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप उचित है? हाँ / नहीं
06. क्या महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता का गांव की महिलाओं को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? हाँ / नहीं

आर्थिक विवरण

01. क्या आपको व्यय करने की स्वतंत्रता है? हाँ / नहीं
02. यदि आप घरेलू महिला है, तो आप अपने पति के किसी आर्थिक कार्य में सहयोग करती हैं– हाँ / नहीं
03. यदि आप सहयोग करती हैं, तो आपको लाभ का कोई हिस्सा प्राप्त होता है– हाँ / नहीं
04. क्या आप कार्यशील महिला है? हाँ / नहीं
05. क्या आपको पुरुषों के बराबर वेतन प्राप्त होता है– हाँ / नहीं
06. यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?
07. क्या आप अपनी सम्पूर्ण आय उपभोग पर व्यय करती है? हाँ / नहीं
08. यदि आप बचत करती हैं, तो अपनी बचत कहाँ जमा करती है?
    A. बैंक में B. डाकघर में C. संबंधी / मित्र के पास D. स्वयं के पास
09. क्या आपने परिवार के उत्तरदायित्व हेतु ऋण लिया है? हाँ / नहीं

10. यदि हाँ, तो ऋण लेने के स्रोत बताइये –
    A. बैंक
    B. किसी व्यक्ति से
11. क्या आपका ऋण लेने के क्या उद्देश्य व्यवसायिक था? हाँ / नहीं
12. यदि हाँ, तो क्या स्वयं प्रयोग किया? हाँ / नहीं
13. क्या आपको सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी है, यदि हाँ, तो कार्यक्रमों का नाम बतायें। हाँ / नहीं ....
14. क्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ / नहीं
15. यदि नहीं, तो उसका कारण बतायें –
16. यदि हाँ, तो योजना का नाम बताइये–
17. क्या योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ / नहीं
18. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति की मदद ली? हाँ / नहीं
19. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आपको रिश्वत की आवश्यकता पड़ी? हाँ / नहीं
20. यदि योजना की जानकारी के बाद भी लाभ न प्राप्त कर सकने के कारण? ....
21. क्या योजना के तहत् प्राप्त सहायता का उपयोग आपकी मर्जी से हुआ? हाँ / नहीं
22. क्या सहायता के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ में आपको व्यक्तिगत लाभ हुआ? हाँ / नहीं
23. यदि आप घरेलू महिला है, तो क्या आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? हाँ / नहीं
24. यदि हाँ, तो आत्मनिर्भर बनने में बाधाएं – ....

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Antony, M.J. : 'Women's Right', Published by Hind Pocket Books (P) Ltd., New Delhi, 1979.

2. Arora, R.C. : 'Integrated Rural Development', Published by S. Chand & Co.Ltd., New Delhi, 1979

3. Chandra, Dr. Gyan : Population in Perspective.

4. Chapter 51 : Meeting Women's Need As Food Producers, Population Reports, Published by the Population Information Programme, Center for Communication Programmes, The Johans Hopkins School of Public Health, Maryland, U.S.A., Volume XXV, Dec.,1997

5. Desai, Neera : 'Women in Modern India', Vora & Co., Publishers Private Ltd., 1957

6. Husain, Yusuf : 'Medival Indian Culture".

7. Mukerjee, Radha Kumud : 'Women in Ancient India in Women in India'.

8. Myrdal, Alva & Klein, Viola : 'Women's two Roles Home and Works, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 1956

9. Marshal, Alfred : 'Principal of Economics'.

10. Morthy, Vasudeva M. : 'Problems and Welfare of our Women Workers'.

11. Prof. Indra : 'The Status of Women in Ancient India', 1995.

12. Prabhu, P.N. : 'Hindu Social Organisation'. 1958.

13. Sen, Amartya : 'Poverty and Famine; An essay of Entitlement and Deprivation, 1981.

14. Verma, Dr. R.K. : 'Status of Females in India in Women Status in India' (Policies & Programmes) by B.P. Chaurasia, Chugh Publication, Allahabad, 1992.

15. Verma, Dr. R.K. : 'Evaluation of Development of Women and Children in Rural Areas' (DWCRA Scheme); In Women Status in India (Policies and Programmes) by B.P. Chaurasia, Chugh Publication, Allahabad, 1992.

16. Zakaria, Rafiq : 'Razia Queen in India'.

17. अल्तेकर : 'राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइमस'

18. अथर्ववेद

19. आर्य, साधना, निवेदिता मैनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001

20. बौधायन, धर्म सूत्र

21. कपूर, प्रोमिला : 'मैरिज एण्ड द वर्किंग वूमैन इन इण्डिया', विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, 1970

22. डॉ0 राजकुमार : 'नारी के बदलते आयाम'

23. गुप्त, पदमिनी सेन : 'वीमैन वर्कर्स ऑफ इण्डिया'

24. गुप्ता, रमणिका : 'स्त्री विमर्श : कलम और कुदाल के बहाने', शिल्पायन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006

25. ग्रोवर, बी0एल0, यशपाल, अलका मेहता : 'आधुनिक भारत का इतिहास'

26. लाल, बी0बी0 : 'इण्डस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एण्ड इकॉनामिक ग्रोथ'

27. लुनिया, बी0एन0 : 'अकबर महान'

28. महाभारत

29. मनुस्मृति

30. मृक्षकटिका

31. महाजन विद्याधर : 'दिल्ली सल्तनत का इतिहास'

32. मिश्र, जयशंकर : 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास'

33. मेहरा, उमाशंकर : 'मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति'

34. मुखर्जी, राधाकमल : 'इण्डियन वर्किंग क्लास'

35. मैनन, कल्याणी सेन, ए0के0 शिवकुमार : 'भारत में औरतें कितनी आजाद कितनी बराबर', from www.un.org.in

36. महाभाष्य'

37. मेघदूत

38. मत्स्य पुराण

39. प्रसाद, बेनी : 'हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर'

40. परमार, डॉ0 दुर्गा, 'श्रमजीवी महिलायें और समकालीन पारिवारिक संगठन', साहित्य भवन प्रा0लि0, इलाहाबाद, 1982

41. ऋग्वेद

42. रामायण

43. स्मिथ : 'अकबर महान'

44. सांकृत्यायन, राहुल : 'अकबर महान'

45. सिंह, प्रताप : 'मुगलकालीन भारत'

46. सिंह, प्रताप : 'आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास'

47. शर्मा, डॉ0 रामगोपाल : 'भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास'

48. सेन, अमर्त्य : 'भारतीय अर्थतंत्र इतिहास और संस्कृति', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006

49. सेन, अमर्त्य : 'आर्थिक विकास और स्वातंत्र', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2006

50. शुक्ला, आर0एल0 : 'आधुनिक भारत का इतिहास', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

51. सक्सेना, डॉ0 एस0पी0 : 'श्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा'

52. शर्मा, कुमुद : 'स्त्रीघोष', प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2002

53. सक्सेना एवं गुप्ता : भारत में उद्योगों का संगठन', वित्त व्यवस्था एवं प्रबन्धन, 1985

54. शतपथ ब्राह्मण

55. तैतरेय ब्राह्मण

56. उत्तर रामचरित मानस

57. व्होरा, आशारानी : 'भारतीय नारी'

58. व्होरा, आशारानी : 'स्त्री सरोकार', आर्य प्रकाशन मण्डल, दिल्ली, 2006

59. वसिष्ठ ध0सू0

पत्र–पत्रिकायें :

1. Occasional Papers (First series) : Employment of Women, Published by Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.

2. Yojna (English/Hindi)

3. Economic Times

4. कुरुक्षेत्र

5. शोध धारा (हिन्दी विभाग, डी0वी0सी0 उरई से प्रकाशित)

6. शोध सम्प्रेषण (वैभव प्रकाशन रायपुर)

7. हंस

8. भारत 2006

9. उत्तर प्रदेश 2006

10. सांख्यिकी पत्रिका जनपद जालौन

11. उम्मीद (ज्ञान विज्ञान प्रसार समिति उ0प्र0 द्वारा लखनऊ से प्रकाशित)

12. ग्रामीण विकास पत्रिका

13. अमर उजाला

14. दैनिक जागरण

15. साप्ताहिक हिन्दुस्तान

16. रोजगार समाचार पत्र

रिपोर्ट :

1. Adam's Report, 1935

2. Common Wealth Secretarial Report, 1995

3. Deptt.of Rural Development Report, New Delhi

4. I.L.O. Asian Regional Conference Report

5. Hunter Commission Report

6. रिपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण उ0प्र0

7. रिपोर्ट सेन्सस ऑफ इण्डिया

8. रिपोर्ट जनसंख्या अध्ययन राष्ट्रीय संस्थान, 2000

9. रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण – 2, 1998–99

10. रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया, 2001

11. रिपोर्ट राष्ट्रीय श्रम केन्द्र, 1999

12. मानव विकास रिपोर्ट